शनिवार, 23 मार्च 1985

2 चैत्र 1907 (शक)

(68)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शनिवार, 23 मार्च, 1985/2 चैत्र, 1907 (शक)

का शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 20, "श्री सी०के०कुप्पुस्वामी" के स्थान पर "श्री सी०के०कुप्पुस्वामी" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 24, "श्री सैफुद्दीन सोज़" के स्थान पर "श्री सैफुद्दीन सोज़" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 28, "श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह" के स्थान पर "श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 30, "श्री आयुतोष लाहा" के स्थान पर "श्री आशुतोष लाहा" पढ़िये।

पृष्ठ 3, पंक्ति 4, "श्री भाई रामा राव" के स्थान पर "श्री आई रामा राव पढ़िये।

पृष्ठ 4, पंक्ति 18, "श्री गुलास नबी आजाद" के स्थान पर "श्री गुलाम नबं आजाद" पढ़िये।

पृष्ठ 33, पंक्ति 26, "प्रतापसिंह" के स्थान पर "श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 36, नीचे से पंक्ति 3 का लोप कीजिये।

पृष्ठ 44, पंक्ति 18, "श्री अब्दुल काबुली रसीद" के स्थान पर "श्री अब्दुल रशीद काबुली" पढ़िये।

पृष्ठ 69, पंक्ति 15, "बेगम आबिदा अहम्मद" के नाम के ऊपर बाईं ओर "(अनुवाद)" पढ़िये।

पृष्ठ 71, नीचे से पंक्ति 8 का लोप कीजिये।

पृष्ठ 76, पंक्ति 14, "महदय" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 107, पंक्ति 17, "श्री एम०बी०सिदनाल" के स्थान पर "श्री एम०बी० सिदनाल" पढ़िये।

पृष्ठ 116, पंक्ति 24, "श्री मदन पाड़े" के स्थान पर "श्री मदन पाडे" पढ़िये।

पृष्ठ 126, पंक्ति 8, "फुलपुत" के स्थान पर "फूलपुर" पढ़िये।

पृष्ठ 130 को 123 पढ़िये तथा उसकी पंक्ति 2 में "श्री रामाश्रम प्रसाद सिंह" के स्थान पर "श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 131, पंक्ति 9 तथा 20, "श्री आयुतोष लाहा" के स्थान पर "श्री आशुतोष लाहा" पढ़िये।

पृष्ठ 127, 128, 129 और 130 को क्रमशः 129, 130, 127 और 128 पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 10 शनिवार, 23 मार्च, 1985/2 चैत्र, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	1-2
सभा की कार्यवाही	...	2-4
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1985-86—पुरःस्थापित किया गया	...	4-5
सामान्य बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा		
और		
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1984-85		
श्री मनोज पांडे	...	5-7
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा	...	7-10
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	10-22
श्री वाई. एस. महाजन	...	19-22
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन्	...	22-25
श्री आर. अन्नानम्बी	...	25-27
श्री के. जे. अलवासी	...	27-29
प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत	...	29-32
श्री अमल दत्त	...	32-36
श्री जगन्नाथ राव	...	36-40
श्री के. प्रधानी	...	40-42
श्री तारिक अनवर	...	42-44
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	44-52
श्रीमती बसव राजेश्वरी	...	53-56
श्री प्रताप भानु शर्मा	...	56-59
श्री राज कुमार राय	...	59-61

विषय		पृष्ठ
श्री रामेश्वर नीखरा	...	61-65
श्री सी. जंगा रेड्डी	...	65-69
बेगम आबिदा अहमद	...	69-72
कुमारी डी. के. तारादेवी	...	73-75
श्री सी. सम्बु	...	75-78
श्री मुकुल बासनिक	...	78-81
श्री जनार्दन पुजारी	...	81-88
श्री कादुम्बर जनार्थनन	...	88-90
श्री तरुण कान्ति घोष	...	90-92
श्री अमर राय प्रधान	...	92-93
श्री भरत सिंह	...	94-96
श्री पी. ए. एन्टनी	...	96-98
श्रीमती माधुरी सिंह	...	98-99
श्री के. रामचन्द्र रेड्डी	...	100-101
श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर	...	101-103
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	...	104-105
श्री मोहम्मद अयूब खां	...	105-107
श्री एस. बी. सिदनाल	...	107-109
श्री बी. सोभनाद्रोसरा राव	...	109-111
श्री सी. के. कुफुस्वामी	...	111-113
श्री आर. जीवारतिनम	...	113-115
श्री मदन पांडे	...	115-117
श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर	...	117-119
प्रो. सैफेद्दीन सोज	...	119-122
श्री राम समुझावन	...	123-124
श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी	...	124-126
श्री राम पूजन पटेल	...	126-127
श्री रामाश्रमे प्रसाद सिंह	...	130-131
श्री हरीहर सोरन	...	127-131
श्री आयुतोष लाहा	...	131-132
श्री एच. ए. डोरा	...	132-134
श्री ए. चार्ल्स	...	134-136

लोक सभा

शनिवार, 23 मार्च, 1985/2 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

11.00 म. पू.

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री पुजारी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 155 (अ) से 211 (अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 17 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वित्त मंत्री द्वारा 16 मार्च, 1985 को लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के सन्दर्भ में सीमा-शुल्क में परिवर्तनों और छूट के बारे में है। **ग्रन्थालय में रखी गई।** [देखिए संख्या एल. टी. 561/85]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 212 (अ) से 281 (अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 17 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वित्त मन्त्री द्वारा 16 मार्च, 1985 को लोक सभा में घोषित अप्रैल के करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के सन्दर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तनों और छूट के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल. टी. 562/85]

11.00 म. पू.

सभा की कार्यवाही

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 25 मार्च, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा।

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) पंजाब राज्यमें राष्ट्रपति शासन जारी रखने का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर विचार।

(3) वर्ष 1985-86 के लिए पंजाब बजट पर सामान्य चर्चा।

(4) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :—

(क) वर्ष 1985-86 के लिए लेखानुदान की मांगें (पंजाब)

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब)

(5) राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार और पारित करना।

(6) राष्ट्रीय परिवहन नीति पर प्रतिवेदन पर आगे चर्चा।

(7) निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा के साथ-साथ इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापन में, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अध्यादेश, 1985

(ख) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश 1985

(8) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) विधेयक, 1985 पर विचार और पारित करना।

(9) मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव पर विचार।

(10) संघ लोक सेवा आयोग के 32वें और 33वें प्रतिवेदन पर चर्चा।

श्री भाई राजा राव (कासरगोड) : महोदय, निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

डाक-तार विभाग के अन्तर्गत 'ई. डी. कर्मचारी' के नाम से कार्य कर रहे करीब 3 लाख कर्मचारियों की दशा, जिनका मासिक भत्ता बहुत कम अर्थात् केवल 152 रुपये से 318 रुपये है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सुदूर गांवों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक कड़ा परिश्रम करें। उन्हें जो वेतन दिया जाता है, वे अपने परिवार को दो जून खाना भी नहीं खिला सकते। यहां तक कि यदि उनके परिवार में कोई गम्भीर रूप से बीमार भी हो तो वे कोई छुट्टी नहीं ले सकते। उनकी पदोन्नति के अवसर बहुत कम होते हैं। उनकी दशा बंधुआ मजदूरों की ही तरह है और सरकार का कर्तव्य है कि वह उनकी शिकायत सुनें।

अब मैं सरकार द्वारा विचार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता हूं —

1. गैर विभागीय कर्मचारियों को कम से कम अन्शकालिक कर्मचारी माना जाए।

2. बढ़ते हुए खर्चों, तथा वस्तुओं की ऊंची कीमतों तथा उनके कठिन कार्य के स्वरूप को देखते हुए उन्हें अधिक वेतन दिया जाना चाहिए।

3. उन्हें पदोन्नति के अवसर दिए जायें।

4. उन्हें छुट्टी देने का प्रावधान होना चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. सरकार को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सहार हवाई अड्डा बम्बई में 19 मार्च, 1985 को 48 लाख रुपए मूल्य के तथाकथित जब्त किए गए डालर, जिन्हें एक प्रसिद्ध उद्योगपति के प्रतिनिधि अहमदाबाद से हांगकांग बैंक में जमा कराने के उद्देश्य से ले जा रहे थे, के संबंध में तथा इनके एस. एल. एम. मानेकलाल इण्डस्ट्रीज, जिसका निदेशक प्रधान मंत्री सचिवालय के कर्मचारियों के साथ जासूसी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं, के साथ सम्बन्ध होने के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

2. सरकार को लुफ्तांसा एयरलाइन्स के स्टेशन मैनेजर द्वारा भारतीयों को 'सूअर और पशु कहकर भारत विरोधी बातें कहने, तथा भारतीय कर्मचारियों द्वारा इन बातों का विरोध करने पर उन्हें बर्खास्त किए जाने, तथा इस घटना के बारे में जांच करवाने के लिये मांग किए जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल अनुमोदित पाठ को ही कार्यवाही सूची में शामिल किया जायेगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन (इडुक्की) : यदि यह ठीक है··· ···

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं लोगों को बोलने की अनुमति है, जिन्होंने पहले नोटिस दिए हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया बैठ जाइये। श्री अब्दुल रशीद काबुली।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए।

श्रीनगर को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन का निर्माण घाटी के लोगों को निर्धनता और पिछड़ेपन से विमुक्त करा सकता है। श्रीनगर में रेलवे लाइन बनाने से काश्मीर के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जो देश के लिए अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करते है। इसके अतिरिक्त इससे यहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्य देश के बाकी हिस्सों के समान हो जायेंगे। जम्मू काश्मीर राष्ट्रीय राज मार्ग पर रास्ता रुक जाने अथवा इसके बन्द होने की स्थिति में विशेषत: सर्दियों में, जब यहां भारी भू-स्खलन तथा हिमपात होता है, जमाखोर और काला बाजारी करने वाले लोग हमेशा इसका फायदा उठाते हैं। श्रीनगर में रेलवे लाइन बनाना कठिन काम है तथा केन्द्र सरकार के पास अत्याधिक संसाधन और तकनीकी जानकारी होने के बावजूद, उसके लिए चुनौती भरा काम है। मैं महसूस करता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को आरम्भ करना कठिन नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय सदस्यों द्वारा उल्लखित सभी मुद्दों को नोट कर लिया गया है तथा इन पर पर्याप्त विचार किया जायेगा।

प्रो. मधु दंडवते : यह उत्तर साइक्लोस्टाइल्ड हो तथा इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

11.09 अ. प.

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक,* 1985-86

गृह मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 23. 3. 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

11.10 म. पू.

सामान्य बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मनोज पांडे अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1985-86 का जो बजट सदन में पेश हुआ है, कल मैं उसका किसानों के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा था। मैं चम्पारन से आता हूं जो कि उत्तरी बिहार का एक जिला है। वहां 9 चीनी मिलें हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से दो चीनी मिलें पिछले दो सालों से बंद पड़ी हैं और इस कारण लगभग 5 हजार मजदूर बर्बाद हो रहे हैं। इन मिलों की तरफ किसानों का लगभग 5-साढ़े पांच करोड़ रुपया गन्ने का बकाया रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इन सिक चीनी मिलों को फिर से चलाने के लिए बिहार सरकार से निवेदन किया जाए। यदि सम्भव हो तो भारत सरकार इन चीनी मिलों को चलाने के लिए पैसों की व्यवस्था करे।

मान्यवर आप जानते हैं कि हमारे देश में चीनी की खपत प्रतिवर्ष लगभग 70-72 लाख टन की है और पिछले वर्षों में चीनी का रिकार्ड उत्पादन भी हुआ है, वर्ष 1982-83 में तो लगभग 84 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, लेकिन आज मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि हमारी सरकार चीनी का भी इम्पोर्ट करने जा रही है। इतना रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद भी यदि हमारे देश में बाहर से चीनी इम्पोर्ट की जाए और 5 लाख टन चीनी के इम्पोर्ट पर हमारी लगभग 300 या 400 करोड़ रुपया फौरेन एक्सचेंज के रूप में चला जाए, इतना ही नहीं, हमारी सरकार का विचार लगभग 5 या 10 लाख टन और चीनी इम्पोर्ट करने का है तो चीनी

इम्पोर्ट करने पर जब हम इतना फौरेन एक्सचेंज लगाते हैं, यदि उस पैसे का इस्तेमाल हम अपने देश की सिक चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए करें तो मैं समझता हूँ कि उससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा और फिर न केवल हमारी चीनी मिलें सुचारु रूप से चलेंगी बल्कि हमें चीनी को इम्पोर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

मान्यवर, मैं यहां एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे यहां जब भी चीनी के मूल्यों का निर्धारण किया जाए और चीनी मिलों के सम्बन्ध में कोई पौलिसी बनाई जाए, तो जहां वर्तमान प्रथा के अनुसार हम इस सम्बन्ध में शार्ट-टर्म पौलिसी बनाते हैं और हर साल गन्ने का मूल्य निर्धारित करते हैं उसके स्थान पर, मेरा सुझाव है कि गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए या चीनी के मूल्यों का निर्धारण करते समय हमें लोंग टर्म पौलिसी बनानी चाहिए। इससे किसानों की जानकारी में भी यह बात रहेगी कि हमें अपनी फसल को किस तरह से मैनेज करना है, कितना गन्ना लगाना है और कितनी दूसरी चीजों के प्रति वफादारी रखनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि देश में जब भी गन्ने के मूल्य बढ़े हैं, हमारे किसानों में गन्ने को ज्यादा लगाने के लिए होड़ लगी है और इस कारण धान और गेहूं आदि फसलों की कमजोरियां किसानों के सामने आई हैं। जिन स्थानों पर पहले धान बोया जाता था, उसके बदले किसानों ने गन्ना लगाना शुरू कर दिया। साथ ही, उन वर्षों में किसानों के सामने अपना गन्ना मिलों तक ले जाने में काफी कठिनाइयां आई हैं। मान्यवर, लौंग-टर्म पौलिसी का एक फायदा तो यह होगा कि शुगर फैक्टरीज को यह पता रहेगा कि उनके द्वारा उत्पादित चीनी का मूल्य कितना होगा और गन्ने का मूल्य क्या होगा। मैं समझता हूँ कि उस स्थिति में मिलों के साथ-साथ किसानों को भी फायदा होगा। चीनी के अलावा जो शीरा बच जाता है, उसे हम एल्कोहल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एल्कोहल को हम पैट्रोल में मिला कर गैसोल बना सकते हैं और इस तरह पैट्रोल की इण्टरनल कन्जम्पशन को कम कर सकते हैं। इस तरह फौरेन एक्सचेंज की भी हम बचत कर सकते हैं।

इसी तरह दो शब्द मैं ऊर्जा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। हमारे देहातों में किसान भाइयों के यहां आज भी खाना बनाने के लिये लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के सन्दर्भ में बायो गैस की प्रतिभा काफी बढ़ी है और कल भी इसकी प्रतिभा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए हैवी सब्सीडी इसके लिए किसानों को मिलनी चाहिए ताकि देहात के दूसरे रहने वालों को भी बायो गैस से ऊर्जा उत्पन्न हो, उसके इस्तेमाल की सुविधा हो और इस तरह से लकड़ी बचाई जा सके।

जो ऊर्जा हमारे देहातों में सौर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होनी चाहिए, वह ज्यादातर सब सी डी के रूप में किसानों को मिलना चाहिए जिससे वे खाना बनाने का काम कर सकें।

मसालों के भावों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि धनिया, मिर्च हल्दी इत्यादि की खेती पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब हम मार्केट में जाते हैं तो इन मसालों का मूल्य हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। इसमें मिर्च भी शामिल है जो हमारे यहां काफी पैदा होती है।

चूंकि समय की कमी है, इसलिए इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। [अनुवाद]

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। मैं 16 मार्च को प्रस्तुत किए गए इस बजट का स्वागत करता हूं। मेरे विचार से यह बजट बहुत प्रोत्साहित करने वाला और व्यावहारिक भी है।

जहां तक आय-कर दरों और धन कर की दरों का संबंध है अब तक इसमें कई लाभ दिए जा चुके हैं।

अन्य कई उपाय भी किए गए हैं जिनसे इस देश में औद्योगिकीकरण में सहायता मिलेगी।

महोदय, बहुत से उद्योगों को लाइसेंस-विमुक्त किया गया है और श्रमिकों तथा वेतनभोगी लोगों को बहुत से लाभ दिए गए हैं। बोनस को गणना के उद्देश्य से वेतन सीमा 750 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई है। इस बजट में उठाया गया यह कदम स्वागत योग्य है। लेकिन महोदय, इस समय मैं यह कहने के लिए बाध्य भी हूं कि हमारा ध्यान इस बजट के कुछ बुरे मुद्दों की ओर गया है।

पहली बात यह कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बहुत वृद्धि की गई है। साथ ही रेलवे के किरायों में वृद्धि की गई है, इसका बजट को अच्छाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि पेट्रोलियम उत्पादों में की गई अत्यधिक वृद्धि में पर्याप्त कमी लाई जाए। पिछले 2 वर्षों के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों में भारी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष पेट्रोलियम पर शुल्क 9-50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन कर दिया गया जो कि 10 गुना से भी अधिक है। इस वर्ष इसे 100 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि क्या अन्तरजीवी वित्त मंत्रियों को पेट्रोलियम का प्रयोग करने वालों से कोई ईर्ष्या है। पेट्रोलियम उत्पादों में इतनी अधिक वृद्धि देश के प्रगति के लिए अशुभ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि पेट्रोलियम उत्पादों, विशेषकर डीजल, जिसका प्रयोग कई निर्धन किसानों परिवहन प्रयोजनार्थ करते हैं, तथा मिट्टी के तेल और खाना पकाने की गैस के मूल्यों में कमी लाई जाए। ये देश के निर्धन लोगों द्वारा आम प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं। मिट्टी का तेल अत्यन्त गरीब लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। निम्मन आय वर्ग के लोग खाना पकाने के लिए खाना पकाने की गैस का प्रयोग करते हैं। यदि सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम नहीं किए जा सकते वो कम से कम इन तीन मदों अर्थात् मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस तथा डीजल के मूल्य बहुत कम किए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही अनुरोध है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बजट में अमीर लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली कुछ मदों पर कर नहीं लगाया है। मैं सुझाव देता हूं कि वित्त मन्त्री को

पेट्रोलियम उत्पादों में कुछ और छूट देनी चाहिए तथा अमीर लोगों के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे रेफ्रीजरेटर, एयर-कंडीशनर, टेलीविजन, वीडियो कैसट रिकार्डर आदि पर कर लगाना चाहिए। इससे पेट्रोलियम उत्पादों में छूट देने से दोनों के मूल्यों में कम अन्तर रह जाएगा।

सिगरेट पर कोई कर नहीं लगाया गया है। सिगरेट का प्रयोग अमीर जनता करती है। लेकिन बीड़ी के मूल्य बढ़ाए गए हैं। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि सिगरेट पर कर लगाया जाए तथा बीड़ी को कर मुक्त किया जाए। क्योंकि इसका उपयोग देश के निर्धनतम वर्ग द्वारा किया जाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संसाधनों की अत्यधिक कमी है। वित्त मंत्री का यह निर्णय सही है कि उन्होंने नई परियोजनायें शुरू न करके चालू परियोजनाओं पर ध्यान दिया है, जिससे उन्हें यथाशीघ्र बहुत लाभ होगा। वित्त मन्त्री का यह निर्णय एकदम सही है।

सरकारी उपक्रमों में हमने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया है और लाभांश सिर्फ 0.65 प्रतिशत है। अगर हम सरकारी उपक्रमों को ज्यादा कुशलता से चलाते और लाभांश दस प्रतिशत से अधिक नहीं होता तो हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से 3000 करोड़ रुपया प्राप्त होता जो इस बजट घाटे के बराबर है जिसका इस बजट में वित्त मंत्री ने सहारा लिया है। मैं निवेदन करूंगा कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सुचारू रूप से चलते रहें और वे सरकार को लाभांश देते रहें। अगर रेलें सामान्य राजस्व को प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये का लाभांश दें तो मैं समझता हूं इस की वजह से रेलों के किराए में वृद्धि करनी पड़ेगी। मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आता कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सामान्य राजस्व में लाभांश का योगदान क्यों नहीं करने दिया जाता।

वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जिन्हें प्रत्येक वर्ष घाटा ही होता है और करदाताओं के पैसे को हड़प रहे हैं उन उपक्रमों को बन्द कर देना चाहिए।

बजट में संसाधनों का अभाव है। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि वित्त मंत्री जी ने बचत करने के लिए अधिक प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया। शायद बैंक में जमा राशि से 7000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होने पर, कुल आय में से आयकर काट लिया जाता है। इस सीमा को बढ़ाकर 10,000/- अथवा 12,000/- रुपये कर दिया जाना चाहिए, इससे लोगों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और स्वाभाविक है कि सरकार के संसाधनों में वृद्धि होगी। इसी तरह से यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया के यूनिटों से 3000/- रुपये तक की राशि लाभांश के रूप में मिलने पर आयकर में छूट दी जाती है और सरकार के कतिपय विशेष बांडों में 2000/- रुपये तक की छूट दी जाती है। इन छूट-सीमाओं को भी बढ़ाया जा सकता है। ये सभी उपाय यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया विशेष बांड आदि में ज्यादा पूंजी निवेश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। इससे सरकार के संसाधनों में कमी भी काफी हद तक दूर होगी।

सम्पदा शुल्क को समाप्त करने का मैं स्वागत करता हूँ और इसके लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अखबार पढ़ रहा था उसमें श्री पालकी वाला ने टिप्पणी की थी कि अब लोग ज्यादा शांति से मर सकते हैं। मैं इन उपायों का दुबारा स्वागत करता हूँ। मैं वित्त मंत्री जी से पूंजीगत लाभ कर को समाप्त करने का निवेदन भी करुंगा जो करदाताओं पर एक और बोझ है। मैं नहीं समझता कि पूंजीगत लाभ कर से किसी उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति होती है। मुझे नहीं मालूम कि इस विशेष कर से राजस्व को कितनी आय होती है। मेरे विचार से कर दाताओं पर यह स्वामित्वहरण करने वाला कर है। यह सच है कि जमीन और इमारतों की कीमत इन वर्षों में बहुत बढ़ गई है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि जब उस जमीन अथवा इमारतों के मालिक अपनी जायदाद को बेचें तो वह उससे प्राप्त पैसों का एक बड़ा भाग सरकारी रत्नकोष को दें। उसे अपनी रोज मर्रा की जरुरतों को भी पूरा करना होता है। जिनकी कीमतें भी काफी ज्यादा हो गई हैं। न सिर्फ उसकी जमीन अथवा जायदाद की कीमतें ही बढ़ी हैं जिसका वह मालिक है अपितु सभी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं जो वह रोजमर्रा इस्तेमाल करता है। इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि जमीन और इमारत के मूल्य में वृद्धि के लिये उससे क्यों जुर्माना लिया जाये। मैं वित्त मंत्री जी से यह देखने के लिये अनुरोध करुंगा कि क्या पूंजीगत लाभ कर को चालू रखने में कोई फायदा है।

महोदय, समय कम है मैं सिर्फ कृषि पर बोलकर समाप्त करुंगा। महोदय, यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि कृषि को इस नजर में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह सर्वविदित है कि भारत में 1600 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि है। इस कृषि योग्य भूमि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि नहीं होती है यह एक निश्चित मात्रा में है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये इस भूमि पर हमें दो या तीन फसले उगानी होगी और इसके लिये हमें सिंचाई की जरुरत है मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सिंचाई को उचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही जो इसे मिलनी चाहिये। बहुत सी योजनाऐं हैं जिन्हें मैं उद्धृत कर सकता हूँ परन्तु समय की कमी के कारण मैं उन्हें उद्धृत नहीं कर रहा हूँ। सिद्धेश्वरी परियोजना है जिस पर मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते वक्त चर्चा की। इस तरह की और भी बहुत सी योजनाऐं हैं जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। मुझे किसी भी सरकार की तरफ से इस योजना को तत्काल क्रियान्वित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती दिखाई देती चाहे वह पश्चिम बंगाल सरकार या बिहार सरकार हो (क्योंकि इस परियोजना पर ये दोनों सरकारें आपस में सलाह करेंगी)। अथवा केन्द्र सरकार इससे बीरभूम जिले में दस हजार हेक्टर भूमि सिंचाई के अंतर्गत लायेगी इससे न सिर्फ इतना ही होगा अपितु इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और इससे हर वर्ष करोड़ों रुपये की फसल प्रायः नष्ट हो जाती है। इन सिंचाई परियोजनाओं, जो न केवल बाढ़ संरक्षण के मामले में अपितु फसल उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होगी, को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैं नहीं समझता कि इसे उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में मैंने पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ष सिर्फ 26 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य बनाई जाती है। परन्तु इसमें एक एक खंड है जिसमें कहा गया है यद्यपि क्षमता उत्पन्न की जा रही है, परन्तु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिये लघु सिंचाई योजनाओं के

अधीन एक कम ऊंचाई का नलकूप 20 बीघा जमीन को सिंचाई करेगा। यह आपके सरकारी कागजों में लिखा है, परन्तु अगर वास्तव में इस नलकूप का उपयोग करें तो पायेंगे कि इससे 5 बीघा जमीन से अधिक की सिंचाई नहीं हो सकती अतः जो क्षमता आप अपने में दिखा रहे हैं वह वास्तविक क्षमता नहीं है जो खेतों में की जा रही है।

आपके सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 40 प्रतिशत सिंचित भूमि है। परन्तु वास्तव में सिर्फ 20 या 25 प्रतिशत सिंचित भूमि है इससे अधिक नहीं। सिंचाई सुविधाओं को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। मदोदय इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसिरहाट) माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर इस वाद-विवाद में पिछले कुछ दिनों से हम बहुत से भाषण सुनते आये हैं। और इससे भी अधिक, इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हम बहुत सी पत्रिकाओं, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों की टिप्पणियां पढ़ रहे थे। अब इस बजट का ज्यादा विश्लेषण करने की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। सुस्पष्ट बजट प्रस्तुत करने के लिये मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा। इसमें कुछ भी जटिल एवं छिपा हुआ नहीं है। यह पर्याप्त होगा अगर मैं इस बजट को दिये गये कुछ मुख्य प्रमाण पत्रों के बारे में संक्षेप से बताऊं, एक प्रमाण-कर्त्ता बड़ा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था अर्थात भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल महासंघ का था जो मुख्यालय अथवा हाई कमांड है। उनकी कार्यकारी समिति जिसकी हाल ही में बैठक हुई उन्होंने कहा कि यह एक साहसपूर्ण और काल्पनिक बजट है। श्री पालकी वाला हमारे पुराने मित्र मुक्त उद्यम मंच के प्रचारक तथा आर्थिक नीतियों के समर्थक जो कि सामान्यतया पुरानी गई-गुजरी स्वतंत्र पार्टी से संबंधित हैं, इस बजट की प्रशंसा इतने अच्छे शब्दों में की है।

ऐसा लगता है कि व्यावहारिकता में वे इस से बेहद प्रसन्न हैं; वह नहीं जानते उन्हें क्या कहना चाहिये; भारत का पुनर्निमार्ण करने के लिये उन्होंने इसे युगान्तरकारी बजट कहा है; उन्होंने कहा है, चालू वर्ष में यह एशिया की अर्थ-व्यवस्था का विशालतम इतिहास है। उन्होंने कहा है, अर्थ-व्यवस्था और बजट पर विचार करने के लिये यह एक मौन क्रान्ति का द्योतक है। यह देखना बाकी है कि इससे क्रान्ति होगी अथवा प्रति-क्रान्ति। उन्होंने वित्त मंत्री जी को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित 201 उद्यमों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी सिफारिश की है। मैं नहीं समझता कि एकाध वर्ष या इसके बाद इस सिफारिश को शायद टुकड़ों में स्वीकार किया जाय। एक और प्रमाण-पत्र पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने दिया है जिन्होंने "इन्डियाज न्यू डील" नाम से एक लेख लिखा है। परन्तु इन सबसे बढ़कर है न्यूयार्क के वाल स्ट्रीट परनल में कुछ दिन पहले छपा एक संपादकीय जिसे आज सुबह मैं पढ़ रहा था सम्पादकीय में उसके शीर्षक—'राजीव रीगन' की ओर कृपया ध्यान दें। वाल स्ट्रीट जरनल में छपा है :

> "रूढिवादी दैनिक पत्र में कहा पिछले हफ्ते उनके बजट ने करों में कटौती की तथा एक ओर प्रसिद्ध करों में कटौती करने वाले (श्री रोनाल्ड रीगन) की भांति विनियमनों में कटौती की।"

कभी-कभी लोग अच्छे तरीके से करों में कटौती कर सकते हैं। परन्तु हम श्री रीगन का अनुसरण नहीं करना चाहते जो वाल स्ट्रीट जनरल ने इस बजट में देखा है। इसमें और आगे कहा गया है :

> "वास्तव में भारत भी उन बहुत से अन्य देशों के समूह में सम्मिलित हो रहा है जिन्होंने पूर्व एशिया के मुक्त-विपणन सफलता की प्रशंसा की है और तत्पश्चात उसका अनुकरण किया।"

मेरे विचार से 'पूर्व एशिया' का अर्थ है सिंगापुर, हांगकांग तथा ताईवान जैसे बड़े देश। इसमें आगे लिखा है :

> "समाजवादी मरीचिका में लम्बे समय से आसक्त देश के लिए यह बजट एक क्रान्ति है।"

और अन्त में कहा गया है—मैं पूरा सम्पादकीय उद्धृत नहीं कर सकता।"

> "इसका काफी श्रेय श्री राजीव गांधी को जाता है और उनके द्वारा सत्ता में लाये गए नए सलाहकारों के साहस को।"

ये नए सलाहकार कौन हैं ? मैं नहीं जानता उनमें से किसी का नाम लेना मेरे लिए उचित होगा अथवा नहीं यद्यपि मैं ले सकता था।

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्री जी भी उनमें से एक हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री नहीं, एक छाया है मैं नहीं जानता आप उसे क्या कहेंगे। वहां पर छाया-मंत्रिमंडल सलाहकार हैं। कुछ योजना आयोग को, कुछ वित्त मन्त्रालय को और कुछ औद्योगिक विकास मन्त्रालय आदि को सलाह दे रहे हैं।

इन सभी सलाहकारों में एक बात समान है, वह है वे सभी विश्व बैंक के दर्शन शास्त्र के सिद्धान्त के अनुयायी; यह सबको मालूम है कि विश्व-बैंक से उनके संबंध हैं और उनमें से दो का अभी भी विश्व बैंक में ग्रहणाधिकार लियन है। यह अच्छा होगा कि इस चर्चा में मैं अब उनका नाम न लूं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह जवाब दें तो हमें बतायें कि जिस उद्देश्य की ओर वह हमें ले जाना चाहते हैं वह सिंगापुर, ताईवान अथवा हांगकांग में प्रचलित रही अर्थव्यवस्था के समान है। इस तरह की टिप्पणी को भारत जैसे देश की इस तरह के देशों से तुलना करना इसे पढ़कर स्वाभिमान को धक्का लगता है। मैं उन देशों का विरोध नहीं करता। अगर वे अपनी पसन्द की अर्थव्यवस्था पसन्द करते हैं तो उन्हें ऐसा करने की छूट है। यह उनका अधिकार है।

मुद्रा स्फीति क्षमता, इस बजट की अत्यधिक मुद्रास्फीति क्षमता के बारे में काफी कुछ कहा और लिखा जा चुका है। इन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह

देखकर प्रसन्नता है कि सत्तारूढ़ दल के बहुत से सदस्य जो कि सामान्य रूप में इस बजट का समर्थन कर रहे हैं, मुद्रा स्फीति के खतरे के प्रश्न पर अपनी आशंकायें प्रकट नहीं कर सकते।

किसी भी व्यक्ति ने यथार्थवादी रूप में वर्ष 1985-86 के लिए अनुमानित घाटे को स्वीकार नहीं किया है। यहां तक कि मन्त्रालय के प्रवक्ता ने बजट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात प्रेस को बताया—समाचार-माध्यम में जो छपा है उसके अनुसार—हर वर्ष की भांति यह कहते हुए शुरू किया कि मुद्रा स्फीति न्यूनतत होगी यह कुछ भी नहीं है। परन्तु जब उन्होंने आंकड़े बताने पर दबाव डाला गया तो मेरे विचार से उनमें से एक व्यक्ति थोड़ा घबरा कर बोल गया "अगर मुद्रा स्फीति होती है तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा।"

अतः कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता कि मुद्रा-स्फीति नहीं है। परन्तु जिस तरीके से यह किया जा रहा है मुझे उस पर आपत्ति है। आप जानते हैं कि लोगों के दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं इसका कारण है आपके द्वारा लगाये गए नये कर एवं शुल्क। परन्तु सरकारी क्षेत्र के सामान पर तो कम से कम, यह निश्चित करना सरकार का काम नहीं है कि मूल्यों में कितनी वृद्धि की जायेगी? पैट्रोलियम उत्पादों पर बढ़े हुये शुल्क से सरकार को 600 करोड़ रुपये को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। और सरकारी क्षेत्रों में सभी तेल कम्पनियों ने कीमतें पहले ही बढा दी है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल तथा खाना पकाने की गैस की नयी कीमतें उन्होंने घोषित कर दी हैं। इन मूल्यों से तेल कम्पनियों को 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अतः बढाया हुआ शुल्क 600 करोड़ रुपये हैं और तेल कम्पनियों के स्वयं अपने द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से 900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसमें नैतिकता क्या है मैं इसे समझने में असमर्थ हूं। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादक कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे कि कीमतों में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। जो कुछ वे चाहते हैं वे करेंगे। हम यह जानते हैं। परन्तु इस तेल क्षेत्र के बारे में क्या बात है? मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस और इसी तरह के अन्य सामान से देश के प्रत्येक परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। वे लोग अपनी मर्जी से कीमतें बढाने के लिए मुक्त हैं।

एक और उदाहरण लीजिए। वित्त मन्त्री जी के भाषण में पैरा 67 में उन्होंने कहा है, "केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को, महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें पेंशन सहायता आदि के भुगतान के लिए वर्ष 1985-86 में 300 करोड़ रुपए की एक मुश्त रकम का प्रावधान किया गया है।" मैं जानना चाहूंगा कि इन आंकड़ों का किस प्रकार अनुमान लगाया गया है। क्योंकि पहले उन्होंने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि वर्ष 1984-85 में इसी मद पर सरकार को जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होने के कारण महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें देने से 715 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे।

विशेषज्ञ मुद्रास्फीति की दर के बारे में चाहे जो कुछ भी कहते हों, किन्तु यह अत्यधिक आश्चर्य की बात है कि उपभोक्ता मूल्य सूचनांक के साथ इस देश में इसका कोई सम्बन्ध नहीं

है । मुद्रास्फीति की दर हमेशा घटायी हुई दर्शायी जाती है जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचनांक उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । अतः 1984-85 में जबकि आई मंहगाई भत्ते की सात या नौ किस्तें देनी पड़ी थी और उन पर 615 करोड़ रु. व्यय हुए आज जबकि यह भारी मुद्रा स्फीति का बजट है जिसके कारण सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तब आगामी वर्ष के लिये आपने केवल 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । क्या यह तर्क संगत है ? आपको पता है कि आंकड़े बिल्कुल ही गलत हैं । इस राशि में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी । आप यह नहीं दर्शाना चाहते हैं कि 1985-86 के अन्त तक वास्तविक घाटा कितना हो जाएगा । यह तो केवल एक मद की बात है ।

इसके अलावा क्या वनस्पति उत्पादों का वही है, जो आपने बढ़ाया है, मेरे विचार से उनकी घोषणा कल ही की गई है— वनस्पति उत्पादकों द्वारा विभिन्न किस्म के और विभिन्न प्रकार के वनस्पति के जो मूल्य घोषित किये गये हैं । क्या वे उचित है ? क्या उन्होंने आप से पूछा था ? क्या आपने इन मूल्यों की मंजूरी दी थी ? वनस्पति एक ऐसी वस्तु है जिससे देश के सभी परिवार प्रभावित होते हैं । मंत्री जी कहेंगे—इस प्रकार कमियां निकालना बड़ा आसान है । आप कोई और सुझाव क्यों नहीं देते कि मैं संसाधन कहां से प्राप्त करूं ।''

वित्त, वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं इसी ओर ध्यान दे रहा था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चिंता न कीजिये । उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे एक घंटे तक बोलने की अनुमति नहीं दी है अन्यथा मैं अनेक सुझाव दे सकता था । मेरे पास सीमित समय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए केवल तीन मिनट का समय शेष रह गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, मैं उसका तीन-चौथाई भी नहीं कह पाया हूँ ।

पूरा प्रश्न फिर से दोहराया जाए । कर के जाल का विस्तार और क्यों नहीं किया गया जिससे कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के अधिक सम्पन्न व्यक्तियों को उसमें शामिल किया जा सकता क्या उन्हें सदा ही अछूता रखा जायगा जबकि आपको संसाधनों की इतनी अधिक कठिनाई है ? आप स्वामित्व, भू-स्वामित्व सिंचित भूमि आदि का आधार मान सकते हैं या मानदण्ड निर्धारित कर सकते हैं । इस प्रकार आप ऐसे बड़े साधन और खजाने को छोड़ रहे हैं जहाँ से आप कुछ न कुछ धन एकत्र कर सकते हैं । उसका कारण और कुछ नहीं, केवल राजनीति है, जो हमें पता है ।

भोपाल विभिषिका के इस वर्ष में एक ऐसा अच्छा अवसर था कि आप देश भर में घातक रसायनिक गैस आदि के निर्माताओं पर, कर, प्रदूषण-विरोधी कर लगा सकते थे । हम लोगों को नित्य प्रति गैस और रसायन रिसाव की तथा जल प्रदूषण की छोटी-मोटी घटनाओं की

खबरें पढ़ने को मिलती रहती है। ईश्वर की कृपा है कि भोपाल के समान बड़े पैमाने पर नहीं यह एक अच्छा अवसर था। यदि आप, उन कम्पनियों पर, जो ऐसे घातक समान तैयार करती हैं जो मानव के लिए खतरनाक है, कोई कर लगा देते तो देश में सभी लोग उसका समर्थन करते। ये कर वसूल कीजिए और आप देखेंगे कि प्रदूषण-विरोधी उपाय और सुरक्षा उपाय वास्तव में लागू हो जायेंगी, मैं इसमें कोई आत्मनिर्भता नहीं देखता।

101 कम्पनियों में से जो अब तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के दायरे में आती थी, अब 49 कम्पनियां उस दायरे से निकल जायेंगी। उन्होंने सपने में कभी नहीं सोचा था कि छूट की सीमा बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी जायेगी। उनमें से अनेक ने यह स्वीकार किया है कि उनका विचार से छूट की सीमा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये या इसके लगभग कर दी जायेगी। 100 करोड़ रुपए तक की छूट मिल जाने से वे भी आश्चर्यचकित हो गये हैं। यह उन्हें खुला निमंत्रण है कि वे अधिक से अधिक आस्तियां तथा लाभ जमा करते रहें क्या मैं विनम्रतापूर्वक यह पूछ सकता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 39(ग)—के अन्तर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का क्या होगा जिसके आते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि राज्य को अर्थ व्यवस्था इस प्रकार नियमित करनी चाहिये जिससे कि वित्तीय शक्ति अधिकाधिक रूप में एक ही जगह केन्द्रित न हो तब तो हमें नीति निदेशक सिद्धान्तों के उस खण्ड को ही निकालने के लिए संवैधानिक शोधन कर देना चाहिए। यह पाखंडयुक्त कार्य करने से तो ऐसा कार्य करना ही अच्छा रहेगा।

बजट में इस बात की पूरी योजना बनाई गई है कि बड़े व्यापारियों और उच्च मध्य वर्ग के लोगों को जो मध्य वर्ग में अधिक सम्पन्न हैं, उन्हें खुश किया जाये। जैसा कि उन्होने बताया है 70 करोड़ व्यक्तियों में 40 लाख व्यक्ति करदाता हैं। इन 40 लाख करदाताओं को कुछ और छूट और लाभ दिया जा रहा है। निःसंदेह यही बात है। किन्तु उनके लिये क्या किया जा रहा है जो कभी भी कर देने में योग्य नहीं बन सके, जो कभी भी करों के दायरे में कभी नहीं आस के और जिनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं ? इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष करों का पूरा बोझ और मुद्रास्फीति के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि का पूरा भार गरीबों पर पड़ेगा। ये वही निर्धन व्यक्ति हैं जिन पर सत्तारुढ़ दल हमेशा अपना मतबैंक होने का दावा करती रही है। खेतिहर मजदूरों, भूमिहीन व्यक्तियों, हरिजनों और जनजातिय लोगों सभी ने आपको वोट दिया है। क्यों ? क्योंकि, इन सभी वर्षों के दौरान यद्यपि इसे नीति का लगातार पालन नहीं किया गया तथापि इस नीति में कुछ न कुछ तो, था, निर्धन व्यक्तियों पर कुछ तो ध्यान दिया ही गया था सामाजिक न्याय की कुछ व्यवस्था की गई थी, और इस बात को मान्यता दी गई थी कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के मालिकों को उन निर्धन व्यक्तियो के बराबर न समझा जाय जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। अब, आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसका राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में आपको विचार करना होगा। भूमि सुधार के अधूरे कार्य को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमें यह बताया

आप कि छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच नई प्रौद्योगिकी तक कैसे हो पायेगी जिसके बारे में आपने वायदा किया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विषमताएं और बढ़ जायेंगी जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक तनाव बढ़ेगा तथा और अधिक परेशानियां पैदा होंगी। प्रस्तावित आर्थिक उपायों से न केवल असमानता बढ़ेगी अपितु इससे सम्पत्ति और आय के वितरण की भी असमानता बढ़ेगी जिसके परिणाम स्वरूप सम्पत्ति के केन्द्रित होने से बहुत ही अस्वस्थ्य राजनैतिक दबाव बढ़ेगा। आप यह भी निर्णय ले चुके हैं कि कम्पनियां अब खुले आम राजनैतिक दलों को दान दे सकती हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी वैधानिक स्थिति क्या है किन्तु पता चला है कि श्री तारकुंडे ने बहुत ही उपयोगी प्रश्न उठाया है कि क्या सरकारी लिमिटेड कम्पनी के शेयर-धारक अपनी कम्पनियों के निदेशकों द्वारा इस बात के लिए बाध्य किये जा सकते हैं कि वे उस राजनैतिक दल को चन्दा दे सकते हैं, जिसके विचारों का वे शेयर-धारक कदापि समर्थन न करते हों जब तक शेयर धारक अपने निदेशकों को इस बात के लिए अधिकृत न कर दें कि वे किसी विशेष राजनीतिक दल को कंपनी की निधि से दान दे सकते हैं तब तक मेरे विचार से, निदेशकों को इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार नहीं है। तथापि, राजनैतिक दबाव डालकर इसे तर्कसंगत बनाया जा रहा है और यही सब कि (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करने का प्रयत्न कीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समाप्त करने की चेष्ठा कर रहा हूँ किन्तु महोदय अपने दल से मैं ही अकेला बोलने वाला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो और व्यक्तियों ने भी अपने नाम दिये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोई दूसरा व्यक्ति अपना नाम नहीं दे सकता। मुझे यह भ्रम दूर करने दें कि अपने दल से मैं ही अकेला हूँ।

सभी मूल विकास प्रयोजनों पर परिव्यय में की गई कटौती के बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे मंत्री जी चुनौती दे सकते हैं। सम्पूर्ण बजट में यही बात बड़े ही असंसदीय की है। मैं बहुत ही शीघ्रतापूर्वक 1984-85 की तुलना में 1985-86 में परिव्यय आंकड़ों को पढ़ूंगा। ये सभी आंकड़े करोड़ की संख्या में हैं। पेट्रोलियम के लिए 1984-85 में 3,127 का परिव्यय था जिसे घटाकर 3,085 कर दिया गया है। उर्वरकों के लिये 573 था जिसे घटाकर 544 कर दिया है; कोयला और लिग्नाइट के लिए 1117 से घटाकर 997 कर दिया है दवाइयों और औषधियों के लिए 66 था जिसे अब घटाकर 51 किया जा रहा है रेलवे के लिए लगभग यथावत 1650 है; लोहा और इस्पात के लिए 1,340 था जिसे घटाकर अब 925 किया जा रहा है अलोह धातुओं के लिए 777 से घटाकर 566 किया जा रहा है और जैसा कि आपको पता है विशाखा-पत्तनम इस्पात संयन्त्र के लिए 650 से बढ़ाकर 215 किया जा रहा है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की कल्याण निधि को 71 से घटाकर 42 आवास के लिए 84

से घटाकर 30, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 236 से घटाकर 230 कर दिया है किन्तु किसी भी प्रकार से बढ़ाया नहीं गया है; खादी और ग्रामीण उपयोग के लिए 134 से घटाकर 115; पढ़-लिखे युवकों हेतु स्व-नियोजित योजना के लिए 149 से घटाकर 65; मरुभूमि विकास के लिए 10 से घटाकर 8; कृषि संबंधी वित्तीय संस्थानों के लिए 297 से घटाकर 155 कर दिया गया है। केवल दो मद ऐसे हैं जिनके लिए स्वागत योग्य वृद्धि की गई है। उनमें से एक केन्द्रीय विद्युत योजना है। यह वही संरचना है जो मूल रूप से निजी क्षेत्र को लाभ होता है। केन्द्रीय विद्युत योजना के लिए परिव्यय को 1431 से बढ़ाकर 2090 कर दिया गया है; ग्रामीण जल पूर्ति के 293 से सात करोड़ बढ़ाकर 300 कर दिया गया है; समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए परिव्यय राशि 214 से बढ़ाकर 215 कर दिया गया है। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि उसने अतीत से नाता तोड़ लिया है यह सच है कि गत बजट अतीत से नाता तोड़ने की बात वे भी मानते हैं किन्तु मुद्दा यह है कि किस दिशा में यह नाता तोड़ा गया है। इसलिए, मैं इतना ही कहूंगा कि आपने पहले भी चुनाव लड़ा था और हाल ही में हुए चुनाव लड़े हैं और जनता को दिए गए उसी आश्वासन पर चुनाव में विजय पाई है कि आपने नेहरू और इन्दिरा गांधी की परम्परा को विसारत में पाया है··· (**व्यवधान**)

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : श्री इन्द्रजीत गुप्त राज्य सरकारों के अंश में की गई वृद्धि का उल्लेख करना भूल गये हैं वह भी तो इन सभी प्राथमिक कार्यक्रमों में शामिल हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राज्य सरकारों को आप कुछ अधिक दे रहे हैं। यह अच्छा है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा कहना यह है कि चुनाव के दौरान आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन रास्तों पर, जिन मार्गों पर, जिन नीतियों पर इन्दिरा गांधी और नेहरू के समय में देश आगे बढ़ता रहा है, आप उसी पर चलते रहेंगे।

मेरी यह शिकायत है कि आप जनता को आंखों में धूल झोंक रहे हैं क्योंकि बहुमत प्राप्त करने और सरकार बनाने के बाद, आप परम्परागत रास्ते से अलग हट रहे हैं क्योंकि यह वह रास्ता नहीं है जिस पर पंडित नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी चले थे। यह हो सकता है कि वे लोग निर्णायक रूप से इन सभी बातों को कार्यान्वित नहीं कर सके—कभी उन्हें समझौता करना पड़ा कभी दुविधाजनक स्थिति में रहना पड़ा, कभी लौटना भी पड़ा—यह सब कुछ हुआ किन्तु इसके बावजूद इन सब के पीछे एक निश्चित महान उद्देश्य था और अब मैं तो यही कहूंगा कि इन सभी को तिल्माजंली देने की शुरुआत हो गई है।

एक बात कही जाती थी कि सरकारी क्षेत्र द्वारा अर्थ व्यवस्था के एक निश्चित शिखर पर पहुंचाना है। अब उससे भी विमुख हुआ जा रहा है 'कृपया बजट प्रस्ताव पढ़ें। योजना द्वारा कुछ नियन्त्रण रखा जाता है चाहे यह नियन्त्रण कुछ ढीला ही क्यों न हो योजना में समाज को प्राथमिकता दी जाती है। किन्तु अब हम उसे भी तिलांजली दे रहे हैं और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को भी तिलांजली दी जा रही है।

इससे पूर्व हम लोग कम से कम समाजवादी सामाजिक ढांचे की बात तो करते थे। आप ऐसा क्यों नहीं कह देते कि आप इन सभी चीजों का त्याग करने जा रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगा किन्तु कहिए तो सही कि "हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते और हम इन सब बातों को त्याग रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने और राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान जो बातें कही गई थी, हम उन सभी बातों को त्यागने वाले हैं और हम सिंगापुर और ताईवान के मार्ग को अपना रहे हैं।" मैं बुरा नहीं मानूंगा।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि यह बजट पर चर्चा हो रही है या कांग्रेस पार्टी पर चर्चा हो रही है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है उससे क्या सम्बन्ध है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं श्री गुप्त से शीघ्र समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उत्तेजित मत होइये। यहाँ तो लेफटिस्ट पार्टियों के खिलाफ रोज बातें बोली जाती हैं।

[अनुवाद]

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : हमले के लिए मैं जनता पार्टी को प्रस्तुत करने को तैयार हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए सारांश रूप में मैं यही कह सकता हूं कि सम्पूर्ण बजट का विरोध ही किया जा सकता है, समर्थन नहीं। मुझे पता है ऐसा करना नमक और मिर्च छिड़कना होगा। आपने वेतन भोगी वर्गों को कुछ राहत दी है। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि एक ही बात अच्छी की है। उन्होंने बजट प्रस्तुत करने से पूर्व विभिन्न वर्गों और हितों परामर्श किया था, जैसा कि हर वर्ष किया जाता है। कर्मचारी संघों के कार्यकर्त्ताओं के साथ हुई बैठक में, मैं उपस्थित

था और मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि मैंने जो तीन प्रस्ताव रखे थे, उन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया था—मैंने अपने लिखे नोट की दुबारा जांच की है। मुझे पता है कि आप वही बात कहने जा रहे हैं। एक सुझाव यह था कि अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर दी जाये। उन्होंने ऐसा कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, यह था कि आयकर की छूट की सीमा बढ़ा दी जाये; उन्होंने यह भी किया तथापि कुछ लोग उससे सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि उनके विचार से इसकी सीमा बढ़ाकर 25000 कर देनी चाहिए थी। तीसरा, यह था कि बोनस की अधिकतम सीमा 1,650 रुपए कर दी जाए। वास्तव में उन्होंने ये सारे सुझाव मान लिये। किन्तु इन सुझावों को देते समय हमने ऐसा कदापि नहीं कहा था कि ये सारे कार्य समग्र आर्थिक उद्देश्यों और देश के विकास की लागत पर किये जाएं। ये कुछ रियायतें आपने केवल कर्मचारियों और मध्य वर्ग के लोगों को दी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं बजट का समग्र रूप से समर्थन नहीं कर सकता।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रमिकों का वेतन सुरक्षित ऋण के समरूप कर दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु यह तो तब होता है जब कोई कम्पनी बन्द होती है और उन्हें गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसी स्थिति में, तब आप उन्हें कुछ और देंगे, यह तो अच्छा है।

उन्होंने ऐसा कहा है कि जो कुप्रबंधक इन उद्योगों को रुग्ण घोषित कर देते हैं या उन्हें बंद कर देते हैं, उन्हें या तो दण्डित किया जाय या कोई और कार्यवाही की जाए। उनके लिए क्या किया गया ?

भविष्य में उन्हें वित्तीय संस्थाओं से किसी प्रकार का ऋण लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या बढ़िया सजा है। ऐसी कम्पनियां अभी चल रही है, वे कम्पनियां भी बंद नहीं हुई हैं जिन्होंने सरकारी आंकड़ों के अनुसार, श्रमिकों के भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निधि के करोड़ों रुपये की हेराफेरी की है। उन्होंने यह धनराशि सरकार के पास जमा नहीं की है। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? उनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है।

फिर भी, मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं, कि मैं जिस शहर से आया हूं, उस कलकत्ता शहर को मरणासन्न शहर कहना क्या प्रधानमन्त्री ठीक समझते हैं। मैं इस प्रकार की टीका-टिप्पणी का कड़ा विरोध करता हूं, मैं समझता हूँ कि उनकी मां इन शब्दों का प्रयोग नहीं करतीं। वह सम्पूर्ण भारत के प्रधानमन्त्री हैं न कि केवल कलकत्ता से बाहर के स्थानों के। परन्तु मैं कहूँगा कि आत्म निर्भरता, सरकारी क्षेत्र और सामाजिक न्याय कि जिन मूलभूत आर्थिक नीतियों में हमारा विश्वास था बजट ने उन सभी की समाप्ति की घोषणा पहले ही कर दी है। अतः जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे पास इस बजट का पूरी ताकत से विरोध करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं बचता।

श्री बाई. एस. महाजन (जलगांव) : माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट साहसिक, कल्पनाशील तथा नवीनताओं से भरपूर है। इससे पारम्परिक विचारों की जंजीरों को तोड़ने तथा कर संरचना को सरल और तर्क संगत बनाने के लिए मौलिक प्रस्ताव रखने में उनके साहस की झलक मिलती है। यह एक कटु सत्य है कि साधन सीमित हैं इस दुखद स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें एक कठिन कार्य करना था और उनके पास अधिक विकल्प नहीं थे। मेरे विचार से उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें वर्ष 1985-86 के बजट में 3349 करोड़ रुपए का बहुत अधिक अपूरित घाटा छोड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि चालू वर्ष में केन्द्रीय विकास व्यय में जो राशि रखी गई थीं; अगले वर्ष उस मद में कुछ अधिक राशि रखी जाए में इतने पर भी हमारे बजट के स्रोत हमारी आवश्यकताओं से कम ही पड़ेंगे।

इस बड़े भारी घाटे ने कुछ क्षेत्रों में इन आशकाओं को जन्म दिया है कि इससे उन क्षेत्रों में पहले से ही व्याप्त मुद्रा-स्फीति और बढ़ेगी। पिछले वर्ष के घाटे की वित्त व्यवस्था की तरह इस घाटे में भी और वृद्धि होने की आशका है। वास्तव में वर्षों से ऐसा ही होता रहा है परन्तु यह एक ऐसा खतरा है जिसे वित्त मंत्री जी को सुविचारित ढंग से उठाना ही था। उनके लिए और कोई चारा भी नहीं था। इसका विकल्प लगभग नहीं है। यदि वह घाटे की वित्त व्यवस्था से बचना चाहते तो उन्हें तीन रास्तों में से एक रास्ता अपनाना पड़ता। पहला रास्ता—उन्हें योजना परिव्यय में कतर-ब्योंत करनी पड़ती। इसका अर्थ होता—अवनति अथवा महान प्रयत्नों से प्राप्त की गई उत्पादन वृद्धि की दर में गिरावट, जिसे लोग बिल्कुल सहन नहीं करते। दूसरा विकल्प था—और अधिक ऋण लेना। उन्होंने वर्तमान वर्ष की अपेक्षा अगले वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए के अधिक ऋण लेने का प्रस्ताव रखा है। तथापि विदेशों से ऋण प्राप्त करना कठिन है। रियायती बितीय संसाधनों से ऋण मिलना मुश्किल हो गया है तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में ब्याज की दरें ऊंची हैं। घरेलू बाजार में पूंजी बढ़ाना तभी संभव होगा जबकि बचत की दर में वृद्धि हो। दो अथवा तीन वर्ष के बाद देश को अन्तर्राष्ट्रीय मानेटरी फण्ड से प्राप्त ऋण की किश्तें और उनका ब्याज देना प्रारम्भ करना पड़ेगा। कर्ज में डूबने से बचने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि 5000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण नहीं लिया जाए, जो कि इस वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ रुपए अधिक है।

उनके लिए तीसरा रास्ता था, आमदनी और निगमित लाभ पर कर लगाना। वर्तमान समय में लागू कर की ऊंची दरों ने कर-चोरी और काले धन की समस्या को जन्म दिया है। काला-धन देश के आर्थिक जीवन का कैंसर बन गया है। यह एक गम्भीर समस्या है जिसके फल-स्वरूप एक सामानान्तर अर्थ व्यवस्था कायम हो गई है, जो कुछ आकलन कर्ताओं के अनुसार आर्थिक व्यापार के मूल्य का लगभग चालीस प्रतिशत है।

विशेषज्ञों ने विभिन्न अनुमान लगाए हैं, परन्तु अनुमान तो अनुमान ही है। क्योंकि इस सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु ऐसा रास्ता मददगार नहीं हो सकता

था। प्रत्यक्ष करों से कुल आय 4000 करोड़ रुपये है। इसमें से लगभग 2000 करोड़ रुपये नियमित करों से मिलते हैं। इसमें 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि के बावजूद केवल 200-300 करोड़ रुपये की वृद्धि होती। यह साफ है कि ऐसा रास्ता चुनने से तो और समस्याएं जन्म लेतीं

12.00 मध्याह्न

जिससे अधिक कर चोरी होती अधिक काला-धन पैदा होता। इसलिए वित्त मंत्री जी के सामने अगले वित्त वर्ष 1985-86 के लिए बहुत बड़े अपूरित घाटे को रखने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था। अब जो यह प्रश्न मैंने शुरू किया था कि क्या इससे मूल्यों में मुद्रा स्फीति की हो तरह वृद्धि होती ? मेरा उत्तर है, "आवश्यक नहीं"

यदि प्रकृति रुष्ट न हो और बजट में दिए गए सशक्त प्रोत्साहनों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाए तो मुद्रा-स्फीति का विरोध करना और इसकी वृद्धि को रोकना कठिन नहीं होगा। अर्थ व्यवस्था का विस्तार घाटे को समाहित करने में समर्थ होगा, चाहे पिछले वर्ष की तरह घाटा और बढ़ जाए। वर्ष 1980 में मुद्रा-स्फीति 21 प्रतिशत प्रति वर्ष की द्रुत गति से बढ़ रही थी। पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी इसी कारण हम चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की दर को 6 प्रतिशत तक ले आए।

एक अन्य बात जो उनकी बहुत सहायता करेगी वह है बजट में प्रस्तावित कड़े उपाय लागू करने के कारण काले धन में कमी आयेगी। वित्त मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि सरकार बिना किसी भय और पक्षपात के अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने पर आमादा है और जो कर-चोरी अथवा अन्य आर्थिक अपराधों में लिप्त रहेंगे, वे अपने को खतरे में डालेंगे। काले धन में 10 प्रतिशत की कमी का भी बढ़ती कीमतों पर बहुत अनुकूल असर पड़ेगा।

अन्तिम बात यह है कि मुद्रा नीति तैयार करने का शक्तिशाली हथियार वित्त मंत्री के हाथ में है, आवश्यक होने पर वह उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि वे प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली धन-राशि को नियंत्रित कर सकें तो वे मूल्य स्तर का नियमन भी कर सकेंगे।

बजट का एक अन्य पहलू, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है तथा जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि बजट हमारे गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के क्षेत्र को बढ़ाता है। यह इस दिशा में हमारे प्रयत्नों को बढ़ाता और मजबूत करता है। बजट की इस खूबी की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। यह हमारी आधार भूत आर्थिक नीति "गरीबी-हटाओ, को सुदृढ़ करता है।

सबसे पहले सभी सुपरीक्षित योजनाओं जैसे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के लिए 865 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है और यदि आवश्यक हुआ तो अधिक धन राशि आवंटित की जाएगी। जैसा कि वित्त मंत्री ने कल की वाद-विवाद के दौरान बताया था। इन योजनाओं के लिए धन की कमी महसूस नहीं होगी।

पहले कार्यक्रम, अर्थात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 30 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद दी जाएगी तथा कुछ अन्य लाभ-भोगियों, जिन्हें छठी योजना अवधि में पहले-भी सहायता दी गई थी तथा जो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सके, को सातवीं योजना अवधि में और मदद दी जाएगी।

अन्य दो योजनाए, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम रोजगार मुहैया कराने के लिए बने हैं और इसी के साथ समाज के लिए उत्पादक सम्पत्ति का निर्माण भी करते हैं। ये योजनाएं सामाजिक सुरक्षा योजना और फसल बीमा योजना भी सम्पूरक योजनाएं हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के आश्रितों को 3000/- रुपये दिए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अन्य नवीन योजना औद्योगिक मजदूरों से सम्बन्धित है। औद्योगिक रुग्णता हमारी अर्थ-व्यवस्था का गम्भीर रोग है। इसके फलस्वरूप औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने पर मजदूर ही नुकसान उठाता है। अभी तक भी उनकी देय राशियों को अभी भी निम्न वरीयता दी जाती है। इस बजट के फल स्वरूप उनकी देय राशियों का वर्ग सरकार को देय राशियों से अधिक हो जाएगा।

महोदय, फसल बीमा योजना और दुर्घटना बीमा योजना लाखों लोगों के जीवनमें से असुरक्षा की भावना को खत्म कर देगी। भविष्य में असुरक्षा की भावना को दूर करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वर्तमान में वित्तीय लाभ देना। ये दोनों ही योजनाएं हमें समतावादी और समाजवादी अर्थ व्यवस्था के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेंगी।

महोदय, एक अन्य मुद्दा और है जिसे मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा।

सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष धन की हानि हो रही है। अतः इन इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें तथा उनकी रोजगार सम्बन्धी ठोस नीतियां बनें। बहुत सी इकाइयों के सम्बन्ध में बताया गया है कि वहां सीमान्त उत्पादकता ऋणात्मक है। मुझे विश्वास है कि यदि इन इकाइयों में वाणिज्यिक सिद्धान्त अपनाए जाएं तो ये इकाइयां योजना व्यय हेतु कुछ न कुछ संसाधन अवश्य जुटा लेंगी।

मैं वस्त्र उद्योग की गम्भीर स्थिति की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सरकार को इसकी जानकारी है तथा उसने इस उद्योग की समस्याओं की जांच पड़ताल करने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की हैं। अंग्रेजों के यहां आने के बाद सबसे पहले यही उद्योग संगठित हुआ था। रोजगार के दृष्टिकोण से भी यह उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। मेरे जिले में एक पुरानी वस्त्र बनाने का कारखाना है जो पिछले छः महीने से बन्द पड़ा है। 3000 मजदूर के रोजगार हो गए हैं। निवेशकों ने कम्पनी के मामलों को बिगाड़ा है। छः वर्ष पूर्व जब यह कारखाने ठीक ठाक चल रहा था तो इस पर 80 लाख रुपये कर्जा था परन्तु कारखाना रुग्ण हो जाने पर तो इस पर कर्ज का बोझ बढ़कर 12 करोड़ रुपये हो गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस मिल को

बिना इस बात पर विचार किए कि इसका प्रबन्ध ठोस है अथवा नहीं, कर्जा दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कारखाने का अधिग्रहण करने का प्रयास करें अथवा इसे ठोस आधार पर चलाएं ताकि जो 3000 मजदूर नौकरी से निकाल दिए गए हैं उन्हें कारखाने में वापस ले जाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : उपाध्यक्ष महोदय मैं बड़े हर्ष और गर्व के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं अपने वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव जी के गतिशील नेतृत्व में उन्होंने चमत्कारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसने बहुत से नए आयामों को प्राप्त किया है। उन्होंने इस विशाल देश की मूलभूत समस्याओं का अध्ययन किया है तथा उनको हल करने हेतु पहल करने का सच्चा प्रयत्न किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, में हमारे देश ने बड़ी भारी प्रगति की है। कृषि क्षेत्र में जितने कम समय में हमने जैसी प्रगति की है उतनी प्रगति मैं समझता हूं किसी अन्य देश ने नहीं की है। औद्योगिक क्षेत्र में भी, स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय, जो देश किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा था, वही देश अब लगभग हर उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है जो एक विकसित देश में उत्पादित होती हैं।

महोदय, समयाभाव के कारण मैं देश की उपलब्धियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। फिर भी बेरोजगारी और कम-रोजगार विशेष रूप से युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या देश की ज्वलन्त समस्या है। बहुत से ऐसे देश जो दावा करते है कि वहां बेरोजगारी नहीं है। उनकी या तो जनसंख्या बहुत कम है अथवा वे नई पीढ़ी को खेती के काम पर लगा रहे हैं क्योंकि वहां अभी भी खेती के लिए अभी तक उपयोग में नहीं लाई गई भूमि बकाया है। परन्तु भारत में, विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में अधिक जनसंख्या और जमीन की कमी के कारण ऐसा सम्भव नहीं अतः इस देश में बेरोजगारी की ज्वलन्त समस्या को हल करने का केवल यही एक रास्ता है कि उद्योगों का तेजी से विकास किया जाये। इससे न केवल अधिक रोजगार पैदा होंगे बल्कि धन-दौलत में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार हमारे बजट की वर्तमान दृष्टि देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में बहुत सहायता करेगी।

कोई कैसी भी आलोचना करे परन्तु मैं इस सरकार को भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने, गरीब, अल्प आय वालों और किसानों को राहत देने हेतु दृढ़ कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं। हमारे किसान काफी लम्बे समय से फसल-बीमा की मांग कर रहे थे। इसको लागू करने में बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। परन्तु सरकार ने इसके लिए योजना तैयार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। विरोधी दल के नेताओं को भी बजट के कुछ अच्छे प्रस्तावों को स्वीकार करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर, मेरे माननीय दोस्त, श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् ने कहा है, किसानों के लिए फसल बीमा तथा शिल्पकारों को सहायता देने के प्रस्तावों का मैं स्वागत करता हूं।". उन्होंने यह भी कहा है कि यह चीनी चढ़ी गोली है। मैं श्री उन्नीकृष्णन् के साथ

सहमत हूं कि बजट मीठा है और इससे समाज की बहुत सी वर्तमान बीमारियों का इलाज हो जायेगा।

जनता सरकार के भूतपूर्व वित्त मन्त्री, श्री एच. एम. पटेल ने भी इस बजट को मूलभूत रूप में एक अच्छा बजट बताया है। डा. दत्ता सामन्त ने भी श्रमिकों के बोनस स्तर को 750 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये करने का स्वागत किया है। लेकिन मुझे पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर बहुत खेद है। आयकर की छूट सीमा बढ़ाये जाने का उल्लेख करते हुए श्री बसु ने कहा है कि कर वसूली में से राज्यों को हिस्सा प्राप्त होता था लेकिन अब वे उससे वंचित हो जायेंगे। इसका क्या मतलब है ? इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। चूंकि बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार में चर्चा हो चुकी हैं इसलिए मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि श्री श्री एच. एम. पटेल ने कहा, मूल भूत रूप से एक अच्छा बजट है ; यह एक प्रगतिशील बजट है; यह श्रमिकों तथा किसानों के फायदे वाला बजट है ! सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से यह रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाला बजट है।

इन सब बातों के बावजूद तथा पहले की गई समूची प्रगति तथा विकास के बावजूद, मैं यह कहूँगा कि हमें ठोस प्रस्ताव तथा कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे सबको रोजगार तथा सभी बेघरों को घर मिल सकें। अगर ये दो बड़ी समस्याएं समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में हल की जा सकें तो हम बहुत से विकसित देशों से बहुत आगे पहुंच जायेंगे।

अपने राज्य केरल के संबंध में मैं अपने प्रिय प्रधानमन्त्री, वित्त मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों से केरल की तरफ दक्षिण भारत में वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। यद्यपि विरोधी दल हमेशा यह कहकर आलोचना करते रहें है कि केन्द्र का केरल राज्य के प्रति सौतेली मां जैसा व्यवहार हैं, हमारे यहां के लोगों ने भी अपने प्रिय प्रधानमंत्री को भारी जनादेश दिया है !

प्रो. मधु दंडवते : अब यह सौतेला बाप जैसा व्यवहार है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मुझे यह कहने में गर्व महसूस होता है कि सारे कांग्रेस प्रत्याशियों को मेरे राज्य के लोगों ने चुन लिया है। केरल राज्य के भले के लिए यह सरकार कुछ करेगी कुछ ऐसी बहुत बड़ी आशाएं उनके दिलों में है।

जब रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया तो हम बहुत निराश थे ! लेकिन उसी समय हमने अपना अभ्यावेदन प्रधानमन्त्री तथा रेल मन्त्री को दिया और मैं आशा करता हूं कि चालू योजनाओं जैसे एर्णाकुलम-अलप्पी-कायमकुलम रेलवे तथा भारत सरकार के पास लम्बित योजनाओं के लिए कुछ किया जायेगा।

मुझे देखकर प्रसन्नता हुई है कि देश में पर्यटन के विकास के लिए अधिक धन आबंटित किया गया है। केरल, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक सुन्दर राज्य है जहां पर पर्यटन के

विकास की बहुत गुंजाइश है। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उतरने के पश्चात् आप विश्व प्रख्यात समुद्री तट पर स्थल कोवलम, पर 20 मिनट में पहुंच सकते हैं और समुन्द्र स्नान या सूर्य-स्नान जो आप चाहें, करने के बाद आप $1\frac{1}{2}$ घंटे में पोनमुडी पर्वतीय पर्यटन स्थल पर पहुंच सकते हैं।

मेरा चुनाव क्षेत्र अलप्पी 'वेनिस आफ दी ईस्ट' के नाम से जाना जाता है। यह इतना सुन्दर क्षेत्र है जहां पर आप समुद्र, पश्चजल, प्रसिद्ध वेम्बनाट्टु, कायल, इत्यादि देख सकते हैं। अगर इसका विकास किया जाए तो यह पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग बन जाएगा।

मैं सरकार से अलप्पी पत्तन को कोचीन पत्तन के उप पत्तन के रूप में विकास करने का भी अनुरोध करूंगा। कोचीन पत्तन की भीड़ को कम करने के साथ साथ इससे अलप्पी के श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा नारियल जटा वस्तुओं और मसालों के पृष्ठ भूमि क्षेत्र से शीघ्र निर्यात करने की संभावनाएं बढ़ जायेंगी।

केरल राज्य में हमारे परम्परागत उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और अगर सहायता के रूप में पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन केन्द्र द्वारा नहीं पहुंचाई गई तो मुझे डर है कि इससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, नारियल जटा उद्योग में बहुत बेरोजगारी है! इन परम्परागत कर्मकारों को जिन्हें कोई दूसरा काम नहीं आता है, अगर कम से कम दिनों के लिए भी काम नहीं मिलता है तो उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। नारियल जटा उद्योग, जिससे हमारे देश को बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, में और बहुत सी समस्याएं हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस उद्योग को समाप्त होने से तथा लाखों को भुखमरी से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाये।

आप जानते हैं कि मेरे राज्य के लाखों लोग विभिन्न देशों में, विशेषत: खाड़ी के देशों में, कार्य कर रहे हैं उनकी हमेशा से यही शिकायत रही है कि त्रिवेन्द्रम आने के लिए जो हवाई जहाज का किराया वह एयर इण्डिया को देते हैं वह भारत के किसी अन्य भाग के किराये से बहुत अधिक है। मैं सरकार से इस अन्याय, जो हमारे लोगों के साथ होता है, को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाये।

माननीय नागर विमानन मन्त्री ने कहा है कि कोचीन हवाई अड्डे के विकास के लिए नये स्थान का पता लगाने के कुछ प्रस्ताव हैं। नेरयम्बई इस हवाई अड्डे के लिए सबसे उचित स्थान है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं के वह इसके लिए भूमि अधिग्रहण तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक कदम उठायें!

जहां तक अन्न उत्पादन का प्रश्न है आप जानते हैं केरल राज्य इसमें पिछड़ा हुआ है। हम अपनी जरूरत से आधा भी उत्पादन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास कुट्टानद है, जो

लगभग 1½ लाख एकड़ का धान्यागार है। सारा क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है अतः इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन लागत बहुत ही अधिक है। इस क्षेत्र को शक्तिशाली बांधों द्वारा बाढ़ से बचाना है। केरल सरकार ने स्थायी बांध बनाने की कुछ स्कीमें बनाई हैं ताकि इस क्षेत्र में दो फसल पैदा की जा सके। लेकिन अब, धान उत्पादन की अधिक लागत के कारण गरीब किसान स्थायी बांध बनाने की लागत वापिस करने की स्थिति में नहीं हैं और वसूली कार्यवाही उनके खिलाफ शुरू कर दी गई है। इस कुट्टानद क्षेत्र की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से कुट्टानद की खेती के बारे में एक अध्ययन कराने का अनुरोध करता हूं और केन्द्र सरकार इन स्थाई बांधों की कुल लागत को वहन करके इन गरीब किसानों को उनके ऋण से छुटकारा दिलाने संबंधी कदम उठाकर इनकी सहायता कर सकती है।

मैं एक बार फिर इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री आर. अन्नानम्बी (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, इस 1985-86 बजट पर कुछ शब्द अपनी पार्टी, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कषगम की तरफ से बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह बजट बहुत से अभिनव परिवर्तनों के साथ नयी प्रथाएं शुरू कर रहा है। इस बजट से आर्थिक संकल्पना में आधुनिकता के नए युग का सूत्रपात हुआ है। बहुत से माननीय सदस्यों ने जो मुझसे पहले बोल चुके हैं यह बताया कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहेंगे। दुर्भाग्यवश मैं इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से अवश्य ही मूल्य बढ़ेंगे। जब परिवहन लागत बढ़ती है तो इससे मूल्यों में बढ़ोत्तरी निश्चित है।

माननीय रेल मंत्री को इसकी कुछ पूर्व सूचना थी और माल भाड़ा दरों में बढ़ोत्तरी पेट्रोल के मूल्य में बढ़ने का इसका आभास कराती थी। उन्होंने अपने बजट में आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, दालें, नमक, खाद्य तेल इत्यादि को रियायती माल भाड़े के अन्तर्गत थी का चतुरता से उनका फिर से वर्गीकरण कर दिया जिससे इन चीजों की माल भाड़ा दर बढ़ गयी। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि माल भाड़ा दर तथा पेट्रोल मूल्यों के बढ़ते हुए वातावरण में मूल्य वृद्धि अनिवार्य है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री को सदन को उन ठोस उपायों के बारे में बताना चाहिए जो वह मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए करना चाहते हैं!

मैं सार्वजनिक खर्चे को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता पर बल देता हूं। गैर-योजना खर्च को भी बढ़ने से रोकना चाहिए। जब तक गैर-योजना खर्च को नहीं रोका जायेगा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से नहीं बचा जा सकता; और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाए बिना मूल्य वृद्धि पर काबू नहीं पाया जा सकता। यह अच्छी बात है कि माननीय वित्त मन्त्री ने इस संबंध में व्यय कर पेश कर दिया है। सम्पदा शुल्क के सवाल पर जो उन्होंने समाप्त कर दिया है, उन्हें एक

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विधेयक गैर योजना खर्च को रोकने के लिए लाना चाहिए था। मैं आशा करता हूँ कि वह इस पर विचार करके उपर्युक्त कार्यवाही करेंगे।

औद्योगिक विस्तार धन की कमी के कारण धीमा हो गया है। अगर कर इकट्ठा करने में अधिक देरी न हो तो धन की कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार अगर सरकार कर चोरी, जमाखोरी, तस्करी इत्यादि को कानून बनाकर तथा उनका शक्ति से पालन करके जड़ से उखाड़ फेंके तो सरकार के पास बहुत धन होगा। कर की वर्तमान बकाया राशि 1200 करोड़ रुपए से अधिक है चुस्त कार्यक्रम द्वारा प्रभावकारी कदम उठाकर धन इकट्ठा करना चाहिए। सरकार को कर के मामले को न्यायालयों में ले जाने के ऊपर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। इन उपायों तथा व्यय कर के साथ माननीय वित्त मंत्री को इस सदन में बचत-कर बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

मैं फसल बीमा योजना के शुरू करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने हमारे देश के किसानों के हितों का ध्यान रखा है। हमारे मुख्य मंत्री, डा. पुरुतिची थैलेवर, थीरू एम. जी. आर. बार-बार 1972 से कह रहे थे कि ऐसी बीमा योजना किसानों के भले के लिए शुरू की जानी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने इस अनुरोध पर ध्यान दिया है और फसल बीमा योजना को शुरू करने का निश्चिय कर दिया है अब गेहूं, धान तथा तिलहन ही इस योजना के अन्तर्गत लाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि गन्ना, नारियल, हल्दी तथा ऐसी अन्य कृषि सम्बन्धी फसलें भी इस योजना के अन्तर्गत लायी जानी चाहिए।

तमिलनाडु में विद्युत शक्ति की बहुत कमी है : इससे राज्य का औद्योगीकरण बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तमिलनाडू सरकार ने केन्द्र सरकार से कुछ परमाणु विद्युत, ताप विद्युत तथा पन-बिजली परियोजनाओं के लिए सिफारिश की है। उदाहरण के तौर पर मेरे पोल्लाची चुनाव क्षेत्र के उडुमालेपेटी में 'अपर अमरावती' परियोजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति का इन्तजार कर रही है। मैं चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार न केवल इस परियोजना को बल्कि सभी अन्य विद्युत परियोजनाओं को जिनकी राज्य सरकार ने सिफारिश की है तुरन्त मंजूरी दे दे। अगर ये परियोजनायें शीघ्रता से लागू करदी जायें तो तमिलनाडू राज्य न केवल फालतू विद्युत वाला राज्य बन जायेगा बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी विद्युत सप्लाई कर सकेगा। मैं चाहता हूँ कि जो विद्युत कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना में उत्पन्न होगी, वह सारी केवल तमिलनाडू राज्य को ही दी जायेगी। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि पौष्टिक आहार योजना जो हमारे मुख्यमंत्री ने शुरू की है उसे प्लान स्कीम समझा जायेगा, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है।

पिछले दस वर्षों से केन्द्र ने तमिलनाडू के राष्ट्रीय मार्गों के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की है। रेलवे लाइनों को पर्याप्त न होने के कारण राष्ट्रीय मार्ग ही औद्योगिक विकास के लिए मुख्य मार्ग हैं। मैं चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री अपने प्रभाव का प्रयोग तमिलनाडु में राष्ट्रीय मार्गों के लिए धन दिलाने के लिए करें।

केन्द्र सरकार ने दो तकनीकी समितियां गठित की हैं—एक योजना आयोग द्वारा तथा दूसरी ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा—जो पश्चिम की ओर बह रही नदियों का पानी पूर्व की तरफ मोड़ कर पानी के इस्तेमाल के प्रश्न पर अध्ययन करेगी। यह पानी सिंचाई बांधों में इकट्ठा किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखे जायें। वित्त मन्त्री धन आबंटित करके इनको लागू करना सुनिश्चित करें।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से वित्त मन्त्री तथा उनके साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो विद्युत परियोजनायें तमिलनाडु सरकार ने भेजी हैं वे संबंधित मन्त्रालयों द्वारा स्वीकृत की जायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री के. जे. अब्बासी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है। मैं 1985-86 के बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है जिसकी हर तरफ प्रशसा हो रही है। जाहिर है ऐसा कोई भी बजट नहीं हो सकता जिससे किसी सेक्शन को कोई तकलीफ न हो लेकिन यह एक ऐसा बजट है जिसकी हर शख्स ने तारीफ की है।

मेरे लायक दोस्त श्री इन्द्रजीत गुप्त की तकरीर में बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने फर्माया कि हम उन पालिसीज से हट रहे हैं जो हमारे लीडर पं. जवाहर लाल जी और इन्दिरा जी ने अख्तियार की थीं। मैं आपके द्वारा उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस उन उसूलों से कमिटेड है और कोई भी उसको उससे हटा नहीं सकता है। कांग्रेस उन उसूलों से बंधी हुई है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर चाहें कोई भी हो, हमारे उसूल वही रहेंगे जो कि पहले से बने हुए हैं। उनमें कोई तबदीली नहीं हो सकती है। महात्मा जी ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले दरिद्रनारायण की बात सोचो, उसको अपने दिमाग में रखो और यह देखो कि उस काम से उसको फायदा पहुंचता है या नहीं। अगर उसको फायदा नहीं पहुंचता है तो वह बात गलत है। हमारे वित्त मत्री जी ने पहली मर्तबा उस तरफ अपनी निगाह दौड़ाई है जहां पहले कभी निगाह नहीं पहुंचती थी। हमारी समाजवादी सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे गरीब किसानों की फसलें बरबाद हो जाती हैं, उनकी फसल का बीमा होना चाहिए।

मैं खास तौर से एक बात आपके द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बारे में मंत्री जी से कहना चाहता हूं। हर साल हमारे जिले में सूखा और बाढ़ पड़ती है। फसल बर्बाद हो जाती है, जिसका मुकाबला तो दूर उनका लगान भी माफ नहीं किया जाता है। इन सब चीजों के बावजूद भी किसान मुसीबतों को झेल लेता है। इस दफा जो आपने एक समाजवादी कदम उठाया है, उसके लिये जितनी भी आपकी प्रशंसा की जावे, उतनी कम है। इसके साथ साथ उन गरीबों को जो खेतिहर मजदूर हैं, देहातों में रहते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको मुआवजा

दिया जायेगा। इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। आपने एजूकेशन पालिसी को भी बदलने की दिशा में एक कदम उठाया है, लड़कियों को हायर सेकेण्डरी तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी। इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। आपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सुविधायें दी हैं। इसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मिलें जब बन्द हो जाती हैं, लाकआप हो जाती हैं, मजदूर भूखा मरने लगते हैं, इन मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए आपने स्कीमें बनाई हैं। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। देश में ऐसे लोग भी हैं, जो टैक्सों में चोरी करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, उनको आपने सहूलियतें दी हैं और एस्टेट ड्यूटी में भी सहूलियतें दी है तथा ऐसी व्यवस्था करदी हैं, जिससे अब उन्हें नाजायज फायदा नहीं मिल पायेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई टैक्सों में चोरी करता है, तो स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। एन. आर. ई. पी. जैसी अन्य स्कीमों में जितना भी पैसा देते हैं, वह मेरे खयाल में कम हैं, इसको और बढ़ाया जाना चाहियें। इन स्कीमों का फायदा हमारे क्षेत्र में काफी पहुंच रहा है, इसलिये इस दिशा में जितना भी पैसा और बढ़ाया जाये, उतना ही अच्छा होगा।

किसानों की तरफ से मैं एक गुजारिश यह करना चाहता हूं कि उनको उनकी लागत के हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता है। देश की जनसंख्या का 80 फीसदी किसान इस पार्लियामेंट को बनाने वाला है, यही 80 फीसदी किसान सब रियायतों से महरूम रहता है। आपने अब की दफा गेहूं का प्रोक्योरमेंट प्राइज 152 रुपए. से 157 रु. घोषित किया है. मेरे ख्याल में यह भी कम है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितना उनका खर्च होता है, उसी लिहाज से उनको पैसा दिया जाना चाहिए। कीमत आप तब तय करते हैं, जब फसल बाजार में आ चुकी होती है। मुनासिब यह होगा कि कीमत पहले तय की जाय, ताकि किसानों को यह पता चल सके कि उनको इतना पैसा मिलेगा। धान की कीमत आप अभी से तय कर दें, जिससे किसानों को सुविधा हो सके।

किसानों की तरफ से एक गुजारिश मैं करना चाहता हूं। आप जितने भी सेन्टर उत्पादन को लेने के लिए खोलते हैं, उनसे किसान बहुत परेशान हो गया है। सैन्टर्स या तो खुलते नहीं, यदि खुलते हैं, तो बहुत जल्दी बन्द कर दिए जाते हैं। एक बात और जब तक सैन्टर खुलते हैं, तब तक बिचौलिये सारे उत्पादन पर तकरीबन कब्जा कर लेते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह की व्यवस्था करें, ताकि किसान जब तक अपना गल्ला बेचना चाहे, तब तक सैन्टर खुले रहें। मुनासिब तो यह होगा कि आप उसके खलियान से ही गल्ला उठाने की व्यवस्था करें।

इन बातों के अलावा मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपने फर्टिलाइजर्स की सब-सिडी को बढ़ाया है, लेकिन जितना बढ़ाया है यह बहुत कम है, इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए।

आपने हाउस-वाइव्ज को कुछ नाराज कर कर दिया है। इस बार वे आपकी बुराई कर रही हैं क्योंकि गैस पर आपने 6 रुपये बढ़ा दिए हैं। वनस्पति और दूसरे तेलों के दाम बढ़ गए

बढ़ने के साबुन के दाम बढ़ गये हैं। पेट्रोलियम प्राडक्टस के दाम बढ़ाने का असर डीजल और पेट्रोल पर पड़ा है, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी से हाउस-वाइव्ज बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको थोड़ा सुकून देने की जरूरत है।

ता. 16 को जब यहां बजट पेश हुआ और ता. 17 को जब हम गाड़ी लेकर पेट्रोल भरवाने के लिये गए तो पेट्रोल के दाम बढ़ चुके थे। दूसरी चीजों के लिये इत्तिला दी जाती है कि फलां तारीख से बढ़ाये जायेंगे, लेकिन यहां तो दाम फौरन बढ़ गये, इसलिये इस तरफ जरूर तवज्जह दी जाय।

आप ने पेन्शन में बढ़ोतरी की है, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही आप से दरख्वास्त करता हूं कि फ्रीडम-फाइटर्स की पेन्शन को भी बढ़ाया जाय, वे बहुत बूढ़े लोग हैं और अब चन्द सालों के मेहमान हैं, इसलिए उनकी तरफ जरूर तवज्जह दी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपके इस बजट का जोरदार शब्दों में स्वागत करता हूं।

प्रो. निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 1985-86 के लिये जो बजट पेश किया है, इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बजट एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है और इसमें जो कुछ भी बतलाया गया है वह आम जनता को राहत देने वाला है। पिछले 37 वर्षों में इतना अधिक साहसपूर्ण और बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने वाला बजट पेश नहीं हुआ था। इस बजट के प्रथम अवलोकन से ही यह पता लगता है कि एक कुशल अर्थ शास्त्री के द्वारा बहुत ही सोच-समझ कर बनाया गया है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ हुआ है। निम्नवर्ग में जो भूमिहीन किसान हैं, श्रमिक हैं उनको यद्यपि थोड़ा कम फायदा हुआ है, लेकिन मध्यवर्गीय परिवारों को काफी लाभ हुआ है तथा जो लोग उद्योग-धन्धों में आना चाहते हैं, नये उद्योगपति हैं, उन को भी इस बजट से काफी राहत मिली है। इसलिये हर आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, देश की अधिकांश जनसंख्या इसकी प्रशंसक है। इसलिए मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करती हूं।

बजट की पूर्व संध्या तक अनुमान लगाया जाता था कि रेलवे के बजट में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, उसी प्रकार से इसमें भी वृद्धि होगी तथा मुद्रास्फीति से पीड़ित जो जनता है उसको और अधिक आघात लगेगा, परन्तु जब यह क्रान्तिकारी बजट पेश हुआ तो जो आम आलोचक थे उनकी आलोचना बन्द हो गई। फिर भी जो हमारे विरोधी दलों के सदस्य इसकी आलोचना करते हैं, मैं तो यही कहूंगी कि वह आलोचना केवल आलोचना के लिए है। महंगाई से त्रस्त मध्यवर्गीय परिवारों को जो राहत मिली है उसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आय कर में कर की सीमा 15000 रुपए से 18000 रुपए कर दी गई है, यह बहुत बड़ी राहत है। इस से जो लगभग 40 लाख करदाता हैं, उनमें से 10 लाख करदाता आयकर की गिरफ्त से मुक्त हो गए हैं। इसी प्रकार जो मृत्यु कर लगा हुआ था उससे जो हमारे आम मध्यवर्गीय परिवार थे,

जो ईमानदार व्यक्ति थे, उनको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था, कभी कभी तो उनकी सारी सम्पत्ति मृत्युकर चुकाने में बिक जाती थी। अब इस प्रकार की परेशानी से माननीय वित्त मंत्री जी ने इनको मुक्त कर दिया है।

मान्यवर, इसमें संदेह नहीं है कि यह बजट भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत है और हमारे युवा प्रधान मंत्री जी ने जो वायदा जनता से किया था, यह हमारी घोषित नीति की प्रथम किस्त है और आगे आने वाले समय में और अधिक राहत की आशा करते हैं। यह बजट यह सिद्ध करता है कि हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही हम समान रूप से महत्व देते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों में नई इकाइयां स्थापित करने में जो विलम्ब होता था, उसकी वजह से दो नुकसान होते थे। पहला नुकसान तो यह होता था कि उत्पादत में वृद्धि रुकती थी और दूसरे अनावश्क विलम्ब की वजह से विभाग में भ्रष्टाचार पनपता था। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो राहत दी है, मैं सोचती हूं कि मुक्त व्यापार से देश का नव-निर्माण करने में बहुत काफी मदद मिलेगी और यह उसकी तरफ से एक कदम होगा।

इस बजट की प्रशंसा करते हुए, मैं कुछ आलोचना करना चाहती हूं। आप ने इस बजट में 3,349 करोड़ रुपये का अपूर्त घाटा रखा है। अब इस की पूर्ति कहा से होगी मैं यह कहना चाहूंगीं कि इससे निश्चित तौर पर मुद्रा-स्फीति में बढ़ोतरी होगी। और आप ने जो 431 करोड़ रुपये के नये कर लगाए हैं, उनका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आम व्यक्तियों पर पड़ेगा। मैं खास तौर से गृहणियों के बारे में यह कहना चाहूंगी कि इस नये बजट से उनके बजट से 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से गैस महगी हो गई है। यहां तक की मिट्टी का तेल भी महगा हो गया है और जो खानपान की चीजें हैं,जैसे शीतल पेय है, वह महंगा हो यया है और डालडा महंगा हो गया है। इसलिए वित्त मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि आप ने जो मिट्टी के तेल पर वृद्धि की है, उसका आप वापस ले-लें क्योंकि मिट्टी के तेल से गरीब आदमी और झोंपड़ी में रहने वाला आदमी दिया अपने यहां जलाता है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहूँगी कि इस वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह जो 3349 करोड़ रुपये का घाटा है, यह हमारी अर्थ -व्यवस्था पर एक लटकी हुई तलवार है। क्या आप इसको अनावश्यक रूप से जो व्यय होता है, उसमें कमी करके पूरा करेंगे ? इसके बारे में भी शंकाएं व्यक्त की जाती हैं।

सदियों से अपेक्षित जो हमारे भूमिहीन श्रमिक और सीमान्त किसान थे, उनको आपने सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से राहत दी है,। इसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं। साथ ही आप ने एक फसल बीमा योजना लागू की है और यह नये वर्ष का एक नया उपहार है जो कि सभी किसान लोगों के लिए है मैं सोचती हूं कि किसानों को इससे बहुत अधिक राहत मिलेगी।

पांच लाख गांवों में फैला हुआ भारत देश है । हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने लोगों के ऊपर उठाने के लिए एन. आर. ई. पी., आई. आर. डी. पी तथा बेरोजगारी निवारण के लिए जो प्रोग्राम बनाए थे, वह बहुत ही उपयुक्त हैं। उनके लिए जो धनराशि आवटित की है, वह बहुत कम है। एन.आर. ई. पी में आप 50 प्रतिशत शेयर देते हैं स्टेट्स को। मैं चाहती हूं कि इसको 75 प्रतिशत बढ़ाया जाए। इससे गांव के लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

राजस्थान, जहां से मैं आती हूं, के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहती हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रान्त है और वहां की सबसे बड़ी समस्या जो है, वह पीने के पानी की है। मानव की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह पीने की पानी की है लेकिन राजस्थान में अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। उसके लिए जो आपने धनराशि रखी है, वह बहुत कम है। आप प्राब्लम विलेजेज की बात करते हैं। राजस्थान में सभी गांव प्राब्लम विलेजेज के अन्तर्गत आते हैं। 200, 300 फीट की गहराई पर वहां पर पानी मिलता है, जिसमें फ्लोराइड होता है और उससे हाथ-पैर टेढे हो जाते हैं तो उनको नारू की जो बीमारी होती है वह भी लगती है। इसलिए राजस्थान के गांवो में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेष प्रकार से ध्यान दें।

हमारे यहां बेरोजगारी की एक प्रमुख समस्या है। वहां इस बेरोजगारी की समस्या के निवारण के लिए हमें उद्योग-धन्धे स्थापित करने की ओर खास तौर से ध्यान देना होगा। ये उद्योग-धन्धे तीन आधार पर स्थापित किये जा सकते हैं—एक मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री, दूसरे एग्रीकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्रीज और तीसरे फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज। राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वहां मिनरल काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध है मिनरल पर आधारित वहां काफी उद्योग-धन्धे स्थापित किए जा सकते हैं। मेरा क्षेत्र चित्तोड़गढ़ लाइम स्टोन के लिए काफी धनी है। वहां पर सीमेंट काम्पलेक्स बना कर वहां के उद्योग-धन्धों की मांग को पूरा किया जा सकता है। कोटा-चित्तोड़गढ़ पर ब्राडगेज लाईन शुरू की गई है। वहां पर कई सीमेंट फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। मेरा सुझाव है कि वहां पर पब्लिक सेक्टर में एक सीमेंट फैक्ट्री के बारे में सरकार निर्णय ले।

मेरा यह भी सुझाव है कि वहां पर जिंक काफी उपलब्ध है। वहां पर सुपर जिंक स्मेल्टर लगाने का निर्णय ले लिया गया है लेकिन इसके लिए बजट में कोई अलोकेशन नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सातवीं योजना में इसे अवश्य लगाएं। तभी वहां की बेरोजगारी की समस्या का निराकरण हो सकेगा।

हमारे राजस्थान में उद्योग-धन्धे न पनपने और कृषि का विकास न होने का प्रमुख कारण यह है कि वहां पर पावर कट बहुत ज्यादा है। बिजली की कमी की वहां बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर जो परमाणु बिजलीघर, एटोमिक पावर प्लांट है वह बराबर खराब रहता

है। उसके खराब होने की वजह से वहां पर सारे काम रुक गए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें थरमल पावर प्लांट दें। हमारे पांच संभागों में इन्हें लगाने के बारे में विचार करें।

मान्यवर, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में ओपियम ग्रोईंग किसान बहुत ज्यादा रहते हैं। देश में अफीम के उत्पादन का वह बहुत बड़ा एरिया है लेकिन उसकी सपोर्ट प्राइस बहुत ही कम है। वह बहुत मुश्किल से पैदा होती है। उसकी सरकारी खरीद की जो कीमत है उस पर फिर से विचार करें ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 1987 का वर्ष बेघर लोगों के रूप में विश्व में मनाया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि ग्रामीण लोगों के लिए रूरल हाउसिंग बोर्ड स्थापित किए जाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। यदि आपको कुछ बातें और कहनी हैं, तो आप मंत्री को लिखित रूप में दे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री निर्मला कुमारी शकतावत : अन्त में मैं कहना चाहूंगी कि आपने जो बजट में कर बढ़ाया है उसको कम करने के बारे में सोचें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : इस बजट से चेम्बर आफ कामर्स के अनेक अध्यक्षों के सपने साकार हो गए हैं। वस्तुतः इस बजट से इसमें से कुछ को तो इतना फायदा हुआ है जितना उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। इसके लिए वित्त मंत्री को बधाई दी जानी चाहिए। वे इस बारे में सोच रहे थे; काम कर रहे थे; चर्चा कर रहे थे; स्वप्न देख रहे थे। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक ऐसा हो जाएगा। ऐसा उस सरकार उस दल ने किया है जिसे अभूतपूर्व बहुमत मिला है। अतः यह सरकार किसी भी ऐसे पूर्वदृष्टांत से बंधी हुई नहीं है। जो नेहरू या इन्दिरा के समय में बना था। इसलिए उन्होंने बहुत सी बातों को पूरी तरह से अलविदा कर दिया है। लेकिन वे मतदाताओं को यह बताना भूल गए कि वे ऐसा करेंगे।

उसका कहना है कि वह देश को नयी दिशा और नया मार्गदर्शन देते। लेकिन मार्गदर्शन किस प्रकार का होगा वह यह बताना भूल गए कि दल का नेता एक युवा और मितभाषी व्यक्ति है। इसलिए इन बातो को ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन अब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सरकार की दिशा क्या है और इसके लिए भी वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक दस्तावेज में ही सत्तारूढ़ दल के दर्शन का सार दे दिया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मेरे सामने

कहा था कि हम समाजवादी सिद्धान्तों को छोड़ते जा रहे हैं लेकिन हम उनका अभी भी ठकुर सुहाती कर रहे हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे-धीरे खत्म कर देंगे और जब तक ऐसा नहीं किया जाता हम उनकी प्रशंसा करते रहेंगे। हम संविधान में उल्लखित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को तिलांजलि दे देंगे। पहले इनके बारे में यह मांग की जाती थी कि इन्हें वादयोग्य बनाया जाए और अब इसके विपरीत किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल इनमें विश्वास करता है तो ठीक है। वैसे इसने कुछ समय से इसमें विश्वास किया है।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों से यही पता लगता है कि वे बजट से पूरी तरह से सहमत हैं। कुछ सदस्य असहमत हो सकते हैं। लेकिन उसका कारण उनके अपने राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा कुछ न किया जाना हो सकता है। आमतौर पर वे बजट से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और बजट की जोर शोर से प्रशंसा कर रहे हैं। कभी-कभी मुझे लगता है शायद मैं गलती पर हो सकता हूं कि वे ऐसी प्रशंसा करते हैं तथा विगत में जो कुछ हुआ है उसे घटिया बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह तो बड़े दुःख की बात है। फिर भी इसका स्वागत है। अगर हर व्यक्ति भूत से अपने को अलग करके रीगन तथा थैचर जैसे विश्व के महान नेताओं के बताए रास्ते पर चलना चाहता है तो उनका स्वागत है। यदि दल उक्त रास्ते पर चल रहा है तो उसे लोगों को केवल यह बता देना चाहिए कि उनका दर्शन यह है क्योंकि देश की 60 प्रतिशत निरन्तर जनता इस बजट दस्तावेज को पढ़ तथा समझ नहीं सकती।

मैंने अखबार पढ़े हैं। पहले दिन सबने ही अखबार पढ़े होंगे। सभी ने बजट की बहुत प्रशंसा की। दूसरे दिन अखबार में कुछ और ही लिखा था। मैंने पत्रकारों से इस आकस्मिक परिवर्तन का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि पहले दिन जब उन्होंने अखबार के लिए लिखा था तो उन्हें करों में छूट और अन्य बातें लाभदायक नजर आई थीं। दूसरे दिन सुबह जब लोग पेट्रोल मिट्टी का तेल खरीदने गए, तो उन्हें पता लगा कि इन दोनों चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। वे समझ गए कि बजट से आम आदमी को धक्का पहुंचा है। प्रेस पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है इसके लिए बजट के प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों तरह के मत व्यक्त किए जा रहे हैं। इसलिए हम भ्रमित हैं। मेरा विचार है कि देश का आम आदमी भी इस भ्रम में है कि बजट के माध्यम से यह सरकार उसे किस ओर ले जा रही है। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

प्रताप सिंह : एक ही दिशा की ओर ले जा रही है—आगे की ओर।

श्री अमल दत्त : आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। निःसंदेह आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन हम इस उलझन में हैं कि यह कदम आगे की ओर ले जाने वाला है या पीछे की ओर।

करीब 4000 करोड़ रु. का घाटा दिखाया गया है। इस घाटे के संबंध में कुछ बात हटा दी गयी है, क्योंकि राज्य सरकारों की कीमत पर ही 4000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया जा सका है। सरकार ने यदि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें मानी होतीं और पहले साल अर्थात्

1984-85 में इन सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को देय धनराशि उन्हें दी होती तो घाटे में 1500 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो जाती। यह लगभग 5,500 करोड़ रुपये होता। वित्तीय दृष्टि से देखा जाए तो यह बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास नहीं है। आरम्भ में कितने घाटे का अनुमान लगाया गया था। 1650 करोड़ रुपया था इस प्रकार घाटा बढ़कर साढ़े तीन गुना हो गया है। आशा है इस साल दिखाए गए 3349 करोड़ रुपये के घाटे में आगे इतनी वृद्धि नहीं होगी।

सरकार मुद्रास्फीति को कुछ हद तक रोकने में सफल रही हैं। यह सच है। आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बहुत वृद्धि हुई है। उनमें इतनी वृद्धि नहीं हुई हो जितनी पिछले साल तथा उससे एक साल पहले हुई थी। थोक मूल्य सूचकांक की भी यही स्थिति है। लेकिन तथा उसका लोगों के जीवन निर्वाह व्यय पर प्रभाव पड़ा है। क्या उन्हें महसूस होता है कि उनके घरेलू खर्चों मे कमी आई है या खर्चे क्या उन्हीं दर से बढ़ रहे हैं जैसे सालों पहले बढ़ रहे थे। मैं समझता हूँ कि हमारा अनुभव भिन्न है। बहरहाल आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों से मैं कह सकता हूँ कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रख पाने के लिए आपने तीन कारण बताए हैं। खाद्यान्न उत्पादन की दर बढ़ी है, पेट्रोल उत्पादन की दर बढ़ी है लेकिन व्यापार अन्तर बहुत अधिक है। व्यापार में यह बडा अन्तर बजट में कहीं आया है लेकिन एक समय में नहीं लेकिन यह अपस्फीतिकारी उपाय है। बहुत अच्छे। हम बहुत अधिक व्यापार-अन्तर नहीं चाहते, क्योंकि हम उधार की जिस सीमा तक पहुंच गए हैं वह पहले ही बहुत अधिक है। विदेशी राष्ट्रों से लिया जाने वाला ऋण भार उस सीमा तक बढ़ गया है कि आगे और उधार नहीं लिया जा सकता। हम ब्राजील मेक्सिको और अर्जेंटीना जैसे दक्षिण अमरीकी देशों द्वारा बनाए रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि यह काम हम उतनी सफलता से कर सकेंगे जितनी सफलता से उन राष्ट्रों ने किया है क्योंकि ये राष्ट्र अमेरिकी प्रभाव में हैं। इसके लिए हमें अपनी निष्ठा में भी परिवर्तन करना होगा।

दुर्भाग्य से वित्त मंत्री पूरी तरह से आशावान नहीं है कि यही कारक मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने में कुछ सीमा तक क्या दोबारा वही भूमिका निभाएंगे जो उन्होंने 1984-85 में निभाई थी। इसका एक उपयुक्त कारण है। पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और पिछले दो सालों से बढ़िया फसल हो रही है। इसलिए संभावना है कि फसल की पैदावार में अब और बढ़ोतरी नहीं होगी। इसमें गिरावट आएगी। फसलों की पैदावार में प्रर्याप्त वृद्धि न होने पर मुद्रा-स्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी नए स्रोतों का पता नहीं लगा है मौजूदा रूख को देखते हुए, उत्पादन में और वृद्धि के अवसर बहुत कम हैं। मैं उन चीजों के बारे में नहीं जानता हूँ।

पिछले वर्षों के बजट की ही तरह इस बजट में भी कल्पनाशक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी सरकार से जिस समझदारी की अपेक्षा की जाती है वह बजट में कहीं दिखाई नहीं देती है। यह देश कृषि पर आधारित देश है। 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। फिर

भी कृषि या कृषि के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाओं पर कभी भी जोर नहीं दिया गया है। यहां भी वही किया गया है। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है हम अपनी तुलना हांगकांग ताइवान या दक्षिण कोरिया से नहीं कर सकते। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश चीन से तुलना की जा सकती है जहां 1000 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और 4000 लाख टन खाद्यान्न पैदा किया जा रहा है। आशा है वित्त मंत्री यह सब जानते होंगे। हमारे पास चीन से दो तिहाई अधिक कृषि योग्य भूमि है। हमारे पास 1660 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इस साल खाद्यान्न का उत्पादन 1530 लाख टन होने की आशा है। मौजूदा कृषि योग्य भूमि प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई सुविधाओं से तो खाद्यान्न उत्पादन को और बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। इस समय हो रहे उत्पादन से कम से कम दुगना उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जैसे प्रबन्ध और मशीनरी की जरूरत है वह कहां है ? उनका प्रबन्ध कहां से होगा ?

1.00 म. प.

इस प्रकार के बजट से नहीं। इस बजट में निहित उद्देश्यों तथा दर्शन से भी नहीं। मैंने आर्थिक समीक्षा में दिए गए आंकड़ों से हिसाब लगाया है कि जितनी पेट्रोलियम गैस का हम उपयोग करते हैं उसके आधे भाग के बराबर गैस जला देते हैं। और वर्षों से हम इसे जलाते आ रहे हैं। यदि हम अपने संसाधनों को इस प्रकार से नष्ट करते रहे तो हम आत्मनिर्भरता के उस स्तर तक पहुंचने की आशा कैसे कर सकते हैं जिसकी हम हमेशा आकांक्षा रखते हैं, बात करते हैं और चर्चा करते हैं।

आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि कोयले के क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठापित क्षमता 21 करोड़ टन है। मुझे नहीं पता की वह संख्या ठीक है या नहीं। मान लिया कि यह संख्या ठीक है, तो 15 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होना चाहिए। पिछले वर्ष हमने 13 करोड़ टन का उत्पादन किया। क्या यह संसाधनों को बेकार करना नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि कोयले के कम उत्पादन से बिजली के उत्पादन में बाधा आ रही है ? मैं हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फैक्टरी में गया था। जो व्यक्ति मुझे फैक्टरी दिखा ले गया, उसने बताया कि वहां जो टरबाइन तथा अन्य पुर्जे पड़े हैं, वे इसलिए पड़े हैं कि उन्हें खरीदने और ले जाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के पास पैसा नही है यह पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड की बात नहीं है। राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की बात हैं। ये वे राज्य हैं जिनमें कृषि क्रान्ति आई है, जहां आय बढ़ी हैं पर हां की सरकारों के विरुद्ध आप एक भी शब्द नहीं कहेंगे। ये राज्य भुगतान नहीं कर सकते इसलिए वहां जो मशीनरी पड़ी है उसे उठा नहीं सकते। मैं योजना आयोग से अनुरोध करता हूँ कि वह इसके लिए अधिक धनराशी देने के लिए कुछ करें ताकि बिजली उत्पादन के लिए इन मशीन को स्थापित किया जा सकें। यह है स्थिति। अर्थव्यवस्था का सही प्रबन्ध नहीं है। आधारभूत संरचना में तथा औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में कई ऐसे स्थान है जहां यत्र तत्र थोड़ी सी त्रुटियों को दूर किया जाना है, जहां थोड़े से रख-रखाव की आवश्यकता है। पर उसके लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि ताप

बिजली घरों के नवीकरण के लिए 500 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। यह सब योजना दस वर्ष पहले सोचना चाहिए था। इनके रख-रखाव की निरन्तर उपेक्षा की जाती रही जिसके कारण अब ये सभी लगभग बेकार ही गए हैं।

हमने अपने दर्शन के कारण सरकारी क्षेत्र का निर्माण किया है जिससे सत्ताधारी दल स्पष्टतः पूर्ण रूप से सहमत नहीं था। वर्तमान बजट में उन्होंने यह प्रदर्शित कर दिया है कि वे इस दर्शन का समर्थन नहीं करते। पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया। परन्तु उनका आचरण ऐसा रहा क्योंकि उन्होंने सरकारी क्षेत्रों के लिए रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की—चाहे वह विद्युत क्षेत्र हो या रेलवे। रेलवे में, हम जानते हैं, कि 25 प्रतिशत लाइनें पुरानी पड़ चुकी हैं, डिब्बे उपलब्ध नहीं है, आदि, आदि : फिर भी इन बुनियादी सुविधाओं सम्बन्धी जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की बात उनके दिमाग में नहीं आती। हम देख रहे हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही रेल के डिब्बों की हमेशा ही कमी रही है। रेल मन्त्री इसे नहीं मानते, परन्तु कोयले और बिजली से सम्बद्ध लोग यह कहते हैं। रेल डिब्बों की कमी के कारण खानों के द्वार पर कोयला काफी मात्रा में जमा हो गया है जिसके फलस्वरूप बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। लेकिन जब हम रेल मन्त्री से पूछते हैं तो वह कहते हैं कि रेल वैगन उपलब्ध हैं। अर्थ-व्यवस्था का प्रबन्ध किसके हाथ में है ? वह एक सरकार है या बहुत सी, मैं नहीं जानता। परन्तु सच यह है कि—केवल ऐसे क्षेत्रों में पैसा लगाकर जहाँ त्रुटियाँ दूर की जानी है, जहाँ मामूली कमियाँ पूरी की जानी है, आप हमारी इस अर्थ व्यवस्था में ही उत्पादन क्षमता में चौगुनी नहीं तो, दो गुनी वृद्धि तो कर ही सकते हैं। वहाँ मशीनरी बेकार पड़ी है तथा कुछ भी काम नहीं आ रही है। इसलिए थोड़े से प्रयास करने की आवश्यकता है। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

अन्त में मैं यह कहूँगा, जैसा कि श्री गुप्त ने कहा कि हमारा नगर कलकत्ता, धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। आप दर्शन यह है कि प्रत्येक वस्तु जो समाप्त हो रही हैं, उसे समाप्त होने दिया जाए। आपने यह कहा है कि विगत में जो बहुत से अनुत्पादक पूंजीनिवेश किये गए हैं उनके लिए धन न मांगा जाए। उनको छोड़ दिया जाए तथा आपको कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिकी जैसे नए क्षेत्रों की तलाश की जाए। वैसे इलेक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटरों का प्रयोग कृषि तथा कई अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। कम्प्यूटर केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं है। कलकत्ता की ओर जो भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा था अब इस नए दर्शन की वजह से वह भी नहीं दिया जाएगा। कलकत्ता वासियों को जो थोड़ी सुखद अनुभूति होने लगी थी वह भी समाप्त हो रही है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि वह ऐसे समय लाया गया है जब प्रत्येक व्यक्ति यह आशा कर रहा था, यहाँ तक की पश्चिमी बंगाल सरकार भी यही आशा कर रही थी कि केन्द्र से चाहे देर से ही सही कुछ मदद मिलेगी, जिसकी अति आवश्यकता है, जो अर्थव्यवस्था का वांछित स्तर तक ले जाने के लिए जरूरी है। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

1.06 म.प.

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1985-86 के लिए पेश किए गए बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। केन्द्रीय बजट केवल आय तथा व्यय का

वित्तीय विवरण ही नहीं है बल्कि आर्थिक नीतियों तथा आर्थिक उन्नति का एक साधन भी है। बजट में गत वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा तथा सरकार की भावी नीतियां प्रस्तावित होता है। पिछले वर्षों में भारत सरकार द्वारा जो नीतियां लागू की गई हैं उनसे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, आत्मनिर्भर बनी है तथा स्व अगतिशील बनी हैं। पिछले बजटों ने अर्थव्यवस्था के लिए जो मार्ग प्रसस्त किया है उसे यह बजट द्वारा कायम रखा जा रहा है। इस वर्ष का बजट आशावादी बजट है। मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत नहीं हूँ कि यह बजट पूंजीपतियों के हित में है तथा आम लोगों के विरुद्ध है।

जब बजट पेश किया जाता है तो कीमतें बढ़ती ही हैं। यह मौसम की बात है। सामान्य बात है। कीमतें एक या दो महीने में गिर जाती हैं। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कीमतों का बढ़ना अवश्यम्भावी कीमतें तभी स्थायी होती हैं जब उत्पादन लोगों की मांगों के बराबर हों। इसलिए हमें मुद्रा स्फिति दबाव उत्पन्न होने की सम्भावना से अधिक क्षुब्ध नहीं होना चाहिए।

1.06 अ. प.

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत उन्नति की है। हमें अनेक सफलताएं मिली हैं। हरित क्रान्ति ने विश्व को दिखा दिया है कि हमारे देश में हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता है। हम खाद्यान्न उत्पादन में केवल आत्म निर्भर ही नहीं है बल्कि हमारे पास 2 करोड़ टन सुरक्षित भण्डार भी है। परन्तु यह हरित क्रान्ति केवल दो छोटे राज्यों हरियाणा तथा पंजाब तक ही सीमित है। अन्य राज्यों में जो परम्परागत रूप से धान उत्पादक हैं जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, कृषि उत्पादन बढ़ा तो है लेकिन वह बढ़ोतरी इन दो राज्यों जितनी नहीं हुई। ऐसा क्यों है ? इन राज्यों में भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके पास भी कृषि निवेश है। इन्हें भी उर्वरक सस्ते दामों पर दिए जाते हैं। परन्तु फिर भी इतना उत्पादन नहीं होता जितना हरियाणा तथा पंजाब में होता है। इस स्थिति पर विचार करना होगा। दूसरे मूल्यांकन विकास-खण्ड-वार होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि विकास-खण्ड के कैसे कार्य कर रहा है। हमारे देश में लगभग 5000 विकास खण्ड हैं। सभी कार्यक्रम इन सभी ब्लाकों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कुछ ब्लाक, हमदर्द, ईमानदार तथा देश भक्त अधिकारियों होने के कारण अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह अधिकारी औपचारिकता पर अधिक ध्यान देते हैं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन पहलू तनिक भी परवाह नहीं करते। वे केवल वित्तीय लक्ष्यों को ही प्राप्त करना चाहते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है तथा यह सुनिश्चित करना सभी राज्य सरकारों का दायित्व है कि उनका कृषि उत्पादन बढ़े। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य धान ही पैदा करे। जहां कहीं भी सिंचाई साधन उपलब्ध हों वहां वे तिलहन, दालें तथा अन्य व्यवसायिक फसलें उगा सकते हैं जो परम्परागत चावल तथा गेहूं की फसलों की अपेक्षा अधिक मुनाफ़ा देने वाली फसलें हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में हमने काफी उन्नति की है तथा हम विश्व के पहले दस औद्योगिक देशों में आ गए हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों से ही औद्योगिक आधार तैयार होता है। हमने वर्ष 1958 में केवल दो औद्योगिक क्षेत्रों से शुरूआत की थी। मुझे यह याद है क्योंकि उस समय मैं इस सदन का सदस्य था। पहला ओखला में तथा दूसरा गुइंडी, मद्रास, में चालू किया गया। बाद में हमने कई अन्य स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए। ये सभी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने देश को एक औद्योगिक आधार प्रदान किया है। उसी के आधार पर, बहुत से कारखाने स्थापित हुए हैं जिनमें भारी उद्योग भी शामिल हैं। आज हम विदेशों को औद्योगिक वस्तुएं तथा इन्जीनियरी वस्तुएं भेजने की स्थिति में हैं। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। इसलिए हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि हम पीछे जा रहे हैं। हम पीछे नहीं जा रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध हैं हमें इसे शिखर पर ले जाना चाहते थे। परन्तु उसमें हमें सफलता नहीं मिली। बुनियादी उद्योगों, प्रमुख उद्योगों में हमने भारी पूंजी निवेश किया है लेकिन ये ठीक नहीं चल रहे हैं। उदाहरण के लिए बिजली ही लीजिए। लगभग प्रत्येक राज्य में बिजली की कमी है। परन्तु किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है। इसके बिना हम औद्योगिकीकरण की आशा नहीं कर सकते। इससे गति और धीमी हो जाएंगी। हम 1000 मेगावाट का बिजली घर लगाने की योजना बनाते हैं, पर इससे केवल 500 मेगावाट बिजली पैदा होती है, यानि 50 प्रतिशत से भी कम। इतना पैसा खर्च हो गया है परन्तु इसका अच्छा परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। इस पहलू पर विचार करना होगा। हमने कारखानों को अपने रक्षित बिजली घर बनाने की अनुमति दे दी है। पर कोई भी उद्योग रक्षित बिजली संयंत्र लगाने के लिए अभी तक आगे नहीं आया है। यहां तक कि कुछ इस्पात संयंत्रों ने भी ऐसा नहीं किया है। उदाहरण के लिए राऊरकेला इस्पात संयंत्र ने ऐसा नहीं किया है। इसीलिए उत्पादन गिर गया है। अगर सरकारी क्षेत्र के कारखानों का यही रवैया है तो वे अतिरिक्त आय कैसे कर सकते हैं तथा योजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में कैसे योगदान कर सकते हैं ?

मैं नही जानता कि सरकारी क्षेत्र को हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए, वित्त मन्त्री महोदय अथवा भारत सरकार किस प्रकार इसे सक्रिय और ऊर्जावित, करेंगे ? मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय कम से कम अगले वर्ष आगे आकर कहेंगे कि सरकारी क्षेत्र ने योजना संसाधनों के लिए सम्भवतया 1000 करोड़ रुपये का योगदान किया है।

यह कहना ठीक नहीं है कि बजट में ग्रामीण विकास की उपेक्षा की गई है। वास्तव में ग्रामीण जनता हमारा आधार है और भारत गांवों में रहता है। यदि गत वर्ष की तुलना में, इस वर्ष आवंटन में मामूली सी कमी आई है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उन सभी परियोजनाओं को छोड़ा जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में, राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपये मिले हैं और चालू बजट में उन्हें केवल 6000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और इस प्रकार

2000 करोड़ रुपये अधिक दिए गए हैं। इन 2000 करोड़ रुपयों से निश्चय ही घाटा पूरा हो जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो अनुदान की पूरक मांगें रखी जा सकती हैं, अतः इस बारे में किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक आयकर की बात है, यह आरोप लगाया जाता है कि यह पूंजीवादियों के हक में है और मेरे माननीय मित्र श्री गुप्त का कहना है कि यह एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार, कम्पनियों को प्रोत्साहन देता है। श्री गुप्त को याद होगा कि पिछली बार लोक सभा ने एकाधिकार और निर्बंधकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को संशोधित किया था, जिसमें एम. आर.टी.पी. कम्पनियों को धारा 20 और 21 के कार्यावयन हेतु छूट दी गई थी। जिसमें उस स्थिति में जांच कराने की बातें कही गई थी जब कोई एम.आर.टी.पी. घराना नये-नये उद्योग स्थापित करने के लिए अपने क्रियाकलापों का विस्तार ही करता चला जाता है। वह विशेषाधिकार उन्हें पहले ही दिया गया था। अतः, एम. आर. टी. पी. कम्पनियों की पूंजी सीमा को 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने से उन घरानों के हाथों में आर्थिक शाक्ति और अधिक केन्द्रित नहीं होगी। हमने संविधान के अनुच्छेद 39 (क) को तिलांजलि नहीं दी है। हम देखेंगे कि यह लागू हो।

यह कहने की कोई तुक नहीं है कि एम. आर.टी.पी. कम्पनियां फूली-फली हैं। यदि कोई उद्योग सफल और समृद्ध होता है तो वह लाभ कमाएगा और इकाई के विस्तार का प्रयास करेगा। अतः, कम्पनी की आस्तियों में वृद्धि होती है, जिन पर अंशधारियों का स्वामीत्व होता है। आपको यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि एम.आर.टी.पी. अधिनयम का उद्देश्य एकाधिकार प्राप्त घरानों से संघर्ष करना नहीं है; यह तो केवल इन कम्पनियों के संचालन को विनियमित करने के लिए लाया गया है। यह कहना सही नहीं है कि 1969 में इस अधिनियम के पास हो जाने के बाद, इन कम्पनियों के हाथों में आर्थिक शक्ति बहुत अधिक केन्द्रित हो गई है।

हमारे मुख्य क्षेत्र, कृषि और उद्योग दोनों ही ठीक चल रहे हैं। अतः, हममें से किसी को भी निराशावादी होने का कोई कारण नहीं है। जब कुछ क्षेत्रों को कुछ राहत दी गई है तो कुछ अन्य क्षेत्रों पर कुछ कर तो लगेगा ही। अतः, जनता के कुछ भाग को करों का भार वहन करना ही पड़ेगा। प्रत्येक कर का कीमतों के स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रभाव तो पड़ेगा ही। यह तो पड़ता ही है। यहां तक कि सब्जियों की कीमतें तक डीजल की कीमत में वृद्धि के कारण चढ़ गई हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रत्येक विक्रेता उन्हें मण्डी से ट्रकों द्वारा ही लाता हो, परन्तु इसके कारण कीमतें तो बढ़ेगी ही। इस वृद्धि के कारण हमें यह अनुभव नहीं करना चाहिये कि यह बजट मुद्रास्फीति को बढाने वाला है।

बजट में 3,349 करोड़ रुपये का घाटा छोड़ दिया गया है और इसे पूरा करने के लिए और कर लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सम्भवतया वित्त मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि इससे देश में मुद्रास्फीतीय नहीं बढ़ेगी। अतः कुल मिलाकर मैं इसे एक अच्छा बजट कहूंगा। मुझे 'सर्वोत्तम' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए हिर्द क्योंकि वह श्री गुप्त को बुरा

लगेगा। यह एक अच्छा बजट है और सभी प्रकार से अच्छा है। इसमें अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आत्मनिर्भर और स्वचालित बनाने के लिए सभी पहलुओं का ध्यान रखा है। अब हम सातवीं योजना के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आधार तैयार करने की आशा के साथ सातवीं योजना में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं।

पंडित नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माता थे और उन्होंने भारत में आर्थीजनो को लागू किया। जब हम स्वतन्त्र हुए थे तो हमारे समक्ष यह निश्चित नहीं था कि देश किस दिशा में आगे बढ़े। यह उन्हीं की दूर-दृष्टि थी कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और मानव व्यक्तित्व को विकसित करने हेतु अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर चलने वाली नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत के इस निर्माता के कार्य को उनकी यशस्वी सुपुत्री ने भी अपनाया। मैं उन्हें आधुनिक भारत की निर्माता मानता हूँ। उन्होंने अपने लब्धप्रतिष्ठित पिता के पदचिन्हों का अनुसरण किया और वह देश का निर्माण ही करती चली गई परन्तु दुर्भाग्य से वह हत्यारों की गोली का शिकार बनी और देश के निर्माण का वह भार राजीव जी के कन्धों पर आ पड़ा है। मुझे पूर्ण विश्वास है वह अर्थ व्यवस्था का निर्माण सुदृढ़ इमारत पर करेंगे। अतः हम आशावादी हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है और आगामी वर्षों में हम लक्ष्य भेद अवश्य कर लेंगे।

श्री के. प्रधानी (नौरंग पुर) : सभापति महोदय मैं वर्ष 1985-86 के बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

सर्व प्रथम मैं इस लोकप्रिय बजट को प्रस्तुत करने हेतु वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। बजट सुदृढ़ आधार और ठोस आर्थिक विचारधारा पर आधारित है। वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कृषि उत्पादन 1515 लाख टन था। औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, विद्युतोत्पादन में 13.5 प्रतिशत की कोयला उत्पादन में 6.9 प्रतिशत की और माल भाड़े में 2.3 प्रतिशत की। हमारे निर्यात व्यापार में 23 प्रतिशत की और हमारे आयात में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मैं फसल बीमा प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे उन छोटे और सीमान्तक किसानों को सहायता मिलेगी जो हमारे देश में बड़ी संख्या में हैं। मैं भूमिहीन श्रमिकों के लिए बनी सामाजिक सुरक्षा योजना का भी समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारे समाज के निम्न स्तर के लोगों में उनकी भी संख्या बहुत भारी है। आयकर में छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18.000 रुपये करना भी स्वागत योग्य कदम है। इससे उन दस लाख आयकर दाताओं को लाभ पहुंचेगा, जिनमें बहुसंख्या निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की है।

मुझे कुछ विशिष्ट सुझाव देने हैं। सभा में रखे गये बजट में सरकार ने लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। इस सन्दर्भ में, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 92 से 95 प्रतिशत बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं। राज्य सरकार होस्टल बनाने और इन बच्चों के लिए भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध करने का भरसक प्रयास कर रही है। आदिवासी लोग नितान्त निर्धन हैं और गरीबी इनको अपने बच्चों को शिक्षित करने से रोकती है। परन्तु संसाधनों की अड़चन के कारण राज्य सरकार व्यय की भारी मांग को वहन करने के अयोग्य रही है और इसलिए यथावत स्थिति बनी हुई है।

अतः मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आदिवासी शिक्षा हेतु कुछ केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता की ओर दिलाता हूं जिससे कि विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत को यथा 90 प्रतिशत को उल्लेखनीय सीमा तक घटाया जा सकता है।

दूसरी बात मैं पेय जल के बारे में करूंगा। पेयजल वह मुख्य सुविधा है, जिसकी देश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता है। पेयजल के अन्तर्राष्ट्रीय दशक के हम मध्य में है। सर्वेक्षण 10-15 वर्ष पूर्व किया गया था और समस्या ग्रस्त गांवों की पहचान की गई थी। अभी भी लगभग 37,000 गांवों को पेयजल पहुंचाना शेष है क्योंकि उनकी पहले ही पहचान की जा चुकी है, परन्तु महोदय मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 10-15 वर्ष पूर्व किए गये सर्वेक्षण काफी पुराने पड़ गये है क्योंकि अधिकांश गांवों में जल स्तर 25 मीटर से घटकर 30 मीटर तक पहुंच चुका है और मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी गांव गर्मियों में इस संकट से गुजरते है। उन्हें यह संकट मुख्यतया पेयजल के मामले में झेलना पड़ता है। अतः मैं, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि फिर से सर्वेक्षण करने के आदेश दें और उन गांवों का पता लगाएं और पहचान करें जो पेयजल के अभाव से पीड़ित हैं और कम से कम प्रत्येक गांव के लिए एक नलकूप का प्रावधान करे जिससे उनको और कुछ नहीं तो कम से कम पेयजल तो उपलब्ध हो सके।

अब मैं बजट में दी गई, कृषकों हेतु समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य से संबद्ध सरकारी सहायता काउल्लेख करता हूं। इस वर्ष हम बजट में इस सरकारी सहायता हेतु 850 करोड़ रुपये से 1100 करोड़ रुपये तक का प्रावधान कर रहे हैं, मुख्य रूप से धान के लिए। धान इस देश की मुख्य फसल है और बड़ी संख्या में भारतीयों का भोजन है। यह समर्थन मूल्य आमतौर से जनता के गरीब वर्गों, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों के लिए है। आमतौर से कुछ विपक्षी दल कहते हैं कि यह कुलकों के लिए है, परन्तु मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह बड़े किसानों के लिए नहीं है क्योंकि वे यह देखने के लिए छह मास से लेकर एक वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकते हैं कि उन्हें अच्छे दाम मिले और वे बाजार में तभी जाएं जब केवल ऊंचे दाम मिलें। परन्तु छोटे और सीमान्त किसान कर्जों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं से दबे रहते हैं और इसीलिए फसल कटने के तुरन्त बाद ही वे बाजार में जाकर अपने उत्पाद को कम कीमत में जल्दबाजी में बेचकर दिवालिए हो जाते हैं। अतः, यह आवश्यक है कि उत्पादन लागत के अनुरूप समर्थन मूल्य लाभकारी होने चाहिए और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इन अनाजों के मूल्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें लाभकर बनाया जाना चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाता हूं कि सातवें दशक के अन्तिम वर्षों में गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक हुआ था और जनता सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीति के कारण उत्पादन गिर गया और इसीलिए किसानों को लाभकर मूल्य देकर इसको फिर से उठाना पड़ा। अतः, हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए और खाद्यान्नों तथा गन्ने के अच्छे लाभकारी मूल्य रखने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदय, 1985-86 का बजट जो हमारे वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने पेश किया है वह सही मानों में उस तस्वीर की पूर्ति करता है जो हम लोगों ने एक मजबूत भारत की, एक स्वावलम्बी भारत की और एक ऐसे भारत की जो सही माने में किसी भी देश के मुकाबिले में खड़ा हो सके, अपने मन में बना रखी है जिसके लिए अक्सर हमारे प्रधानमन्त्री जी कहते है, ऐसे भारत के निर्माण के लिए यह बजट आवश्यक था और ऐसे चुनौतो के मौके पर जो यह बजट पेश किया गया है उसके लिए मैं सही मानों में अपने वित्त मन्त्री को मुबारकबाद देता हूँ। और एक शब्द में यह कहूंगा कि ऐसे नाजुक मौके पर, ऐसी परिस्थिति में इससे अच्छा और संतुलित बजट पेश नहीं किया जा सकता था। बजट के कई पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है, मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा। चूंकि मैं एक नौजवान हूं इसलिए आज इस देश में नौजवानो की जो सबसे बड़ी और मूल समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, उस पर आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बेरोजगारी की समस्या इस देश की ही समस्या नहीं है, सारे विश्व की समस्या है और खासकर हमारे देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वह दो प्रकार की है। एक वैसे नौजवान हैं जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, शिक्षित हैं और दूसरे ऐसे नौजवानों की बहुत थोड़ी संख्या हमारे देश में है जोकि गाँवों में रहते हैं और अशिक्षित हैं तथा वे गरीबी की रेखा से भी नीचे है।

इस बजट में हमें इस बात की खुशी है कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को जो एक कार्यक्रम दिया था कि कि आर्थिक सहायता देकर उनका अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उसके अन्तर्गत हर जिले में करीब 600 नौजवानों को 25 हजार की आर्थिक सहायता देकर उनकी आर्थिक दशा सुधारने की बात सोची गई थी, उस कार्यक्रम में अब और भी बढ़ोत्तरी की गई है। उस राशि को अब बढ़ाकर करीब, करीब दुगुना कर दिया गया है। जाहिर है इससे और अधिक शिक्षित बेरोजगारों को लाभ पहुंच सकेगा। मेरा आग्रह माननीय वित्त मन्त्री जी से है कि देश की आबादी में करीब 30 प्रतिशत ऐसे नौजवान हैं जिनकी आयु 15 से 30 वर्ष के बीच में है और यही लोग सबसे अधिक बेरोजगारी से प्रभावित हैं। इतनी बड़ी संख्या की यदि हम मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए यह राशि कुछ कम लगती है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी आग्रह करूंगा कि आज बेरोजगार नौजवानों की मदद करने का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमने सबसे बड़ी कमी यह महसूस की है कि उनको

कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। पिछले दिनों भी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि हम उनको आर्थिक सहायता तो दे देते हैं लेकिन उनको ट्रेनिंग देने का कोई प्रबन्ध नहीं करते जिससे कि वे उस राशि का सही इस्तेमाल कर सकें। मैं चाहूँगा मन्त्री जी इस बात पर जरूर ध्यान दें। वैसे गाँवों में रहने वाले जो युवक हैं, जोकि पढ़े-लिखे हैं उनके लिए इस बजट में जो अन्य कार्यक्रम रखे गये हैं उससे उनको काफी मदद मिलेगी। खास तौर से एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट के अन्तर्गत जो राशि थी उसको बढ़ाकर 332 करोड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार से है रूरल लैंडलेस लेबर, रूरल वाटर सप्लाई या शेड्यूल कास्ट्स व शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए जो स्कीमें हैं या फिर जो बीस सूत्री कार्यक्रम हैं जो कि हमारी पार्टी का भी कार्यक्रम है—इन सारे प्रोग्राम्स को लागू करने के लिए डिफेन्स के बाद दूसरे नम्बर पर महत्व दिया गया है। यह बहुत ही सराहनीय चीज है, क्योंकि हम जो कुछ भी काम करना चाहते हैं, उसका सीधा लाभ हम गांव के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जब सही मायनों में कार्यक्रमों का लाभ गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो काम करने की मशीनरी है जिसके माध्यम से हम गांव के छोटे किसानों को, भूमिहीनों को लाभ पहुंचाते हैं, उन तक वास्तव में सही लाभ पहुंच सके। हमेशा इस बात की शिकायत आती है कि जो लाभ हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वह नहीं पहुंच पाता है।

जहां तक बीस सूत्री कार्यक्रम का सवाल है, हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में राशि को और बढ़ाया जाए और इसमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है। वैसे मोटे तौर पर यह बजट देश के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देगा। खास तौर से इलैक्ट्रोनिक उद्योग में जो सहूलियतें प्रदान की गई हैं, उससे भारत के आधुनिक क्षेत्र में तरक्की होगी। इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इनकम टैक्स की सीमा आपने 15 हजार रुपए से 18 हजार रुपए मुकर्रिर की है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा मजदूरों का हिस्सा जो पब्लिक सैक्टर में काम करता है, उनको सहूलियत नहीं मिलेगी। वास्तव में यदि हम उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो इस सीमा को और बढ़ाना चाहिए। इससे एक फायदा यह होगा कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। पर सालाना आप रेडियो टी. वी. पर सालाना टैक्स लेते थे, उस शुल्क को आपने खत्म कर दिया है। हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से स्कूटर और मोपेड इत्यादि व्हीकल्स, जिसका जीवन दस साल से अधिक नहीं होता है जिनको खास तौर से मध्यम वर्ग के लोग इस्तेमाल करते है यदि इन व्हीकल्स पर दस साल का टैक्स एक साथ जोड़कर व्हीकल खरीदने के वक्त ही वसूल कर लिया जाए तो हर साल टैक्स टोकन लेने में जो परेशानी होती है उससे मध्यम वर्ग के लोगों को निजात मिल सकती है। इस तरह खास तौर से हम इस क्लास को राहत पहुंचा सकते हैं। इसकी शुरुआत आप बड़े शहरों—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि से कर सकते हैं। ऐसा हमारा आपसे आग्रह होगा।

जहां तक पब्लिक सैक्टर को बढ़ावा देने की बात है, 1983-84 की सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट अभी-अभी आई है। पिछले साल तक इसमें 35,411 करोड़ रुपया लग चुका है।

दस्तावेज के मुताबिक इस पूंजी से केवल 245 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ मिला है, जबकि दस प्रतिशत लाभ के हिसाब से करीब 3.5 हजार करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। अगर निजी क्षेत्र के उद्योग ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं तो फिर हर तरह की सुविधाएं पाने वाले सरकारी उद्योग मुनाफा क्यों नहीं कमाते-इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर सरकारी उद्योगों में लगाई गई पूंजी से पूरा लाभ मिलने लगे तो हमारे साधनों की कमी काफी दूर हो सकती हैं। हमारे बजट का घाटा सरकारी उद्योगों से ही पूरा हो सकता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र कि है जिस पर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। सरकार उद्योगों के कर्मचारियों को अच्छा वेतन और दूसरी सुविधायें मिल रही हैं, इस से किसी को शिकायत नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई कारखाना ठीक से उत्पादन न करे लेकिन उसके कर्मचारी और प्रबन्धक सरकारी पैसे पर आराम करते रहे। इन उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रबन्धकों पर डालनी चाहिये, उनको फैसला करने की छूट देनी चाहिए, साथ ही साथ उन से जवाब तलब किया जाना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारे जो पब्लिक सैक्टर के उद्योग हैं; वे घाटे में चल रहे है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा, खास कर जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, उनके बारे में इस बजट में ज्यादा ध्यान दिया जाय और कोशिश की जाय कि जो हमारे देश की सब से मूल समस्या है, बेरोजगारी की, उस का कोई समाधान निकल सके।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मोहतरिम चेअरमैन साहब, सब से पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि साल 1985-86 का जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है, पिछली कांग्रेस सरकारों के बजटों के मुकाबले जहां तक कांग्रेस की आइडियालोजी का ताल्लुक है सब से अच्छा बजट है। मैं इस बात के लिये मुबारकबाद पेश करूंगा कि जो आपने कराप इन्शोरेंस पालिसी का ऐलान किया है, वह इस मुल्क के 80 फीसदी लोगों की बेहतरी के लिये एक मुअस्सिर कदम उठाया गया है, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा काश्तकारों काश्तकारी पर मुनहसिर है। हमारे काश्तकार लोग हमेशा नागहान मुसीबत का शिकार होते रहे हैं। पार्लियामेन्ट में हम बार बार इस सवाल को उठाते रहे हैं कि इस मसले का हल ढूंढा जाय और मैं समझता हूँ कि मुनासिब वक्त पर यह कार्यवाही की गई है।

खवातीनकी तालीम के बारे में, विमैन एजूकेशन के सिलसिले में जो कदम उठाये हैं उनकी भी सराहना करता हूं। लेकिन इस के साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि हिन्दुस्तान के लोग आप से एक बहुत बड़े इन्कलाब की तवक्की रखते थे हमारे नौजवान वजीरेआजम और उनकी नई हुकूमत के इरादे बहुत बुलन्द थे और हम यह समझे कि एक बुनियादी तबदीली सामने जायेगी, क्योंकि यहां की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब और पसमांदा है। आज लाखों गरीब लोग सड़कों पर रहते हैं, उन के पास सिर छुपाने की जगह नहीं है. जहां लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी तालीमी-सनदें उनके पास हैं, क्वालिफिकेशन्ज हैं, लेकिन उनको इस मुल्क से हिजरत करनी पड़ रही है, यूरोपियन और दूसरी कन्ट्रीज को भागना पड़ रहा है,

क्योंकि वे अपनी काबलियत और सलाहियत का फायदा इस मुल्क को नहीं दे सकते, इसलिए कि यहां पर आपके नेटीज नहीं हैं, उनकी काबलियत का फायदा उठाने के साधन नहीं हैं। इसके लिए हमें सोशलिज्म दरकार था, वह सोशलिज्म जिस में फ्री-एन्टरप्राइजेज के लिये जगह नहीं होती। यहां पर जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है और अमीर तबका है, उनके बीच में जो खाई है उसको पाटने की आप से तवक्को करते थे और इसके लिए एक मजबूत कदम की जरूरत थी, लेकिन ऐसी कोई चीज इसमें दिखलाई नहीं दी। जैसा मैंने कहा—कांग्रेस पार्टी के अपने प्रोग्राम के मुताबिक यह बजट बहुत अच्छा है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि इस मुल्क के नजरिये से सोचिए। जिस सोशलिज्म को लाने के लिये हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी थीं, जिसका ख्वाब पं. जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, जिसके लिये उनका एक तसव्वुर था, आइडियालोजी थी, अगर उस सोशलिज्म का यह इन्टरप्रेटेशन हो कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाय, तो यह बहुत बड़ी नाइन्साफी होगी। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि 1947 में जब कि हिन्दुस्तान आजाद हुआ, जम्मू व काश्मीर में शेर-ए-काश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक कानून बनाया और वह कानून था "लैंड टू दि टिलर"। वह एक इन्कलाबी कानून लाए और सारी जमीन जो काश्तकारों के हाथ में थी, जो मजारे थे, मलकीयत नहीं थी, उन लोगों की मेहनत का जमींदार फायदा उठाते थे वे लोग बांडेड लेबर की तरह रहते थे। उस वक्त हमने वहां पर वह कदम उठाया और लैंड टू दि टिलर हो गई। मैं कांग्रेस सरकार से पूछ सकता हूँ कि 1947 के बाद क्या आप ने कोई ऐसा इन्कलाबी कदम उठाया है एग्रेरियन रिफार्म्स के मामले में। क्या आपने हिन्दुस्तान के अन्दर लैंडलार्ड्स की इजारेदारी को और क्लिय लैंडलार्ड जेन्ट्री को कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाया। इसलिए कि जो हमारे एग्रेरियन रिफार्म्स हैं, इन पर हमारे मुल्क की तरक्की का दारोमदार है।

साथ ही मैं यह अर्ज करूंगा कि कुछ आप ने पेट्रोलियम पर टैक्सके मामले में ज्यादती की और उसकी कीमत को जो चढ़ा दिया है, उसकी वजह से पेट्रोलियम से लेकर केरोसियन तक असर पड़ा है। इससे भाड़े पर असर पड़ा है और पैसेंजरों पर असर पड़ा है और उससे जितना आपको फायदा होगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हिन्दुस्तान के लोगों को होगा क्योंकि ट्रान्सपोर्ट कोई लक्जरी नहीं है बल्कि एक मजदूरी है। हमारा सारा डेवलपमेंट और हमारा सकरा कम्युनिकेशन, आज भी इसी मोटर ट्रान्सपोर्ट पर आधारित है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमतों को नहीं बढ़ाना चाहिए था क्योंकि इसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं और जो कन्ज्यूमर्स हैं, वे हर जगह पर इससे मुतासिर होंगे और उनका काफी नुकसान होगा।

एक चीज और मैं आप के माध्यम से अर्ज करूंगा। आपके यहां जो पालिसी बनती है वह पुरे मुल्क के लिए बनती है, हर स्टेट के लिए बनती है और आपके जो प्रोग्राम्स हैं, उनसे कुछ हौसले लोगों के बढे हैं। लेकिन जो प्रोग्राम आप लाए हैं, उनका जो लाभ लोगों को पूरे मुल्क में मिलना चाहिए था, वह उनको नहीं मिला है मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि आप के जितने भी प्रोग्राम जम्मू व काश्मीर के बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं, उन पर इम्पलीमेंटशन नहीं हो रहा है। मरकज बहुत ज्यादा मदद जम्मू व काश्मीर की सरकार की कर रही है और उस के लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं लेकिन रियासत में उसका खास फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा और वह सारा पैसा वहां की सरकार गलत ढंग से इस्तेमाल करके जो लोग मदद पाने के सही हकदार हैं, उन को नहीं दे पा रही है। इस बिना पर मैं यह कहना चाहूंगा कि लास्ट टूरिज्म के सिलसिले में हमारा बहुत बड़ा घाटा हुआ और दो-तीन साल से टूरिज्म मुतवातर नाकाम हो रहा है। मरकज ने वहां पर एक टीम भेजी थी। वहां पर हेल-स्टोर्म भी आया,जिसकी वजह से हजारों किसान मुतासिर हुए और पिछले दिनों जब हम अपनी कांस्टीटुयेन्सी में दौरा कर रहे थे, तो वहां पर यह शिकायत हमें लोगों से मिली की हेल स्टोर्स से जिसको जालावरी कहते हैं, जो नुकसान हुआ था, उसके लिए कोई कम्पेसेशन उनकी नहीं मिला। एक टीम बाकायदा भेजी गई थी। अब आप की तरफ से कोई कोताही हुई है या जो रकम वहां की रियासती सरकार को दी गई, है उसने उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, इसको आप देखें। इसी तरह से टूरिज्म के मामले में आपकी बहुत मदद करनी चाहिए। उसके लिए इसी टीम को जिम्मेदारी सुपुर्द की थी। इसमें सिवाय हाउसबोट मालिकान को भी 250 रुपये महीना 6 महीने के लिए आप ने दिया। मैं आप से अर्ज करना चाहूगा कि अगर वाकई में मरकजी सरकार चाहती है कि जम्मू व काश्मीर की तरक्की हो क्योंकि एक पिछड़ा हुआ सूबा है और बहुत ही बैकवर्ड पाकेट है, तो इस चीज को आपको देखना चाहिए। लद्दाख, काश्मीर वादी और जम्मू के पहाड़ी इलाके के बारे में यह सफाई से कहना चाहता हूं कि जितने भी आप के मंसूबे हैं, वे वहां पर नाकाम हो रहे हैं और उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है और मैं यहकहना चाहता हूं कि वहां पर इस वक्त जो डेमोक्रेटिक नार्म्स हैं, वे आपरेट नहीं करते हैं और लोगों का जो विश्वास सरकार पर होना चाहिए, वह खत्म हो चुका है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जम्मू व कश्मीर की सरकार ने किस कदर बेजादतियां की इसका नोटिस मरकजी सरकार को लेना चाहिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में गुलाम मुहम्मद शाह की सरकार को वहां के लोगों ने अपना विश्वास दिया। और उनके दोनों केण्डीडेटस वहां हार गये, पार्लियामेंटरी हलकों के जितने भी मिनिस्टरों के असेम्बली सेगमेंट्स हैं उनमें उस पार्टी के केण्डीडेट्स की जमानतें जप्त हो गयी वहां के लोगों का

वहां की मौजूदा सरकार से ताल्लुक टुट गया है जो रिश्ता अवाम और एक सरकार के बीच होना चाहिए वह रिश्ता अब नहीं रहा है। इस मामले में मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं ।

आप मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। यह सही बात है कि कांग्रेस की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा एम्पलाएमेंट अपोरचुनिटीज पैदा हो। लेकिन हमारे यहां जो डवलपमेंट बोर्ड हैं और कांस्टीच्युशनल इन्टीच्युशन्स है उनको मौजूदा सरकार ने तोड़ दिया है और 6 महीने के अन्दर दस हजार मुलाजिमों को लगाया गया। बी. एस-सी., एम. एस-सी. पास लोगों को नजरअन्दाज करके मेट्रिक फेल मुलाजम को लगाया गया है। मैं यह एक सही बात कह रहा हूं, अदावतन कोई बात नहीं कह रहा हूँ।

मैं चाहता हूं कि सेन्टर का जम्मू-कश्मीर रियासत से एक रास्ता है। हमारे जो खजाना मंत्री हैं उनको चाहिये हमारे जो प्रोग्राम हैं वे पूरे हों। आज उनका क्या हश्र हो रहा है। मैं यह भी चाहूंगा कि जो हमारी डेमोक्रेटिक इन्स्टीच्युशंस हैं—म्युनिसिपल कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस, पंचायतें—ये सब खत्म कर दी गई हैं। शेख साहब के वक्त में स्टेट में डवलपमेंट के लिये जिले को एक यूनिट बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट बोर्ड बनाये गये थे। उनमें मेम्बर आफ पार्लियामेंट, एम. एल एज., मेम्बराने पंचायत, मेम्बराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करते थे और डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट के लिये उनके मश्विरे से काम होता था और फैसले लिये जाते थे। अब जितना भी पैसा सरकार वहां तरक्की के कामों में खर्च कर रही है उनके बारे में मेम्बराने पार्लियामेंट, मेम्बराने असेम्बली को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, उनको मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा है।

हमारी जो कालाकोट कौल माइन है, वह एक सरकारी मलकीयत का अदारा है। लेकिन एक टाईकून कोल लिमिटेड नाम की एक फर्म है जिसका पार्टनर** बना दिया गया है। उस फार्म को कौल की सप्लाई 25 परसेंट रिबेट पर की गई जिससे एक करोड़ रुपए का नुकसान रियासत को उठाना पड़ा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

[अनुवाद]

यहां अपना बचाव नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : रियासत की डवलपमेंट के लिये मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आजाद हिन्दुस्तान में हरेक को अपनी सरकार बनाने का हक मिला हुआ है, उसी तरह से हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी यह हक मिलना चाहिये। आज हमारी रियासत में एक दल-बदलू सरकार कायम है जिसको कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में कबूल नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री अनकराज गुप्ता (जम्मू) : क्या माननीय मन्त्री महोदय, बजट पर बोल रहे हैं या सरकार के गठन पर बोल रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हमारे जम्मू काश्मीर में बिजली की बहुत कमी है। हमारे यहां बिजली का बहुत बड़ा पोटेंशयल है। हमारी स्टेट में तीन हजार मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है उससे न केवल स्टेट को बल्कि मुल्क को बिजली मिल सकती है। हमारे यहां ऊरी हाइडल प्रोजेक्ट की स्कीम है। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे पूरे मुल्क को फायदा पहुंचेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मरकजी सरकार ने कागजी प्लान बना दिये हैं जो कि स्टेट में पूरे नहीं होते हैं। हमारा ऊरी का प्रोजेक्ट भी पड़ा हुआ है। दुलहस्त, सलाल, बीन प्रोजेक्ट भी पड़े हुए हैं। डोलहस्ती प्रोजेक्ट पर जम्मू में काम भी शुरू नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी पूरी मदद करें जिससे कि वहां की सरकार और सारे मुल्क को इस बिजली पोटेन्शयल का फायदा मिल सके।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

محترم چیئرمین صاحب! سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سال ۸۶-۱۹۸۵ کا جو بجٹ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ پچھلی سرکاروں کے بجٹوں کے مقابلے جہاں تک کانگریس کی آئیڈیالوجی کا تعلق ہے، سب سے اچھا بجٹ ہے، میں اس بات کے لئے مبارک باد پیش کروں گا۔ جو آپ نے ایسا انشورنس پالیسی کا اعلان کیا ہے، اس ملک کے ۸۰ فی صدی لوگوں کی بہتری کے لئے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا ہے، کیوں کہ ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ کاشت کاروں پر منحصر ہے، ہمارے کاشت کار لوگ ہمیشہ ناگہانی کا شکار ہوتے رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں ہم بار بار اس سوال کو اٹھاتے رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ مناسب وقت پر یہ کارروائی کی گئی ہے

خواتین کی تعلیم کے بارے میں ویمین ایجوکیشن کے سلسلے میں جو قدم اٹھائے ہیں اُن کی بھی سراہنا کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہندوستان کے لوگ آپ سے ایک بہت بڑے انقلاب کی توقع رکھتے تھے۔ ہمارے نوجوان وزیر اعظم اور ان کی نئی حکومت کے ارادے بہت بلند تھے۔ اور ہم یہ سمجھے کہ ایک بنیادی تبدیلی سامنے آئے گی، کیوں کہ یہاں کی آبادی کا بہت بڑا حصہ غریب اور پس ماندہ ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پر رہتے ہیں۔ اُن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، جہاں لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں بڑی بڑی تعلیمی سندیں ان کے پاس ہیں کوالیفیکیشنز ہیں لیکن ان کو اس ملک سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے یورپین اور دوسری کنٹریز کو بھاگنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا فائدہ اس ملک کو نہیں دے سکتے اس لئے کہ یہاں پر اپارچیونٹی نہیں ہیں، اُن کی قابلیت کا فائدہ اٹھانے کے سادھن نہیں ہیں۔ اس کے لئے ہمیں سوشلزم درکار تھا۔ وہ سوشلزم جس میں فری انٹرپرائزز کے لئے جگہ نہیں ہوتی، یہاں پر تو غریب طبقہ ہے جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے اور امیر طبقہ ہے ان کے بیچ میں جو کھائی ہے اس کو پاٹنے کے لئے آپ سے توقع کرتے تھے اور اس کے لئے ایک مضبوط قدم کی ضرورت تھی لیکن ایسی کوئی چیز اس میں دکھلائی نہیں دی، جیسا میں نے کہا۔ کانگریس پارٹی کے اپنے پروگرام کے مطابق یہ بجٹ بہت اچھا ہے لیکن آپ کانگریس پارٹی نہیں بلکہ اس ملک کے نظریئے سے سوچیئے، جس سوشلزم کو لانے کے لئے ہمارے شہیدوں نے قربانیاں دیں، جس کا خواب پنڈت جواہر لال نہرو نے دیکھا تھا، جس کے لئے اُن کا ایک تصور تھا۔ آئیڈیالوجی تھی اگر اس سوشلزم کا یہ انٹرپریٹیشن ہو کہ امیر اور غریب کے بیچ بڑھتی جائے تو یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ اس سمبندھ میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ۱۹۴۷ میں جب کہ ہندوستان آزاد ہوا جموں و کشمیر میں شیر کشمیر شیخ عبداللہ نے ایک قانون بنایا اور وہ قانون تھا "لینڈ ٹو دی ٹلر" وہ ایک انقلابی قانون لائے اور ساری زمین جو کاشت کاروں کے ہاتھ میں تھی جو مزارع تھے۔ ملکیت نہیں تھی ان لوگوں کی محنت کا زمیندار فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ لوگ بانڈیڈ لیبر کی طرح رہتے تھے، اس وقت ہم نے وہاں پر وہ قدم اٹھایا اور لینڈ ٹو دی ٹلر ہو گئی۔ میں کانگریس سرکار سے پوچھ سکتا ہوں کہ

۱۹۴۷ء کے بعد کیا آپ نے کوئی ایسا انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ ایگریرین ریفارمس کے معاملے میں کیا آپ نے ہندوستان کے اندر لینڈ لارڈس کی اجارے داری کو اور لینڈ لارڈ جنٹری کو کمزور کرنے کے لئے کوئی قدم اٹھایا ہے، اس لئے کہ جو ہمارے ایگریرین ریفارمس ہیں ان پر ہمارے ملک کی ترقی کا دارومدار ہے۔ ساتھ ہی میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ آپ نے پیٹرولیم پر ٹیکس کے معاملے میں زیادتی کی اور اس کی قیمت کو جو بڑھا دیا ہے اس کی وجہ سے پیٹرولیم سے لے کر کوسین تک اثر پڑا ہے، اس سے بھاڑے پر اثر پڑا ہے اور پسنجروں پر اثر پڑا ہے۔ اور اس سے جتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہندوستان کے لوگوں کو ہوگا۔ کیوں کہ ٹرانسپورٹ کوئی لکژری نہیں ہے بلکہ ایک مجبوری ہے، ہمارا سارا ڈیولپمنٹ اور ہمارا سارا کمیونیکیشن آج بھی اس موٹر ٹرانسپورٹ پر آدھارت ہے، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں کو نہیں بڑھانا چاہیئے تھا کیوں کہ اس کا ناجائز فائدہ اور لوگ اٹھائے ہیں اور جو کنزیومرس ہیں وہ ہر جگہ پر اس سے متاثر ہوں گے اور ان کا کافی نقصان ہوگا۔

ایک چیز اور میں آپ کے مادھیم سے عرض کروں گا۔ کہ آپ کے یہاں جو پالیسی بنتی ہے وہ پورے ملک کے لئے بنتی ہے، ہر اسٹیٹ کے لئے بنتی ہے اور جو آپ کے پروگرامس ہیں ان سے کچھ حوصلے لوگوں کے بڑھے ہیں۔ لیکن جو پروگرام آپ لائے ہیں ان کا جو لابھ لوگوں کو پورے ملک میں ملنا چاہیئے تھا وہ ان کو نہیں ملا ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جتنے بھی پروگرام جموں و کشمیر کے بیٹرمینٹ کے لئے ہو رہے ہیں ان پر امپلیمینٹیشن نہیں ہو رہا ہے۔ مرکز بہت زیادہ مدد جموں و کشمیر کی سرکار کی کر رہی ہے اور اس کے لئے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں لیکن ریاست میں اس کا خاص فائدہ عام لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اور وہ سارا پیسہ وہاں کی سرکار غلط ڈھنگ سے استعمال کر کے جو لوگ مدد پانے کے صحیح حقدار ہیں ان کو نہیں دے پا رہی ہے، اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹورزم کے سلسلے میں ہمارا بہت بڑا گھاٹا ہوا اور دو تین سال سے ٹورزم متواتر ناکام ہو رہا ہے، مرکز نے وہاں پر ایک ٹیم بھیجی تھی، وہاں پر ہیل اسٹارم (ژالہ باری) بھی آیا، جس کی وجہ سے ہزاروں کسان متاثر ہوئے اور پچھلے دنوں جب ہم اپنی کانسٹی چوئنسی میں دورا کر رہے تھے تو وہاں پر یہ شکایت ہمیں لوگوں سے ملی کہ ہیل اسٹارم سے جس کو ژالہ باری کہتے ہیں) جو نقصان ہوا تھا اس کے لئے کوئی کمپنسیشن ان کو نہیں ملا۔ ایک ٹیم باقاعدہ وہاں بھیجی گئی تھی اب آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا جو رقم وہاں کی ریاستی سرکار کو دی گئی ہے اس لئے اس کا صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کیا اس کو آپ دیکھیں۔ اس طرح سے ٹورزم کے معاملے میں آپ کو بہت مدد کرنی چاہیئے۔ اس کے لئے اس ٹیم کو ذمہ داری سپرد کی تھی، اس میں سوائے ہاؤس بوٹ مالکان کو ۲۵۰ روپیہ مہینہ ۶ ماہ کے لئے آپ نے دیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعی مرکزی سرکار چاہتی ہے کہ جموں و کشمیر کی ترقی ہو، کیوں کہ یہ ایک پچھڑا ہوا صوبہ ہے۔ اور بہت ہی بیک ورڈ پاکیٹ ہے تو اس چیز کو آپ کو دیکھنا چاہیئے۔ لداخ کشمیر وادی اور جموں کے پہاڑی

علاقے کے بارے میں میں یہ صفائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے منصوبے ہیں وہ وہاں پر ناکام ہو رہے ہیں اور ان پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت جو ڈیموکریٹک فارمس ہیں وہ آپریٹ نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کا جو وشواس سرکار پر ہونا چاہیئے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ کے الیکشن میں جموں و کشمیر کی سرکار نے کس قدر بے ضابطگیاں کیں۔ اس کا نوٹس مرکزی سرکار کو لینا چاہیئے، پارلیمنٹ کے الیکشن میں غلام محمد شاہ کی سرکار کو وہاں کے لوگوں نے اپنا وشواس نہیں دیا۔ اور ان کے دونوں کنڈیڈیٹس وہاں ہار گئے۔ پارلیمنٹری حلقوں کے جتنے بھی منسٹروں کے اسمبلی سگمینٹس ہیں ان میں اس پارٹی کے کنڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں وہاں کے لوگوں کا وہاں کی موجودہ سرکار کا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ جو رشتہ عوام اور ایک سرکار کے بیچ ہونا چاہیئے وہ رشتہ اب نہیں رہا ہے۔ اس معاملے میں میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔

آپ ملک کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ کانگریس کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ایمپلائمنٹ اپارچیونٹیز پیدا ہوں لیکن ہمارے یہاں جو ڈولپمنٹ بورڈ ہیں اور کانسٹی چیوشنل انسٹی چیوشنز ہیں ان کو موجودہ سرکار نے توڑ دیا ہے اور ۶ مہینے کے اندر دس ہزار ملازموں کو لگایا گیا۔ بی۔ اے۔ بی۔ ایس۔ سی، ایم۔ اے، ایم۔ ایس۔ سی پاس لوگوں کو نظر انداز کر کے میٹرک فیل کو ملازم لگایا گیا ہے، میں ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں۔

میں چاہتا ہوں کہ سینٹر کا جموں و کشمیر ریاست سے ایک رابطہ ہے۔ ہمارے جو خزانہ منتری ہیں ان کو چاہیئے، ہمارے جو پروگرام ہیں وہ پورے ہوں، آج ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو ہماری ڈیموکریٹک انسٹی چیوشنز ہیں، میونسپل کمیٹیز، ڈسٹرکٹ بورڈس، پنچایتیں وہ سب ختم کر دی گئی ہیں، شیخ صاحب کے وقت میں اسٹیٹ میں ڈولپمنٹ کے لئے ایک یونٹ بنایا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ ڈولپمنٹ بورڈ بنائے گئے تھے، ان میں ممبر آف پارلیمنٹ، ایم ایل اے، ممبران پنچایت ممبران، ڈسٹرکٹ بورڈ ہوا کرتے تھے اور ڈسٹرکٹ ڈولپمنٹ کے لئے ان کے مشورے سے کام ہوتا تھا۔ اور فیصلے لئے جاتے تھے۔ اب جتنا بھی پیسہ سرکار وہاں خرچ کر رہی ہے ان کے بارے میں ممبران پارلیمنٹ، ممبران اسمبلی کو وشواس میں نہیں لیا جا رہا ہے، ان کو میٹنگوں میں نہیں بلایا جا رہا ہے۔

ہماری جو کالاکوٹ کول مائن ہے۔ وہ ایک سرکاری ملکیت کا ادارہ ہے، لیکن ایک ** ٹائیکون کول لمیٹڈ نام کی ایک فرم ہے جس کا پارٹنر بنا دیا گیا ہے۔ اس فرم کو کول کی سپلائی ۲۵ پرسینٹ ریبیٹ پر کی گئی جس سے ایک کروڑ روپے کا نقصان ریاست کو اٹھانا پڑا ہے۔

MR. CHAIRMAN : He is not a Member of this House. سبھاپتی مہودے
He is not here to defend himself.

یہ ریکارڈ میں نہیں جائے گا۔

** Not-recorded.

شری عبدالرشید کابلی :-

ریاست کی ڈولپمنٹ کے لئے میں چاہوں گا کہ جس طرح سے آزاد ہندوستان میں ہر ایک کو اپنی سرکار بنانے کا حق ملا ہوا ہے اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ حق ملنا چاہیئے۔ آج ہماری ریاست میں ایک دل بدلو سرکار قائم ہے، جس کو کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں قبول نہیں کیا گیا ہے۔

SHRI JANAK RAJ GUPTA : 'Is the hon. Member speaking on the Budget or is he speaking on the formation of the Government ?

ہمارے جموں کشمیر میں بجلی کی بہت کمی ہے۔ ہمارے یہاں بجلی کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہماری اسٹیٹ میں تین ہزار میگاواٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، اس سے نہ کیول اسٹیٹ کو بلکہ ملک کو بجلی مل سکتی ہے، ہمارے یہاں اوری ہائیڈل پراجیکٹ کی سکیم ہے۔ یہ بہت بڑا پراجیکٹ ہے، جس سے پورے ملک کو فائدہ پہنچے گا، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مرکزی سرکار نے کاغذی پلان بنا دیئے ہیں جو کہ اسٹیٹ میں پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا اوری کا پروجیکٹ بھی بڑا ہے۔ دلہت سلال تھین پراجیکٹ بھی بڑے پروجیکٹ ہیں۔ ڈول ہستی پراجیکٹ پر جموں میں کام شروع نہیں ہوا۔ اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ ان پراجیکٹ کو سارے ملک کو اس بجلی پوٹینشیل کا فائدہ مل سکے۔

[अनुवाद]

श्री बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 1985-86 के आम बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सच्चे अर्थों में एक उत्पादक बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं। मैं इसे दूरदृष्टि से बनाया गया जनता का बजट कहना पसन्द करूंगी। इन प्रगतिशील प्रस्तावों का समर्थन करते हुए मैं गर्व अनुभव करती हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने किसानों के लिए राहत उपायों जैसा कि फसल बीमा आदि की शुरूआत की है परन्तु उन्होंने इसमें केवल धान और गेहूं को सम्मिलित किया है। मैं चाहती हूं कि कपास और मूंगफली को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। कपास और मूंगफली नकदी फसलें हैं जिनमें एक मोटी राशि निवेश करनी पड़ती है और ये संवेदनशील फसलें है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इन दो फसलों को फसल बीमा योजना में सम्मिलित करने का अनुरोध करती हूं।

महोदय, मैं उस क्षेत्र से आई हूं जहां लम्बे रेशे और अत्यधिक लम्बे रेशे की कपास पैदा होती है अर्थात कर्नाटक में तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत बेल्लारी और रायचूर जिलों से किसानों को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कपास की कीमतों में गिरावट आई है और बाजार में समुचित रूप से खरीदी भी नहीं जा रही है। भारतीय कपास निगम, जिसे 600 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से कपास खरीदनी थी, प्रभावी ढंग से खरीद नहीं कर रही है। अतः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह और अधिक कपास निर्यात करने की अनुमति दे ताकि किसानों को परोक्ष रूप से लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि कपास की एक लाख और गांठें निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : भारतीय कपास निगम को 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कपास खरीदनी चाहिए जबकि वह मौजूदा बाजार मूल्य पर खरीद रही है और बाजार में आने वाली सारी कपास भी नहीं खरीद रही है। वे केवल एक सीमित मात्रा में खरीद कर रही है। ये शिकायतें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मार्किट कर रही हैं। अतः मैं सरकार से इस मामले पर ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करने का अनुरोध करती हूं कि भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य पर खरीद करे।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि उत्पादन-लागत में भी वृद्धि हुई है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से कपास का समर्थन मूल्य सौ रुपया बढ़ाने और इसे 600 रुपये प्रति क्विंटल की बजाए 700 रुपये प्रति क्विंटल करने का अनुरोध करती हूँ। लाभकारी मूल्यों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूँ कि कृषि मूल्य आयोग में कुछ ही लोग हैं। एक प्रस्ताव यह था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहती हूं कि इस आयोग का नाम बदल कर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया जाए क्योंकि जहां तक कृषि उत्पादों का संबंध है लागत के पहलू को ध्यान में नहीं रखा जाता। इस समय यह केवल मूल्य निर्धारण निकाय है। इसकी बजाय एक सुव्यवस्थित लागत-निकाय होना चाहिए जैसा कि उद्योगों के मामले में है। उद्योगों के मामले में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो उत्पादन लागत आदि का अध्ययन करता है। इस पर विचार किया जाना होगा। इस निकाय को इसी प्रकार कार्य करना चाहिए। इस निकाय को उत्पादन लागत, भूमि पर निवेश, ब्याज दर, मूल्यह्रास और प्रबन्धकीय लागत आदि को ध्यान में रखना

चाहिए। विभिन्न फसलों का मूल्य निर्धारित करते समय इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक फसल के मूल्य निर्धारण के संबंध में राज्य सरकारों से कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगले वर्ष के लिए मूल्य निर्धारित करते समय इस निकाय का नाम बदल कर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया जाए और इसमें किसानों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाएं। उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित ढंग से मूल्य निर्धारण करना चाहिए।

मैं अब औद्योगिक नीति को लेती हूं। मैं चाहती हूं कि प्रत्येक जिले में एक बड़ा सरकारी उपक्रम होना चाहिए ताकि किसी हद तक बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सके। ऐसा करते कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कृषि आधारित उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए। देश के विभिन्न भागों में बढ़ी हुई सिंचाई संभावनाएं उपलब्ध हैं जिनके कारण विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के कृषि-उत्पाद होते हैं जो विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अतः यदि कच्चा माल उपलब्ध हो और प्रत्येक जिले में एक सरकारी उपक्रम हो तो बेरोजगारी की समस्या किसी सीमा तक हल हो जाएगी।

मैं यह कहती हूं कि बेल्लारी में विजयनगर इस्पात संयन्त्र तत्काल आरम्भ किया जाए। हास्पेट में विजयनगर इस्पात सयन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में हम इस सभा में कई बार चर्चा कर चुके हैं। मेरा संबंध उसी क्षेत्र से है। पिछले सत्र में हमें बताया गया है कि और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने पर आधुनिकतम प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के प्रकाश में सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। मैं नहीं जानती कि यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ है या नहीं परन्तु बजट कागजातों में मैंने देखा है कि इस परियोजना के लिए थोड़ी सी राशि रखी गई है। मैं यह कहना चाहती हूं कि लोग हम पर हंस रहे हैं। न केवल लोग बल्कि ऐसा लगता है मानो वह अयस्क भी हंस रहा है क्योंकि हमने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अयस्क का उपयोग नहीं किया है। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बहुत समय पहले इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। मुझे विजयनगर संयन्त्र के बारे में बोलते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि तकनीक विशेषज्ञों से आवश्यक स्वीकृति ले कर इसे सातवीं परियोजना में सम्मिलित करें।

जहां तक विद्युत का संबंध है, कर्नाटक में हालत बदतर है। मुझे आशंका है कि गर्मी के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाएगी और कई उद्योग बन्द हो जाएंगे। मैं चाहती हूं कि सरकार प्रत्येक परियोजना के मुख्य नदी क्षेत्रों के सभी लघु जल-विद्युत परियोजनाओं का गहन सर्वेक्षण कराये और तत्काल स्वीकृति प्रदान करे।

जहां तक रायचूर ताप विद्युत संयंत्र का संबंध है, उसका केवल प्रथम चरण पूरा और आरम्भ हुआ है। तीसरे और चौथे चरण के संबन्ध में तकनीकी प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। मैं चाहती हूं कि सरकार दूसरे और तीसरे चरण को स्वीकृति प्रदान करे और सुनिश्चित करे कि काम तत्काल शुरू हो जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है कर्नाटक की स्थिति बेहतर हो जाएगी। यदि ये दो इकाइयां स्वीकृत हो जाती हैं और उत्पादन करने लगती हैं तो कर्नाटक को फायदा होगा।

2.00 अ.प.

मैं सरकार को, दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु के जोखिम की प्रतिपूर्ति करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ करने के लिए धन्यवाद देती हूं। इससे समाज के निर्धन वर्ग और भूमिहीन श्रमिकों और छोटे और सीमान्त किसानों आदि को सहायता मिलेगी। वास्तव में ये लोग कटाई के समय दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। कभी-कभी इन्हें बिच्छू और सांप आदि काट लेते हैं। मैं केवल यह अनुरोध करती हूँ कि केवल 100 जिलों को इस योजना में सम्मिलित करने की बजाए, सम्पूर्ण देश सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.) जैसी योजनाएं वास्तव में बहुत अच्छी योजनायें हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त परिणाम किसी न किसी कारण कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि प्रारम्भिक स्तर पर अभी भी अत्यधिक धन दुरूपयोग किया जा रहा है। समुचित नियन्त्रण की आवश्यकता है। यह अच्छी बात है कि हमने वर्तमान बजट प्रस्तावों में इन योजनाओं को प्रोत्साहन दिया है परन्तु मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन योजनाओं की गुणवता बनी रहे और सभी स्तरों पर धन का दुरूपयोग समुचित रूप से रोका जाए।

मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि सरकार के समक्ष चाहे कैसी बाधाएं क्यों न हो, सातवीं योजना के अन्त तक सभी गांवों का विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। केवल कुछ गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। सातवीं योजना के अन्त तक इनका विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को सातवीं योजना के अन्त तक पर्याप्त पीने का जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं बंगलौर एक सुन्दर शहर है और इसे विज्ञान नगर घोषित करने के लिए वहां अत्यधिक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह बंगलौर को विज्ञान नगर घोषित करे और बंगलौर हवाई-अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करे।

सरकार ने इलेक्ट्रोनिक उद्योग के लिए कई रियायतों की घोषणा की है। मैं सभी उद्यमियों का आह्वान करती हूं कि वे इस अवसर का लाभ उठायें और इन घोषणाओं का लाभ उठाते हुए सभी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उद्योग लगाएं और विश्व के अन्य देशों के इलेक्ट्रोनिक उद्योग को एक चुनौती दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत वर्ष 1985-86 के बजट के पक्ष में अपने विचार रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष जैसा बजट प्रस्तुत किया है, वह साहसिक बजट है, राष्ट्र के उत्पादन को बढ़ाने वाला, गरीबों के हितों की रक्षा करने वाला और आम जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ बजट है और इसके लिए वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

इस बजट के बारे में यहां ज्यादातर सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है और हमारे कुछ अखबारों ने भी लिखा है कि इसमें जो 3,349 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, उसकी वजह से हमारे सामने काफी कठिनाई उपस्थित हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि इससे पिछले बजट में भी लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का घाटा बाकी रह गया था और उसी व्यावहारिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आज वही बात हमारे वित्त मंत्री जी ने कही है तो उसमें कोई आशंका करने की गुन्जाइश नहीं रह जाती है, जिसके आधार पर कहा जा सके कि इन्फलेशन बढ़ेगा या कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। उसका कारण यह भी है कि पिछले वर्ष के बजट में भी जब लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का घाटा रहा था तो भी वस्तुओं के थोक मूल्यों में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जब कि उससे पहले के वर्ष में यह वृद्धि 10 प्रतिशत आंकी गई थी। इसलिए वैसी कोई आशंका इससे जन्म नहीं लेती, ऐसा मेरा अपना विचार है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इन सब कदमों के लिए जो उन्होंने टैक्सों के सरलीकरण के लिए, टैक्सों में छूट देने के लिए उठाए हैं इसलिए भी हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि वे सब वही निर्णय हैं···जो करीब 15-20 वर्षों से लोगों के सुझावों के माध्यम से आते आ रहे थे, और कर प्रणाली को कम करने और सरल करने की बात सदस्यों द्वारा अक्सर की जाती थी। इसमें जो छूट दी गई है, उससे करीब 10 लाख आय करदाता जो कि 18 हजार वार्षिक आय से कम के हैं, मुक्त होंगे, जो इससे ज्यादा का कर देते हैं, 20 हजार की आय पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी और जैसे-जैसे आय बढ़ेगी वह छूट कम होती जाएगी। यह इस बात को स्पष्ट करती है कि माननीय वित्त मंत्री जी के दिमाग में यह रहा कि अधिक आय पर ज्यादा छूट देना आवश्यक नहीं है।

इस बजट में जहां आम उपभोक्ताओं और आम जनता के हितों की रक्षा की गई है, वहां कृषि उद्योग का उत्पादन को बढ़ाने के लिए और देश के ठोस आर्थिक आधार को मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं; वे भी निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं।

सबसे पहले इस दिशा में मैं कृषि के क्षेत्र में जो फसल बीमा योजना सम्पूर्ण देश में लागू करने का जो निर्णय हमारे वित्त मंत्री जी ने लिया है, इसके लिए भी उन्हें बधाई देना चाहूँगा क्योंकि अभी तक इन्सान का बीमा होता था, उद्योगों में मशीनों आदि का बीमा होता था, हमारी अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत भाग, जो कृषि पर आधारित रहता था, उसकी फसलों का, उसके उत्पादन का बीमा नहीं होता था, उस असंतुलन को दूर करके माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो प्रयास किया है, उससे निश्चित रूप से किसानों के हितों की रक्षा हुई है। प्राकृतिक विपदा से हमारे किसानों को जो आर्थिक हानि हो जाती थी, उसको भी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत संरक्षण दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा की योजना 100 चुने हुए जिलों में लागू की जायेगी, वह ऐसे भूमि-हीन, गरीब किसानों के लिए और सीमान्त कृषकों के लिए सुविधा दी गई है, जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। कोई दुर्घटना हो जाये तो उनके परिवार को आर्थिक मदद देने वाला कोई नहीं था। यदि ऐसे परिवारों को 3 हजार रुपये प्रति वर्ष हमारी सरकार द्वारा दिए जायेंगे तो निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। मेरा इसमें सुझाव है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को सामाजिक सुरक्षा योजना को पूरे देश के सभी जिलों में लागू कर देना चाहिए। यह कार्य तो धीरे-धीरे ही लागू होगा, लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश में लागू हो जाये तो निश्चित रूप से एक अच्छी सुरक्षा की गारन्टी हम मजदूरों और किसानों को दे पायेंगे।

जहां तक प्रधान मंत्री स्वर्गीया श्रीमती गांधी द्वारा शुरू किए गए 20-सूत्री आर्थिक कार्य-क्रम का सवाल है, आपने स्पष्ट रूप से 900 करोड़ रुपए का प्रावधान रख कर, जिस में करीब 18.3 प्रतिशत की वृद्धि पिछले बजट के मुकाबले में की है, इस बात का संकेत देती है कि जो कार्यक्रम हमारे देश के महान नेता, गरीबों के मसीहा श्रीमती गांधी जी द्वारा ग्रामीण विकास और गरीबों की मदद करके शुरू किए गए थे, चाहे आई.आर.डी.पी., आर.एल.ई.जी.पी., एन. आर.ई.पी. और ट्राइसेम की योजनायें हों, उन सभी को हमारी सरकार, जो आदरणीय श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, यह बजट प्रस्तुत करता है और उनको प्राथमि-कता देते हुए पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने यह प्वाइन्ट उठाया था कि आई.आर.डी.पी., आर.एल.ई.जी.पी. में जो कुछ कमी बजट में हुई है, मुश्किल से 7-8 करोड़ रुपए की कमी है तो उन्होंने इसे चिन्ता का विषय बताया है। मैं कहना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कुल प्रावधान रखा है 1984-85 के बजट के मुकाबले वह काफी अधिक है। उस समय 1598 और 1793 करोड़ रुपए का प्रावधान था। उसी के अन्तर्गत इन योजनाओं का समावेश किया गया है। वित्त मन्त्री जी ने आश्वासन

दिया है कि जो ग्रामीण रोजगार और गरीबी दूर करने का कार्यक्रम है, इस आगामी बजट में उनको अवश्य और ज्यादा कार्यान्वित किया जायेगा।

जहां तक स्वत: रोजगार योजनाओं का सवाल है, उसमें पिछले के मुकाबले काफी कमी की गई है। मेरा यह कहना है कि जो स्वत: रोजगार के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान 1984-85 में है, उससे दुगना रखा है, परन्तु रिवाइज्ड एस्टीमेट 149 करोड़ रुपए का है। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो वास्तविक अनुमान आपने देखा है आज पूरे देश में जिससे नौजवानों को रोजगार देने के लिए यह लोकप्रिय हुआ है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उत्पादन बढ रहा है, रोजगार के नए साधन सुलभ हो रहे हैं, यह देखते हुए उसके लिए 65 करोड़ रुपए का वास्तविक अनुमान 1984-85 के बजट में हुआ है, मगर 149-150 करोड़ रुपये लगेंगे। तो आप का वास्तव में नौजवानों को एक नई दिशा देने में यह एक सराहनीय प्रयास होगा।

उद्योगों के मामले में भी कहना चाहूँगा कि कारपोरेट सैक्टर की जो सुविधाएं दी हैं, एम. आर. टी. पी. की लिमिट 25 से 100 करोड़ की है, लघु उद्योगों में अधीन एवं सयंत्रों की लागत सीमा 20 लाख से बढ़ा कर 35 लाख करदी है। और सहायक उद्योगों में ऐन्सिलियरी इण्डस्ट्रीज में 25 से 45 लाख की है, और कुछ उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त कर दिया है, यह निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में लघु उद्योगों और रोजगार के विकास को अधिक महत्व दे रहे हैं। इसलिये वह बढ़ी हुई सीमा आज के बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त लगती है।

जहां तक प्राइवेट सेक्टर की सुविधाओं का सवाल है वह आपने काफी दी हैं और उससे निश्चित रूप से औद्योगिक विकास की गति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स की हमारी यूनिट्स हैं जिनमें करीब 35 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हो चुका है उनसे हमें वार्षिक आय एक प्रतिशत भी नहीं हो पा रही है। अभी हमारे सहयोगी साथी तारिक अनवर जी ने बताया था कि 245 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ उनसे आया है। उस बारे में मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन सभी पब्लिक सेक्टर अण्डर-टेकिंग्स की ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं जिससे उनका सही ढंग से मानिटरिंग और संचालन नहीं हो पाता है। उससे जो हमारी अर्थ-व्यवस्था में घाटा आ जाता है उस घाटे की पूर्ति की जिम्मेदारी तो माननीय वित्त मन्त्री पर आ जाती है। जब कभी भी किसी पब्लिक सेक्टर की अण्डरटेकिंग का घाटा हुआ, सरकार उसको पूरा करने में लगी रहती है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हमारी पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स की कैपेसिटी यूनिटलाइजेशन, प्रोडक्टविटी, प्राफिटेबिलिटी और कैश के ऊपर इस तरह से मानिटरिंग होनी चाहिये फाइनेन्स मिनिस्ट्री की कि कभी भी उनको इतनी कम कैपेसिटी पर या इतने नुकसानदायक ढंग से चलने का मौका न आए क्योंकि यदि दस प्रतिशत भी लाभांश माना जाय तो साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का जो घाटा बजट में दर्साया गया है वह अकेले पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स से ही पूरा हो सकता है।

इसी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में इस बजट में करीब 1068 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया गया है वह इस बात का स्पष्ट संकेत और इस बात का प्रतीक है कि आज जो हमारे नौजवान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही है और आधुनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है, हमारी सरकार उससे बचनबद्ध है। यह एक हजार 68 करोड़ रुपये का प्रावधान रख कर मंत्री महोदय ने परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और महासागर विकास एवं एलेक्ट्रानिक्स के मामले में जो दिलचस्पी दिखाई है, निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आयेंगे। इसी तरह से एलेक्ट्रानिक्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो विभिन्न रियायतें और छूट दी हैं उनसे निश्चित रूप से उनका उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के साधन सुलभ होंगे और इन एलेक्ट्रानिक्स उपकरणों की उपयोगिता आम जनता तक पहुंच सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

एलेक्ट्रानिक्स के मामले में ही जो अन्य सुविधाएं दी गई हैं उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे एलेक्ट्रानिक्स और साइन्स ऐण्ड टेकनालाजी के मंत्री ने दो दिन पहले एलेक्ट्रानिक्स नीति के बारे में वक्तव्य दिया है कि करीब 1990 तक लगभग दस हजार करोड़ रुपये का एलेक्ट्रानिक्स का उत्पादन देश में करने का लक्ष्य है। तो इस बारे में मेरा सुझाव है कि यदि हम इलेक्ट्रानिक्स को इतनी प्राथमिकता देते हैं और हम यह जान रहे हैं कि इसका उपयोग हमारे देश में है, इस से रोजगार के साधन सुलभ होंगे, अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी और हम अपने सिस्टम को आधुनिक बना पायेंगे तो इसके लिए हर राज्य में कम से कम चुने हुए जिलों में कुछ इलेक्ट्रानिक कम्पलेक्स हम विकसित करें और वहां के स्थानीय जो टेलेंट्स हैं, जो नये यंग एन्टरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें। (**व्यवधान**) ... उनको प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट हो और एलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स भी हो। हमारे लिये कौन से इलेक्ट्रानिक उपकरण के उत्पादन की आवश्यकता है, कहां से कौन सी टेकनालाजी लेनी है, किस तरह से उनका एक समन्वित विकास हो इसकी जानकारी देने के लिए एलेक्ट्रानिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट हर राज्य में हो। जिससे सही टैक्नालाजी उस प्रदेश के लोगों को मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ कि यह बजट, जो माननीय वित्त मन्त्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, वह उत्पादकता बढ़ाने वाला होगा, देश को आत्म-निर्भरता की ओर ले जाने वाला होगा तथा इस देश को एक नई दिशा दे सकेगा—मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं तथा आपको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत भारी आभारी हूं कि आपने मुझे, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत 1985-86 के बजट का समर्थन करने का सुअवसर प्रदान किया। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे बजट का समर्थन कर रहा हूं जो हमारे नेता श्री राजीव गांधी के डायनेमिक स्टेप्स को कार्यान्वित करने वाले हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिनके बारे में पूरे देश की ऐसी धारणा रही है कि वे कर्तव्यपरायण और व्यावहारिक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह बजट बड़ा ही व्यावहारिक और साहसिक है। इसके द्वारा माननीय वित्त मंत्री ने किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों तथा छोटे वर्ग के

लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश की है। हमारा विश्वास है कि इसके द्वारा आने वाले दिनों में इन सभी लोगों को अच्छी राहत मिल सकेगी।

जहां तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का सवाल है, उसमें भी वित्त मंत्री जी ने बहुत राहत दी है। इस प्रकार से यह बजट बहुजन सुखाय व बहुजन हिताय है। इसके द्वारा हमारे औद्योगिक क्षेत्र को भी इन्सेंटिव्ज दिए गए हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बजट के द्वारा आगे आने वाले दिनों में देश में सुदृढ़ औद्योगीकरण हो सकेगा। इसके द्वारा जो लोग बेरोजगार व बेकार हैं उनको भी काम मिलने में अधिक सुविधा मिल सकेगी जिसकी कि इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस बजट के द्वारा माननीय वित्त मंत्री ने देश की समूची अर्थ व्यवस्था को जिस ढंग से छुआ है उससे सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा।

इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इसमें दो तीन चीजें और भी होनी चाहिए थीं। आप जानते ही हैं कि देश के नक्शे पर उत्तर प्रदेश और खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐसा स्थान पर बड़ी घनी जनसंख्या है। वहां पर प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी कम है, वहां पर रोजगार के साधन इतने कम हैं, उद्योग-धंधे तो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, जिसके कारण वहां के लोगों को दुनिया तथा देश के अन्य शहरों में अपना कंगाली का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आप कलकत्ता, बम्बई या कहीं भी चले जायें आपको वहां बिशा-पुलर पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही मिलेगा। हम माननीय वित्त मंत्री जी से उम्मीद कर रहे थे कि वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष व्यवस्था करेंगे। आजमगढ में दोहरीघाट थर्मल पावर स्टेशन, जिसको चार-पांच साल पहले की स्वीकृति मिल चुकी है, उसके साथ ही दूसरी योजनायें तो चालू भी कर दी गईं परन्तु उसकी ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। इसके लिए उन्होंने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया। इस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश उपेक्षित हुआ है। हमारी समाजवादी सरकार की यह नीति है कि सबसे पहले गिरे हुए लोगों को उठाया जाय। वित्त मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब वे सबसे पहले दोनों की सुधि लेते थे, गरीबों का पक्ष वे सबसे पहले लेते थे। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे अधिक दयनीय व शोचनीय है उस पर उनको सबसे पहले रहम करना चाहिए था। माननीय वित्त राज्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशेष परिस्थितियों की ओर वे विशेष ध्यान दें।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से जो फसल बीमा योजना लागू की है या जो इस प्रकार के दूसरे कदम उठाए हैं वह स्तुत्य हैं और उनके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन चीजों की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह सही है कि करों का लगाना किसी भी विकासशील देश के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन बीड़ी, कैरोसिन आयल, कुकिंग गैस, डालडा, पैट्रोल, डीजल आयल आदि चीजों पर टैक्स लगाने से निश्चित रूप से आम आदमी कराह रहा है और उसके भार से हम सभी आहत हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि

गरीब के लिए, मजदूर के लिए यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो इन टैक्सों में थोड़ी राहत प्रदान करें।

इस साल केन्द्रीय सरकार द्वारा 3300 करोड़ के करीब घाटे का बजट प्रस्तुत किया है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा में कम है। आप जानते हैं कि इस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, उनको अनाज की सब्सिडी का कोई लाभ मिलता नहीं है, जो कुछ भी लाभ मिलता है, शहरी लोगों को मिलता है। सभापति महोदय यदि आप देखें, आपका लम्बा अनुभव भी है, 12 सौ करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर हम ग्रामीण लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। एन आर ई पी, आर एल जी पी, ट्राइसम आदि कार्यक्रमों इम्पली मेंटेशन के लिए सरकार द्वारा लाखों रुपया दिया जाता है, लेकिन उसका लाभ गरीब जनता को नहीं मिलता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार की नीति थी कि जो व्यक्ति कावड़ा उठाएगा, उसके दो मुट्टी अनाज दिया जाएगा। इसी प्रकार लैण्डलैस लेबरर की स्कीम चालू की गई, यदि आप इन सब कार्यक्रमों की मोनिटरिंग करवायें, तो पता चलेगा ये सारे कार्यक्रम ठेकेदारी के बल पर हो रहे हैं। उनका कोई रिकार्ड सरकार के पास नहीं है। जो बनी हुई सड़क है, उसको फिर कागजों में बनाई हुई दिखा देगें। पांच हजार रुपए के स्थान पर पांच लाख रुपए का पेमेंट कर दिया जाता है और धड़ल्ले के साथ पेमेंट हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले सारी चीजों का रिकार्ड बना लिया जाए, यदि यह न कर सकें तो कुछ दिनों के लिए इन कार्यक्रमों को बन्द कर दिया जाए और बाद में जब सारा नक्शा सामने आ जाए, तभी उसको शुरू किया जाए। वरना जितना धन आप देते हैं, वह गरीबों की थाली तक नही पहुंच पाता है और सारे रुपए का दुरुपयोग होता है। आप जब समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो गरीबों को उसका हक मिलना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे यह देखें कि गरीब को उसका हक मिले।

इन शब्दों के साथ एक बार फिर में वित्त मंत्री महोदय को मुबारकबाद देते हुए बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो में इस देश के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने 1985-86 का बजट इस सदन में पेश किया है। उसके माध्यम से देश और समाज के हर एक वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना को किस ढंग से पूरा किया जाएगा, उस दिशा में चलने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मुद्रास्फीति न बढ़े; इस ओर भी विशेष ध्यान दिया है। हमारे विरोधी दलों ने इस बजट की आलोचना की है। किसी ने पूंजीपति समर्थक बजट बतलाया, किसी ने गरीब विरोधी बजट बतलाया। लेकिन, सभापति महोदय, यदि तीस सालों के रिकार्ड को उठा कर देखा जाय तो हम पायेंगे कि जब भी बजट पेश हुए हैं, विरोधी दलों ने हमेशा ही ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभी चार दिन पहले जब यह बजट पेश किया जाने वाला था, मुझे कई अखबार वाले मिले और उन्होंने मुझे बतलाया कि बजट अभी पेश नहीं हुआ

है, लेकिन विरोधी दलों की प्रतक्रियायें पहले ही आ गई हैं कि यह गरीब विरोधी बजट है, पूंजीपतियों का समर्थक बजट है। बजट पेश हुआ नहीं, लेकिन ऐसी प्रतिक्रियायें पहले ही अखबारवालों के पास पहुंच जाए—इसका अर्थ आप समझ सकते हैं और उन की इस तरह की बातों का कोई विशेष असर हमारी जनता पर नहीं पड़ता, जिसका उत्तर उसने पिछले चुनावों में दिया है।

हमारे विरोधी दलों के लोग भले ही इस बजट को पूंजीपति समर्थक बजट कहें, लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं, जो हमारे गरीब किसान है, खेत-खलिहानों में काम करने वाले मजदूर हैं, छोटे-छोटे गांवों में रहने वाले कारीगर हैं, जैसे लोहार हैं, बढ़ई हैं या दूसरे काम करने वाले लोग हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उन के परिवार को पालने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन आज इस बजट के माध्यम से उन लोगों के लिये तीन हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। क्या यह पूंजीपति समर्थक है या गरीबों को राहत देने वाला है—इस पर उन्हें विचार करना चाहिए।

अभी हमारे काश्मीर के साथी बोल रहे थे। उन्होंने कहा—इस बजट किसानों के लिये जो बीमा पालिसी लागू की गई है उससे 80 फीसदी किसानों को फायदा होगा। इससे निश्चित ही गरीबों को राहत मिलेगी और छोटे किसानों पर जो प्राकृतिक विपदा आ जाती थी, उससे निपटने के लिए उनको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। इसी प्रकार से हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने औद्योगिक मजदूरों के लिए राहत दी है, साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। टी. वी., रेडियो के जो लाइसेंस लेने पड़ते थे उनका शुल्क समाप्त किया है, इनके उत्पादन शुल्क को भी समाप्त किया है। वेल्थ टैक्स की लिमिट को बढाया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। ऐस्टेट ड्यूटी से काफी राहत मिली है, वक्त के साथ मकानों की कीमत बढ़ रही है, जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं जिसके कारण एक साधारण व्यक्ति भी एस्टेट डयूटी के चक्कर में आ जाता था, लेकिन उसको हमारे वित्त मन्त्री ने राहत दी है।

औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत से लाइसेंसों को खत्म किया है ताकि ज्यादा उद्योग स्थापित हो सकें और उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसके लिये उन्होंने बहुत से नियमों को शिथिल किया है। इससे औद्योगीकरण का बहुत अच्छा वातावरण बनेगा और रोजगार की सुविधाएं बढ़ेंगी तथा ज्यादा लोगों को काम मिल सकेगा। वित्त मन्त्री जी ने एक तरह से सभी वर्गों के साथ न्याय करने का प्रयास किया है। वित्त मन्त्री जी ने इस देश की समस्याओं को बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया है और विशेषकर मध्यमवर्ग की इनकमटैक्स की कठिनाइयों को दृष्टि में रख कर उन्होंने आयकर की छूट को 15000 रुपयें से बढ़ाकर 18000 किया है। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस घोषणा से 10 लाख से अधिक लोगों को अब आयकर की रिटर्न पेश नहीं करनी पड़ेगी। इससे जहां दस लोगों को राहत मिलेगी, दूसरी तरफ इन्कम टैक्स विभाग को 10 लाख लोगों का रिकार्ड रखने की फजीहत नहीं उठानी पड़ गी और अब वे दूसरे मामलों में टैक्स की चोरी को पकड़ने में अपने समय को लगा सकेंगे। लेकिन यह राहत अभी भी कुछ कम हैं, मेरा अनुरोध है कि इसको 25 हजार रुपये करना चाहिये, जिससे कुछ ज्यादा लोगों को राहत मिल सके।

जो गृहणी महिलायें है, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में सामने आ कर इस देश की सरकार बनाने का फैसला किया था, इस बजट से उनको कुछ तकलीफ हुई है। उनके किचन की वस्तुओं के दाम बढ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, साबुन के दाम बढ़ गये हैं, वनस्पति घी के दाम बढ़ गये, कैरोसीन के दाम बढ़ गये, जिनका उनके किचन पर बहुत बड़ा भार पड़ा है। इस को कम करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री जी निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रयास करेंगे।

2.29 म.प.

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुई]

मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि केरोसियन पर कर बढ़ाने से बहुत बड़ी तकलीफ दरदराज देहातों में रहने वाले गरीब लोगों को हो जाएगी। वे घटा, दो घंटे लालटेन में तेल डाल कर जला लिया करते थे। अब उनको भी बहुत बड़ी तकलोफ हो जाएगी क्योंकि हमारे देश में अभी हर गांव में बिजली नहीं पहुंची है। किसी प्रकार से वे किरोसियन आयल डाल कर दिया जला कर अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए केरोसियन आयल पर जो कर बढ़ाया है, उसको आप समाप्त करें।

पेट्रोलियम पदार्थों पर जो कर बढ़ाया गया है, उससे जरूर कुछ रकम सरकार को मिल जाएगी लेकिन इससे गरीब आदमियों पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। बहुत से परिवहन निगम हैं, जो बसें चलाते हैं और दूसरे बस चालक और टैक्सी चालक हैं। वे अपने टिकटों का भाड़ा बढ़ाने में लगे हैं। रेल के किराय में वृद्धि से और बसों के किरायों पर वृद्धि से उन लोगों पर बहुत ज्यादा भार पड़ जाएगा। इसलिए इस पर आपको विचार करना चाहिए।

साथ ही साथ बीड़ी पर टैक्स बढ़ाया है। बीड़ी पर टैक्स बहुत कम बढ़ाया है। मुश्किल से एक बन्डल पर एक पैसा देना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि 25 बीड़ियों के एक बन्डल पर एक पैसा बढ़ाया है लेकिन जो बीड़ी उद्योगपति हैं, उन्होंने 15 पैसे टैक्स परसों से ही बढ़ा दिये हैं। जो गरीब आदमी है, जो अपने दुःख-सुख में, शादी-विवाह में आपस में बैठ कर बीड़ी का आदान-प्रदान करके दुःख को भूल जाता था और सुख मना लेता था, वह यह सोचने लगा है कि हमारी सरकार ने हमारे ऊपर क्यों यह भार बढ़ाया है।

कागज पर जो टैक्स बढ़ा है, उससे लिखने-पढ़ने वालों पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस ढंग से छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स न बढ़ाएं क्योंकि यह सीधा गरीब लोगों पर लग रहा है और इसको समाप्त करे जिससे सरकार के प्रति जो एक अच्छी भावना देश के अन्दर बनी है कि यह सरकार गरीबी मिटाने वाली सरकार है और यह सरकार गरीबों का हित करने वाली सरकार है, वह भावना बरकरार रह सके। इसलिए इसको खत्म किया जाना चाहिए।

स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लिए जो बढोतरी की गई है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं पर सरकार की इच्छा है कि वे लोग सामने आएं, जो लोग गरीब हैं, जो इण्डस्ट्री लगाना चाहते

हैं। सरकार से वजीफा लेकर वे पढ़े-लिखे हैं इन्जीनियरी पास की और टैक्निकल परीक्षाएं पास की हैं। 75 प्रतिशत राशि स्माल स्केल इन्डस्ट्री लगाने के लिए सरकार प्रदान करती है और बाकी 25 प्रतिशत राशि नये एन्टरप्रिन्यौर की होती है और उसको वह जमा करनी पड़ती है। जिस आदमी ने सरकार से वजीफा लेकर पढ़ाई-लिखाई की है, वह गरीब आदमी कैसे इतनी राशि स्माल स्केल इण्डस्ट्री लगाने के लिए दे सकता है। इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस राशि की भी उसके लिए व्यवस्था करें।

साथ ही साथ काले धन को समाप्त करने की बात हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने कही है और वित्त मंत्री महोदय ने भी कही है पर इस बजट में उसके लिए किसी प्रकार का कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है। मैं अनुरोध करूंगा कि किसी ठोस प्रस्ताव के माध्यम से वे काले धन को समाप्त करने की कोशिश करें।

स्वरोजगार योजना के लिए 1984-85 में जहां 149 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, वहां 1985-86 में केवल 65 करोड़ रुपये ही इसके लिए रखा गया है। हमारी स्वर्गीय नेता इन्दिरा गांधी ने इस योजना का सूत्रपात किया था और यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई है और जिन नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती है, उनके मन में यह बात होती है कि वे स्वयं का रोजगार ढूंढ लेंगे परन्तु इतनी कम राशि इसके लिए रखी गई है कि इसका लाभ बहुत कम लोगों को मिल पाएगा। साथ ही साथ स्वरोजगार योजना की क्रियान्विती की जिम्मेदारी बैंकों को सौंपी गई है। जो बैंक तहसील, छोटे नगर या किसी बस्ती में हैं, वे कहते हैं कि हमको केवल 15 लोगों के लिए सब्सीडी आई है और हम केवल 15 लोगों को ही कर्ज दे सकते हैं और बाकी लोगों को नहीं दे सकते। इसलिए बैंक वालों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न आ कर खड़ा हो जाता है। 200 लोगों की दरख्वास्तें आई होती हैं और 15 लोगों को कर्ज देने की व्यवस्था है। इसलिए इसमें डिले टेकटिक्स चलती हैं और इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार करने का अवसर आता है और पक्षपात करने का अवसर आता है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि स्वरोजगार योजना के लिए अधिक से अधिक राशि रखने का आप बजट में प्रावधान करें और बैंकों को निर्देश दें कि जितने लोग स्वरोज़गार करने के लिए कर्ज मांगते हैं, उन सारे लोगों को कर्ज की राशि दी जाए। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि इस देश के नौजवानों की बहुत बड़ी आशाएं हमारे प्रधान मंत्री जी के ऊपर हैं और उन्होंने अपने मन से उनको अपना नेता मान लिया है। आज बेरोजगार नौजवानों के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वे जब तक कोई डिग्री ले पाते हैं, कोई टेक्निकल एजूकेशन प्राप्त कर पाते हैं तब तक उनकी आयु 24 वर्ष की हो जाती है। सरकारी नौकरियों में आने के लिए आयु-सीमा 25 वर्ष है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस आयु-सीमा को बढ़ाया जाए जिससे कि बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरियों में आ सकें।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसी योजना बेकार नौजवानों के लिए लाएं जिससे कि बेकार नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सके। जब तक सरकार उनकी नौकरी के नये-नये साधन नहीं बनायेगी, नई-नई स्कीमें नहीं बनायेगी तब तक बेरोजगार लोगों की

संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे और उनके लिए नये-नये कदम पैदा करे।

सरकार ने उद्योगीकरण को दिशा में आगे बढ़ने के लिए 25 उद्योगों को लाएसेंस देने की सोची है और कुछ दूसरे उद्योगों को राहत दी है। सरकार ने इनकम टैक्स के स्लेब में भी कमी की है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो। मगर भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह सेल्स टैक्स है। उपभोक्ताओं पर तो सेल्स टैक्स लग जाता है लेकिन वह सरकार के खजाने में नहीं पहुंचता। उस टैक्स को अधिकारी और व्यापारी बांट खाते हैं। इससे भ्रष्टाचार पनपता है। मैं अनुरोध करूंगा कि बिना राज्य सरकारों की सलाह लिये इस सेल्स टैक्स को समाप्त करें। इससे बहुत बड़ी राहत हमारे उपभोक्ताओं और देश को मिलेगी।

हमारे देश के संविधान में मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार की गई है। उसमें यह सबसे क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद।

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय सभापति महोदया, मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे और कह रहे थे कि बजट आने के बाद तेल के भावों में बढौतरी हुई है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि केरोसीन के भाव कम करो, वनस्पति के भाव कम करो। वे बोल रहे थे कि हम गरीबों के लिए काम करें लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह गरीबों का बजट रही है, अमीरों का बजट है। इस बजट को सपोर्ट करते हुए उन्होंने वित्त मंत्री जी का समर्थन किया है। सच बात यह है कि वे अपनी बात नहीं बोलते हैं। वे अपने नेता को खुश करने के लिए यह कहते हैं।

वित्त मंत्री बजट का प्रस्ताव करते हैं। उन्होंने राजीव गांधी को खुश करने के लिए उन्हें बधाई दी। अगर राजीव गांधी बजट बनाते हैं तो मैं उनकी बात सही मान लेता। आपको वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए क्योंकि वे बजट बनाते हैं। राजीव गांधी और वित्त मंत्री दोनों बजट नहीं बनाते हैं।

आप खुद कहते हैं कि केरोसीन के भाव कम करो, महिलाओं को खुश करने के लिए कहते हैं कि साबुन का भाव कम करो। आप कहते हैं कि बजट आने से पहले विरोधी दल के नेता पेपर्स में आलोचना करते हैं। यह बात सही नहीं है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही अनुरोध करता हूं कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें किसानों के बारे में बताया गया है—

[अनुवाद]

"हमें दो फसलों का भी लाभ हुआ।"

[हिन्दी]

इसमें यही बताया है

[अनुवाद]

"70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषक अथवा उत्पादक हैं।"

[हिन्दी]

फसल में जो खर्च होता है उसके ज्यादा दाम मांगने के लिए किसानों को पार्लिमेंट में आ कर रोना पड़ा कि हमें रेम्युनेरेटिव प्राइस दो, हमारे पास कोई संगत नहीं है। पार्लिमेंट में 70 परसेंट से ज्यादा लोग कल्टीवेटर्स क्लास से आते हैं। वे गरीबों के वोट से आते हैं। कंज्युमर को दृष्टि में रखते हुए वे किसानों को भूले जा रहे हैं। चाहे वित्त मंत्री हों, प्रधान मंत्री हों, अगर किसान भी वहां पर बैठेगा तो वह भी किसानों की बात को भूलकर अपने बारे में ही सोचेगा। (व्यवधान) क्या करना चाहिए, यह भी बतलाऊंगा। खीर भी आपके सामने आएगी।

सभापति महोदया, आपने भी प्राइस कमीशन के बारे में कहा, मैं भी उस बात का समर्थन करता हूं। किसानों के काम में आने वाले इन्पुट्स पर टैक्स घटाइए, ट्रैक्टर पर एक्साइज ड्यूटी घटाइए, फर्टीलाइजर पर एक्साइज ड्यूटी घटाइए। श्री चरण सिंह जी ने सरकार में आते ही फर्टीलाइजर पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और 120 रुपए कीमत को लाकर 60 रुपए कर दिया, लेकिन इन्दिरा जी ने आते ही उसको फिर 120 रुपया कर दिया। ट्रैक्टर पर टैक्स कम कीजिए, फर्टीलाइजर पर टैक्स कम कीजिए, किसान के खेती के काम में आने वाले इन्पुट्स को कम दाम पर उपलब्ध कराइए, ताकि उसके प्रोडक्शन का प्रोडक्टिव रेट कम हो जाए और किसान को पार्लियामेंट के सामने और असेंबली के सामने रेम्यूनरेटरी प्राइस दो, रेम्यूनरेटरी प्राइस दो, यह पुकारना न पड़े। आप जानते हैं कि प्राइस कमीशन ने गन्ने की कीमत 165 रुपए फिक्स की थी, मगर गवर्नमेंट ने 140 रुपए कर दिया, क्योंकि कंज्यूमर्स को सुगर सस्ता दिलाना है इसलिए 140 पर ला दिया और स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि आप बोनस दो, जितना चाहते हैं दे सकते हैं। यहां पर संसद में हम लोगों ने मांग की कि सुगर मिलों को नेशनलाइज कीजिए, लेकिन वहां पर 10-15 मिलों को वापिस हैण्डओवर कर दिया गया। इसलिए इसमें इण्डस्ट्रीज की कोई गलती नहीं है। आज गन्ने की कीमत कम होने की वजह से किसान गन्ना कम पैदा कर रहा है और फायदा कम हो रहा है। (व्यवधान) हमने तो जनता सरकार में दो रुपए किलो तक चीनी खिला दी और चार पहिए की साइकलों पर गांव-गांव में सुगर-सुगर की आवाज भी लगवा दी है। (व्यवधान) सभापति महोदया, आप कांग्रेस वालों को बताइए कि जनता सरकार ने क्या किया है। जनता सरकार की अच्छाइयां इनको याद नहीं आ रही हैं। श्री मधु दण्डवते ही उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे, मगर उस वक्त रेलवे का बजट घाटे का नहीं था। हमने किरायों में कमी की, सेकण्ड क्लास में फर्स्ट क्लास की सीटें लगाई, लेकिन बजट भी घाटे का नहीं था और आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, चार्ज बढ़ा रहे हैं, ट्रांस्पोर्ट चार्जेज बढ़ा रहे हैं और बजट फिर भी घाटे में जा रहा है, क्योंकि आपके काम करने का ढंग कुछ अलग है, आपके सोचने का ढंग अलग है। हमारी सरकार ने दो साल में बहुत कुछ करके दिखला दिया था, आपको पता होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वोट फिर भी आपको नहीं मिलते।

श्री सी. जंगा रेड्डी : वोट तो शराब से मिलते हैं, वोट सहानुभूति से मिलते हैं, वोट महिलाओं से मिलते हैं, बैंक के पैसे के आपसी बटवारे से मिलते हैं, सिर्फ जनता की सेवा से वोट नहीं मिलते, यह हम कांग्रेस वालों को बताना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ वोट कमाने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं। आपको वोट मिल गए और आप यहां पर बैठे हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जनता आपसे खुश है आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के एक महीने के बाद ही असेंबली इलेक्शंस में क्या हुआ। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्रीमान रेड्डी, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। आप उनकी बात क्यों सुनते हैं।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : श्रीमती इन्दिरा गांधीजी के स्वर्गवास के बाद ही आपने चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में आपको जितने वोट मिले हैं, उतने वोट असेंबली के चुनाव में नहीं मिले हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्रीमान जंगा रेड्डी जी, हम चुनाव पेटर्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बजट पर बोलिए। आप अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं।

श्री सी. जंगा रेड्डी : सभापति महोदया, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बात में व्यवधान डाला जा रहा है।

प्रो. मधु दंडवते : सभापति महोदया, वह महिलाओं की परेशानी से आनन्द उठा रहे हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदया : कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : सभापति जी, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे महिलाओं से बचा दीजिए। (**व्यवधान**)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : हम कभी डिस्टर्ब नहीं करते। यह तो पहली बात का जवाब है। (**व्यवधान**)

श्री सी. जंगा रेड्डी : कल एक प्रश्न मैंने बैंकों के बारे में पूछा था। जब बैंक घाटे में है, उनका मुझे जवाब नहीं मिला।

[अनुवाद]

केवल एक बैंक नहीं, अधिकांशतः सभी बैंकों का दिवालया निकल चुका है।

[हिन्दी]

हमारे वित्त मंत्री श्री पुजारी जी लोन के मेले लगाते है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को अब तक लोन दिलवाया है। 80 परसेंट से ज्यादा लोन शहरों में और बीस परसेंट के करीब देहातों में दिए जाते हैं। पुराने जमाने में लोन लेना पाप माना जाता था, लेकिन अब आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी आते हैं और लोन का बटवारा करते हैं। लोगों को बहकाते हैं कि लोन ले लो और बैंको को वापिस मत दो हमारी कांग्रेस सरकार में तो लोन लेने का काम है, वापिस देने का नहीं है। होटलों को भी लोन दिया जा रहा है। मैं तो यही समझता हूं कि उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है बैंकों को कंट्रोल में लाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों से तो पैसे की रिकवरी हो रही है लेकिन जो शहरों में लोन दिया जा रहा है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। सेल्स टैक्स को स्टेट में समाप्त करना चाहिए। किसानों की लिए मदद के लिए फर्टिलाइजर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को रद्द कीजिए। क्राप इनश्योरेंस के बारे में आपने बताया है। टूबेको, मिर्ची काटन और ग्राउन्ड-नट जो कैश क्राप हैं, उनको भी क्राप इनश्योरेंस में कवर करना चाहिए। काटन का उत्पादन आन्ध्र प्रदेश में ज्यादा होता है। विदेश में भेजने के लिए जब एस. टी. सी. ने लाइसेंस मांगा तो नहीं मिला। मैं अगर वित्त मंत्री जी से पूछूंगा तो बोलेंगे कि दस हजार बेल्स के लिए आन्ध्र प्रदेश को दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों को दिया गया है। और आन्ध्र के किसानों को उससे वंचित रखा गया है। इस संबंध में तेलगु देशम के एम. पीज ने रिप्रेजन्ट किया था यह जबाब मिला कि दस हजार बेल्स आन्ध्रा से भेजी जायेगी इसके अलावा हमारे यहा टूबेको भी पैदा होता है जिससे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। जितनी भी कमर्शियल क्राप्स, उनको क्राप इनश्योरेस में कवर करना चाहिए। हमारे यहां तेलगु गंगा प्रोजेक्ट और कोलावरम तथा पोचमपाड़ भी है, इन सब इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक नेशनल बैल्ट बनायी जानी चाहिए। हमारे आन्ध्र प्रदेश में टूबेको, पैड़ी, गेहूं, मिनेरल्स और कोयला भी बहुत मिलता है। ब्लैक गोल्ड मिलता है, उसको निकालने के लिए नई कोलयरिज हमें चाहिए। वहां बिजली भी बहुत मिलती है, वह आपकी अच्छी फैक्ट्री बन सकती है, मगर आन्ध्र प्रदेश की सरकार के पास पैसा न होने के कारण सिंगरोली कोलयरीज के लिए जो सालाना 80 करोड़ रुपया लोन के रूप में दे रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए ताकि नौजवानों को रोजगार दे सकें। एन. आर. ई.पी. के द्वारा आप रोजगार दिलाने का जो चैलेंज कर रहे हैं, अभी हमारे भाई ने बताया कि वह बिल्कुल नाकाम है, वहां काम नहीं बन रहा है, बनी हुई सड़क को बना हुआ दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले जो बैठे हैं ,वह बता रहे हैं। (व्यवधान)

आप पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं (व्यवधान)

आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. कार्यक्रम के लिए डायरेक्ट सिस्टम बनाना चाहिए। पैसे के सही इस्तेमाल के लिए डायरेक्ट सिस्टम बनाना चाहिए। उसके लिए

जो एम. बी. किताब होती है, वह होनी चाहिए। मगर लेबर को सीधा देना ठीक नहीं है, अच्छा हो, इसके लिए टेंडर सिस्टम हो। आर.एल. जी. ई. पी. का पैसा जितना दे रहे हैं··· (व्यवधान) मेरी प्लैनिंग मिनिस्टर से विनती है कि आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. को निकाल कर एक ही रूप दीजिए। तालाबों और भवनों के लिये जो देते है, उसमें होता यह है कि 9 रुपये देते हैं, 10 लोग काम करते हैं, 20 लोगों के हस्ताक्षर रहते हैं। सारा पैसा सरकारी अफसरों के हाथों और जेबों में जा रहा है।

(व्यवधान)

इनसे पहले जो बातचीत की है, वह बताता हूँ। पुरानी सड़कों को आर. एल. ई. पी. और एन. आर. ई. पी. में बता रहे हैं, यह बिलकुल गफलत होता है। उत्तर प्रदेश के मैम्बर बता रहे हैं, कर्नाटक की मैम्बर श्रीमती जी बता रही थीं इसलिए उसको पूरे ढंग से बनाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लैनिंग में सुधार लाना चाहिये। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसको लेने के लिए अलग पैसा देना चाहिये। एन. टी. पी. सी. लगाने के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए बहुत समय दिया, मगर आपसे अनुरोध करता हूं कि बोलते वक्त मुझे महिलाओं से बचा दीजिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

बेगम आबिदा अहमद (बरेली) : अध्यक्ष महोदया, 1980-81 का आम बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मन्त्री ने कि देश की अर्थ व्यवस्था को स्थिरता प्रगति और सामाजिक न्याय के पथ पर लाने तथा इसकी कमियों को दूर करने के सरकार के दृढ़ इरादे को प्रगट किया था। स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के योग्य, कुशल और सशक्त नेतृत्व में सरकार ने यह वायदा पूरा किया है।

भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। अतः यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र की स्थिति अच्छी हो। कई विकसित राष्ट्रों का यह अनुभव है कि जब तक कृषि उत्पादन का स्तर ऊंचा नहीं होता, तीव्र गति से औद्योगिक प्रगति होना संभव नहीं है। कृषि और उद्योग भारतीय अर्थ-व्यवस्था के दो पहिये हैं। यदि इनमें से एक भी पहिया ठीक से काम नहीं करता तो देश की अर्थ व्यवस्था में बाधा पहुंचेगी। सौभाग्य से अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और औद्योगिक उत्पादन, थोड़ी मन्दी आई थी किन्तु उसके बावजूद यह क्षेत्र काफी संभल गया हालांकि इसकी औसत विकास पर 6 प्रतिशत है और यह छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से अभी भी कम है : भुगतान शेष की स्थिति अच्छी है। यहां तक कि मुद्रा स्फीति की अधिक दर पर भी नियन्त्रण कर लिया गया है। अर्थ-व्यवस्था ठीक चल रही है।

जबकि कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार पुरानी नीति के अनुसार ही कार्य कर रही है। दो नई योजनायें उल्लेखनीय हैं। फसलों की बीमा योजना से सम्भवतः हमारे किसानों को सूखे या बाढ़ के कारण होने वाली परेशानियाँ कम हो जायेंगी। दूसरी योजना निर्धन परिवारों, जिनमें भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत कृषक और परम्परागत दस्तकार शामिल हैं, के धन अर्जन करने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु के जोखिम की प्रतिपूर्ति करने वाला सामाजिक

सुरक्षा योजना है। निःसंदेह मैं इन उपायों का स्वागत करता हूं। इन दो योजनाओं से स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण विकास, कृषि तथा सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में वचन को पूरा करना चाहती है।

कृषि क्षेत्र ठीक से काम कर रहा है। उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान बजट प्रस्तुत किया गया है और इसे इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

उद्योगों के पूंजी निवेश तथा औद्योगिक उत्पादन में केवल तभी वृद्धि होगी यदि स्वस्थ वातावरण बनाए जायें। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में अड़चनों को दूर करने और औद्योगिक विकास के लिए स्थिति अनुकूल बनाने सम्बन्धी सरकार का निर्णय अभिव्यक्त किया है। सरकार का एक निर्णय कुछ उद्योगों को लाइसेंस विमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में है ताकि इसमें होने वाले विलम्ब को कम किया जा सके।

कराधान की वर्तमान दरों के अनुसार 1985-86 में कुल प्राप्तियों का अनुमान 47.635 करोड़ रुपए है। जबकि कुल व्यय का अनुमान 51.295 करोड़ रुपये है। जिसका अर्थ है कि 36.60 करोड़ रुपये का बजट अन्तर रह जायेगा। निश्चय ही वित्त मंत्री कल्पना से काम नहीं कर रहे हैं।

माननीय मंत्री इस घाटे को बढे हुये कराधान से पूरा कर सकते थे। इससे हम सब पर बहुत बोझ पड़ता। इससे हमें निराशा एवं परेशानी होती। निश्चित ही हमें संतुलित बजट मिल जाता लेकिन ऐसा करों की लागत पर ही होता।

इसके अतिरिक्त संतुलित बजट के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। इसके विपरीत अर्थ शास्त्रियों ने प्रायः यह सुझाव दिया है कि अल्प विकसित देश के मामले में जहां राष्ट्रीय आय 6 प्रतिशत है और मुद्रा स्फीति की दर 4-5 प्रतिशत है, कराधान के लिए सरकार के परिव्ययों को पूरा करने हेतु घाटे के बजट पर निर्भर किया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बजट प्रस्तावों के बाद 3349 करोड़ रुपये का घाटा कोई खास चिन्ता की बात नहीं है। वस्तुतः पेश किये गये बजट में औद्योगिक विकास तथा परिणामतः राष्ट्रीय आय पर बल दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल्यों पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा लेकिन यह बजट और अन्य सरकारी नीतियों के कारण सप्लाई में वृद्धि से उत्पन्न प्रति संतुलन से अधिक होना चाहिये।

हमारे गतिशील प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कई अवसरों पर काले धन को समाप्त करने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय को दोहराया है और व्यक्तिगत आय पर कराधान को कम करना इस दिशा में एक कदम है। यह महसूस किया गया है कि कर की ऊंची दरें ही कराधान के प्रसार और काला धन के पैदा होने का पहला एवं महत्वपूर्ण कारण है। कर अपवंचन तभी

होता है जब कर अपवंचने का लाभ लागत से अधिक होता है। जैसे ही कर की दरें बढ़ती हैं, कर अपवंचन से लाभ भी बढ़ते हैं और इससे कर अपवंचन करने के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप यह जरूरी नहीं है कि कर की ऊँची दरों से कर राजस्व भी अधिक हो बल्कि व्यवहार में तो प्रायः कर वसूली में कमी आई है। माननीय वित्त मंत्री ने आय कर की अधिकतम दर 50 प्रतिशत तक लाए हैं तथा व्यक्तिगत आय पर अधिभार समाप्त कर दिया है। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। वस्तुतः इससे आर्थिक समस्याओं के प्रति सरकार का आशाजनक एवं

3.00 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वास्तविक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। व्यक्तिगत आय कर की दरों में कमी करने तथा आय कर छूट की सीमा 15000 हजार से बढ़ाकर 18000 करने अनिवार्य जमा योजना समाप्त करने से करदाताओं को काफी राहत मिली है। लेकिन अच्छा होता यदि अनिवार्य जमा योजना पर ब्याज और किश्तों का भुगतान एक साल के लिए स्थगित न किया जाता।

जहां तक धन कर, संपदा शुल्क और उपहार कर का संबंध है। धन कर की दरों में कमी की गई है, संपदा शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव है और उपहार कर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह तीनों कर 1950 में भारतीय कर ढांचे में इस आशा से लाए गए थे कि इससे कर राजस्व बढ़ेगा और धन के असमान वितरण में कमी आएगी लेकिन ये उद्देश्य पूरे नहीं हुए। कुल कर राजस्व में धन कर 0.4 प्रतिशत है जबकि उपहार कर और संपदा शुल्क क्रमशः केवल 0.04% और 0.09% है तीनों करों को मिलाकर यह कुल कर राजस्व का 0.53 प्रतिशत है। यह तीनों कर धन के समान वितरण के लिए समानता लाने में कारगर सिद्ध नहीं हुए। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में संपदा शुल्क की स्थिति को पहचाना है तथा इसीलिए इसे समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अन्य दो करों, विशेष कर उपहार कर के मामले में यह बात सत्य है।

उपहार कर को समाप्त करने के पक्ष में अन्य तर्क यह भी है कि उपहार कर और संपदा शुल्क साथ साथ चलते हैं।

(बेगम अनवारा अहमद—जारी)

उपहार कर के बिना सम्पदा शुल्क का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि मृत्यु-शैया उपहार से सम्पदा शुल्क के उत्तरदायित्व से आसानी से बचा जा सकता है। सम्पदा शुल्क में इस कमी को दूर करने के लिये उपहार कर को सांविधिक पुस्तिका में स्थान दिया गया है। यदि सम्पदा शुल्क समाप्त किया जा रहा है तो उपहार कर क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाता है? इस सिलसिले में मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा कही बात उद्धृत करना चाहूंगा :—

"किसी कर का उद्देश्य कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो, यदि उसकी उपयोगिता न रही हो, तो उसे सांविधिक पुस्तिका में नहीं रखा जाना चाहिये।"

दूसरा विचारणीय मुद्दा यह है कि सम्पदा शुल्क और उपहार कर स्थानान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति पर लगाया जाता है। जबकि सम्पदा शुल्क तो मरणोपरान्त सम्पत्ति अन्तरण पर ही लगाया जाता है, और उपहार कर सम्पत्ति-धारक के जीवन काल में अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति पर लगाया जाता है। जब मरणोपरांत अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति पर छूट दी जा रही है तो जीवन काल में वह छूट क्यों नहीं दी जा रही है ?

आवश्यकतानुसार सरकार को अप्रत्यक्ष कराधान पर अधिक भरोसा करना पड़ता है। विकासशील देशों, विशेषकर भारत में, प्रत्यक्ष करों का बहुत ही कम आधार होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में, जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, तब सरकार प्रत्यक्ष कराधान के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त कर सकती है, किन्तु दूसरी ओर, विकासशील अर्थव्यवस्था में जिसमें व्यक्तिगत आय कम होती हो और छोटे-छोटे उत्पादकों और व्यापारियों की संख्या अधिक हो, वहां छोटी-आय वालों के समूह से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में सरकारी खर्चे को पूरा करने के लिये अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से ही राजस्व बढ़ाया जा सकता है। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाती है कि कर से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का 79 प्रतिशत भाग सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। समग्ररूप से सरकार ने अप्रत्यक्ष कर की संरचना इस प्रकार की है ताकि यह निश्चित हो सके कि विलासिता की मदों की तुलना में आम जनता के उपयोग की वस्तुओं पर एक निश्चित स्तर के बाद उत्तरोत्तर कम दर पर कर लगाया जाय। अप्रत्यक्ष कर लगाकर विशेष वस्तुओं और उद्योगों को छूट दी जा सकती है। वर्तमान बजट में, इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं और इलैक्ट्रोनिक उद्योगों को विशेष रियायत दी गई है। इलैक्ट्रोनिक आधुनिक समय का उद्योग है और इसे हर प्रकार का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

लघु क्षेत्र की उपलब्धियों पर भारत गौरव कर सकता है। वित्त मंत्री महोदय ने इस वास्तविकता को पहचाना है इस क्षेत्र के लिये रियायतों की एक नई और उदार योजना घोषित की है।

कुछ लोगों ने इस प्रकार की कुछ आलोचना की है कि इस बजट से मुद्रास्फीति बहुत बढ़ जायेगी। यह सच नहीं है जैसा कि समय बतायेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अप्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करने से तथा घाटे की अर्थव्यवस्था से मूल्य वृद्धि होगी किन्तु इस प्रकृति के विपरीत औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने की सम्भावना उससे कहीं अधिक है। इस बजट से लक्षित लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस बजट से औद्योगिक विकास की दर बढ़ने का वातावरण तैयार हो गया है।

माननीय सदस्यगण, हमें एक आश्चर्य जनक अवसर प्राप्त हुआ है, हम लोग उसका लाभ उठायें। हम लोगों को चाहिये कि हम लोग शिखर तक पहुंचे न कि इस पर कीचड़ उछालें।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*कुमारी डी. के. तारा देवी (चिकमगलूर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस युग प्रवर्तन बजट के माध्यम से हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधार का निष्ठापूर्ण प्रयत्न किया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे समक्ष अनेक बजट आये हैं। अनेक बार किन्हीं आदर्शों से जुड़े रहने के कारण हम लोग अपने देश की आर्थिक स्थिति की वास्तविकता नहीं देख सके और उसे सुदृढ़ करने की व्यवस्था नहीं कर सके।

इस बजट के बारे में समाज के सभी कार्यों से तथा संसद के बाहर और अन्दर भी प्रतिक्रिया हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बजट से सम्पन्न और धनाढ्य व्यक्तियों को लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं कि बजट ने उद्योगों को अनेक छूटें दी हैं किन्तु यह कहना गलत होगा कि बजट से कमजोर वर्ग के लोगों को कठिनाई होगी। इससे उत्पादन को बढ़ावा मिला है और उद्योगों को राहत। इस कारण कोई यह नहीं कह सकता है कि बजट से पूंजीपतियों को सहायता मिलेगी। राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ानी होगी और तभी उसे बराबर-बराबर बांटना सम्भव हो सकेगा। यदि उत्पादन बढ़ाने के लिये यह कदम नहीं उठाया जायेगा तो हम लोग आपस में केवल गरीबी ही बांट सकते हैं। इस बजट के प्रशंसनीय उद्देश्य हैं यथा उत्पादन बढ़ाना, कार्य कुशलता बढ़ाना आदि-आदि। यह बजट परिणामोन्मुख है इसलिये मैं कहती हूं कि यह एक आश्चर्यजनक बजट है और मैं हृदय से इसका पूर्ण समर्थन करती हूं।

महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं और इस लिए मैं गांवों में व्याप्त स्थितियों पर प्रकाश डालूंगी। इस नवीन बजट में ग्रामीण विकास के लिए 932 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। कृषि और सहकारिता के लिए 790 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। गत छत्तीस वर्षों के दौरान ग्रामीण आयोजना में कुछ प्रगति हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के बाद हम लोग सातवीं योजना की ओर बढ़ रहे हैं। इन योजना अवधि के दौरान सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए भरपूर प्रयत्न किया है। मुझे खेद है ग्रामीण जीवन की निर्धनता को दूर करने के इन सभी प्रयत्नों के बावजूद हमारे समाज से गरीबी दूर नहीं हो सकी है। आधुनिकीकरण के नाम पर अनेक परम्परागत ग्रामीण उद्योगों की उपेक्षा की गई है। अब एक स्थिति आ पहुंची है जब यंत्रीकरण से कुटीर उद्योग नष्ट हो रहा है। यदि यही रवैया रहा तो ग्रामीण जीवन को नहीं सुधारा जा सकता है। बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे देश में लगभग 4.5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं हम लोग केवल 15.30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं जबकि हमारे पास 16.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। लगभग 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसलिए कृषि और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिए हमें सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना होगा। इस प्रकार अधिक बिजली उत्पादन को तथा ग्रामीण क्षेत्र में उसकी सप्लाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद ग्रामीण जीवन को नहीं सुधारा जा सकता। बड़ी सिंचाई योजना पर जिसके पूरा होने में 10 या 15 वर्ष लगेंगे, बहुत सारा धन व्यय करने के बजाय, मेरा सुझाव

*कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

है कि छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाओं जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए, लघु उद्योगों और सिंचाई परियोजनओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि लघु और कुटीर उद्योग को अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाय।

सरकारी उपक्रम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है किन्तु इस क्षेत्र में आशातित कार्य कुशलता प्राप्त नहीं हो पायी है। सातवीं योजना की अवधि के दौरान सरकारी उपक्रमों की कार्य कुशलता सुधारने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयास का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा अनुरोध है कि कार्यकुशलता का अपेक्षित स्वागत प्राप्त करने के लिये कदम उठाये जायें। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिए न तो कोई राजनैतिक हस्तक्षेप होना चाहिए और न उनका बार-बार स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम पर उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिये अन्यथा भारी आर्थिक क्षति होगी और अन्ततोगत्वा ग्रामीण जनता को कठिनाई होगी। यह बड़ी शर्म की बात है कि विधान सभाओं और संसद में अनेक बार विचार विमर्श किये जाने के बावजूद हम लोग देश से गरीबी दूर करने में सफल नहीं हो सके हैं। इसके लिए हमें संकल्प को जिम्मेदार मानना होगा इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्य वाही की जानी चाहिए।

इसी प्रकार, विद्युत परियोजनायें में भी अपेक्षित स्तर की कार्य कुशलता के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा हैं। यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।

इतिहास में पहली बार महिलाओं के कल्याण के लिए एक नये मन्त्रालय का गठन किया गया है। हायर सैकंडरी कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा निशुल्क कर दी गई है। महिलाओं की मुक्ति के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं इस बजट हैं। इसलिए अपने देश की महिलाओं की ओर से मैं अपने युवा और गतिशील प्रधान मन्त्री को बधाई देती हूं। चूंकि महिलाओं की संख्या राष्ट्र की आबादी का 50 प्रतिशत है इसलिए तदनुसार उन्हें रोजगार भी दिया जाना चाहिए। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहती हूं कि महिलाओं की प्रगति के समुचित कार्यक्रम के बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती।

देश के अनेक भागों में किसान आन्दोलन चल रहा है। किसान असंतुष्ट हैं। आन्दोलन उग्र हो सकता है और इससे सभी प्रकार की अशांति हो सकती है। किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार कृषि को भी उतना महत्व दें जितना वह उद्योगों को देती है। उद्योगों को हर वर्ष पानी, बिजली आदि की सभी सुविधाएं बढ़ रही हैं। किन्तु गरीब किसानों को पानी अथवा बिजली के प्रभार में कोई छूट नहीं मिलती। किसान इतने गरीब हैं कि वे बैंकों से लिया ऋण अदा नहीं कर सकते। ऋण अगली पीढ़ी द्वारा अदा किये जाने के लिये बकाया रह जाता है। इसलिये किसानों को हर सम्भव सहायता देने की आवश्यकता है।

स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी 16 वर्ष तक अपने देश की प्रधान मन्त्री रहीं। उन्होंने केवल इस राष्ट्र की अपितु सम्पूर्ण विश्व की अभूतपूर्व सेवा की। उन्होंने देश को राजनैतिक

स्थिरता प्रदान की। उनके ही कारण विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में अपना देश प्रगति कर सका। सारा संसार जानता है कि विश्व शांति तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के प्रति श्रीमती इन्दिरा का क्या आदौर्यपूर्ण योगदान रखा है। आने वाली पीढ़ियां अपने प्रिय नेता के महत्वपूर्ण योगदान को याद करेगी। इसलिए मेरी यह मांग है कि सरकार को चाहिये कि वह अपने देश के सभी विश्व विद्यालयों में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से अध्ययन केन्द्र स्थापित करें। इन अध्ययन केन्द्रों में श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति उनका विशेष योगदान पर डाक्टरेट डाक्टर उपाधि के लिये अध्ययन व्यवस्था हो।

इन शब्दों के साथ, धन्यवाद देते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करती हू।

***श्री सी. सम्बु** (बापतला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तेलगु में बोलना चाहूँगा।

इस वर्ष के लिए माननीय वित्त मत्री महोदय द्वारा प्रस्ताविक बजट निर्धन-विरोधी एवं धनी समर्थक हैं। ऐसा मालूम होता है कि यह विशेष रूप में देश के समृद्ध लोगों के लिये बनाया गया है। यह पार्टी इन हजारों लोगों के हितों को भूल गये जिन्होंने इन्हें सत्ता में लाने के लिये वोट दिये थे। इस बजट से राज्यों के राजस्व में कमी लेकिन केन्द्र सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। यह न तो राज्यों और न ही केन्द्र के हित में है। राज्यों के कमजोर होने का अर्थ है केन्द्र का कमजोर होना। केन्द्र तभी मजबूत होगा जब राज्य मजबूत होंगें। राज्यों की प्रगति में विलम्बन होने का अर्थ है राष्ट्र की प्रगति में विलम्बन। हाल ही में हुये चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा किये गये अनेक वायदों के बारे में बजट में कुछ भी नहीं बताया गया है। महोदय, इन सभी कारणों की वजह से मैं अपने दल तेलगु देशम की ओर से इस बजट का विरोध करता हूं।

महोदय, हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि श्रमिकों बुनकरों व बहुत से अन्य काम करने वाले व्यक्तियों की है ये सभी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इस बजट में इन सबको उपेक्षित कर दिया गया है। यह बजट किसानों विशेषकर छोटे किसानों को दृष्टिगत रखते हुये नहीं बनाया गया है। इस बजट में एक भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिससे किसानों को फायदा हो। इन्हें कोई भी रियायत नहीं दी गई है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं। इस समय किसानों को अपनी फसल के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं चाहे वो अनाज हो अथवा वाणिज्यिक फसल जैसे कि तम्बाकू, मूंगफली आदि। किसानों द्वारा उगाये गये उत्पादों के लिये समर्थनकारी मूल्य निर्धारित करते समय उनकी मजदूरी, खेती पर होने वाले खर्च उनके द्वारा उठाये जाने वाले जोखिमों को दृष्टिगत नहीं रखा गया। समर्थनकारी मूल्यों को निर्धारित करते समय केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह मशविरा करना जरूरी नहीं समझती। अतः कीमतें एकपक्षीय आधार पर निर्धारित की जा रही है और इस देश के किसानों को बरबाद कर रही है। इस नीति को बदलना चाहिये। कृषि उत्पादों के लिये समर्थनकारी कीमतें निर्धारित करने के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त

* तेलगु में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अधिकार दिये जाने चाहिये चूंकि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में विद्यमान स्थितियों को आंकने में ज्यादा सक्षम होंगीं। इससे न सिर्फ राज्यों का ही अपितु किसानों को भी लाभ होगा।

इस बजट में लगाये गये करों पर बोलते हुये मैं कहूँगा कि यह हैरानी की बात है कि पान मसाले जैसी चीज को भी नहीं बख्सा गया है। पान मसाला कर-मसाला हो गया है। महोदय, यह पान मसाला केवल समृद्ध लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है परन्तु दक्षिण राज्यों जैसे कि आन्ध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में यह ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। इसकी बजाय वे सुगन्धित सुपारी पावडर इस्तेमाल करते हैं। सुगन्धित सुपारी पावडर देश के एक भाग के सिर्फ अमीर व्यक्तियों में ही नहीं अपितु गरीब लोगों में भी लोकप्रिय है। सुपारी पावडर तैयार करने का कार्य कुटीर उद्योग के रूप में बड़े स्तर पर किया जा रहा है हजारों लोग अपनी आजीविका के लिये इस उद्योग पर निर्भर हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन में कुछ भी नहीं दिखा सकते। आपको इसके लिये अनुमति लेनी होगी। (व्यवधान)

श्री सी. सम्बु : अतः यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पान मसाले पर प्रस्तावित कर को सुगन्धित सुपारी पावडर पर भी लगाया जा रहा है इससे हजारों निर्धन लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे जो हम कुटीर उद्योग में लगे हुए है। यह अन्याय है। पान मसाले पर कर लगाने का कुछ औचित्य समय में आ सकता है क्योंकि यह समृद्ध व्यक्तियों के उपयोग की चीज है परन्तु सुगन्धित सुपारी पाउडर पर यह कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इस पुनीत सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पान मसाले पर जो प्रस्तावित कर लगाया गया है वह सुगन्धित सुपारी पाउडर पर न लगाया जाये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस सुझाव से सहमत होंगे और दक्षिण भारत के हजारों निर्धन लोगों को उनकी आजीविका से वंचित नहीं करेंगे।

मछुआरों और मत्स्य उद्योग में लगे हुये हजारों लोगों की एक बार फिर उपेक्षा की गई है। विशेष रूप में तटवर्ती आन्ध्र में रह रहे मछुयारों के मामले में ऐसा हुआ है। उनकी बहुत सी समस्याएं है। वे बहुत ही उपेक्षित हैं। वे इस समय अन्धेरी दुनिया में रह रहे है। अभी तक किसी भी सरकार ने उनकी समस्याओं को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इन मछुआरों के प्रति आपने न्याय नहीं किया हैं। मैं आन्ध्र के तटवर्ती क्षेत्र का रहने वाला हूं और उनकी समस्याएं समझता हूं। इन मछुआरों को कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। इन्हें परिवहन की सुविधा भी प्राप्त नहीं है। इनके लिए अस्पताल भी नहीं हैं। इनके बच्चों की पढ़ाई के लिये शैक्षणिक संस्थाएं नहीं हैं। इनके लिये सड़कें भी नहीं हैं। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे आगे आयें और इन्हें इस दयनीय स्थिति से बाहर निकालें। इस बारे में मैं इच्छापुरम-भाड़ा मार्ग का निर्माण कराने का भी अनुरोध करूंगा।

इस बजट में हस्तशिल्प को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है। सरकार को इस ओर भी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, देश में 50 प्रतिशत महिलाओं हैं। अगर महिलाएं का समर्थन न मिलता तो कांग्रेस पार्टी इस समय सत्ता में न होती। फिर भी यह सरकार बड़ी आसानी से महिलाओं के हित को भूल गई है। इस सरकार ने महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रसाधन सामग्री, सिर में लगाने के तेल आदि सभी की कीमतें बढ़ा दी है। वास्तव में यह बहुत ही बुरी बात है। जब तेलुगु देशम दल राज्य स्तर पर महिलाओं को सम्पत्ति के मामले में पुरुषों के बराबर लाने का प्रयत्न कर रहो है केन्द्र सरकार महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रसाधन सामग्री पर कर लगा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस मौके पर मैं केन्द्र सरकार से संविदा श्रम प्रणाली को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। इसके बजाय सरकार को स्व-रोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहियें।

महोदय, भारत एक विकासशील देश है। हमारे देश के अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इसलिए गरीब लोगों के फायदे के लिए इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना जरूरी है। हमारे राज्य में, तेलुगु देशम सरकार कुछ योजनायें सफलतापूर्वक चला रहा है जैसे कि बच्चों को दोपहर का भोजन, रियायती दर पर 2 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध कराना और उचित दर की दुकानों के माध्यम से सस्ते दर पर कपड़ा बेचना। गरीब लोगों के हित के लिये आप क्यों नहीं इस तरह की देशव्यापी योजनायें लागू करते ? मैं इस पुनीत सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तेलुगु देशम सरकार के कार्य-निष्पादन से प्रेरणा लें और इसे राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करे। कपड़ा और मकान मनुष्य की मूल आवश्यकतायें हैं और सरकार को यह सभी मूल सुविधायें गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करनी चाहिए।

महोदय, मैं आन्ध्र के तटवर्ती इलाके का रहने वाला हूं। निजाम पत्तनम चिराला और मोटूपल्ली को आसानी से छोटे बन्दरगाहों में बदला जा सकता है। हालांकि इस उद्देश्य के लिए एक सर्वेक्षण भी किया गया था परन्तु इनको छोटे बन्दरगाहों में बदलने के लिये अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। एक बार फिर मैं यह बात सरकार के ध्यान में ला रहा हूं और निजामापत्तनम चिराला, मोटूपल्ली को छोटे बन्दरगाहों में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा पहल करने का अनुरोध करता हूं। अगर इन स्थानों को छोटे बन्दरगाहों में विकसित कर दिया जाये तो हम इन बन्दरगाहों द्वारा अन्य देशों को मछली, जूर, कपास, तम्बाकू तथा मूंगफली का निर्यात करके मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

मैं चिराला से आता हूं। यह तटवर्ती क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष समुद्री तूफानों से हजारों लोगों की मृत्यु होती है। इस क्षेत्र में समुद्री तूफानों से बचने के लिये कोई आवास नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि समुद्री तूफानों से संरक्षण प्रदान करने के लिये आवास का

निर्माण किया जाये। समुद्री तूफानों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को ठीक समय पर सहायता दी जानी चाहिये।

महोदय, चिराला में और इसके आस-पास के क्षेत्र में बहुत से बुनकर रहते हैं जो कि बढ़िया किस्म का जैकार्ड कपड़ा तैयार करते हैं। यह कपड़ा विदेशी बाजारों में आसानी से बेचा जा सकता है। अतः इस मद का निर्यात करने के लिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। इससे वहां के हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

मैं भाषण समाप्त करने से पहले सरकार से अपील करता हूं कि वह मिट्टी केतेल, पान मसाला तथा सुगन्धित सुपारी पाउडर पर कर लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन आवश्यक वस्तुओं पर से कर को समाप्त करके गरीब लोगों की रक्षा करेंगे। मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुकुल वासनिक, कृपया आप पांच या छह मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिये। मंत्री महोदय 3.30 बजे वक्तव्य देंगे।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा जी के वक्तव्य को दोहराना चाहता हूं उन्होंने जो कहा था उसे मैं उद्धृत करता हूं —

> " मैं मुश्किलों को चुनौतीके रूप में स्वीकार करने में विश्वास करती हूं वही राष्ट्र शक्तिशाली हो सकता है, जो चुनौतियों को स्वीकार करता है, हमें मुश्किलों का साहस के साथ सामना किये बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बनता।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी के इन विवेकपूर्ण शब्दों के साथ अब मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं।

बहुत लोगों ने इस बजट का समर्थन किया है और यह एक अच्छी बात है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इसमें कुछ दिक्कतें व चुनौतियां भी होंगी परन्तु इन दिक्कतों और चुनौतियों का हमें साहस और दृढ़ संकल्प से सामना करना होगा। जब तक हम इन मुश्किलों और चुनौतियों का साहस से सामना नहीं करते तब तक हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते जिसके लिए हम कालायित हैं जिसकी हम आशा कर रहे हैं जिसके लिये हम आकांक्षित हैं।

श्री वी. पी. सिंह ने इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे समाज की कुछ ऐसी बुराइयां दूर होंगी जो पिछले कुछ सालों से समाज को परेशान कर रही हैं। उन्होंने संविधियों से ऐसे कई प्रावधान हटा दिये हैं जिनसे समाज में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी और इस

तरह उन्होंने देश के विकास के लिए एक अच्छी वित्तीय नीति बनाने की कोशिश की है। वित्त मंत्री द्वारा किए कुछ उपायों जैसे सभी स्तरों पर व्यक्तिगत करों में अधिकतम 50 प्रतिशत की कमी, सम्पदा शुल्क की समाप्ति तथा धन करके पुनर्गठन आदि से समृद्ध लोगों को ही लाभ होगा। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह सब धनिकों के लिए किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य करों के ढांचे को युक्ति संगत बनाना तथा काले धन की बुराई से मुक्त करना था

इस संबंध में हम विश्व के अनेक देशों से प्रेरणा ले सकते हैं तथा आशा कर सकते हैं कि अगर वहां इसके परिणाम अच्छे निकले हैं तो यहां भी अच्छे परिणाम प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा।

निगमित क्षेत्रों को दी जाने वाली रियायतों से न केवल काले धन का संकट समाप्त बल्कि निश्चित रूप से नए रास्ते भी खुलेंगे जो देश के लिए निःसंदेह लाभकारी होंगे।

मेरे विचारानुसार इस समय सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। देश के हर हिस्से में बेरोजगारी विद्यमान है। समस्या बहुत विकट है क्योंकि देश में मूल पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग दो करोड़ चालीस लाख है बेरोजगारी की इस समस्या को हल करना हमारा फर्ज है माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे 1.3 लाख प्रति माह की दर से बढ़ने वाली बेरोजगारी की समस्या को हल करें। रोजगार के अवसर बढ़ाने ही होंगे। इसके लिए सरकारी गैर सरकारी अथवा निगमित क्षेत्रों और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों का भी विस्तार किया जाना चाहिए। क्या यह आशा की जाये कि इस बजट के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और बेरोजगारी कम होगी ? लेकिन एक बात हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि इससे मुद्रा-स्थीति में वृद्धि न हो। रेल-माल भाड़े में वृद्धि करनी तथा वित्त मंत्री के कुछ प्रस्तावों से जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाने से बहुत सी उपभोक्ता वस्तुयें दिन प्रति दिन मंहगी होती जा रही हैं। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो गरीबों को बेहतर तथा सुविधा जनक जीवन यापन का सपना साकार करने में कठिनाई होगी। गरीब आदमी की जरूरतें अमीरों की जरूरतों जितनी नहीं होती। उनकी आकांक्षा विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करने की नहीं होती। उन्हें सुविधा वाली वस्तुए भी नहीं चाहिए। वे तो जीवन की मूल भूत आवश्यकताओं जैसे मकान, भोजन कपड़ा, संचार तथा परिवहन सुविधाओं, को ही प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि यह बात मद्दे नजर रखी जाए ताकि गरीबी को वे वस्तुएं सस्ती दरों पर मिल सकें।

शिक्षा जोकि एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे किसी मनुष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकसित होता है, सभी को कम व्यय में उपलब्ध होनी चाहिए। मेरा विचार है कि वित्त मंत्री के प्रस्तावित बजट प्रस्ताव इस स्वप्न को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। क्या मैं आशा करूं कि सीमेंट पर शुल्क बढ़ने से गरीबों के लिए निर्मित किए जाने वाले मकानों की लागत में वृद्धि नहीं होगी ? इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि गरीबों के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। उच्चतर माध्यमिक

स्तर तक लड़कियों के लिए निशुल्क शिक्षा की घोषणा के प्रस्ताव की मैं अत्यन्त सराहना करता हूं और मैं इस समय ऐसे प्रस्तावों का स्वागत करता हूँ। कई राज्यों में लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इसका सम्बन्ध लड़कियों की शिक्षा से है। शिक्षा का दिन प्रति दिन, साल दर साल विस्तार होता जा रहा है। लेकिन लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में कुछ भेदभाव बरता जाता है। लड़कों को शिक्षा मिल रही है लेकिन लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। लड़कियों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा देने की प्रस्तावित नीति से लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित होगीं।

कहा जाता है कि यह अमीरों का बजट है। बहुत से विरोधी सदस्यों का यह कहना है। हम उनसे झगड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि विरोधी पक्ष में होने के कारण उन्हें कुछ तो कहना ही है। वे इसके पक्ष में नहीं कह सकते इसलिए उन्हें तो इसके विरोध में बोलना ही है। इसलिए उनके साथ झगड़ा करने या उनकी आलोचना करने का सवाल नहीं उठता।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि छंटनी होने पर मुआवजे के लिए छूट की सीमा को 20,000 रुपए से बढाकर 50,000 रुपए करने से किसको लाभ होगा ? बोनस के भुगतान को गणना करने का आधार 750 रुपए से 1600 रुपए बढ़ाने से किसे लाभ होगा ? वे कौन लोग हैं जिन्हें मकान निर्माण के लिए कर मुक्त ऋण या रियायती दरों पर मिलने वाले ऋणों का लाभ मिलेगा ? वे कौन हैं जो इस प्रावधान से लाभान्वित होंगे कि वेतनभोगियों कर्मचारियों के वेतन से 2.5 प्रतिशत की मानक कटौती अब नहीं की जायेगी क्योंकि उनके नियोक्ताओं ने उनके लिए परिवहन सुविधायें उपलब्ध की हुई हैं। क्या टी. वी. और रेडियो के सम्बन्ध में दी गयी रियायतों से समूचे देश की गरीब जनता को लाभ न होगा ? वे कौन लोग हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले 3,000 रुपये मिलेंगे ? बजट में प्रस्तावित फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले लोग कौन हैं ? क्या वित्त मंत्री ने विशेष संघटक योजना लागू करने के लिए धनराशि की व्यवस्था करके अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजातियों का ध्यान नहीं रखा ? तथा यह ऐसा बजट नहीं है जिसके अन्तर्गत 20 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मूल प्रावधान करके गरीबों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई ? ऐसी बहुत सी योजनायें है जो निःसंदेह गरीबों, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिये है। लेकिन योजना चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों न हो सारी बात उसे लागू करने वालों पर निर्भर करती है। अतः एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि इस योजना को जिस प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाना है उसका गठन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि इन कार्यक्रमों का लाभ उस जनता तक पहुंच सके जिनके लिए यह बनाए गए हैं।

अन्त में स्वर्गीय प्रधानमंत्री के यह शब्द दोहराना चाहूंगा कि "बिना कोशिश और मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता"। यह कहा गया है कि खुशी पाने वाले को दुःख सहने ही पड़ते हैं। इस अर्थ में हो सकता है यह बजट खुशी देने वाला न हो लेकिन हम अपनी प्रिय

स्वर्गीय प्रधान मंत्री के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं लत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा बजट चर्चा के सम्बन्ध में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों को बहुत ध्यान से सुन रहा था।

हर साल, जब भारत सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी आलोचना भी की जाती है और प्रशंसा भी। हम विरोधी दलों की रचनात्मक सुझावों, आलोचनाओं तथा निराधार बातों को भी सुन रहे थे। इस बार आप अगर प्रेस उद्योग व्यापार तथा लोगों के इस बजट के प्रति व्यक्त की गई टिप्पणियों पर नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा बजट है जिसे भारत सरकार के ईमानदार, गम्भीर, स्पष्टवादी तथा बुद्धिमान वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया है। मैं जानता हूं कि इसके आलोचक हैं जो विपक्ष में हैं और हम उन्हें सुन रहे थे। वे लोग एक विशेष विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि हम आत्मनिर्भरता की नीति तथा समाजवाद से पीछे हट रहे हैं। हम गरीबों के, मजदूरों के विरोधी हैं। हम राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। बजट के पेश किए जाने के बाद संसद में तथा संसद से बाहर ये कुछ विचार व्यक्त किये गए हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्री को समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करना होता है। उसे राज्य सरकारों, व्यापार तथा उद्योग आम आदमी किसानों, मजदूरों तथा अपनी मंत्री परिवार के सहयोगियों को भी संतुष्ट करना होता है क्योंकि उनकी भी मांगें होती हैं। सवाल यह उठता है कि क्या वित्त मन्त्री उपलब्ध सीमित साधनों से समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट कर सकता है ? क्या वह समाज के सभी वर्गों की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सकता है ? मैं एक कदम आगे बढ़ कर कहूंगा कि इस वित्त मंत्री ने इस देश की अर्थ व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार के लिये ईमानदारी से प्रयास किया है। यह बजट आय व्यय का ब्यौरा मात्र न होकर अर्थव्यवस्था के कार्यकरण में सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया बजट हैं। किसी भी अर्थव्यस्था में सुधार तभी माना जायेगा जब वहां रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। जब तक अर्थ व्यगस्था में सुधार न हो तब तक रोजगार के अवसर पैदा नही होंगे। रोजगार के अवसरों के बिना बेरोजगारी की समस्या हल नहीं की जा सकती। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे बढना है। मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा कि समाज के कमज़ोर वर्गों और व्यापार तथा उद्योग को कौन सी सुविधायें प्राप्त हुई हैं। इसकी तो ससद में तथा संसद से बाहर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

पहला मुद्दा यह है कि क्या हमने आत्मनिर्भरता की नीति को त्याग दिया है। यहां पर कहा गया है कि हम विदेशी सहायता तथा उधार पर अधिक निर्भर हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 97,500 करोड़ रुपये का व्यापक परिव्यय रखा गया था। पहले 4 सालों में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक व्यय हुआ। पांचवें साल के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आबंटन था किन्तु

वास्तव में 30,000 करोड़ रुपये तक का व्यय होगा। इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना पर 1,10,000 करोड़ रुपये का व्यापक परिव्यय होगा। इस परिव्यय में आन्तरिक संसाधनों ने कितना योगदान किया तथा हम विदेशी उधार तथा सहायता पर कितना निर्भर रहे है ? सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि किसी सहायता पर हमारी निर्भरता, चाहे वह द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या किसी अन्य स्रोतों से मिली हो, केवल 7 से 8 प्रतिशत हैं। 93 प्रतिशत हमने आन्तरिक संसाधनों से इकट्ठा किया है। क्या यह उपलब्धि कम है ? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश ने प्रगति नहीं की है ? क्या हम कह सकते हैं कि हमने आत्मनिर्भरता की नीति त्याग दी है ? घरेलू पूंजी निवेश कितना है। कुल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशित घरेलू बचत की दर कितनी है ? यह 23 प्रतिशत है। अतः विदेशी पूंजी पर निर्भरता केवल 2 प्रतिशत हुई। कल्पना करिए अगर कुछ बहु राष्ट्रीय कम्पनियां इस देश को दी जाने वाली सहायता या पूंजी देना बन्द कर दें तो क्या होगा ? इस देश या इसकी अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि कुछ छोटे देश विदेशी निर्भरता के मामले में हमसे आगे हैं ? लेकिन उनकी हालत क्या है ? यदि विदेशी कम्पनियां उन देशों को जो सहायता दे रही हैं वे बन्द कर दे तो उनकी अर्थव्यवस्था ताश के महल की भांति भरभरा कर गिर पड़े। लेकिन अपने देश के मामले में हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता हमारा नारा है ? आत्मनिर्भरता एक नारा नहीं हो सकता ? दीवारों पर लिखने से यह प्राप्त नहीं होगी। आत्मनिर्भरता तो कार्य-निष्पादन से प्राप्त होगी। भारत सरकार पिछले बहुत सालों से बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। मैं उन माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूँ जिनका कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है तथा उसका कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा है।

यह कहा गया है कि हम सरकारी क्षेत्र, से दूर हट रहे हैं तथा गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम थे ? केवल पांच सरकारी उपक्रम थे जिनमें 29 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश था। आज उनमें 35,400 करोड़ की पूंजी लगी हुई है। क्या कोई कह सकता है कि हम सरकारी क्षेत्र से दूर हट रहे हैं ? कुछ लोगों का कहना है कि हम मजदूर विरोधी हैं। यह बात हम पिछले बहुत सालों से सदन में सुनते आ रहे हैं। यदि वित्त मंत्री का भाषण तथा बजट देखें तो आप पाएंगे कि मजदूरों को बहुत से प्रोत्साहन दिए गए हैं। उन्हें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी यह कहा जाता है कि हम श्रमिक विरोधी हैं ! आप कृपया यह नोट करें कि जब विपक्ष के माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपनी बात कही तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी मजदूरों तथा वित्त मंत्री महोदय के साथ चर्चा हुई थी और वित्त मंत्री जी के समक्ष यह निवेदन किया गया कि अनिवार्य जमा योजना को वापिस ले लिया जाए। उस योजना को वापस ले लिया गया है। मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता उन्होंने तीन मुद्दों के बारे में कहा हैं जिन पर विचार किया गया है। तब भी क्या हम मजदूरों के विरोधी हैं ? अगर आप हमें मजदूरों के विरोधी कहते हैं तो आप 1972-84 के बीच के 12 वर्ष के इन्दिरा जी के शासन की अवधि·· (व्यवधान) मैं उन्हें धैर्य से सुन रहा हूँ, मैं अनुसासन में भी हूं और मैंने कभी भी जब वे बोल रहे थे विघ्न नहीं

डाला। तो मैं कह रहा था कि इस 12 वर्ष की अवधि में मजदूर की मजदूरी 3½ गुणा बढ़ी है··· (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कीमत वृद्धि के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जी हां। मैं जानता था कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। कीमतें बढ़ रही है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे व्यवधान न डालें। उन्हें भाषण समाप्त करने दीजिए। जब वह बोल रहे हैं तो उस समय यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी बात सुने ! अगर कोई प्रश्न पूछने चाहें तो आप उसे नोट कर सकते हैं और उनकी बात समाप्त हो जाने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : इस अवधि के दौरान कीमतें 2½ गुणा बढ़ गई हैं। लेकिन मजदूरी 3½ गुणा बढ़ गई। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अन्तर्गत भारत सरकार मजदूरों के विरुद्ध नहीं हो सकती है।

अब यह कहा गया है कि हम राज्यों को कुछ नहीं दे रहे हैं। हम राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही वे कहते हैं कि केन्द्रीय योजना परिव्यय में कटौती की गई है हमने केन्द्रीय योजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की है। इसके अतिरिक्त पिछले दो या तीन दिन से वे यह कह रहे हैं कि राज्यों को पर्याप्त परिव्यय नहीं दिया गया है। केन्द्र सब कुछ अपने ही हाथों में केन्दित कर रहा है, यह राज्यों के लिए कुछ नहीं कर रहा हैं।

लेकिन असली स्थिति क्या है ? राज्यों के लिए योजना परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता 39 प्रनिशत तक बढ़ दी गयी है। केन्द्रीय राज्य सम्बन्धों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ ! हम राज्यों को और धन देने की स्थिति में है और फिर भी हमें यह शिकायत की जा रही है कि हमने कुछ नहीं किया है। कृषि पानी की सप्लाई शिक्षा आदि के उदाहरण लें ! ये सभी राज्य क्षेत्र या राज्य के विषय हैं जिनके लिए हमने धन की व्यवस्था की है। राज्यों को किसानों, ग्रामीण लोगों विशेषकर जनसाधारण अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग की देखभाल करनी होती है।

राज्यों को कितनी राशि दी गई हैं ? जहां तक योजना का सम्बन्ध है केन्द्र से राज्यों को 1984-85 में 13,176 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई जो 1985-86 में बढ़ कर 17,476 करोड़ रुपए हो गई अर्थात 1985-86 में 4300 करोड़ रुपये अधिक दिये गये। चालू वर्ष में राज्य योजना के लिए 4313 करोड़ रुपए दिये जा रहे हैं जो अगले वर्ष बढ़ कर 6000 करोड़ रुपए हो जाएगी जो कि 39 प्रतिशत की सुसपष्ट बढ़त है। इससे यह पता चलता है कि विपक्ष हमारी आलोचना केवल आलोचना अथवा विरोध के लिये करता है। इसीलिए प्रो. रंगा ने शुरू में अपनी ओर से ही यह सुझाव दिया था कि रचनात्मक आलोचना ही की जानी चाहिए।

अब हम इस बात पर आते हैं कि हम किसानों को क्या देते हैं। जहां तक वित्तीय सहायता का संबंध है, आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत हम जो कुछ किसानों को देते हैं। उसमें से 25 प्रतिशत तक राज सहायता है। मान लो कि हमने एक छोटे किसन को 4000 रुपए दिए जिसमें से 1000 रुपए राज सहायता की राशि होगी जो केन्द्र और राज्य द्वारा बराबर दी जाती है। अगर वह सीमान्त किसान है तो उसे 33⅓ प्रतिशत तक की राज सहायता दी जाएगी अगर ऋण की राशि 3 00 रुपए है तो उसमें 1000 रुपए राज सहायता होगी। जनजातीय मामले में 50 प्रतिशत तक की राजसहायया होगी ! फिर भी अभी तक यह कहा जाता है कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त किसानों के लिए आय-कर, धन-कर अथवा संपदा कर नहीं है हालांकि अन्य लोगों के लिए भी संपदा कर हटा लिया गया है। अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग की सप्लाई कि जाने वाले प्रति एक किलोग्राम चावल में 60 पैसे की और गेहूं में 54 पैसे कीराज सहायता दी जाती है। राज्यसाकारों को यह सोचना चाहिए कि वे किसानों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। नहीं, वे नही दे रहे हैं। चावल का विक्रय मूल्य 2·08 रुपए है। लेकिन इस कीमत से बेचने से पहले हम 80 पैसे की राज सहायता दे रहे हैं। अब आप कपड़े को लें। कुछ राज्य सरकारों ने कहा है कि वे साड़ियों की पूर्ति में राज सहायता दे रहे हैं। यहां मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कपड़ों के मामलें में केन्द्रीय सरकार लगभग 105 करोड़ रुपए की राज सहायता दे रही है। मिल पर बने कपड़ों के सम्बन्ध में कपड़े के प्रति वर्ग मीटर पर 2 रुपए की राज सहायता दी जाती है। हथ करघे से बने कपड़ों में 20 प्रतिशत छूट दी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किसानों को क्या दे रहे हैं। उर्वरक के मामले में स्वदेशी और आयातित दोनों में प्रति किलोग्राम उर्वरक में हम 95 पैसे प्रति किलोग्राम की राज सहायता दे रहे हैं। अन्य राज्यों में उर्वरक के 50 किलोग्राम के प्रत्येक बेग पर लगभग 50 रुपए की राज सहायता दी जा रही है।

अब जहां तक पोस्ट कार्ड का सम्बन्ध है इस निर्धन लोग उपयोग करते हैं। ग्रामीण लोग भी इसका इस्तेमाल करते है। पोस्ट कार्ड की अब क्या कीमत है ? हम इसे 15 पैसे पर बेच रहे हैं लेकिन इसमें व्यवस्था लागत सहित उत्पादन की आर्थिक लागत 50 पैसे आती है। इसका यह मतलब है कि एक पोस्ट कार्ड पर 44 पैसे की राज सहायता है। वित्त मंत्री को केवल डाक खर्च से 187 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ता है। ये कुछ कारण हैं जो हमें बताते हैं कि हम संभ्रांत लोगों की नहीं बल्कि निर्धन लोगों की सहायता करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम समाज के कमजोर वर्गों के समर्थक हैं।

अब मैं ब्याज की विभेदी दर की योजना पर आता हूं। हम समाज के निर्धन वर्गों को 4 प्रतिशत के मात्र की विभेदी दर पर ऋण दे रहे हैं। हम जमाकर्त्ताओं को पांच वर्ष की अवधि पर 11 प्रतिशत ब्याज की दर दे रहे हैं। इनके अलावा हमें फर्नीचर की लागत आवास और कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक 100 रुपए जमा होने पर हमें लगभग 13 से 14 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अतः जबकि हम समाज के कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत विभेदी ब्याज की दर पर ऋण दे रहे हैं तो हम 13 से 14 प्रतिशत की लागत

पर जमा स्वीकार करना पड़ रहा है। क्या हम समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम नहीं कर रहे हैं ? लगभग 39 लाख निर्धन लोग इस डी आर आई योजना का लाभ उठा रहे हैं।

4.00 म. प.

आई. आर. डी. पी के अन्तर्गत कई लोगों को अब राज सहायता दी गई है। हमें प्रति वर्ष निर्धन लोगों के 500 परिवार लेने पड़ते हैं। देश में 5,011 ब्लाक है। छठवी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता बैंकों से इस दर पर 3000 करोड़ रुपये की राशि लेनी पड़ी होगी। हम कितनी धनराशि देने में समर्थ हो सके हैं। हमें अभी तक कितने परिवारों को शामिल करना है ? हमें 1½ करोड़ परिवारों को शामिल करना है। हमने उनको पहले से ही शामिल किया है। फ़रवरी 1985 तक लक्ष्य मार्च 1985 तक पूरा करना होता है। हमें उन सबको इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ दे चुके थे। यह आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत कार्य किया गया है। क्या कोई कह सकता है कि हम कमजोर वर्गों के लिए नहीं हैं ? क्या कोई कह सकता है कि हम निर्धन लोगों के विरुद्ध हैं ? और श्रमिक क्षेत्र में कितने लोग हैं सरकारी कर्मचारी कितने हैं ? सार्वजनिक उद्यम, रेलवे तथा डाक विभागों में 2½ करोड़ लोग कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या 35 लाख है। सरकारी क्षेत्र में 2½ करोड़ लोग काम कर रहे है और उन्हें कुछ छूट दी गई है। अब हमें यह देखना है कि कर कौन दे रहा है। हमने कुछ रियायतें दी है। हम किसको यह रियायत दे सकते हैं ? हम यह रियायत उस व्यक्ति को दे सकते हैं जो कर देता है। अन्यों के कर रियायत नहीं दी जा सकती है। इस कर के जाल में से कितने लोगों को बाहर निकाले गये हैं। 10 लाख कर्मचारी या 10 लाख लोग कर निर्धारिती क्या यह सामान्य उपलब्ध है ? और यही वे लोग हैं जो यह कहते रहे है कि कर के ढाचे में परिवर्तन किया जाए। तथा विपक्ष पार्टी के सदस्य जनता पार्टी के सदस्यों तथा बी. जे. पी. लोगों के साथ मिल कर यह कह रहे हैं कि नियमित कर सबसे अधिक है और वे कहते रहे हैं कि इसे कम किया जाए। जब आप इसे कम करोगे तो आप अधिक कर इक्ट्ठा करोगे। यह आपका सिद्धान्त रहा है। आप इसे पिछले 37 वर्षों से कह रहे हैं और आप दावा करते रहे हैं कि जब तक इसे कम नहीं किया जाएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। इस बारे में आपका यह सिद्धांत है। जी हां, हमने इस वर्ष चुनौती स्वीकार कर ली है। हमने चुनौती को स्वीकार कर लिया है, सरकार किसी तथ्य को नहीं छुपाएगी, हमने नियमित क्षेत्र के लिए कर कम कर दिया है लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी है : हमने आपके करों को कम कर दिया है, अब ईमानदार बनो और करों का भुगतान करो। अब हमें और अधिक कर इकट्ठा करने होंगे। हमने गंभीरता से कमियों को दूर किया है; कठिनाइयां को दूर कर दिया गया है और अब करापवंचकों को और सख्त सजा दी जाएगी। और हम सदन की सूचना के लिए कह सकते हैं कि दो महीने की छोटी सी अवधि के दौरान 1133 छापें मारे गए है आप सुनते होगे कि सीमा शुल्क छापे मारे गये हैं। उनके बारे में आप लगभग रोजाना ही सचार सुन रहे होंगे। उनके समाचार टेलीविजन, रेडियो और सारे समाचार पत्रों में आ रहे हैं। हम बहुत सावधान और चौकस हैं लेकिन साथ-साथ हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।

हमने रियायतें दी हैं, कर कम किए हैं लेकिन इसके साथ-साथ हमने कुछ अन्य रियायतें वापिस ले ली हैं। अब यह कहा जाता है कि नियमित क्षेत्र से कर इकट्ठा करने के संबंध में हम हानि उठा रहे हैं। नहीं, हम हानि नहीं उठा रहे हे। इसके विपरीत हमें 251 करोड़ रुपये की वसूली करना है यही नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी हमारे पक्ष में है। उच्चतम न्यायालय की मदद से हम और अधिक कर राशि इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा इस देश में होगा।

महोदय, यह कहा जाता है कि विशेषकर हमारी सरकार व्यापार और उद्योग के पक्ष में है। जी हां, हमें व्यापार और उद्योग, श्रमिक, किसान, साधारण व्यक्ति तथा गरीबी सेवा से नीचे रहने वाले सभी निर्धन लोगों की ओर ध्यान देना है। ऐसा कैसे किया जा सकता है? आरम्भ में मैंने कहा है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों को सुलभ करना होगा। हमें उत्पादन में सुधार करना है। हमें इस देश में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। हमारे पास उत्पादिकता होनी चाहिए। हम विकास के निश्चित सिद्धान्त के साथ 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। यहां भी प्रगति सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार होगी। हम सामाजिक उद्देश्य को नहीं छोड़ रहे हैं।

महोदय, हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उल्लेख किया गया है। जी हां, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य हैं।

इसका इतिहास पिछले 100 वर्षों से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास देश का इतिहास है, हमने इस देश के लोगों से राजनैतिक दासता से मुक्ति का वायदा किया था। हमने इस देश के लोगों को आर्थिक गुलामी से छुटकारा देने का वायदा किया था। हम राजनैतिक दासता से आजाद हुए। हम आर्थिक गुलामी से आर्थिक आजादी प्राप्त करने जा रहे हैं। उस प्रयोजन के लिए हमने यह बजट पेश किया है। यह वह बजट है जिसमें एक नया आरम्भ है। यह बजट एक नई दिशा देता है। यह राष्ट्र के लिये दिशा का निर्देश करता है। यह 70 करोड़ जनता का राष्ट्र है। यह वह राष्ट्र है जहां गरीबी रेखा से नीचे लगभग 31 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब हमें उन लोगों की देखभाल करनी है हमें इन लोगों की देखभाल कर रहे हैं। हम इसके लिए बचनबद्ध हैं। इसीलिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को सदन में प्रस्तुत किया है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। यह कहा गया है कि एन. आर. ई. पी. कार्यक्रम के लिए समुचित धन की व्यवस्था नहीं है। यह कहा जाता है कि आई. आर. डी. पी. कार्यक्रम के लिए समुचित धन की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समुचित धन की व्यवस्था की गई हैं। हम इन कार्यक्रमों को करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम राष्ट्र और सदन को यह आश्वासन देते है कि हम इन कार्यक्रमों की हैं स्वाभाविक जरूरतों को पूरा करने जा रहे है। वास्तविक आवश्यकताओं को हमारे द्वारा पूरा किया जाएगा और हम आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहे हैं।

इसके अलावा एक और कार्यक्रम है जिसे शिक्षित बेरोजगार युवकों का कार्यक्रम कहा जाता है। यह कमजोर वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए है। यह पुलिस के बच्चों, प्रैसमेन के बच्चों,

क्लर्क के बच्चों के लिए हो सकता है अगर वे बेरोजगार हैं। वह बीड़ी भरने वाले का बच्चा हो सकता है। उनके लिए भी हमने कुछ राशि दी है। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर अशिक्षित बेरोजगार हो तो आप उन्हें कैसे संभालेंगे। इस सम्बन्ध में कुछ व्यापार लघु उद्योग आदि की व्यवस्था की जा सकती है। उन्हें उसे बैंकों से सहायता दी जाएगी। 25000 रुपए में से 25 प्रतिशत राज सहायता की राशि होगी। कितने लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा ? कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं ? चालू वर्ष में 2,42,000 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। हम कह सकते हैं कि सहकारिता क्षेत्र और बैंकों से लगभग 401 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए निकाली गई है।

महोदय, यह मेरी आखिरी बात है। पेट्रोलियम उत्पादों को मूल्य वृद्धि के बारे में हमारे माननीय सदस्यों और राष्ट्र को यह बात समझनी चाहिए कि विनिमय दर में परिवर्तन हो रहा है डालर की विनिमय दर बढ़ गई है। हमें अधिक धनराशि का भुगतान करना होता है। विनिमय दर में इस परिवर्तन के कारण हमें 1000 करोड़ रुपये अधिक देने होते हैं। इसे कैसे प्राप्त किया जाए ? इतनी धनराशि कहां से प्राप्त कर सकते हैं ? किसी को इसका भुगतान करना चाहिए, इसका उपभोक्ता को भुगतान करना चाहिए ! अन्यथा और अधिक घाटा होगा। क्या हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ? क्या हमें चुप रहना चाहिए ? अगर हम चुप रहेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा ?

मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ! कृपया ध्यान मे रखें कि वर्ष 1979 में जबकि जनता सरकार को उस समय मुद्रास्फीति 21.4 प्रतिशत थी। उस अवधि में कुछ नहीं किया गया था। भारत सरकार उस समय चुप बैठी रही ! अगले वर्ष हमारी सरकार सत्ता पर आई और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई ! जून 1980 और 1981 के बीच 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के क्रम में तीन बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। इसका क्या प्रभाव हुआ ? मुद्रास्फीति 21.4 प्रतिशत से घट कर 16.7 प्रतिशत हो गई। यह कहा गया था कि मुद्रास्फति और बढ़ेगी लेकिन मुद्रास्फीति नीचे आई। मैं इस मुद्दे को इसलिए बता रहा हूँ कि यह अच्छी अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध का नतीजा है हमें यह देखना है कि क्या वहां अच्छा प्रबन्ध है या खराब प्रबन्ध है। अगर आप इसका उचित प्रबन्ध करने जा रहे हैं तो मुद्रास्फीति नहीं होगी।

चालू मुद्रास्फीति क्या है ? यह 5.5 प्रतिशत है। मुद्रास्फीति होगी और कीमतें बढ़ेंगी। कुछ सीमा तक कीमतें बढ़ेंगी। हम यह नहीं कहते हैं कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी ! यह बढ़ेंगी ! लेकिन हम अगर चुप बैठेंगे तो फिर क्या होगा ? घाटा और अधिक हो जाएगा। 1979 वर्ष में घाटा लगभग 2,475 करोड़ रुपये था। अगर हम भी चुप बैठे रहते तो घाटा और अधिक होता। तब विपक्षी दलों के लोग यह कहते कि घाटा बहुत बढ़ गया है। अब हम राष्ट्र को अधिक देने के लिए कह रहे हैं विनिमय दर में परिवर्तन के कारण हमें 1000 करोड़ रुपये देने हैं। हमें अधिक देना है। इसलिए हमें कुर्बानी करनी होगी।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान इस देश के लोगों में देशभक्ति की भावना थी। इससे

क्या हो गया ? क्या हम राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी योगदान नहीं कर सकते। देश की छवि का प्रश्न है। व्यापार को देना है, सभी को देना पड़ेगा। माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बात कही है कि सभी परिवार इससे प्रभावित हैं। हां। मैं गरीब से गरीब व्यक्ति को मिला हूं। मैंने उसे बताया है कि तुम्हें अधिक देना पड़ेगा। उसने कहा—हां मैं अधिक दूंगा। मैं देश भक्त हूं। मेरा योगदान देश के विकास के लिए होगा। समाज के हर वर्ग के बीच यही भावना होनी चाहिए।

हमें वित्त मन्त्री बधाई देनी चाहिए। इन हालतों में किसी और वित्त मन्त्री की क्या स्थिति होती ? आप अपने आपको इस स्थिति में रखिए। तुम क्या करते ? यह वह आदमी है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा दी है। उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। आओ, अधिक उत्पादन करें जिससे अधिक खाद्यान्न पैदा हो आओ, एक कार्यकुशल तथा साफ-सुथरा प्रशासन बनाएं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री अमल दत्त : क्या उन्होंने अपना भाषण मन्त्री के रूप में दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तिम उत्तर मिल जाएगा।

श्री कावन्नुर जनार्धनन (तिरुनेलवेली) : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से श्री राजीव गांधी के बजट—जो कि बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है—का समर्थन करता हूं।

जैसा कि भूतपूर्व मन्त्री, श्री एच. एम. पटेल ने बताया कि यह बजट विभिन्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने उस नई सरकार को भारी बहुमत दिया है। इस बजट से लोगों को यह विश्वास हो गया है कि इस पार्टी के चुनावों के लिए 1984 में जो भी निर्णय लिया वह उचित है तथा यह सरकार भारत को एक नया भारत बनाएगी।

माननीय वित्त मन्त्री ने हमें बताया है कि इस वर्ष जो अच्छी फसल हुई है उससे घाटे की कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति के प्रभाव कम होंगे। एक पुरानी कहावत है कि भारतीय बजट मानसून पर निर्भर है। अपनी सम्पन्नता के लिए हमें कृषि उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे नए प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी प्राय: यह कहते हैं कि यह किसानों की सरकार है। वह केवल यही कहकर नहीं रुक जाते। वह जो कुछ कह रहे हैं, उसे उन्होंने एक नई योजना फसल बीमा योजना लाकर के साबित कर दिया है। जो भी प्रौद्योगिकी हमारे पास है उसको यदि यह स्कीम लागू कर दी जाए तो हमारे समाज के निचले वर्ग के लोगों को फायदा होगा। क्या यह वह क्रान्ति नहीं ला रही है जिसके विषय में हमने कभी नहीं सुना था ? श्री राजीव गांधी ने यह स्कीम केवल मुठ्ठी भर सलाहकारों के कहने पर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सलाह से किया है जिनसे उन्हें आम चुनाव के दौरान मिलने का अवसर मिला था। ये भारत के लोग हैं जिनकी सलाह से श्री राजीव गांधी ने यह स्कीम लागू की। इसीलिए मैं सरकार को सलाह दूंगा फसल बीमा योजना को ईमानदारी से लागू किया जाए।

फसल बीमा योजना सर्वप्रथम शुष्क क्षेत्रों—अर्थात उन क्षेत्रों में जहाँ आजकल चार तरीकों से अर्थात—वर्षा के पानी कुएं के पानी झीलों के पानी तथा भूमिक्त जल से सिंचाई करके फसल उगाई जा रही है। ऐसे क्षेत्र, विदर्भ राज्य, आन्ध्र प्रदेश के कुछ भाग तथा तमिलनाडु में स्थिति हैं। सबसे पहले इन क्षेत्रों में फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए।

भारत सरकार ने फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गेहूँ, दालें तथा तिलहन फसलें शामिल की हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि सरकार कपास को शामिल नहीं किया है जो कि देश की एक मुख्य कृषि उपज है तथा जिसकी खपत हमारा वस्त्र उद्योग करता है। कपास भारत का प्रमुख उद्योग है। कपास बहुत कम कीमत में महाराष्ट्र, आँन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात तथा पंजाब में जाता है। यहाँ तक कि भारत कपास निगम तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम कपास के उचित दाम नहीं दे रहे हैं तथा वे किसानों को भी लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे किसानों से सीधे न खरीद कर बिचोलियों के माध्यम से खरीदते हैं।

इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह कपास बोर्ड की स्थापना तत्काल करे। वर्तमान में चाय बोर्ड है,काफी बोर्ड है लेकिन दुर्भाग्यवश कोई कपास बोर्ड नहीं है। तमिलनाडु का किसान होने के नाते से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि किसानों के लिए कपास बोर्ड अति आवश्यक है तथा फसल बीमा योजना ईमानदारी से लागू होनी चाहिए। फसल बीमा योजना की व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए तथा यह कुछ गलत लोगों के हाथ में न दी जाए।

20—सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के सम्बन्ध में ऋण अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोगों को दिये जा रहे हैं। फसल बीमा योजना जब भी लागू की जाए, यह उचित ढंग से लागू होनी चाहिए तथा शुष्क फसल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कपास की फसल भी इस स्कीम में शामिल की जानी चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि एक नक्दी फसल लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि देश में उत्पन्न होने वाली पूरी की पूरी कपास हमारे देश में ही वस्त्र उद्योग में प्रयोग हो जाती है। सन् 1964 तक हम 80 से 100 कांउट् के सूत के उत्पादन के लिए हम विदेशों से कपास आयात करते रहें। अतः हम यहां हर वस्तु उत्पन्न करते हैं। हम एक पौंड भी कपास आयात नहीं करते। तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में पैदा होने वाली सुविन कपास से बहुत ही बढ़िया किस्म का 120 कांउट तक धागा बनता है। इन किसानों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करूंगा कि एक कपास बोर्ड स्थापित किया जाए तथा कपास उत्पन्न करने वाले किसानों को उचित दाम देकर बचाया जाए। उन्हें उचित दाम तभी मिल सकते हैं भारतीय कपास निगम तथा राष्ट्रीय कपास निगम सही और उचित रूप से कार्य करें।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 'त्वरित ग्रामीण, जल सप्लाई कार्यक्रम' पर लगभग 925 करोड़ रुपए खर्च किए गए जबकि प्रारम्भ में केवल 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, फिर भी हजारों गाँव इस प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं लाये जा सके। इसीलिए केन्द्रीय सरकार

का यह कर्त्तव्य है कि वह इस कार्यक्रम के लिए राज्यों की उपाखाते मदद करें, ताकि सन् 1990 तक छोटी से छोटी पंचायत भी पीनेके पानी की सुविधाओं से वंचित न रहे।

एक बार फिर मैं यह कहूंगा कि यह बजट अच्छे परिणाम देने वाला है। केवल पेट्रोलियम की कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि की गयी है। परन्तु वित्त मन्त्री ने स्थिति का ब्यौरा दे दिया है।

मुझे विश्वास है कि नया भारत अधिक ताकतवर होगा। सन् 1948 में जब हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था तो हम रेडियो पर यह समाचार सुनकर बहुत रोए थे। परन्तु सन् 1984 में जब हमारी इन्दिरा जी का कत्ल किया गया तो हम टेलीविजन पर सारा दृश्य देखकर, रोए। यह है तरक्की, जो भारत ने की। मुझे विश्वास है कि हम प्रगति के पथ पर इसी तरह और आगे बढ़ते जायेंगे।

श्री तरुण कान्ति घोष (बारासट) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मन्त्री जी को इतना सन्तुलित बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं केवल इस बात से ही नहीं कि इसमें खर्च के लिए राजस्व प्राप्त करके घाटे की पूर्ति की व्यवस्था की गई है बल्कि इसलिए कि इसमें विभिन्न वर्गों के लोगों के हित के लिए कोशिश की गयी है। इसमें श्रमिकों, कृषकों तथा मध्यम-वर्ग के लोगों के लिए बहुत सी अच्छी चीजें की गई है। इसमें उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया है।

मैं माननीय मन्त्री जी को, विशेष रूप से, फसल बीमा योजना लागू करने के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके लिए काफी समय से शेष व्यक्त करते आ रहे हैं। लेकिन मैं माननीय राज्य मन्त्री, जो यहां पर मौजूद हैं, से आग्रह करूंगा कि जूट को भी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। मेरे राज्य में जूट भी मुख्य फसलों में से एक है और इसीलिए, मैं उनसे यह विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ।

हमारे देश के विकास की आवश्यकता तब समझी गई जब भारत स्वतन्त्र हुआ था तथा इसका मुख्य लक्ष्य था कि सारे भारत का विकास समान रूप से हो। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि भारत का पूर्वी हिस्सा, केवल पश्चिमी बंगाल ही नहीं, बल्कि बिहार, उड़ीसा, आसाम, उत्तर-पूर्वी राज्य और उत्तर प्रदेश, हमारे देश के अन्य भागों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े हैं। पंजाब का आर्थिक विकास देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि यह भी भारत का एक अंग है तथा पंजाब को मैं अपना राज्य समझता हूँ। जब मैं बम्बई जाता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि बम्बई बिल्कुल यूरोपीय शहर लगता है लेकिन मैं यह कहूँगा कि पूर्वी भारत के इस पिछड़े हिस्से के आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद पूर्वी भारत को जो क्षेत्रीय सुविधायें मिली हुई थी वे भी इस्पात तथा कोयले की कीमतों में समानता के कारण छिन गई। जब डा. राय जिन्दा थे वे इसके विरुद्ध लड़ते रहे तथा उसके बाद भी सभी राज्य सरकारें जिसमें श्री ज्योति बासु भी

शामिल है इस गलत चीज के विरुद्ध आन्दोलन करते रहे हैं। अगर सभी चीजों के दाम बराबर हो, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, परन्तु क्या तुम्हें कपास बंगाल में उसी दाम पर मिलेगी जो कपड़ा मिल मालिकों को बम्बई या अहमदाबाद में मिलता है ? क्या यह एक मजाक नहीं है कि जो आदमी कोयले की खान से 10 मील के फासले पर रहता है उसे उसी वस्तु का दाम अधिक देना पड़ता है उस आदमी की अपेक्षा जो बम्बई में रहता है हम सभी भारतीय हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है तथा सभी को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन इस समानीकरण ने पूर्वी भारत को मिली सहज सुविधाओं को समाप्त कर दिया है। मेरे विचार से इस विषय में कुछ किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी तथा उन्होंने सिफारिश की थी कि यह समाप्त होना चाहिए परन्तु इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में अधिक रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मैं वित्त मन्त्री को ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं जो मेरी राय में उद्योग को बढ़ावा देगा परन्तु उद्योग के अतिरिक्त पूर्वी भारत के लिए कुछ विशेष कदम उठाने चाहिएं, क्योंकि मेरे राज्य तथा मेरे राज्य के इर्द गिर्द बेरोजगार विशेषकर शिक्षित बेरोजगार भारत में सबसे अधिक है।

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक शब्द कहूंगा। मेरे राज्य में लगभग 1/5 जनसंख्या शरणार्थियों की है। वे लोग पूर्वी बंगाल, जो अब बंगलादेश है, से आए हैं। इन लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं परन्तु यहाँ कोई शरणार्थी विभाग नहीं हैं। तब तक इनकी समस्या को हल नहीं किया जाएगा बंगाल की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। मैं इसके विषय में बहुत अधिक महसूस करता हूं तथा इन लोगों के हक में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ताकि इनका आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बात समाप्त कीजिए।

श्री तरुण क्रान्ति घोष : महोदय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की स्थिति के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूँ वहाँ पर अधिकांश लोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं तथा जब सरकार का लक्ष्य पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का है तो मेरा विचार है कि इस वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष कार्य किया जाना चाहिए।

इससे पहले कि मैं समाप्त करूं और माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे डीजल के तेल के दामों में कमी करने पर विचार करें, क्योंकि शहर में खाद्य तथा अन्य सामग्री लाने के लिये, डीजल का तेल आवश्यक है। जब तक आप डीजल की कीमतों में कमी नहीं करेंगे, तब तक अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ कि पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि न हो लेकिन सरकार को डीजल के तेल के दामों में वृद्धि को रोकना चाहिए।

महोदय, मेरा अन्तिम आग्रह कलकत्ता के विकास के बारे में है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने

कहा है तथा चूंकि मैं बंगाल राज्य से हूं मुझे इस बात का दुःख है कि मेरा शहर जो कभी अंग्रेजी साम्राज्य के समय द्वितीय उत्कृष्ट शहर था अब इस हालत में है। इसमें सन्देह नहीं है कि इसकी दशा खराब है। इस शहर का फिर से उत्थान करने के लिए हमें कुछ न कुछ विशेष कार्य करना चाहिए क्योंकि यह शहर कभी केवल पूर्वी भारत का ही गौरव नहीं बल्कि समस्त भारत का गौरव था।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री का इतना साहसपूर्ण तथा कल्पनाशील बजट लाने के लिये धन्यवाद करता हूं जोकि हमारे देश की भलाई करेगा।

4.30 म. प.

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट का सूक्ष्म अध्ययन किया है तथा मैंने वित्त राज्य मंत्री श्री जनार्दन पुजारी का भाषण भी सुना है। यह एक दम स्पष्ट है कि यह बजट धनवानों का बजट है। यह बजट कुलका के लिए है। यह बजट एकाधिकार गृहों का बजट है। यह बजट बड़े व्यापारिक घरानों का बजट है। इस बजट में गरीब किसानों तथा कृषि मजदूरों और बटाईदारों के लिए कुछ मगरमच्छी आंसू जरूर बहाए गए हैं।

सभी को पता हैं कि इस बजट में 3600 करोड़ रुपए से भी अधिक का बड़ा भारी घाटा दिखाया गया है तथा सभी साधनों से जुटाया गया ऋण लगभग 10,900 करोड़ रुपये है। मैं नहीं समझता कि आप उस खाई को कैसे पाटेंगे ? यह बजट आम आदमी के लिये नहीं है। यह तो मिल मालिकों, काला-बाजारियों और जमाखोरों का बजट है।

वित्त राज्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि वे विपक्षी सदस्यों से भी कुछ सुझाव प्राप्त करना चाहेंगे। पहली बात, जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपने जो संविधान की प्रस्तावना में "समाजवाद" शब्द शामिल किया है उसके स्थान पर अब आपने "पूंजीवाद" शब्द स्थापित कर दिया है। उसे वहां से हटाया जाना चाहिए। यह मेरा पहला सुझाव है। जो घाटे की बड़ी खाई आपने छोड़ दी है उसे केवल नए कर लगाकर अथवा नए नोट छाप कर ही पूरा किया जा सकता है, और इससे आम आदमी के दुःख और बढ़ जायेंगे।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अमर राय प्रधान : मैं मानता हूं कि आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा यदि चालू वर्ष में भी उत्पादन में ऐसी ही वृद्धि हो तो आप घाटे को पूरा कर सकते हैं। क्या माननीय मंत्री मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में आगे आने वाले वर्षों में उत्पादन बहुत अधिक होगा ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी खेती अधिकतर प्रकृति पर ही निर्भर है और यदि बाढ़

आ जाए अथवा सूखा पड़ जाए तो हमारी सभी आशायें धरी रह जायेंगी। एक मिनट के लिए मान लो उत्पादन अधिक होता है तो उससे क्या हो जायेगा ? मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। 'नाफेड' का कहना है कि जब कभी भी उत्पादन बढ़ा है, उसके परिणामस्वरूप कीमतों में असमान गिरावट आयी है। नाफेड ने आगे कहा है कि यदि यही स्थिति जारी रही तो इससे उत्पादन रुक सकता है और सम्पूर्ण कृषि उत्पादक निर्धन हो जायेंगे।

तत्पश्चात् कृषि मूल्य आयोग के सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कृषि मूल्य आयोग केवल उद्योगपतियों की सहायता करने के लिए ही है। यह किसानों की मदद नहीं करता। यह एक सफेद हाथी है। इस कृषि मूल्य आयोग को 'सफेद हाथी' ही कहना चाहिए। (**व्यवधान**) इस देश के गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा—"हमें प्रगति में योगदान करना चाहिए।" परन्तु तथ्य यह है कि कांग्रेस के पिछले 30 वर्षों के शासन में गांव का गरीब आदमी इतना गरीब हो गया है कि अपना कंधा देश की प्रगति के लिये देने की बात कौन कहे, वह खड़ा होने में भी समर्थ नहीं है। वे अब पूरी तरह जमीन पर लेट गए हैं तथा वे बोल भी नहीं सकते। यह बजट एक पूंजीवादी बजट है। पूंजीवाद का चक्र इस देश में गरीबों को अधिक से अधिक पीस रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि उनका दर्शन विकास का दर्शन है। परन्तु मैं आपको प्रधान मंत्री द्वारा कलकत्ता के बारे में कहे गए शब्दों की याद दिलाता हूँ। प्रधान मंत्री ने कहा, "कलकत्ता शहर मर रहा है" मुझे उनकी इस टिप्पणी पर खेद है। यह एक बचकानी टिप्पणी है। (**व्यवधान**)

आपको पता है ···· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : शांत, शांत।

श्री अमर राय प्रधान : सभापति महोदय, आपको इस बात का पता है कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल का दिल है। मत भूलिये कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, रविन्द्र नाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और नजरुल इस्लाम बंगाल के थे।

(**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है :—

उन्हें इस सदन के नेता द्वारा दूसरे सदन में की गई टिप्पणी का कोई उल्लेख अथवा टिप्पणी नही करनी चाहिए। (**व्यवधान**) कृपया व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। मैं बड़े ध्यानपूर्वक माननीय सदस्य की बात सुन रहा हूँ। यदि इन्हीं बातों पर चर्चा की जानी है तो पहले नोटिस देना उसके पाठ को देखना अच्छा होता है।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यह अखबार की खबर है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : राज्य सभा एक अलग सदन है। यदि लोक सभा में ऐसी टिप्पणी की जाती है तब तो ठीक है परन्तु दूसरे सदन में की गई टिप्पणी पर इस सदन में तब

तक आलोचना नहीं की जा सकती जब तक कि इसके लिए उचित पूर्व सूचना न दे दी गई हो। इसकी अनुमति नहीं है और वे इस प्रकार चर्चा भी नहीं कर सकते। यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय : यह सच है कि जो कुछ दूसरे सदन में होता है उस पर इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री अमर राय प्रधान : मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी राज्य सभा का उल्लेख नहीं किया हैं। मैंने दूसरे सदन के बारे में कुछ नहीं कहा।

सभापति महोदय : मैंने उनकी टिप्पणी को कार्यवाही से नहीं निकाला है।

अब श्री भरत सिंह

कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को यह ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी ने उनको केवल पाँच मिनट बोलने की अनुमति दी है : चार मिनट के बाद मैं पहली घंटी बजाऊंगा। माननीय सदस्य केवल एक मिनट के समय में अपनी बात कह दें।

श्री एच. ए. डोरा (श्री काकुलम्) : यदि आप केवल पांच मिनट ही देंगे तब तो यह भेदभाव ही होगा, क्योंकि कुछ अन्य माननीय सदस्यों को पांच मिनट से ज्यादा समय दिया गया है।

सभापति महोदय : पार्टी ऐसा करने के लिए सक्षम है।

अब श्री भरत सिंह। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय सभापति महोदय, जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, साथ ही मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने कांग्रेस पार्टी के श्री भरत सिंह का नाम पुकारा था। यदि आप ही का नाम भरत सिंह है तो मुझे वास्तव में खेद है।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : शायद आपने बैरागी कहा था।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस बजट के बनाने के समय गरीब किसानों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों, छोटे-छोटे उद्योगों और दुकानदारों का ध्यान रखा है। वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उन वायदों को भी पूरा किया है जो हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में थे।

आप जानते हैं हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तेहत और हमारे आज के युवक प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने देश की तरक्की के लिये जो चाहा, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री जी ने इस बजट को बनाया और यहां पर पेश किया। इस बजट में किसानों की फसल के बीमे का प्रावीजन किया गया है। हमारा गरीब किसान साल भर तक मेहनत करता था, कभी आसमान से ओले गिरते थे या कभी फलड से फसल तबाह होती थी या कभी सूखा पड़ जाता था, तब किसान के सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती थी, खेती के तबाही के साथ साथ वह खुद भी तबाह हो जाता था, उसको इस तबाही से बचाने के लिए फसलों के बीमे की चर्चा बहुत दिनों से होती थी, लेकिन अभी तक उस को इम्प्लीमेन्ट नहीं किया गया था। लेकिन आज मैं अपने वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं इस बजट से उन्होंने फसलों के बीमे का काम भी शुरू कर दिया है।

सभापति जी, आप जानते होंगे, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किसानों के लाभ के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। नैषनलाइजेशन के बाद बैंकों की ब्रान्चे शहरों से बाहर निकल कर हर गांव में पहुंच गई। किसानों ने बैंकों की मदद से 'ट्यूब-वैल लगाए' ट्रैक्टर्स खरीदे, सिंचाई की सुविधायें और बढ़िया किस्म के बीज हासिल किये, जिससे हमारी खेती की पैदावार बढ़ी। पहले हमारे देश में थोड़ी पैदावार होती थी, हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से अनाज मगांते थे, लेकिन आज भारत की पैदावार इतनी बढ़ी है कि हम बाहर भी अनाज भेज सकते हैं। इन्दिरा जी की कोशिशों से सिंचाई के साधन बढ़े, अच्छा बीज मिला, अच्छी खाद इस्तेमाल हुई, जिस से किसानों पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ाया।

आप जानते हैं, श्रीमती इन्दिरा जी ने जिस तरह से बीस सूत्री कार्यक्रम को चलाया, उस से लाखों गरीबों का भला हुआ। पहले हमारे नौजवान लड़के जब स्कूलों से निकलते थे तो बेरोजगार होते थे, जिसकी वजह से वह गलत सोहबत में रह कर गलत किस्म के काम करने लगते थे। लेकिन जब से बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत दिल्ली में आइ. आर. डी. पी. का प्रोग्राम डेवलपमेन्ठ कमिश्नर के नीचे शुरू हुआ। उन्होंने बहुत से नौजवानों को रोजगार दिया है। दिल्ली की पुनर्वास कालोनीज के लोगों को, गांव के हरिजनों को, छोटे किसानों को 4 परसेंट पर लोन दिए गये। गर्ज कि हर तरह से लोगों की मदद की है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हुए हैं।

मेरा अन्दाजा है इस बजट से तकरीबन सब तरह के लोगों को फायदा हुआ है। सरकारी कर्मचारियों और मिडिल क्लास लोगों के लिए इन्कम टैक्स की सीमा को बढ़ा राहत पहुंचाई गई है, जिस से दस लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। रेडियो और टेलीविजन के लाइसेंसों को खत्म किया गया है। छोटे उद्योगों के लिए लाइसेंसों को खत्म किया है। इन सब बातों से उन लोगों को राहत पहुंचेगी जो छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, हरिजन हैं, बकवर्ड और छोटे दुकान-दारान हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं—इस बजट से किसानों को काफी फायदा पहुंचा है, लेकिन एक चीज किसान को ज्यादा महसूस हो रही है। आप ने अनाज की कीमतों में जो 6 रुपए का इजाफा किया है, यह इजाफा कम है, क्योंकि आज कल मंहगाई बहुत ज्यादा है। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ गए हैं—इस पर आपको गौर करना

चाहिए तथा इनको बढ़ने से रोकना चाहिए जिससे गरीब लोग इन चीजों को इस्तेमाल कर सकें। आप यह देखिए कि जो लाखों लोग बेरोजगार थे, उनको रोजगार दिया गया है। हर तरीके से इन्कम टैक्स में राहत दी गई है और यह आपने अच्छा काम किया है कि 15 हजार रुपए से बढ़ा कर 18 हजार रुपए इन्कम टैक्स की लिमिट कर दी है। जैसाकि मेरे और साथियों ने कहा है, इसको बढ़ा कर 25 हजार रुपए कर दिया जाए।

दिल्ली में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए लाल डोरा के बाहर काफी मकानात बनाए हैं और इस तरह से लाखों की तादाद में अनआथेराइज्ड मकान बनाए हुए हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है और बिजली की रोशनी वगैर उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते। इसलिए ये जो 612 अनआथेराइज्ड कोलोनीज हैं, इनसे जो मकान बने हैं, उन सब में लाइट का प्रबन्ध होना चाहिए, जिससे गरीब लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। लाखों की संख्या में वहां पर स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। डी. डी. ए. ने तकरीबन 16 करोड़ रुपया, जो भारत सरकार से मिलना था, अपने पास से पुनर्वास कोलोनियों में लगा दिया है। पैसे की कमी की वजह से डी. डी. ए. का काम ढीला पड़ गया है। इसलिए डी. डी. ए. को 16 करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे पुनर्वास कोलोनियों में काम जल्दी हो।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। वहां पर पक्की सड़कें बननी चाहिए और कन्सोलीडेशन में जो हर गांव में फिरनी बनाई गई हैं, उनको पुख्ता किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री पी. ए. एन्टनी (त्रिचूर) : बजट की सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है राष्ट्र के विकास के लिए दीर्घकालीन आर्थिक नीति की योजना बनाने में इसकी साहसिक पहल और इसका काल्पनिक स्वरूप। यह बजट सातवीं पंचवर्षीय योजना का आधार है। महोदय, वर्तमान बुनियादी सुविधाओं के अधीन उद्योग पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेंगे जिससे कि लोगों को अधिक रोजगार दिया जा सकेगा।

वर्ष 1950 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन केवल 5 करोड़ टन था जबकि जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। अब 1985 में हमारा खाद्यान्न का उत्पादन 15 करोड़ टन है। जहां हमारी जनसंख्या अब लगभग दुगुनी हो गई है वहां हमारा खाद्य उत्पादन तिगुना हो गया है। अब खाद्यान्नों के मामले में भारत आत्म निर्भर हो गया है तथा विश्व में इसका तीसरा स्थान है। आज हम इस स्थिति में हैं और इसकी भिन्नताओं और विविधताओं के साथ इस स्थिति को हमने प्रजातान्त्रिक तरीकों से प्राप्त किया है। हमने अन्य सभी गुट-निरपेक्ष देशों के सामने एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे पास बहुत से इंजीनियर और बहुत से तकनीकी

विशेषज्ञ हैं तथा हमारे पास प्रबन्ध व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अतः हम इन विशेषज्ञों, तमाम शिक्षित लोगों का देश के औद्योगिकीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह उचित समय है और यही इसकी उचित दिशा है। मैं इस पहल के लिए अपने प्रधान मंत्री और अत्यन्त ईमानदार वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। हमारा राष्ट्र एक अगुआ राष्ट्र है तथा भारत तीसरी दुनिया का हिमायती है। प्रायः सभी गुट-निरपेक्ष देश हमारी ओर देख रहे हैं, क्योंकि इसकी सभी विविधताओं के साथ हम प्रजातन्त्र का रास्ता तय करने में सफल रहे हैं। हमने अपने लोगों का पेट भरने का रास्ता खोज लिया है तथा बड़ी तेजी से उन्नति कर रहे हैं और दुनिया की अन्य ताकतों से स्पर्धा करने में समर्थ हैं।

बजट विभिन्न वर्गों के लोगों, सम्पूर्ण समुदाय, भूमिहीन मजदूरों, सीमांत और छोटे किसानों, तथा मध्यम वर्ग के लोगों, जो सरकारी कर्मचारी और कारखाने के मजदूर हैं, के जीवन को प्रभावित करता है। निस्संदेह तेजी से उन्नत कर रहे एक विकासशील राष्ट्र में स्वाभाविक ही कर लगाने पड़ते हैं। मैं नहीं जानता कि हमारे वित्त मंत्री सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को चलाने के बारे में क्यों इतने चिंतित हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री जनार्दन पुजारी ने कहा कि हमने सरकारी क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया है। हमें इससे न्यूनतम लाभ भी नहीं मिल रहा है। मान लो, यदि इस 30,000 करोड़ रुपए के लिए उचित प्रबन्ध व्यवस्था कायम कर दी जाए तथा इसे उचित दिशा दे दी जाए तो उससे लगभग 20 प्रतिशत लाभ होगा। यदि आप इस रकम को राष्ट्रीयकृत बैंक में भी जमा कर दें तो भी आपको कुल 3,500 करोड़ रुपए का लाभ मिल जाएगा। सरकार इसको ठीक करने के लिए गम्भीरता से क्यों नहीं सोचती है ? अगर सरकार ईमानदारी से प्रबन्ध के तरीके को बदल सके तो इससे पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी।

प्रबन्धक बड़े अफसर हैं जिन्होंने बड़े पद संभाल रखे हैं और अच्छी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। आपको उचित व्यक्ति ढूंढने होंगे। हमें श्रमिकों को देश की आवश्यकता के अनुसार संगठित करना होगा। उन्हें परिपक्व होने दीजिए। अन्य गरीब वर्गों की अपेक्षा उन्हें सभी सुविधायें उपलब्ध हैं, इनको बेहतर ढंग से काम करना चाहिए, अधिक मेहनत करनी चाहियें और अधिक लाभ कमाना चाहिए ताकि वे देश की सेवा कर सकें।

यह सत्य है कि यहां एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। समानांतर अर्थव्यवस्था के लिए हमारे वित्त मंत्री के पास कुछ प्रस्ताव हैं। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें सच्चाई का सामना करना होगा। आप सरकारी कार्यवाही से काला धन समाप्त नहीं कर सकते। सरकार को किसी आकर्षक तरीके से काले धन का स्वेच्छा से प्रकटीकरण करने जैसी बात सोचनी चाहिए।

भारत में ज्वलन्त समस्या आवास की है। जिन लोगों के पास काला धन है उन्हें मकान बनाने दीजिये और इन मकानों को किराये पर देने दीजिए। सरकार को इस किराये से कुछ प्रतिशत राशि वसूल करनी चाहिए ताकि काले धन को नियमित किया जा सके।

केरल राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है। केरल सरकार 40 प्रतिशत धन सामाजिक उत्थान तथा 20 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करती है। उन्हें स्कूल, पीने का पानी तथा स्वास्थ्य केन्द्र भी उपलब्ध कराने चाहिये। अब वहां पर कोई उद्योग नहीं है, लेकिन पढे लिखे लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अतः कृपया केरल और मेरे चुनाव क्षेत्र में भी उद्योगों के लिए धनराशि दीजिये ताकि वहां पर अधिक उद्योग स्थापित हो सकें। मैं पिछले 28 वर्षों से अपने चुनाव क्षेत्र, त्रिचूर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। पूर्व में इस क्षेत्र को सी. पी. आई. दल प्रतिनिधित्व करता था। दक्षिण भारत में गुरुवयूर मन्दिर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है जहाँ सारे भारत से हजारों लोग प्रतिदिन तीर्थयात्रा के लिये आते हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि त्रिचूर से गुरुवयूर तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाना चाहिये।

1981 की जगगणना के अनुसार मेरे चुनाव क्षेत्र त्रिचूर में पढे लिखे लोगों का प्रतिशत अधिक है। अतः वहां पर एक भारतीय औद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना की जाए, क्योंकि वहाँ पर इसके लिये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि को ठीक से खर्च नहीं किया जा रहा है। कुल जमा राशि का 80-90 प्रतिशत उत्तर के बड़े शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अतः क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, इसका ध्यान रखें। वित्त राज्य मंत्री, श्री जनार्दन पुजारी इस मामले की जांच करें और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे यह सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो 1985-86 का बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस बजट से मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिली है। इनकम टैक्स की न्यूनतम सीमा को बढ़ाया गया है टैक्स की दरों में काफी कमी की गयी है और इस सम्बन्ध में सरचार्ज और कम्पल्सरी डिपाजिट को हटाये जाने का मैं स्वागत करती हूँ। सम्पत्ति कर की सीमा को भी बढाया गया है। यदि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाता तो और भी उपयुक्त होता। मैं मान्यवर वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस्टेट ड्यूटी को भी समाप्त कर दिया है। यह मुक्तभोगी ही जानता है कि इस निर्मम मृत्यु कर से विशेषकर मध्यम वर्ग के परिवारों के घर के कर्ता के मर जाने पर सामान्यतः एक साल और कभी-कभी दो-तीन साल तक भी अनेक अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने स्वयं बताया है, इस कर से सरकार को आमदनी भी बहुत थोड़ी थी।

इस साल का बजट बहुत अधिक अंशों में हमारी नई सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों का द्योतक है। कारपोरेशन टैक्स (निगम कर) में छूट दी गई है। औद्योगिक विकास के हित के लिए कई वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी अथवा कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी गई है। बजट में कई अन्य प्रावधान भी हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास और विशेषकर औद्योगिक विकास में गति लाई जा सकेगी और इन सभी प्रावधानों का देश के अधिकांश लोगों ने स्वागत किया है।

देश की सुरक्षा एवं उत्तरोत्तर विकास के लिए साधनों को जुटाना आवश्यक है और इस परिस्थिति में कुछ करों का बढ़ाया जाना अनिवार्य ही समझा जाना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने जो कुछ करों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, इस पर विशेष आपत्ति की संभावना नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि कागज पर जो एक्साइज ड्यूटी का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें कुछ कमी करने पर विचार करना उपयुक्त होगा। राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय अनुदान से वित्त मंत्री जी ने वर्तमान साल की तुलना में 39 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया है, जो पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा और मैं इस विषय पर वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं।

मुद्रास्फीति से विकास कार्यक्रम में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। सामान्य जन-जीवन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार ने थोक मूल्यों को काफी संतुलित रखा है। हालांकि उपभोक्ता मूल्यों में कुछ ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन इसको असंतुलित नहीं कहा जा सकता। जो बजट हमारे सामने रखा गया है, उसमें भी पिछले सालों की तरह काफी बड़ा घाटा है। मैं सरकार के इस आश्वासन को मानती हूं कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें मुद्रास्फीति को बहुत बल नहीं मिलेगा और मूल्यों को संतुलित रखा जा सकेगा, लेकिन यह एक गंभीर प्रश्न है।

एक गृहणी होने के नाते मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि मुद्रास्फीति पर कड़ी नजर रखी जाए और यह सतत् प्रयत्न किया जाए कि थोक मूल्यों में तो नहीं बल्कि उपभोक्ता मूल्यों में भी इस वर्ष अधिक वृद्धि नहीं हो।

यह अनुपयुक्त नहीं होगा, यदि मैं इस अवसर पर अपने राज्य एवं चुनाव क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याओं का उल्लेख करूं, जिससे केन्द्र भी संबंधित है। बिहार राज्य में प्रायः सभी राज्यों से बिजली की कमी बहुत अधिक रही है और काफी अरसे से बिजली की आपूर्ति के संबंध में अव्यवस्था की बहुत शिकायत रही है। बिजली संविधान की समवर्ती सूची में है और इस आधार पर मैं अनुरोध करूंगी कि केन्द्र सरकार बिहार राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए बिहार सरकार से विचार-विमर्श करके इसकी कोई ठोस व्यवस्था करे, जिससे इस स्थिति में समुचित और स्थाई सुधार लाया जा सके। बिहार का पूर्णिया जिला मेरा चुनाव क्षेत्र एवं जन्म-स्थान है। पूर्णिया का क्षेत्रफल काफी बड़ा है एवं आबादी भी बहुत ज्यादा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप से सीमावर्ती क्षेत्र भी है। उत्तर में नेपाल एवं दक्षिण-पूर्व में कुछ ही मीलों के अन्दर बंगलादेश की सीमा है। "आसाम एक्सेस" नामक राष्ट्रीय राज मार्ग पूर्णिया होकर गुजरता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्णिया जिले के यातायात की दृष्टि से इस राजमार्ग का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि कई वर्षों से इस सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं अनुरोध करूंगी कि केन्द्रीय सरकार इस सड़क पर विशेष ध्यान दे और यथाशीघ्र इस सड़क को सही हालत में लाया जाए।

इतना ही कहकर वित्त मंत्री द्वारा संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

5.00 म. प.

[अनुवाद]

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं बजट का विरोध इस आधार पर करता हूँ क्योंकि यह बजट गरीब विरोधी, और अमीर समर्थक तथा ग्रामीण विरोधी तथा नगर-समर्थक है। मैं यह आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ। जो आरोप मैं लगा रहा हूं उन्हें सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं।

कुछ लोग यह कह सकते हैं कि बजट का कुछ भाग अच्छा है। क्योंकि जैसे एक कहावत है कि अंडे का एक भाग तो अच्छा हो और बड़ा भाग सड़ा हुआ हो तो वह खाने के योग्य नहीं होता, उसी प्रकार यह बजट भी तारीफ के योग्य नहीं है।

इस सरकार ने गरीब लोगों पर बहुत अधिक कर लगा दिए हैं अमीरों को व्यापक रियायतें दी हैं। उनमें से एक बात यह है कि सरकार ने हीरे तथा जवाहरात बनाने की मशीनों के कुछ भागों पर आयात मुल्क में रियायत दी है। लेकिन बीड़ी पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है। हीरे-जवाहा-रात अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल किये जाते है और बीड़ी गरीब लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। सरकार ने सिगरेटों पर, जो अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, कोई कर नहीं लगाया है।

सरकार ने केवल अमीर लोगों को अधिक रियायतें दी हैं। आय-कर, आयकर अधिकार, सम्पत्ति कर में, छूट के रूप में रियायतें दी हैं। साथ ही सरकार ने कच्चे तेल पर शुल्क 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया है। कच्चे तेल पर 1983-84 के बजट में केवल 9.5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क था। कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने से मिट्टी तेल और डीजल की कीमतें बढ़ गई है; यात्रा महंगी हो गई है और आवश्यक चीजों की ढुलाई भी महंगी हो गई है। इस प्रकार आम लोगों पर 620 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है जबकि शहरों के अमीर लोगों को 467 करोड़ रुपये के करों में रियायतें दी गई हैं।

सरकार ने रेडियो तथा टेलीविजन पर से लाइसेंस मुल्क समाप्त कर दिया हैं और सोडा वाटर तथा पेयों और करके पर शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार ने कम्प्यूटर तथा इलक्ट्रोनिकस के सामान की आयात शुल्क से मुक्त कर दिया हैं। और सीमेंट, पेपर, घरेलू चीजों तथा साबुनों, वाणिज्यिक वाहनों और खाना पकाने की गैस पर शुल्क बढ़ा दिया हैं। सरकार ने ऊन तथा पालियेस्टर ऊन के कच्चे माल पर शुल्क कम कर दिया है लेकिन सूती धागों पर शुल्क भार 25 प्रतिशत बढ़ा दिया है। सरकार ने 'जिप फास्नरों' को उत्पाद शुल्क से छूट दी है लेकिन पान-मसाला, जिसमें सुपारी, चूना, खोपरा, मेन्थान, इत्यादि होते हैं, पर नया उत्पाद शुल्क लगा दिया है। अतः सरकार अमीर लोगों पर बहुत मेहरबान तथा गरीबों के प्रति बहुत कठोर रही हैं!

सरकार ने ग्रामीण विकास के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है और उसके लिए जो धनराशि दी गई है वह बहुत ही कम है। आई. आर. डी. पी. की गत वर्ष की 216 करोड़

रुपये की राशि की तुलना में इस वर्ष 215 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। एन. आर. ई. पी. को गत वर्ष के 236 करोड़ रुपये की रकम की तुलना में इस वर्ष 235 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। लघु स्तर के उद्योगों तथा ग्रामीण-उद्योगों को इस वर्ष 115 करोड़ रुपये दिये गये है जबकि पिछले वर्ष 135 करोड़ रुपये दिये गये थे। खाद के लिए पिछले वर्ष के 452 करोड़ रुपये रखे गये थे। इस वर्ष 265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोहा तथा इस्पात जो कृषकों द्वारा प्रयोग किया जाता है का नियतन पिछले वर्ष के 980 करोड़ रुपये से कम करके 643 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषिक वित्तीय संस्थानों को गत वर्ष के 297 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 165 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। आवास के लिए गत वर्ष की 84 करोड़ रुपये की राशि कम करके 39 करोड़ कर दी गई है। गत वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी कुछ विशेष कार्यक्रमों के लिए 71 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे जबकि इस वर्ष केवल 42 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इस प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए आबंटनों की तुलना करने पर पता चलता है कि ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशि में बहुत अधिक कटौती की गई है। संगठित क्षेत्र के मजदूरों को कई रियायातें तथा सुविधाए दी गई हैं किन्तु ग्रामीण तथा इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित और मूक कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है।

यह बजट गरीबों के खिलाफ तथा अमीरों के हक में है और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं वित्त मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वह बीड़ी, सूती धागों, पान मसालों, साबुनों, मिट्टी तेल तथा डीजल जैसी चीजों पर, जो आमतौर पर गरीब लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, कर हटाने की कृपा करें।

***श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर (बीड़)** : सभापति महोदय, मैं 1985-86 के सामान्य बजट का स्वागत करते हुए इसको अपना समर्थन देती हूं। मुझे जो हमारे युवा तथा गतिशील प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी, ने कहा उसकी याद आती है, "हमारे देश के समक्ष बहुत चुनौतियां हैं। हमें भारत का नवीकरण करना होगा। हमें भारत के लोगों की विचारधारा को बदलना होगा जिससे वे भविष्य के लिए कार्य करें और भूत के कार्यों पर ही निर्भर न रहें। हमें भारत को प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमें भारत को एक गतिशील देश बनाना होगा। जो विश्व के किसी भी देश के बराबर होगा।" मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर एक सबसे बढ़िया बजट तैयार किया है।

ऐसे समय में मुझे हमारी प्रिय स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के उन स्मरणीय शब्दों की याद भी आती है जिन्होंने कहा, "हमारे देश की विशाल तथा विभिन्नता रखने वाली जनता का कोई भी वर्ग अपने आप को उपेक्षित न समझे। उनकी उपेक्षा हमारा सामुहिक नुकसान होगा।" मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने जो बजट बनाया है वह हमारे समाज के सभी वर्गों को राहत देने वाला है। यह वास्तव में एक बहुत ही व्यापक तथा विकासशील बजट है।

* मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

इस बजट में बहुत से क्षेत्रों जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, छोटे उद्योग, विज्ञान तथा तकनीकी, शिक्षा, इत्यादि के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन किया गया है। बहुत सी रियायतें इस बजट में देकर श्रमिकों, कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, परम्परागत कारीगरों, रुग्ण औद्योगिक इकाईयों, छात्रों तथा अनुसंधान कर्मचारियों, इत्यादि को राहत प्रदान की गई है। 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा गंगा नदी को प्रदूषण रोकने संबंधी उपायों के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है। लड़कियों के लिए बारहवीं तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है। यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस बजट की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सम्पदा शुल्क तथा धन-कर के लिए एक व्यवहारिक नीति अपनायी गयी है।

कृषि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता का मुख्य धन्धा है। यद्यपि बहुत से पूर्व में किए गया उपायों की वजह से हमें अन्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे किसानों की दशा शोचनीय है। किसानों का भाग्य प्रकृति की इच्छा पर निर्भर है और वह सूखे तथा बाढ इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में अपने आपको सुरक्षित नहीं रख सकता!

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने "फसल बीमा योजना देश के 100 चुनींदा जिलों में" शुरू करने का फैसला किया है। मेरा अनुरोध है कि ये जिले पिछड़े क्षेत्रों में से चयन किये जायें ताकि गरीब किसानों को लाभ हो। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहां अधिकतर किसानों द्वारा बाजरा और ज्वार की फसलें पैदा की जाती है इसलिए इन फसलों को भी बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाये। सरकार को किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्य देने चाहिए। सरकार ने एक योजना "सामाजिक सुरक्षा योजना" शुरू करने का प्रस्ताव किया है ताकि दुर्घटना की स्थिति में भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों तथा परम्परागत कारीगरों को मुआवजा मिल सके। मुआवजे की राशि जो 3000 रुपये निर्धारित की गई है मैं उसे 5000 रुपये तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ। इस योजना से उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

आय कर छूट की सीमा 15000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। इस राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया जाये जिससे किसी भी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को कर न देना पड़े। अनिवार्य बचत योजना को समाप्त कर सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (एन. आर. अल. ई. जी .पी.) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स, वन और पशु पालन के संबंध में बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह पर्याप्त है। 207 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उसे अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के चिंता है।

शीघ्र औद्योगिककरण में लघु उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने पूंजीगत परिसंम्पत्ति की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख कर दी है। इससे नये उद्यमी

आकर्षित होंगे। इससे बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि नये उद्योग केवल पिछड़े इलाकों में ही लगाये जायें जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर दें। सरकार को रुग्ण उद्योगिकें एककों को वित्तीय सहायता देनी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये एक बोर्ड का गठन करने के सरकार के निर्णय का स्वागत है।

करों की चोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा बनाई गई योजना बहुत कारगार है। सरकार को राज्य सरकारों की सलाह से इस प्रयोजन के लिये विशेष अदालतें गठित करनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सीमेंट और कागज पर बढ़ाई गई लेवी को वापस ले लिया जाय। कुओं के निर्माण और मरम्मत आदि के लिये किसानों को सीमेंट की आवश्यकता होती है। यह उन्हें वर्तमान दर पर मिलनी चाहिये। इस देश की गृहस्तियों को राहत देने के लिये खाना पकाने की गैस पर बढ़ाया गया मूल्य भी वापिस लिया जाय। रेडियो और टेलीविजन सेटों पर लायसेंस शुल्क समाप्त कर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेडियो और टेलीविजन अब विलासिता नहीं रहे, वे आवश्यकता बन गये हैं। इस दृष्टिकोण से सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है।

बजट में यह घोषणा की गई है कि देश की 70 प्रतिशत आबादी के लिये दूर दर्शन की सेवा सुलभ कराई जाय। सरकार देश के विभिन्न भागों में 31 मार्च 1985 तक 180 ट्रान्समीटर लगाने वाली है। मेरा अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बीड को, जिसे दूर दर्शन की सुविधा प्राप्त नहीं है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सुविधा प्रदान की जाये। बीड जिले में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए मैं दो साल से प्रयत्नशील हूं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ। कि इस क्षेत्र के लोगों की लम्बी समय से चली आ रही इस मांग को पूरा किया जाये।

माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक उद्योग लगाया जायगा। मेरा अनुरोध है कि बीड जिले में, जो एक पिछड़ा हुआ जिला है, एक औद्योगिक एकक स्थापित किया जाए।

मैं गत चार वर्ष से अहमदनगर-पाराली के बीच नई रेलवे लाइन बिछाये जाने की अनुशंषा करती आ रही हूं। मैं यह कहना चाहूँगी कि इस रेलवे लाइन के अभाव में इस क्षेत्र की प्रगति नितांत असंभव है। इसलिये, माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करने के लिये 213 कि. मी. की इस रेलवे लाइन का प्रस्ताव मंजूर किया जाए।

बीड जिले में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने तथा नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूँ। इन शब्दों के साथ, सामान्य बजट जिसका मैं समर्थन करती हूं पर बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : सभापति महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 1985-86 का यह बजट भारत की आर्थिक वास्तविकता और राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रख कर तैयार किया है तथा यह लोक प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्र को नई दिशा की ओर अग्रसर करने के लिए एक ठोस कदम का संकेत है। इसे न केवल भारतीय बल्कि विदेशी अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकार किया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री और लोक प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को बधाई देता हूं, मेरी ही नहीं बल्कि इस देश की समस्त जनता की तरफ से बधाई के पात्र हैं।

इस से पूर्व कि मैं बजट पर कुछ रचनात्मक टिप्पणी करने का प्रयास करूं, मैं इस महान सदन के माननीय सदस्यों के साथ मिलकर कामना करता हूं कि नया बजट आर्थिक स्थिरता, विकास तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की ओर एक महान कदम सिद्ध हो।

सबसे पहले मैं फसलों की बीमा योजना के बारे में कहना चाहूँगा। मैं यह मानता हूँ कि यह सरकार का बहुत साहसिक कदम है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हरियाणा प्रदेश में भी 80 प्रतिशत गरीब किसान रहते हैं। जिस देश का किसान गरीब होता है वह देश खुद गरीब होता है। इस बीमा योजना के सम्बन्ध में जिले को इकाई माना गया है। मैं कहना चाहूँगा कि गांव को इकाई मानकर यह बीमा योजना लागू की जाय क्योंकि किसान की जो तमाम धन दौलत है वह प्रकृति के भरोसे पर रहती है औरप्रा कृतिक आपदा, औलावृष्टि या सूखा किसी जिले या तहसील को आधार बना कर नहीं आती है, वह एक गांव में भी आ सकती है। यदि एक गांव के लोगों को इस से नुकसान होता है तो उस गांव को इकाई मान कर उनको बीमा योजना का लाभ देना चाहिए।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि कृषि उत्पादनों का मूल्य उनकी उत्पादन-लागत को दृष्टि में रख कर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि किसान को अधिक पैदावार करने के लिए प्रोत्साहन मिले और वह जो ऋण से दावा हुआ होता है तथा जितना वह खेती पर खर्च करता है उस के बदले में उसे उपयुक्त दाम मिल सके। उसके लिए उपभोक्ताओं को सब्सिडी आदि दे कर हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों को ठीक दाम पर अनाज देने का प्रबन्ध करना चाहिए गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को कम कीमत पर अनाज मिल सके।

इस बजट के अन्दर इस किस्म का भी प्रावधान करना चाहिए था ताकि कृषि यंत्रों छोटे ट्रैक्टर और नलकूप वगैरह की कीमतें कम की जा सकें। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां तमाम लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। वहां इतनी छोटी-छोटी होल्डिंग्स हो चुकी हैं कि वह बड़े ट्रैक्ट वगैरह खरीद नहीं सकते। इसलिए कृषि यन्त्रों की खास कर छोटे ट्रैक्टर वगैरह की कीमत कम की जाय।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। और जब तक किसी बेरोजगार का नाम एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज में रहता है, उसकी ओवर-एज स्कीम न किया जाए ताकि उसको नौकरी मिलने में दिक्कत न हो।

इसी तरह से मेरा सुझाव है कि जाब ओरिएन्टेड एजूक्शन चालू की जाए। सन् 1881 से मैंकाले टाइप की जो पुराव शिक्षा प्रणाली चली आ रही है उसको समाप्त किया जाए।

डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ने से तथा रेल भाड़े बढ़ाए जाने से एसेंशियल कमाडिटीज के दाम बढ़ेंगे जिसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इनकी कीमतें कम की जायें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लाइसेंस परमिट राज समाप्त करने से लोगों में इमानदारी आयेगी और जनता में इमानदारी को बढ़ाना निहायत जरूरी है। मैं समझता हूं जब तक इस देश से काला धन समाप्त नहीं किया जायेगा यह देश मजबूत नही होगा। आज मैं तो समझता हूँ बेइमानी एक साधारण बच्चे तक भी आ चुकी है आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक दिन एक टीचर ने क्लास में एक सवाल किया कि अगर एक काम को 10 आदमी 10 दिन में करते हैं तो बताइये एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा तो एक बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया कि पहले यह बतायें कि वह काम सरकारी है या गैर सरकारी। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि बिजनेस घरानों पर जो छापे डाले जाते हैं लेकिन जो इनकम टैक्स आफिसर हैं उनमें भी बड़ा करप्शन है, या जो दूसरे नौकरी पेशा लोग हैं उनमें करप्शन है इसलिए उन पर भी छापे पड़ने चाहिए। मैं समझता हूँ इस देश से जबतक बेईमानी को जड़मूल से खत्म नहीं किया जायेगा तब तक यह देश मजबूत नहीं होगा। अब चूंकि समय नहीं है इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद अयूब खाँ (झुंझुनूं) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं अपने अजीज मुल्क की जमीन पार्लमेंट में फज्जले आला ताला बजट पर पहली बार बोलने जा रहा हूँ : हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी के आशीर्वाद से और हमारे क्षेत्र के लोगों के विश्वास की बिना पर मैं इस हाउस की मेम्बरशिप हासिल कर सका हूं। इस मुकद्दस मादरे वतन का खाका तैयार किया था महात्मा गांधी ने, उस खाके में रूह फूंकी पं. जवाहर लाल नेहरू ने, उस रूह के अन्दर खून की आहुति दी श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने और इतनी बड़ी कुर्बानी दिए हुए देश को परवान बढ़ाने का नारा दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर, श्री राजीव गांधी ने। उस नारे और उस आहुति को मद्दे नजर रखते हुए, हमारे मादरे वतन के बहादुर अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात को मद्दे मद्दे नजर रखते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यह बजट तैयार किया है। इस बजट के लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद और मुबारिकबाद देना चाहता हूं।

यह एक हकीकत है कि इस निर्णायक घड़ी में हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है, देश की जनता ने हम पर इतना बड़ा विश्वास किया है, उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए पूरी-पूरी कोशिशें इस बजट में की गई हैं और यह बात हमारे लिए बायसे फखर है। हमारे

मुल्क की राष्ट्रीय आय और खाद्यान्नों में काफी बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्न 1982-83 में 1300 करोड़ मी: टन से बढ़कर अब 1500 करोड़ मी. टन तक पहुंच गया है। एग्रीकल्चर में 13.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से इण्डस्ट्रीज में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। यह सब हमारी सरकार के सफल प्रयासों के कारण ही सम्भव हो सका है। लेकिन मैं करना चाहता हूं कि बिजली के मामले में बढ़ोतरी तो जरूर हुई है लेकिन हमारे राजस्थान की हालत इस मामले में ज्यों की त्यों हैं। मैं जिस इलाके झुन्झुनूं से यहां पर आया हूं उसकी एक खास हैसियत है और वह यह कि उस इलाके में खून तो सस्ता मिलता है लेकिन उसके बावजूद पानी महंगा मिलता है। हमें चाहिए कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए पीने का पानी मुहिया करें। वह ऐसा इलाका है जहां से 100 फीसदी लोग फौज में भरती होते हैं। अपनी मादरे-वतन की हिफाजत के लिए अगर एक परिवार में तीन फर्द हैं तो तीनों फौज में दाखिल होते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ—मैं एक फौजी आदमी हूं। मेरे तीन भाई थे, तीनों 1971 की लड़ाई में मैदाने जंग में थे। यह वह इलाका है जहां सदियों से, आदम के जमाने से लोग पानी की दो बूंद के लिए तरसते हैं। वहां पर इंडीविजुअल की हुकूमत चलती है, उनकी मोनोपोली चलती है, जब कि वहां पर पार्टी की हुकूमत चलनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से फाइनेन्स मिनिस्टर से इलतिजा करूंगा कि हमारे इलाके के लिए अलग से खास बजट का बन्दोबस्त किया जाय। उस इलाके के किसानों के लिए इस तरह का प्रावधान किया जाय जिससे उनको फ्री बीज और खाद मिल सके, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्श का फ्री बन्दोबस्त हो। यह वह इलाका है जहां हजारों एकड़ जमीन बगैर काश्त के पड़ी हुई है। वह जमीन समतल जमीन है, लेकिन पानी के लिए तरसती है। इन्दिरा गांधी नहर हमारे इलाके से गुजरती है, अगर उसको पानी मिल जाय तो वह हमारे इलाके में पहुंच सकेगा और उससे हमारे लोगों के अन्दर खुशहाली पैदा हो सकती है।

हमारे इलाके में आज भी लक्ष्मण रेखा पर अमल होता है। रात को लोग जब सोते हैं तो अपने घरों के सामने राख और पानी की रेखा लगाते हैं। यह वह इलाका है जहां आज भी लोग अपने खलियानों में अनाज का ढेर लगा कर उसके चारों तरफ राख और पानी की रेखा लगा कर छोड देते हैं और सुबह आकर उसको सम्भालते हैं। वहां आज भी इतनी ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी है।

इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से इलतिजा करूंगा कि आप उस इलाके की समस्याओं की तरफ देखिए। वहां पर कोई गवर्नमेंट कालिज नहीं है, कोई आई. टी. आई. का कालिज नहीं है, कोई सैनिक स्कूल नहीं है, जब कि वह इलाका 100 फीसदी भरती फौज में देता है। उस इलाके के लिए पीने का पानी मुहिया किया जाय, उस इलाके के बच्चों की तालीम का इन्तजाम किया जाय। उस इलाके के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी है। अगर कहीं ट्रेन चलती है तो वहां के लोग इलतिजा करते हैं कि कम से कम यहां ट्रेन को रुकवा तो दीजिए। मेरी ऐसी कांस्टीचुएन्सी है जिसके चारों तरफ मिनिस्टर लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उनके इलाके में सब बड़े बड़े काम होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ हरियाणा के अन्दर लोहारू जंकशन है। उस इलाके का आधा हिस्सा हरियाणा में है और आधा मेरी कांस्टीचुएन्सी में आता है। आप मेरी बात को सुन कर हैरान होंगे—जो आधा हिस्सा हरियाणा

में आता है उसमें ऐसा महसूस होता है कि वहां दिन निकला हुआ है, लेकिन जो दूसरा आधा हिस्सा मेरी कांस्टीचुएन्सी में है, वहां अगर आप देखेंगे तो रात नजर आयेगी। इसलिए इलतिजा करता हूं कि आप मेरे इलाके की तरफ देखें।

आखिर में, एक फौजी के रिश्ते से आपसे अर्ज करना चाहता हूं—हमारे फौजी अफसरान और जवानों की वैलफेअर के लिए इक्विमेन्ट्स की ट्रेनिंग का प्रावधान किया जाय। जो पेन्शनर्ज हैं उनको 6-6 महीनों तक पेन्शन के लिए इन्तजार करना पड़ता है। मंहगाई के जमाने को देखते हुये कुछ इस तरह का प्रावधान करें कि उनको हर माह पेन्शन मिले, ताकि उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। मेरे इलाके के लिए टी. वी. स्टेशन का बन्दोबस्त किया जाय ताकि वहां के लोग भी उससे फायदा उठा सकें।

आपने इन्कम टेक्स में छूट दी है। मेरे इलाके के बहुत से धनाड्य लोग आज हिन्दुस्तान के कौने-कौने में फैले हुए हैं। हिन्दुस्तान में इनकी पूरी मोनोपोली छाई हुई है लेकिन वे हमारे इलाके में एक भी फैक्टरी नही लगाते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको किसी फैक्टरी का लाइसेंस देती है तो सब से पहले हमारे इलाके में फैक्टरी लगाने के लिए उनको लाइसेंस देने का बन्दोबस्त कीजिए।

• इन अल्फाज के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. बी. सिदनाल (बेलगांव) : महोदया इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का मैं समर्थन करता हूं। सर्व प्रथम इस देश के लिए विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किए जाने के लिये मैं प्रधान मत्री तथा वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। उस ओर बैठे विरोधी दल के सदस्य इस यजट की सराहना कर रहे हैं जो एक आम बात नहीं है। उनकी प्रशंसा के लिये मैं उन्हें वास्तव में धन्यवाद देता हूं। किन्तु उसके साथ ही उन्होंने यह कहकर इसकी आलोचना की है कि यह पूंजीवादी बजट है और अमीरों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। महोदय, मेरे विचार उनसे पृथक हैं। क्योंकि इस बजट में जो रियायतें दी गई हैं और विकास के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है, उससे निश्चित रूप से यह पता चलता है कि यह एक विकासोन्मुख और रोजगारोन्मुख बजट है और इससे रोजगार के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस बजट से इस देश को एक नई दिशा मिली है। अब तक हमारे पास निर्धनों के लिए कार्यक्रम थे। वे कार्यक्रम आज भी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। इस देश के युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग कुछ और आगे बढ़े हैं। अनेक प्रकार की रियायतें दी गई हैं।

कृषि क्षेत्र में, फसल बीमा योजना का प्रस्ताव करने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। किन्तु इस बारे में मेरा मंत्री जी से कुछ मतभेद है क्योंकि इसके अन्तर्गत थोड़े सी ही फसलें ली गई हैं। इसमें गन्ना, रुई और अन्य वाणिज्यिक फसलें भी शामिल किया जाना चाहिए मुझे नहीं पता कि यह आंशिक योजना क्यों लागू की गई है जब कि कृषकों द्वारा पूर्ण निवेश किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि कृषि के हित में इन सभी फसलों को शामिल किया जाय। कृषि एक सर्वोत्तम उद्योग है। प्रौद्योगिकी के रूप में कृषि को विकसित किये बिना उद्योग के विकास की आशा नहीं की जा सकती। कृषि के उत्थान के लिये, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का हमने पर्याप्त प्रयत्न किया है। किन्तु पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कृषि की तकनीकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। हम लोग उन्हें सर्वोत्तम तकनीक उपलब्ध नहीं करा सके हैं। हम लोग उन्हें यह नहीं सिखा सके हैं कि अधिक फसल देने वाले तथा अन्य प्रकार के बीजों का अधिकतम उत्पादन के लिये किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। अब भूमि देश की प्रयोगशाला बन गई है। जब तक किसान वैज्ञानिक नहीं बन जाते तब तक देश में कृषि का विकास नहीं हो सकता। उद्योगों में तैयार माल के उत्पादन के लिए कृषि कच्चे माल के समान है। इसलिये, देश भर में, हमें खेती के लिए रियायती मूल्य पर औजार और उपकरण प्रदान करने होंगे। ट्रैक्टर का मूल्य बहुत अधिक है। हमने भूमि सुधार का बीड़ा उठाया है जो आंशिक रूप से पूरा हुआ है। सर्वप्रथम, आबादी से संविभाजन होता है। उसके बाद, कानून से संविभाजन हुआ है। इसलिए, हम लोग भी अनेक भागों में विभाजित हैं। किन्तु हम लोग उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। पन्जीकृत खेती और वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किए बिना हम उपज बढ़ाये जाने की आशा नहीं कर सकते। यन्त्रों के इस्तेमाल के लिए लम्बे-चौड़े खेतों की आवश्यकता होती है। सहकारी खेतों के बिना अथवा कम मूल्य पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराये बिना अथवा निर्धनों को अन्य उपकरण सुलभ कराये बिना, कृषि उत्पादन के बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि खेती में काम आने वाले ट्रैक्टरों, पम्पिंग सैटों और मशीनों के दाम कम किए जायें। बेहतर तो यह होगा कि उन्हें सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा जाये तभी हम उत्पादन के बढ़ने की आशा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, समय समाप्त हो चुका है।

श्री एस. बी. सिदनाल : मैंने तो अभी आरम्भ ही किया है। पता नहीं आपकी घड़ी कितनी तेज चल रही है।

सभापति महोदय : यह मेरी घड़ी नहीं है। आप कृपया समाप्त करें।

श्री एस. बी. सिदनाल : शिक्षा के क्षेत्र में, हमने सबको शिक्षा सुलभ कराने का वायदा किया है। अब तक हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्लर्क पैदा करना ही रहा है जैसा कि अंग्रेजों ने सोचा था। इसके बावजूद, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमने अच्छी प्रगति की है। हम लोग ग्रामीणों को समुचित शिक्षा नहीं दे पाये हैं। जहां समाज रूढ़िवादी है, वहां हम बेहतर अर्थ-व्यवस्था की आशा नहीं कर सकते। हमें रूढ़िवादी समाज को अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र के उस समाज को जहां केवल कृषक वर्ग रहता है, प्रगतिशील बनाना होगा। हम वहां शिक्षा की समुचित

व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। हमें डेयरी, कुक्कर पालन, बागवानी और कृषि की शिक्षा देनी होगी और प्रत्येक गांव तालुक, जहां भी संभव हो सके, के लिए डिप्लोमाधारियों की व्यवस्था करनी होगी। उचित शिक्षा दिए बिना हम उचित उत्पादन की आशा नहीं कर सकते। आज के युग में कृषकों को समुचित शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें सहयोगी कृषि-उद्योग तथा डेयरी, कृषि, कुक्कर-पालन आदि भी चलाना है, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में मुख्य रूप से सहायक हैं। जिस प्रकार हमने शहर के लोगों को उद्योग के लिए अनेक रियायतें और प्रोत्साहन दिए हैं, उसी प्रकार हमें गांव के लोगों को कृषि के लिए रियायतें और प्रोत्साहन देने होंगे ? तभी हम देश में बहुमुखी विकास कर पायेंगे। इसी लिए वित्त मंत्री जी से मेरी अपील है कि कृषि-उन्मुख उपकरणों के लिए तथा डीजल, पम्पसेट आदि जैसे निवेश के लिए भी रियायत दी जाये अन्यथा हमें आशा के अनुसार कृषि उत्पादन प्राप्त नहीं हो सकता।

मुद्रा स्फीति के बढने के अनेक कारण हैं। अविकसित देश और अविकसित अर्थव्यवस्था में यह लक्षण अथवा प्रक्रिया सदा बनी रहती है। इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। हमें इसके साथ समझौता करना होगा। किन्तु जब भी मुद्रा स्फीति बढ़ती है तब उत्पादन भी बढ़ाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इतवार को छोड़कर हम सभी छुट्टियां छोड़ दें और उत्पादन बढ़ाने के लिये कड़ी मेहनत करें जिससे मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी।

काले धन के बारे में जापान में बहुत कुछ किया गया है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए (क) के पास एक करोड़ रुपये का माल धन है—तो उसे धन को अपने लाकर में जमा करना पड़ता है और उसमें से आधा अथवा चौथाई रुपया निर्माण कार्य के लिये परिचालित करना पड़ता है। जापान में ऐसा किया जाता है। यहां भी जमा काले धन को बाहर निकालने के लिये कुछ न कुछ करना होगा। महोदय, आपके राज्य से निर्वाचित मेरे मित्र ने जैसा सुझाव दिया है, आवास योजनाएं चालू की जाएं क्योंकि इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और गरीबों को रोजगार मिलता है।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबन्ध है, ये कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं और हम इनके माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति में लोगों को भागीदार बना रहे हैं। इन कार्यक्रमों से एक प्रकार से, उनके अपने तरीके से, कुछ सुविधाएं सृजित हुई है। इन्हें चालू रखा जाय और इनके लिये और अधिक धन की व्यवस्था की जाये।

अधिक पेड़ लगाये जाने चाहिए और बागवानी को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी. शोभनाद्री श्वरराव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं थोड़ा सा समय ही लूंगा।

मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस वर्ष के बजट में बहुत अधिक घाटे की व्यवस्था की गई है। वास्तविकता यह है कि यह सर्वाधिक है। इससे पूर्व इतनी अधिक राशि की घाटे की बजट व्यवस्था कभी नहीं की गइ। वास्तव में, गत वर्ष 1773 करोड़ रुपये की घाटे की व्यवस्था की गई थी जबकि यह घाटा बढकर 3985 करोड़ रुपया हो गया था। किन्तु अच्छी फसल और अनुकूल मानसून होने के कारण इसके कुप्रभाव का पता नहीं चला। इसके साथ-साथ हम वह आशा नहीं कर सकते कि इस वर्ष भी ऐसा ही होगा। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस स्थिति से सावधान रहे और इस बात का ध्यान रखे कि मुद्रा स्फीति को नियन्त्रण में रखने के लिए अनुत्पादक व्यय को कम से कम कर दिया जाय।

उद्योगपतियों को अनेक रियायतें दी गई हैं।

माननीय मन्त्री महोदय ने बड़े उद्योगपतियों को ऐसी रियायतें दिए जाने का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिये भारी परिश्रम किया है। अब हमें यह देखना है कि सरकार इस उद्देश्य में कहां तक सफल होती है।

पहले यदि कोई फर्म, कम्पनी या न्यास ग्रामीण विकास के लिए धन खर्च करता था तो उसे घाटा 330(ग) के अन्तर्गत आयकर से छूट दी जाती थी। बाद में इस उपबन्ध को वापस ले लिया गया।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस उपबन्ध को पुन: लागू करें तथा फिर से यह रियायत प्रदान करें। दूर-दराज के इलाके में स्थित कोई कम्पनी शायद इस रकम को प्रधानमन्त्री कोष में देना पसन्द न करे। वास्तव में, वे उस धन को, अपने क्षेत्रों में अपने कार्य स्थलों पर सड़क, भवन, स्कूल, कालेज आदि पर व्यय करने के लिए तैयार हो जाएंगी। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू की भी जांच करें। माननीय मन्त्री महोदय ने गरीबों के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा मामले के इस पहलू पर उनको सच्चे हृदय से उद्गार हैं।

सिगरेटों पर, उत्पादन शुल्क के रूप में सरकार लगभग 1,950 करोड़ रुपये वसूल कर रही है। 2 रुपये में बेचे जा रहे प्रत्येक पैकेट से 1.45 रुपये उसकी तिजोरी में आ रहे हैं। इसी तरीके से सरकार को 9550 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। सरकार को बहुत सी अन्य मदों से करोड़ों रुपये मिल रहे हैं। लोगों को भोजन और कपड़ा उपलब्ध कराना सरकार का कर्त्तव्य है।

हमारी राज्य सरकार, राज्य में गरीबों के ऊपर उससे भी ज्यादा खर्च कर रही है जो उसे इस हेतु केन्द्र सरकार से मिलता है। परन्तु कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद तेलगू देशम पार्टी की इस बात के लिए आलोचना करते रहे हैं कि वे गरीबों को 2 रुपये प्रति कि. चावल क्यों दे रहे हैं अथवा उन्हें कपड़ा सस्ता क्यों दे रहे हैं। मैं इस तथ्य को वित्त मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

जब तक योजना की प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक देश में देश

की गरीब जनता की दशा ने कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। अभी 72 प्रतिशत जनता की आजीविका कृषि पर आधारित है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इसका योगदान 46 प्रतिशत है। इसके लिए योजना आवंटन 25 प्रतिशत से भी कम है। इसकी तुलना में बड़े मझौले और भारी उद्योगों पर केवल 90 प्रतिशत लोगों की जीविका निर्भर है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इसका योगदान कुल 15 प्रतिशत है, फिर भी इसके लिए बजट आवंटन 25 प्रतिशत से अधिक है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बावजूद, बैंक आज भी (जून, 1983 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) कृषि क्षेत्र के लिए केवल 5356 करोड़ रुपये दे रहे है जबकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए 13 करोड़ रुपये दे रहे हैं।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृषि, ग्रामीण सड़कों के निर्माण सड़कों के निर्माण और भवन निर्माण कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे कि लाखों बेरोजगारों और अर्ध-बेरोजगारों को अधिक रोजगार मिल सकेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से सरकार की नीति में अनुकूल परिवर्तन करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1985-86 के सामान्य बजट पर कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बड़े सन्तोष की बात है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जिससे देश में एक मौन आर्थिक क्रान्ति के युग का प्रारम्भ हुआ है। इस बजट ने सिद्ध कर दिया है कि बजट केन्द्रीय सरकार के आय और व्यय का लेखा-जोखा मात्र ही नहीं है। इसने सिद्ध कर दिया है कि बजट जन-कल्याण का द्योतक भी बन सकता है। मैं तहदिल से इस बजट का स्वागत करता हूं।

*माननीय वित्त मन्त्री ने देश के बीमार उद्योगों के लिए एक पुनर्वास बोर्ड का प्रस्ताव रखा। मेरे चुनाव क्षेत्र, कोयम्बटूर में 100 से अधिक कपड़ा मिले हैं। इदमें से बहुत सी कई महीनों से बन्द पड़ी हैं। विशेष रूप से श्री हरि मिल्स, वसन्त मिल्स, जनार्दन मिल्स कई महीनों से नहीं चल रही है। इन मिलों के मजदूर जिन्दगी और मोत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को उन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए तथा इन्हें राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंप देना चाहिए। इन्हें फिर से चालू किया जाए ताकि मजदूरों को फिर से काम मिल सके। इसी प्रकार त्रिपुर काटन मिल्स पिछले छः महीनों से बन्द है और इसके मजदूर बेरोजगारी का सामना को कर रहे हैं सरकार को इस मिल को फिर से चालू कराने का प्रयत्न करना चाहिए।

त्रिपुर शहर, जहां मैं रहता हूँ, न केवल समूचे भारत में अपितु संसार के अनेक भागों में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां हौजरी-निर्माण की कई इकाइयां हैं। यदि मूल्य 7.5 लाख रुपये से अनधिक होता है तो पैकिंग हेतु बने लकड़ी के मुद्रित बक्सों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है पहले यह सीमा 30 लाख रुपये थी। मेरा सुझाव है कि मुद्रित लकड़ी के बक्सों के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन मुल्क की सीमा फिर से 30 लाख रुपये ही कर दी जाए।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, मैं पीअरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इंश्योरेंस कम्पनी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है तथा बहुत सी शाखाएं सम्पूर्ण देश भर मे हैं, को मान्यता दिए जाने की मांग करता हूं, क्योंकि यह कम्पनी सभी जगह लोगों को ठग रही है। यह कम्पनी जीवन बीमा निगम की भांति प्रचार करती है तथा लोग बाग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह कोई दूसरा जीवन बीमा निगम है। जीवन बीमा निगम के व्यापार का नुकसान हो रहा है तथा लोगों के पैसे का। कम्पनी खूब पैसा बना रही है मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस कम्पनी के कार्यों की जांच करवाएं तथा आम आदमी को लुटने से बचाएं। इसी भांति सरकार को उन निवेश कम्पनियों के कार्यों की भी जांच करनी चाहिए, जो भोले-भाली जनता का शोषण कर रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री महोदय ने उन निजी कम्पनियों के कार्यों की जांच कराने की घोषणा की है, जो लाटरियां चला रही हैं। इसी प्रकार की जांच के आदेश पीअरलैस कम्पनी और दूसरी निवेश कम्पनियों के सम्बन्ध में दिए जाने चाहिए।

प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र इकाईयां खोलने के लिए शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। जिला उद्योग केन्द्र उदारता से सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से ऋण के उन आवेदनों पर सिफारिश करता है। परन्तु बैंक अनेक ऋण-आवेदनों को नामंजूर कर देते हैं। बैंक ऋण आवेदनों को लटकाते भी हैं। जिस ऋण की सिफारिश कर दी जाती है उसे भी बैंक मन्जूर नहीं करते। जिला उद्योग केन्द्र को केवल पात्र व्यक्तियों के आवेदनों की ही सिफारिश करनी चाहिए तथा उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक उन आवेदन पत्रों पर ऋण मंजूर करें। बैंकों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सिफारिश किए गए ऋण के आवेदनों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।

पिछले वर्ष छोटे जनरेटरों के आयात पर कुछ रोक लगायी गई थी। अब तमिलनाडु में विद्युत कमी सर्वत्र व्याप्त है। बिजली की कमी के कारण छोटे उद्योग पीड़ित हैं। मैं मांग करता हूं कि इस वर्ष जापान, तायवान और कुछ ऐसे ही देशों से, उदारता से उत्तम जनरेटर आयात करने की अनुमति दी जाए। उदारता से आयात लाइसेन्स जारी किए जायें।

चुंगी कर राष्ट्र की परिवहन अर्थ व्यवस्था में सबसे बड़ी रुकावट है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक वर्ष से चुंगी समाप्त करने का संकल्प लिया। इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री चुंगी कर को अवश्य समाप्त करें तथा राज्यों को उचित मुआवजा दें। बिक्री कर को समाप्त करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार को इस समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।

ग्रामीण विकास के लिए हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के आदेश दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खोली जानी चाहिए। परन्तु राज्य सरकार इसे वरीयता

देती है। इससे ग्रामीण लोगों को हताशा ही हाथ लगी है क्योंकि ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंक गारन्टी और जमीन के कागजात आदि मांगते हैं। गरीब जनता ऐसी गारण्टी के लिए कहां जाये केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही किसानों की मदद कर सकते हैं। अत: मैं मांग करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही खोले जायें। 450 जिलों में से 286 जिलों में 162 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोल दिए गए हैं। यह आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की रिपार्ट पर आधारित है। मैं चाहता हूं कि ये बैंक सभी जिलों में खोले जाने चाहिए :

महोदय, 30.6.1983 की स्थिति के अनुसार 463 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को, जिन्हें एक करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सुविधा प्राप्त है, 30.6.83 को बैंकों को 1913 करोड़ रुपए की बड़ी ऋण राशि देनी थी। ये सभी इकाइयां महानगरों में अथवा महानगरों के इर्द गिर्द हैं। हाल ही में समाचार पत्रों ने पंजाब नेशनल बैंक और सैंट्रल बैंक द्वारा श्री सेठिया नाम के एक व्यापारी को 300 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर करने का समाचार प्रकाशित किया है। श्री सेठिया को रकम वापिस न करने के लिए भारत में गिरफ्तार किया गया है। यदि ऐसी वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों को भी दी जाए तो पूरे देश को लाभ होगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के स्व-नियोजन के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई 325 करोड़ रुपए की राशि का 50 प्रतिशत खर्च नहीं किया गया है। जब रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 2 करोड़ शिक्षित युवक जीविका की खोज में हैं तब इस योजना के सफल क्रियान्वयन में मदद न देना, बैंकों की बड़ी भारी लापरवाही है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस मामले की जांच करायें तथा इस पर उचित कार्यवाही करें।

गर्मियों के दिनों में तमिलनाडु में बिजली में निरन्तर कटौती की जाती है। इससे राज्य का औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। स्वर्गीय श्री कामराज के समय में होगेनाकल तापीय बिजली योजना का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इसी प्रकार कोयम्बटूर के निकट पांडयार-पुन्नामपूझा बिजली परियोजना को भी सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इन दो बिजली परियोजनाओं को तथा साथ ही उन सभी बिजली परियोजनाओं, जिनकी तमिलनाडु राज्य सरकार ने शिफारिश की है, अविलम्ब मंजूरी देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री आर. जीवारत्तिनम** (अर्कोनम): सभापति महोदय, 1985-86 के सामान्य बजट पर कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तहदिल से इस बजट का स्वागत करता हूं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 38 वर्षों के पश्चात् पहली बार हमारी आर्थिक नीति को नई दिशा देने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे युवा और उत्साही प्रिधान मंत्री श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रताप सिंह ने यह एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो आर्थिक विचारधारा के नए युग का उद्घोषणा कर रहा है।

बहुत समय से हमारे देश का कृषि समुदाय फसल बीमा योजना की मांग कर रहा था। इसे इस वर्ष के बजट से लागू कर दिया गया है। समस्त कृषि समुदाय ने फसल बीमा योजना का स्वागत किया है। मैं इस योजना का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। इस सदन का कीमती समय नष्ट किए बिना मैं संक्षेप में कुछ ऐसे मुद्दों का उल्लेख करूंगा जिन पर वित्त मंत्री को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि अनिवार्य जमा योजना का धन वर्ष 1986-87 में ही लौटाया जा सकेगा। मेरा सुझाव है कि अनिवार्य जमा योजना का 50 प्रतिशत धन 1985-86 में लौटा दिया जाए तथा शेष 50 प्रतिशत 1986-87 में। सीमेन्ट का उत्पादन बढ़ाने के लिए मैं सीमेंट के सम्बन्ध में दोहरी नीति को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दूंगा। लेवी सीमेंट और बगैर लेवी का सीमेंट से सम्बन्धित करार समाप्त कर देना चाहिए। यह उत्पादन बढ़ाने में बाधक हो रहा है। आप सीमेंट के दोनों मूल्यों को जोड़ लें और उनका औसत मूल्य निकाल लें। यह भवन-निर्माण उद्योग तथा निर्माण कार्यक्रमों के लिए बहुत आवश्यक है। वित्त मंत्री महोदय को यह कार्य करना चाहिए।

सेलम स्टील प्लांट का विस्तार किया जाना चाहिए तथा इसके लिए वित्त मंत्री को अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए। अब मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र के बैंक और निवेश कम्पनियां जमा धनराशि पर 15 प्रतिशत और किन्ही मामलों में तो इससे भी अधिक ब्याज दे रही हैं। स्वभाविक ही लोग अपना धन इन कम्पनियों में लगाते हैं। स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के दूसरे बैंक विभिन्न राशियों पर केवल 4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत ब्याज ही देते हैं। स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में 'जमा' राशि आकर्षित करने के लिए ब्याज की दर बढ़ा देनी चाहिए। विभिन्न राशियों पर ब्याज की 6 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक होनी चाहिए। इस पर ही माननीय वित्त मंत्री 'जमा' राशि के रूप में अधिक बचत को बढ़ावा दे सकेंगे।

मेरा सुझाव है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण लेने के लिए आवेदन करने वालों को बताया जाना चाहिए कि उन्हें ऋण मिलेगा अथवा नहीं। उन्हें सन्देह में नहीं रखना चाहिए। इस वजह से वे अन्य कोई काम भी नहीं कर सकते। उन्हें तथा-शीघ्र "हां" अथवा "ना" कह देना चाहिए। स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों को डाक्टरों, इन्जीनियरों, वकीलों और व्यापारियों को कार खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देना चाहिए।

जिला उद्योग केन्द्र प्रार्थी उद्यमी की संक्षाव्यता प्रतिवेदन के साथ सरकारी बैंकों को ऋण देने की सिफारिश कर रहे हैं। इस समय ऐसे ऋणों की सिफारिश करने की अधिकतम सीमा है। मेरा सुझाव है कि इसकी अधिकतम सीमा बढ़ाकर दो लाख रुपये कर देना चाहिए ताकि आवेदकों को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए जगह जगह न भागना पड़े। उन्हें

परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि एक ही स्थान से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलेगी।

चूंकि लघु-सीमेंट एककों द्वारा उत्पादित सीमेंट की गुणवत्ता गिर रही है, मेरा सुझाव है कि और लघु-सीमेंट एकक खोले जाने के लिए अब लाइसेंस न दिए जाए।

तमिलनाडु में कई करोड़ रुपए का हथकरघा वस्त्र नहीं बिक रहा है। हथकरघा बुनकर कष्ट में हैं। सरकार को हथकरघा कपड़े के लिए देश के बाहर प्रदर्शनियां लगानी चाहिए तथा इसकी बिक्री के लिए नए बाजार ढूंढने चाहिए। जो हथकरघा वस्त्र बिना बिके पड़ा है उसकी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में, जहां भी इसका निर्यात संभव हो, किया जाना चाहिए। व्यापार विकास प्राधिकरण के कार्यों में और सुधार किया जाना चाहिए ताकि यह संगठन निर्यात के नए बाजारों का पता लगा सके।

अराबक्कोनम से वालजा तक सड़क पर 5000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यह जमीन सोलिंगापुरम रेलवे स्टेशन के नजदीक है। केन्द्रीय सरकार को यहां एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करनी चाहिए। तमिलनाडु में किसानों की बिजली में कटौती की जा रही है। गर्मी अभी शुरू हुई है। तेज गर्मी के समय, बिजली की कटौती 60 प्रतिशत तक हो जाती है। समूचे तमिलनाडु में कृषि का कार्य रुक जाता है। हर वर्ष यही हो रहा है। मेरी मांग है कि राज्य में कृषि हित में एक तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करना चाहिए।

इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : क्या सभा इससे सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अतः समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं सब से पहले मजदूरों की अपनी जमात 'इन्टक' के नुमाइंदे की हैसियत से इस बजट के सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने मजदूरों के उस वर्ग की तरफ, जिस की तरफ अभी तक आप लोगों का ध्यान नहीं गया था, इस बार ध्यान किया है। इस में जो पहले 750 रुपये तक वेतन पाने वालों को बोनस दिया जाता था, उसको बढ़ा कर 1600 रुपये कर दिया है। ग्रेच्युटी की जो सीमा 36 हजार रुपये तक थी, उसको बढ़ाकर 50000 रुपये कर दिया है। हाउसबिल्डिंग लोन के रेट आफ इन्टरेस्ट में कन्सेशन दिया है-इन सब के लिये मजदूर वर्ग आप को बधाई ही नहीं, बल्कि आप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है।

अब मैं अपोजीशन के लोगों से कुछ शब्द आप के माध्यम से कहना चाहता हूं। वैसे तो श्री जनार्दन पुजारी जी ने बहुत अच्छे ढंग से उनके तर्कों के उत्तर दिये हैं। अगर मजदूरों को राहत देनी हैं, अगर देश का औद्योगीकरण करना है, अगर फसलों का बीमा करना है, देश में औद्योगीकरण के वातावरण का निर्माण करना है, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, तब इन सब कामों के लिए संसाधन जुटाना किस काम है ?सरकार को इन सब के लिए संसाधन जुटाने होंगे और इस के लिए केवल तीन ही रास्ते हैं-या तो योजनाओं में कटौती की जाय, या विदेशों से ऋण लिया जाय या कराधान द्वारा धन प्राप्त किया जाय या फिर चौथा रास्ता जो जनता पार्टी ने अपने जमाने में अपनाया था-हमारी माताओं और बहनों ने जो सोना देश के लिए दिया था उसको बेचकर संशाधन जुटाना थे, वह खजाना तो उन्होंने उस समय खाली कर दिया, हम उसको इस समय नहीं अपना सकते। इस लिए बिना कराधान के हम अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते।

मैं, सभापति महोदय, उस इलाके से आता हूं जिसके बारे में इस सदन में किसी समय गहमरी जी ने आवाज उठाई थी। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा फैजाबाद, ये सब मिलाकर 14 जिले हैं जिन पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो आप देखेंगे कि यह सब से पिछड़े जिले हैं। गहमरी जो ने सब यहां पर आवाज उठाई तो शायद उन्हीं के कहने पर "पटेल आयोग" की घोषणा की गई थी और उस आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार के सामने पेश की थीं। यहां इस समय गाजीपुर के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं गोरखपुर का प्रतिनिधि हूँ, आजमगढ़ के प्रतिनिधि हैं,-हम देखते हैं कि पटेल आयोग की सिफारिशों के बावजूद इन क्षेत्रों की तस्वीरों को बदलने का कोई प्रयास आज तक नहीं किया गया। अशोक मेहता जैसे नेता ने इस आवाज को यहां पर उठाया था लेकिन उनकी बातों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं वित्त मंत्री जी से चाहता हूं, उन्होंने उस पूरे इलाके को देखा है, कि जिस तरह से हिली रिजन्स के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है और जिस तरह से बुन्देलखण्ड के लिए बनाया गया है उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास बोर्ड का गठन किया जाए और वहां की पीड़ित जनता को राहत देने की कोशिश की जाए।

मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि यदि वहां का एरियल सर्वे बरसात में किया जाये, तो आप यह पायेंगे कि घाघरा, राप्ती और गंगा, वहां से ऊपरी हिस्सों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं, उनका सारा गुस्सा मिर्जापुर से बंटना शुरू हो जाता है और आखिर में जाकर लबिया, गाजीपुर बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर और देवरिया में उतरता है वहां पर समुद्र लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। तटबंध और नदी के बीच में जो गांव बसे हुए हैं, बरसात में उनमें रहने वालों की क्या हालत होगी, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। वहां पर आने जाने के साधन नहीं रहते हैं और पेशाब, पाखाना करने के लिए स्थान नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि दुर्गम स्थान होने की वजह से हमारे नेताओं का पदार्पण भी वहां नहीं होता है और हमारी सरकार के मंत्री वहां पर नहीं जाते हैं और अधिकारी लोग भी उन्हें वहां पर नहीं ले जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस इलाके की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

बाढ़ की जो समस्या है, वह नेपाल से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर निर्भर नहीं किया जा सकता। राप्ती का भालू बांध योजना नेपाल के सहयोग से बनाई जा सकती है। घाघरा और दूसरी नदी घाटी योजनायें बनाई जायें और ना में नेपाल का सहयोग होना आवश्यक है। गहमरी जी ने जो बात कही थी, उसको आपको याद रखना चाहिए। इतने कम समय में उनकी पूरी दुर्दशा का वर्णन नहीं हो सकता। वहां की दुर्दशा का कारण संसाधनों की कमी है और आजादी के 40 वर्ष के बाद वहां के लोगों की यह दुर्दशा है। प्रगति के भरोसे वहां के लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता। वहां पर आपको संसाधनों की व्यवस्था करके वहां के लोगों को स्थायी राहत देने की चेष्टा करनी चाहिये। मैं चाहूँगा कि बजट का जबाब देते समय वित्त मंत्री जी इसका भी जबाब दें।

मैं आशा करता हूं कि पूर्वी जिला विकास बोर्ड के गटन की बात को स्वीकार किया जाएगा ताकि वहां के पीड़ित निवासियों को राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं एक संतुलित बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और नई सरकार के नेता श्री राजीव गांधी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आधुनिकीकरण की भावना का निर्माण करने वाला बजट पेश किया गया है।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करौल बाग) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया है।

मैं वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करती हूं क्योंकि उसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए चाहें पूंजीपति हों, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे किसान हो और चाहे मजदूर हो, सबके लिए एकता बरती है।

सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे विपक्ष के जितने भाई अभी तक बोले हैं, एक तरफ उन्होंने सराहना की है और दूसरी तरफ बजट की मुलालफत भी की है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि सन् 1977 में जब उनका राज्य था और वे सत्ता में आए थे, तो उन्होंने गरीबों और किसानों के लिए क्या किया था। आज वे गरीबों के ऊपर और किसानों के प्रति बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे हैं। अब हमारी प्रिय नेता स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो उसका उन्होंने विरोध किया और राजाओं के प्रिवी पर्स अब खत्म किए, तो उसका विरोध किया। वे किसानों के लिए बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने किसानों के लिए क्या किया था, जबकि गन्ने की इतनी अच्छी फसल खड़ी हुई थी। और उन्होंने जब अपनी मांगें रखीं तो उनके लिए उनकी सरकार ने इन्कार कर दिया। किसानों ने अपने खड़े खेत जलाये। आज जो ये आंसू बहा रहे हैं ये मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं समझती हूं कि इन्दिरा जी ने जो जमीनें गरीबों और किसानों को दी थीं वे जमीनें इनके राज्य में छीन ली गईं। आज वे इस राज्य की बात करते हैं कि इसमें क्या किया गया। जो मुखालिफ पार्टी होती है, उसकी मुखालफीनी करने की आदत ही होती है।

सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने बजट के ऊपर अपने विचार रखना चाहती हूं। समाज कल्याण और महिला कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जिनके लिए 1985-86 में नान प्लान में 79 करोड़ 78 लाख 33 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान योजना (प्लान) के अन्तर्गत किया गया है।

समाज कल्याण के अन्तर्गत कई विकास योजनाएं हैं जिनमें एक विकलांगों को सहायक उपकरण निःशुल्क देने सम्बन्धी है। इस योजना के अन्तर्गत 750 रु. से 1500 रु. मासिक आय वाले व्यक्तियों को सहायक उपकरण निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन जिनकी आय 750 रु. माह से कम है उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जबकि उन्हीं लोगों को इस सहायता की सब से अधिक आवश्यकता है। ऐसा दिखाई देता है कि गरीब लोगों को इसमें वंचित रखा गया है। गरीब मोहल्लों में लोगों को पता तक नहीं होता कि ऐसी भी कोई योजना है। इसके लिए इन बस्तियों का सर्वेक्षण करना चाहिए जिससे विकलांगों की समस्याओं का पता लगाया जा सके और उनके लिए उचित कदम उठाये जा सकें।

सभापति महोदय, महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनायें हैं, वे समाज कल्याण और हरिजन वेलफेयर बोर्ड के अन्तर्गत आती हैं। उनको काफी साधन देने की आवश्यकता है लेकिन इन विभागों द्वारा जो साधन दिए जाते हैं वे आटे में नमक के बराबर दिए जाते हैं। जो महिलायें विधवा हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको एक साल में तीन सौ रुपए दिए जाते हैं। इससे क्या होता है। पेंशन के तौर पर 60-60 रुपए दिए जाते हैं। सभापति जी मैं चाहूंगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा राशि दी जानी चाहिए। महिलाओं के लिए ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें जहां उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षणमिले और रोजगार भी मिले जिससे कि उनके बच्चों का पालन-पोषण हो सके। क्योंकि बहुत सी ऐसी विधवायें हैं जिनके बच्चे अनाथ है। उनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है। मैं चाहूंगा कि ऐसे केन्द्र गरीब बस्तियों में अधिक से अधिक स्थापित करने चाहिए।

इसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का भी बहुधा मध्यवर्गीय लोग लाभ उठाते हैं जबकि गरीब वर्ग को इसकी अधिक आवश्यकता है। जो कम आय वाले हैं, जो अपने बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर पाते, उनकी बस्तियों में इस योजना को अधिक से अधिक प्रचारित करना चाहिए।

सभापति महोदय, एकीकृत बाल विकास सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रोग्राम जैसे कि पूर्वपोषाहार, रोग प्रतिरक्षण स्वास्थ्य की जांच, परामर्श सेवायें, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार कार्यक्रम भी गरीब परिवारों को उतना लाभ अभी तक नहीं पहुचा पाए हैं जितना पहुंचाना चाहिए था। पोषाहार में दिए गए खाने के लिए प्रति बच्चा इतना कम पैसा दिया जाता है कि उससे आवश्यक पोषण नहीं होता है। इसके लिए प्रति बच्चा अधिक पैसे का प्रावधान होना चाहिए :

स्कूल पूर्व शिक्षा केन्द्र प्रायः मध्यम वर्गीय बस्तियों में खोले जाते हैं जिससे गरीब परिवारों के बच्चे उससे लाभ नहीं उठा पाते। जो गरीब लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। जो औरतें सड़क पर कपड़ा डाल कर काम करती हैं या जो महिलायें सड़क पर रोड़ी उठाती हैं, इमारतों में काम करती हैं, उनके बच्चे अनाथ घूमते दिखाई देते हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके बच्चों की ज्यादा से ज्यादा देखभाल करनी चाहिये। उनके लिये अधिक से अधिक साधन ऐसे जुटायें जायें ताकि उनके बच्चों को शिक्षा मिल पायें।

आज जो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। बाहर से जो गरीब लोग रोजगार के लिये, रोटी के लिए यहां शहरों में आते हैं, उनके कारण स्लम बहुत जा रहे हैं, झुग्गी-झोंपड़ियां बढ़ती

जा रही हैं। उनके लिये कोई ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे उनको आराम मिले। उनके लिए न पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है। ये सुविधायें उन्हें अवश्य दी जायें। ऐसा कार्यक्रम बनायें कि वे जिस गांव से आते हैं, वहीं पर उनको रोजगार दिया जाये, रोटी दी जाये। जिससे उन्हें शहरों में आने की आवश्यकता न हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे पांच मिनट बोलने का समय दिया।

प्रो सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं जब पहली बार बोला था तो उस समय जनार्दन पुजारी जी बैठे थे। इन्होंने मेरी बात सुनकर जवाब तक नहीं दिया था। अब मुझे इसकी गारंटी मिलनी चाहिए कि जो थोड़ी सी तकरीर रखूंगा, उस पर सोचा जायेगा या नहीं सोचा जायेगा।

एक सदस्य ने कहा कि पार्लियामेंट इररैलेवेंट हो गयी है।

बात यह है कि यह नाराज हो गये कि जब इन्टरव्यू दिया तो कहा कि अच्छा बजट है। मैं नहीं कहता, झूठ नहीं बोल सकता। मैं फिर कहता हूं कि यह अच्छा बजट है। आप कहेंगे मुझ को ताइद मिली है क्योंकि पालकीवाला ने कहा है कि अच्छा बजट है। उस वक्त, जिस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बोल रहे थे, उस समय मेरा इम्प्रेशन बना कि अच्छा बजट है।

अभी वजीरे खजाना ने कहा कि फसलों का बीमा होगा। यह बहुत बेहतर है। मैं उनसे बिल्कुल इत्तिफाक करता हूँ। सवाल यह है कि जब बादल मंडराते हैं, आंधी, बारिश आती है उस वक्त किसानों के दिल पर क्या गुजरती है। अगर वह इस गम से आजाद हो जायेगा तो वह फसल में मेहनत करेगा। अगर फसल खराब होती है तो उसको आशा होगी कि उसका घर बर-बाद नहीं होगा। उसको साइकालोजिकल रिलिफ होगा तो पटेल साहब को समझना चाहिए कि यह खुशी उसके घर में आ गई है।

जो गरीब लोग हैं, अगर वे एक्सीडेंट में मारे जायेंगे तो उनके लिए इस बजट में सोशल सिक्योरेटी मेजर्स लिये गये हैं। सिक यूनिट जो हैं, जो कारखाने चलते नहीं हैं, तो उस जिले में लैंजिस्लेशन होना चाहिए।

तालीम के बारे में तो जब पंत साहब होंगे तो उस पर बात होगी। शिक्षा बेसिक विषय है। इसकी कोई कद्र नहीं है, कोई प्रायरेटी नहीं है. फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार यह कहा है कि एजुकेशन के लिए की अहमियत में बहुत कुछ करेंगे। यह तो देखेंगे कि वह करेंगे या नहीं, लेकिन इरादा है। इनका इरादा टैक्स चोरों को पकड़ने का भी है। यह 5-6 जो चीजें हैं जिन पर बहुत से लोगों ने, या इधर के लोगों ने, जो मिनिस्टर को खुश करने के लिए कहते हैं, समर्थन किया है। 5-6 चीजें जो हैं, वे बहुत अच्छी चीजें हैं।

इसके साथ ही साथ मैं 2-4 चीजें और बताऊंगा। पुजारी जी हमारे रफीक हैं, दोस्त हैं। इनको कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिये कि आप फिर मिनिस्ट्री में जायेंगे, वहां सलाह मशविरा करेंगे। हो सका तो टाल देंगे, यह आज की बात नहीं है। 2-4 चीजें ऐसी हैं जिन पर गौर करना होगा और कुछ रिलिफ देना होगा। मसलन आपने ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ाये हैं, लेकिन एक छिना हुआ टैक्स है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, मेरी स्टेट में ज्यादा हो रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गये हैं, बे-हिसाब बढ़े हैं। परसेंटेज में नहीं जाऊंगा। 90 पैसे फी-लीटर

बढ़ गये। श्रीनगर में बहुत ज्यादा हो गये हैं। हमारे यहां ट्रांसपोर्टेशन की बहुत डिफिकल्टी है। आपने जैक मिट्टी के तेल पर बढ़ाया है तो एकदम 40 पैसे बढ़ा दिया है। मेरी तजवीज होगी कि जहां तक पेट्रोल पर बढ़ाया है, जरूर बढ़ाना चाहिए क्योंकि आखिर बढ़ाने के अलावा तो कोई चारा नहीं है, लेकिन मेरी दरख्वास्त यह होगी कि पेट्रोलियम में जो इनक्रीज है उसको कम से 50 परसेंट कम किया जाय और मिट्टी के तेल पर, चूंकि वह आम लोगों के लिए है—एक तरफ तो आप नारा लगा देते हैं कि गरीबी हटाओ, उस पर हमारे कुछ दोस्त बहुत गरम हो जाते थे कि आप गरीबी हटाना नहीं चाहते लेकिन आप ने चूंकि इस बजट में गुरबत हटाने के कुछ उपाय निकाले हैं, इसलिए मेहरबानी करके केरोसिन पर सिर्फ दस पैसे बढ़ाइए। वह काफी होगा। जहां तक गैस का ताल्लुक है आप ने एकदम 6 रुपया बढ़ा दिया है। श्रीनगर में और कश्मीर के दूसरे शहरों में होम डेलिवरी सिस्टम नहीं है। मैंने शिवशंकर जी को बताया मगर उधर से पता नहीं कौन खत लिखता है, हम आम लोगों में रहते हैं, हम ने कहा कि वहां होम डेलिवरी सिस्टम नहीं है श्रीनगर में या काश्मीर के किसी शहर में, वहां वह जो एजेंट है गैस वाला वह जाता नहीं है, वहां खुद जाना पड़ता है बजाय होम डेलिवरी के और वहां ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं गैस के। इसलिए वहां, श्रीनगर, बारामूला या और दूसरी दूर की जगहों में 6 रुपए नहीं बढ़ेगा, दस रुपए से ज्यादा बढ़ेगा। या गैस आज नेसेसरीज आफ लाइफ में शामिल है, गरीब लोग भी पेट काट कर या और तरह से किफायत करके धुवें से बचने के लिए गैस मंगाते हैं। इसलिए गैस अब लग्जरी आइटम नहीं रह गया है, यह कामन कन्जम्पशन का आइटम बन गया है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप कहां 6 रुपया बढ़ाने के लिए चले गए हैं ?

बजट बहुत अच्छा है, नानी पालकीवाला ने भी कहा और बहुत डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर। मैं खुद एकोनामिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। लेकिन आप अन्दाजा लगाइए कि पेट्रोलियम, केरोसिन, गैस और 5-6 और चीजें मिलकर के कामन मैन के बजट को तहस नहस करेंगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय इसको सोचें और यह कोई प्रेस्टिज का सवाल नहीं है।

(व्यवधान) मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।

इनकम टैक्स में जो स्लैब है उस में जरा दूसरे नम्बर पर देखें कि एक कैटेगरी को कोई फायदा नहीं होगा। यह पहले भी मैंने कहा, एक इन्टरव्यू में मैंने यह दरख्वास्त की थी कि 18 हजार के बजाय 25 हजार तक एग्जम्पशन लिमिट रखिए और 25 हजार नहीं करते हैं तो 20 हजार करिए। जो पांच छः कैटेगरीज हैं उस में बहुत गलत बात की है। जो बजट बनाने वाले हैं वह अपने साथियों को नजर में रखकर कटौती या कंसेशन देते हैं। वह चार कैटेगरीज जो हैं उनमें मेहरबानी करके दूसरी कैटगरी को देखिए, उसमें कोई फायदा नहीं आ रहा है। उस के अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में आप ने कहा कि वह फाइनेंशियल ईयर से ऐक्रू करेंगे, लेकिन जनवरी 1985 में जो लोग रिटायर हो गए हैं, हालांकि यह फाइनेंस मिनिस्ट्री शायद गलत समझे, लेकिन क्या कोई तरीका नहीं निकल सकता कि छोटे छोटे चपरासी या क्लर्क जो रिटायर हो गए हैं, जब उनको पता है कि पहली अप्रैल से बहुत सारे कंसेशन मिलने वाले हैं, बड़ी अच्छी मोटी कंसेशन मिलने वाली है, बड़े अफसरों के लिए बहुत ज्यादा कंसेशन है, तो उस चपरासी या क्लर्क या और जितने छोटे मुलाजिम हैं जो जनवरी से पहली अप्रैल के बीच में रिटायर हो गए हैं उन के दिल में दुख होगा कि हमको यह बेनिफिट नहीं मिला। इसलिए यह रिटायरमेंट बेनिफिट जनवरी 1985 से उनको दिया जाय।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارامولا)

ایا دھیکش مہودے! میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں جب پہلی بار بولا تھا تو اس سمے جنادرن پجاری جی بیٹھے تھے۔ انھوں نے میری بات سن کر جواب تک نہیں دیا تھا، اب مجھے اس کی گارنٹی ملنی چاہیئے کہ جو تھوڑی سی تقریر رکھوں گا اس پر سوچا جائے گا یا نہیں سوچا جائے گا۔

ایک سدسس نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ اور بلیومینٹ ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ناراض ہو گئے کہ جب انٹرویو دیا تو کہا کہ اچھا بجٹ ہے۔ میں نہیں کہتا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ اچھا بجٹ ہے آپ کہیں گے مجھ کو تائید ملی ہے کیوں کہ پالکی والا نے کہا ہے کہ اچھا بجٹ ہے اُس وقت جس وقت وشوناتھ پرتاپ سنگھ جی بول رہے تھے اس سمے میرا امپریشن بنا کہ اچھا بجٹ ہے

ابھی وزیر خزانہ نے کہا کہ فصلوں کا بیمہ ہو گیا۔ یہ بات بہت بہتر ہے، میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ جب بادل منڈراتے ہیں، آندھی بارش آتی ہے اس وقت کسانوں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اگر وہ اس غم سے آزاد ہو جائیگا تو وہ فصل میں محنت کرے گا۔ اگر فصل خراب ہوتی ہے تو اس کو آشا ہوگی کہ اس کا گھر برباد نہیں ہوگا، اس کو سائیکلاجیکل ریلیف ہوگا تو پٹیل صاحب کو سمجھنا چاہیئے کہ یہ خوشی اس کے گھر میں آئے گی۔

جو غریب لوگ ہیں اگر وہ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں گے تو ان کے لئے اس بجٹ میں سوشل سیکورٹی میزرس لئے گئے ہیں، پبلک یونٹ جو ہیں، جو کارخانے چلتے نہیں ہیں تو اس ضلعے میں لیجسلیشن ہونا چاہیئے۔

تعلیم کے بارے میں تو جب مینت صاحب ہوں گے تو اس پر بات ہوگی۔ شکشا بیک دشئے ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی پرائرٹی نہیں ہے فائنینس منسٹر نے پہلی بار کہا ہے کہ ایجوکیشن کی اہمیت میں بہت کچھ کریں گے، یہ تو دیکھیں کہ وہ کریں گے یا نہیں لیکن ارادہ ہے، ان کا ارادہ ٹیکس چوروں کو پکڑنے کا بھی ہے، یہ ۵-۶ چیزیں ہیں جن پر بہت سے لوگوں نے یا ادھر کے لوگوں نے جو منسٹر کو خوش کرنے کے لئے کہتے ہیں۔ سمرتھن کیا ہے۔ ۵-۶ چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ۲-۴ چیزیں اور بتا دوں گا۔ پجاری جی ہمارے رفیق ہیں دوست ہیں۔ ان کو کہوں گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیئے کہ آپ پھر منسٹری میں جائیں گے وہاں صلاح مشورہ کریں گے، ہو سکا تو ٹال دیں گے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ۲-۴ چیزیں ایسی ہیں جن پر غور کرنا ہوگا۔ اور کچھ ریلیف دینا ہوگا، مانا آپ نے زیادہ ٹیکس نہیں بڑھائے ہیں لیکن ایک چھپا ہوا ٹیکس ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے، میری اسٹیٹ میں زیادہ ہو رہی ہے، پیٹرول کے دام بڑھ گئے ہیں۔ بے حساب بڑھے ہیں۔ پرسنیج میں نہیں جاؤں گا۔ ۹۰ پیسے فی لیٹر بڑھ گئے سری نگر میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں

ہمارے یہاں ٹرانسپورٹیشن کی بہت ڈیفیکلٹی ہے، آپ نے جب مٹی کے تیل پر بڑھایا ہے۔ تو ایک دم ۴۰ پیسے بڑھا دیا ہے، میری تجویز ہوگی کہ جہاں تک پیٹرول پر بڑھایا ہے۔ ضرور بڑھنا چاہیئے۔ کیوں آخر بڑھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ پیٹرولیم میں جو انکریز ہے اس کو کم سے کم ۵۰ پرسینٹ کم کیا جائے اور مٹی کے تیل پر چونکہ وہ عام لوگوں کے لئے ہے، ایک طرف تو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ غریبی ہٹاؤ، اس پر ہمارے کچھ دوست گرم ہو جاتے تھے کہ آپ غریبی ہٹانا نہیں چاہتے۔ لیکن آپ نے چون کہ اس بجٹ میں غربت ہٹانے کے کچھ اپائے نکالے ہیں، اس لئے مہربانی کر کے کروسین پر صرف دس پیسے بڑھایئے۔ وہ کافی ہوگا۔ جہاں تک گیس کا تعلق ہے آپ نے ایک دم چھ روپے بڑھا دیا ہے، سری نگر میں اور کشمیر کے دوسرے شہروں میں ہوم ڈلیوری سسٹم نہیں ہے۔ میں نے شو شنکر جی کو بتایا مگر ادھر سے پتا نہیں کوئی خط لکھتا ہے ہم عام لوگوں میں رہتے ہیں، ہم نے کہا کہ وہاں ہوم ڈلیوری سسٹم نہیں ہے، سری نگر میں کشمیر کے کسی شہر میں وہاں وہ جو ایجنیٹ ہے گیس والا وہ جاتا نہیں ہے اور وہاں خود جانا پڑتا ہے، بجائے ہوم ڈلیوری کے وہاں زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے۔ گیس کے، اس لئے وہاں سری نگر، بارامولا یا دوسری دور کی جگہوں میں چھ روپے نہیں بڑھے گا دس روپے سے زیادہ بڑھے گا۔ یہ گیس نیسیسیرز آف لائف میں شامل ہے، غریب لوگ بھی پیٹ کاٹ کر یا اور طرح سے کفایت کر کے دھوئیں سے بچنے کے لئے گیس منگاتے ہیں۔ اس لئے گیس اب لگزری آئٹم نہیں رہ گیا ہے یہ کامن کنزمپشن کا آئٹم بن گیا ہے۔ اس لئے میں یہ کہوں گا کہ آپ کہاں چھ روپے بڑھانے کے لئے چلے گئے ہیں۔

بجٹ اچھا ہے ساتھی پالکی والا نے بھی کہا اور بہت ڈسکشن ہوا ہے اس کے اوپر، میں خود اکنومکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں لیکن آپ اندازہ لگایئے کہ پیٹرولیم، کیروسین گیس اور پانچ چھ اور چیزیں مل کر کے کامن مین کے بجٹ کو تحس نحس کریں گی اس لئے مانیئے منسٹر دوبارہ اس کو سوچیں اور یہ کوئی پرسٹیج کا سوال نہیں ہے .... (انٹرپشن) ... میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں۔

انکم ٹیکس میں جو سلیب ہے اس میں ذرا دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ ایک کیٹگری کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلے میں بھی کہہ چکا ہوں، ایک انٹرویو میں میں نے یہ درخواست کی تھی کہ ۱۸ ہزار کے بجائے ۲۵ ہزار تک ایگزیمپشن لمٹ رکھیئے اور ۲۵ ہزار نہیں کرتے ہیں تو ۲۰ ہزار کیجئے۔ جو پانچ چھ کیٹگریز ہیں اس میں یہ بہت غلط بات کی ہے۔ جو بجٹ بنانے والے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو نظر میں رکھ کر کٹوتی یا کنسیشن دیتے ہیں وہ چار کیٹگریز جو ہیں ان میں مہربانی کر کے دوسری کیٹگری کور کیجیئے۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں آرہا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرمینٹ بینفٹس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ فائننشیل ایئر سے ایگرد کریں گے لیکن جنوری ۱۹۸۵ء میں جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں حالانکہ یہ فائننس منسٹری شاید غلط سمجھے لیکن کیا کوئی طریقہ نہیں نکل سکتا کہ چھوٹے چھوٹے چپراسی یا کلرکس جو ریٹائر ہو گئے ہیں جب ان کو پتہ چلا ہے کہ پہلی اپریل سے بہت ساری کنسیشن ملنے والی ہیں بڑی اچھی موٹی کنسیشن ملنے والی ہے بڑے افسروں کے لئے بہت زیادہ کنسیشن ہے تو اس چپراسی یا کلرک یا اور جتنے چھوٹے ملازم ہیں جو جنوری سے پہلی اپریل کے بیچ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے دل میں دکھ ہوگا کہ ہم کو یہ بینفٹ نہیں ملا اس لئے یہ ریٹائرمنٹ بینیفٹ جنوری ۱۹۸۵ء سے ان کو دیا جائے۔

[हिन्दी]

श्री रामसमुझावन (सैदपुर) : सभापति महोदय, सदन में वित्त मंत्री जी ने सन् 1985-86 का जो बजट पेश किया है उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी की मैं भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं क्योंकि इस बजट में हर पहलू से देश की प्रगति का ध्यान रखा गया है। जो फसल बीमा योजना है या जो रोजगार योजना है या जो अन्य एन. आर. इ. पी. जैसी योजनायें हैं, उनके लिए काफी पैसा दिया गया है। दुर्घटना में मरने वालों के लिए सौ जिलों में प्रत्येक आश्रित को तीन हजार रुपया दिया जायेगा लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस योजना को सारे देश में चलाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से फूड सब्सीडी 800 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई है॥ इसका असर गेहूं और धान की फसलों पर अच्छा पड़ेगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और खेती पर ही निर्भर करते हैं। उनके इस्तेमाल में आने वाली चीजें जैसे बीज, खाद, दवा आदि के दाम कम करने की आवश्यकता है। साथ ही किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की आवश्यकता है। बिजली की आज हालत यह है कि लाइन आते ही दो मिनट में कट जाती है। किसान अपने खेत पर जाता है लेकिन वह पानी नहीं दे पाता। बिजली ज्यादातर रात को ही सप्लाई की जाती है जिससे किसान के बीमार पड़ने की ही अधिक सम्भावना रहती है। मैं चाहूंगा किसानों को दिन के समय में अधिक से अधिक बिजली सप्लाई की जाए। इसी प्रकार से हरिजन बस्तियों में बिजली का प्रकाश करने की व्यवस्था है लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि गाँव में बता दिया जाता है कि इस हरिजन बस्ती में बिजली लगा दी गई लेकिन वहां पर रोशनी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि कर्मचारी लोग लापरवाही बरतते हैं। मैं समझता हूँ इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मेरा क्षेत्र भी आता है। जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता राय साहब ने यहां पर बताया था उस पूर्वांचल में जो 14 जिले आते हैं वह इतने पिछड़े हुए हैं और वहां पर घनी आबादी तथा जमीन कम होने के कारण वहां के गरीब लोग अपने घर को छोड़ कर दूसरी जगहों पर जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली में जाकर नौकरी करते हैं और किसी प्रकार से अपना जीवन-यापन करते हैं। मैं चाहूंगा कि इन गरीब लोगों के लाभ के लिए इस बात की नितांत आवश्यकता है कि गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, जौनपुर बलिया के इलाके में बड़े उद्योग स्थापित किए जायें। हमारे क्षेत्र में तो उद्योग नाम की कोई चीज है ही नहीं—क्या बड़ा और क्या छोटा उद्योग। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारा जो क्षेत्र है गाजीपुर, जौनपुर का वह छोटी-बड़ी 17 नदियों से घिरा हुआ है और बरसात के दिनों में वहां पर भयंकर दृश्य नजर आता है। गंगा, गोमती व सई नदियां बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हैं। उसी क्षेत्र में एक कराकत नाम का स्थान है जिसके पास गोमती का कटाव बढ़ता जा रहा है। वहां पर ठोकर बनाने के लिए कई बार सरकार से कहा गया है लेकिन कुछ नहीं किया गया। वहां पर एक पुल की नितान्त आवश्यकता है। पुल

बन जाने से उस इलाके का विकास होने के साथ साथ आजमगढ़, बनारस, जौनपुर जाने की दूरी भी कम हो जायेगी। इसलिए पुल बनाने की व्यवस्था जरूर की जाए।

इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में शारदा कैनाल से सिंचाई का काम लिया जाता है, वहां पर मेरे क्षेत्र में 35 किलोमीटर शारदा कैनाल की शाखा है लेकिन उसकी हालत यह है कि प्रति वर्ष वह कहीं न कहीं पर टूट जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि किसानों की सारी फसल बरबाद हो जाती है और उसके लिए किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर शारदा नहर को पक्का बनाया जाए जिससे कि किसानों को काफी राहत मिलेगी।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की इस संतुलित बजट को यहां रखने के लिए भूरिभूरि प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिन वस्तुओं का असर गरीबों पर पड़ता है उनमें करों को कम किया जाय। कैरोसीन तेल, पैट्रोल, डीजल के दामों को कम करके उन किसानों को जो गांवों में रहते हैं राहत दी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस बजट का इस लिए समर्थन करता हूं कि पहली बार इस बजट में छोटे लोगों से लेकर बड़े लोगों तक के लिए सहूलियतें, सुविधायें दी गई हैं। अभी इस बात की बड़ी आलोचना हुई है कि इस बजट में बड़े लोगों को ज्यादा सहूलियतें दी गई हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 70-80 फीसदी लोग गांवों में बसते हैं और उनका व्यवसाय खेती है। जो आबादी खेती पर निर्भर करती है, वह केवल खेती से जी नहीं सकती। इस लिये पहली बार इस बजट में उद्योगों के लिए ऐसी सुविधायें दी गई हैं—चाहे लघु उद्योग हों, बड़े उद्योग हों, जिससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सकेगा। आज खेती में जो लाखों लोग लगे हुए हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और इससे उद्योगपतियों को भी उद्योग लगाने के अवसर मिलेंगे और हमारा देश रेपिड-इण्डस्ट्रियलाजेशन की तरफ जा सकेगा। इसलिये यह कहना कि इसमें उद्योगपतियों का ख्याल किया गया है, मेरे ख्याल से यह उचित प्रतीत नहीं होता है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात की कोशिश की है कि कैसे वह धन जो दबा पड़ा है, बाहर लाया जाय, उसको उद्योगों में लगाया जा सके, जिससे देश प्रगति की तरफ बढ़े।

एक बात की ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा। इन्होंने इस बजट में आयकर की सीमा को 15 हजार रुपये से 18 हजार रुपये तक बढ़ाया है। इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह सीमा बहुत कम है, इसे 25 हजार रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिये था ताकि छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योगों को लगाने के लिए, जिनके पास पैसा है और जो आयकर के डर से नहीं लगाते हैं, लोन के लिये भटकते रहते हैं, उन्हें उस धन को उद्योग में लगाने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, तरक्की

करेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। इस लिए मेरा अनुरोध है कि इस सीमा को 25 हजार रुपये अवश्य किया जाना चाहिये।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये, देश की तरक्की के लिये, राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसमें प्रायवेट और पब्लिक सैक्टर दोनों को उद्योग लगाने के लिए अवसर प्रदान किये गये थे। यह सही है कि पब्लिक सैक्टर में बहुत बहुत ज्यादा पूंजी लगाई गई। ये ऐसे उद्योग हैं जिनको एकाधिकार प्राप्त हैं, फिर भी इन्होंने उतना उत्पादन नहीं किया, उतना रिटर्न नहीं दिया जितना इनको देना चाहिये था। मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि इनमें अधिकांश ऐसे उद्योग हैं जिनमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इसको देखा जाना चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि उनके घाटे को रोका जा सके और इनके घाटे की पूर्ति के लिए हमें सामान्य जनता पर कर का बोझ न बढ़ाना पड़े। वहां पर काम करने वालों को हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं लेकिन फिर भी वे उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं और वे देश को नुकसान के कगार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं।

स्टेट-वाइज समस्याओं को लेकर हाउस में अनेक बातें उठाई गई हैं। मगर मैं एक ऐसी समस्या की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो किसी स्टेट की नहीं बल्कि सारे देश की है। निश्चित रूप से देश के विकास के लिए पर्वतीय जिलों को पिछड़ा माना गया था। लेकिन मैं यह कहने में संकोच नहीं करता कि हिन्दुस्तान में कछार का एरिया ओवर-फलडेड एरिया है, जहां पांच-छः महीने पानी जगा रहता है। वहां के लोग बहुत निर्धन हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं, हैं, पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं हैं। मैं आज इस हाउस के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनकी तरक्की के लिए भी अलग से एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए ताकि देश तरक्की ओर तेजी से चले। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लघु उद्योगों की प्रगति के लिए जो संयंत्र आदि की निवेश की उच्चतम सीमा 1980 में 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, उसे हमारे वित्त मंत्री जी ने बढ़ा कर 35 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इतनी सहूलियत के बाद भी गाँव में इसलिए छोटे उद्योग नहीं लग पाते क्योंकि यातायात के साधन नहीं होते और विद्युत की आपूर्ति नहीं होती। इसलिए यह जो सीमा पूंजी निवेश की 20 लाख से 35 लाख रुपये की गई है और इससे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए एनकजमेंट मिलेगा, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यातायात और विद्युत आपूर्ति की सुविधाएं भी देनी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं जोकि नेशनल इन्ट्रेस्ट की है। हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। नेपाल से जो सटे हुए सीमा पर स्थान हैं जैसे भैरवा, कृष्णानगर, तौलिहवा, रक्सौल, वहां से करोड़ों रुपये का सामान नेपाल से हिन्दुस्तान में लाया जाता है। इसमें बड़े-बड़ो अधिकारियों का भी हाथ है। कुछ पुरस्कार और प्रोत्साहन देने से यह नहीं रुकेगा। इसके लिए कुछ कारगर उपाय होने चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसके लिए जो स्कुयेड बनाए

गए गए हैं, उनमें माननीय सदस्यों को भी रखा जाए और ऐसे अपराधियों को पकड़ कर दंडित किया जाए ताकि जो नेशनल लास होती है, वह न हो।

मैं यह भी चाहूँगा कि सम्पूर्ण देश में शिक्षा की समान प्रणाली हो। अगर यह संभव है, तो इसको लागू किया जाना चाहिए। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने गैस, बीड़ी, केरोसियन आयल, डालडा, डीजल पैट्रोलियम पदार्थों पर बढ़े हुए टैक्स भार को कम करने के लिए कहा है। मैं अनुग्रहीत हूंगा यदि समाज के लोगों पर जो ये टैक्स बढ़ाए हैं, इनको कम किया जाए ताकि देश की आम जनता को राहत मिल सके।

श्री राम पूजन पटेल (कुशीनगर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे 1985-86 के बजट पर बोलने का मौका दिया।

वित्त मंत्री जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता, सतर्कता एवं दूरदर्शिता से 1985-86 का बजट तैयार करके सदन में प्रस्तुत किया है और मैं उन्हें भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं और वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि उनके इस बजट से सभी लोगों को लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसानों की उपेक्षा की गई है क्योंकि पूरे बजट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि किसानों को इस बजट से प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसानों के बारे में बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा। वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में कहा है कि मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित रखने में जहां व्यय पर अकुश रखना और सूझबूझ के साथ पूर्ति प्रबन्ध करना तथा आवश्यकतानुसार ठीक समय पर वस्तुओं का आयात करना अपना स्थान रखता है, वहीं पर दो अच्छी फसलों का होना भी है। इस प्रकार 23 फरवरी 1985 को थोक कीमतों में वृद्धि की वार्षिक दर 5,2 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह दर 10 प्रतिशत थी। यही नहीं उपभोक्ता सूचकांक जनवरी 1985 में 4,4 प्रतिशत ऊंचा था जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह 13,7 प्रतिशत था। देश के किसानों ने अपने परिश्रम से जो देश को इतना मजबूत बनाया है, मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करके उनको भी सहूलियतें देने की कृपा करें क्योंकि न तो खाद की कीमतों में कमी की गई है और न दूसरी सहूलियत दी गई है। एक तरफ से थोड़ा कम किया है, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिये हैं। किसानों को न खाद में छूट मिली है, त यन्त्रों के दाम में छूट मिली है और न दूसरी किसी प्रकार की सुविधा दी गई है। जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है, उसमें सिर्फ किसानों की सहूलियत के लिए बीमा फसल योजना चालू की गई है। मैं किसानों को लाभ देने के लिए वित्त मंत्री जी के सामने एक दो सुझाव देना चाहता हूं। हमारे देश का बजट एक अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। 31 मार्च को किसानों से बकाया रुपया वसूल किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप रुपया दीजिए नहीं तो कुर्की वारन्ट जारी होंगे। किसानों को बकाया का भुगतान करने के लिए अपनी फसल, गल्ला वगैरह बहुत सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि 31 मार्च तक कोई फसल तैयार नहीं होती जो किसी प्रकार हो भी जाती है तो वह उसे सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहताहूं कि हमारा बजट 1 जुलाई से 30 जून तक का पास होना चाहिए। क्योंकि आजकल जब

महेन्द्र सिंह, जिनको उधर किंग महेन्द्र कहा जाता है, उनका और मुख्य मंत्री दोनों का फोटो अखबार में निकलता था कि इस स्कीम को हम हाथ में लेने जा रहे हैं, इस स्कीम का हम शिलान्यास भी करने जा रहे हैं लेकिन अभी तक उस पुन-पुन सिंचाई परियोजना की स्कीम को यहां से स्वीकृति नहीं मिली है। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि यहां से उसको स्वीकृति दिला कर राज्य में भेजवाएं और इसे चालू करें जिससे कि वह उन इलाकों के लिए एक वरदान-स्वरूप बन सके।

[अनुवाद]

* **श्री हरिहर सोरन** (क्योंझर) सभापति महोदय, मैं 1985-86 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूँ। वित्त मंत्री महोदय द्वारा पेश किया गया यह बजट प्रगतिशील बजट है। यह बजट इस देश के करोड़ों लोगों की आशा और आकांक्षा के अनुकूल है। वित्त मंत्री महोदय एक कार्य कुशल और ईमानदार व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। उन्होंने सुचारु और संतुलित बजट पेश किया है। अतः सभी वर्गों के लोगों में उन्हें बधाई दी है।

सर्वप्रथम मैं अपने प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी को बधाई देता हूँ। उनका ध्येय है देश को स्वच्छ और सक्षम प्रशासन देना और देश के करोड़ों लोगों इस ओर आकर्षित हुए हैं। इसी कारण उन्हें पिछले आम चुनावों में व्यापक बहुमत मिला। वह हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। चुनावों के समय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने लोगों को दल-बदल विरोधी विधेयक पारित करने का वचन दिया था। आठवीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान संसद ने दल-बदल विरोधी विधेयक पारित किया। यह विधेयक 30 जनवरी 1985 को पारित किया गया यह दिन भारत के संसदीय इतिहास में चिर स्मरणीय रहेगा। आज सारा देश श्री राजीव गांधी के नेतृत्व पर आशा लगाये बैठा है।

महोदय, यह बहुत खुशी की बात है कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान पर अधिक बल दिया गया है। देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसी ग्रामीण कल्याण योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, भारत गांवों का देश है। अतः जब हम राष्ट्र की प्रगति की बात करते हैं तो हमें ग्रामीण जनता के कल्याण और उत्थान के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। उपरोक्त सभी कार्यक्रम ग्रामीण लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाकर उनका स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। मुझे खुशी है कि चालू वर्ष के बजट में गरीबी दूर करने के प्रावधान किए गए हैं। राजनीतिज्ञों, सरकारी कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये मिलकर काम करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि सभी वर्गों के लोग इन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग दें। यह कहना ठीक नहीं कि सभी क्षेत्रों में काम कर रहे लोग

* उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

ईमानदार और निष्ठावान हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे कई लोग ऐसे हैं, जो ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धन का दुरुपयोग करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करे। मैं सरकार को यह सुझाव भी देता हूँ कि वह समय समय पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखें। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार यदि इन कार्यक्रमों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्यान्वित करने में असफल रहती हैं तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। वास्तविक लाभ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसे इसकी आवश्यकता है। लाभ भोगियों की सूचियों की जांच की जानी चाहिए तथा यदि सूचियों में जाली नाम तो लाभ भोगियों के नाम पाए जायें तो जिन अधिकारियों ने ऐसी सूचियां तैयार की हों उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि इन सभी सुझावों को कार्यान्वित किया जाये तो इससे ग्रामीण जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाई जा सकती है।

अब मैं कुछ शब्द जल पूर्ति के बारे में कहना चाहता हूँ। महोदय, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में कई गांव ऐसे हैं जहां पेय जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्याग्रस्त गाँवों का पता लगाया गया था। कुछ राज्यों ने पीने का पानी उपलब्ध कराने सम्बन्धी छठी योजना का लक्ष्य पूरा नहीं किया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि 1985-86 में प्राथमिकता के आधार पर समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मैं मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वे सातवीं योजना के अन्त तक सभी गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यक्रम में तेजी लाए। आज देश को कई समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। उनमें से एक मुख्य समस्या बेरोजगारी की समस्या है। भारत सरकार को कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की हर संभव प्रयास करने चाहिए। उड़ीसा सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य में उद्योगों के विकास हेतु कई कदम उठाए हैं। लघु क्षेत्रों में बहुत से औद्योगिक एककों की स्थापना की गई है। लेकिन मध्यम और मुख्य उद्योगों की संख्या नाममात्र ही है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि उड़ीसा राज्य में कुछ मुख्य उद्योग स्थापित किए जायें।

उड़ीसा में औद्योगीकरण के संबंध में बोलते हुए मैं उस राज्य के दूसरे इस्पात संयन्त्र का भी जिक्र करना चाहूंगा। महोदय, उड़ीसा में दायीतारी में पाँच साल पहले एक इस्पात संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया गया था। उसके लिए जगह का चयन भी कर लिया गया है। वह इस्पात संयंत्र कट्टक,क्योंझर और धेनकनाल जिलों की सीमा पर दायीतारी में एक त्रिकोणात्मक भूमिखंड पर लगाया जाना था। भूमि अर्जन का काम चल रहा था। जहां तक इस्पात संयंत्र की स्थापना का संबंध है, दायीतारी इसके लिये आदर्श स्थल है। लेकिन दुर्भाग्य से इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस्पात संयंत्र की स्थापना में असाधारण विलंब से वहां के लोगों में बड़ा असंतोष है। इस्पात संयंत्र की मांग उस राज्य के कुछ जिलों की ही नहीं अपितु यह पूरे उड़ीसा राज्य की मांग है। यदि यह इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाता है

बजट पास होता है उस समय वर्षा होती रहती है। दो-तीन महीने वर्षा में निकल जाते हैं। वर्षा के कारण देश में निर्माण कार्य नहीं होते। तीन महीने बजट पास होने में निकल जाते हैं। इस तरह से 6 महीने देश में कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाता है। बाकी के 6 महीने में निर्माण कार्य करने के लिए देश के इन्जीनियर और कर्मचारी लग जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि किसी तरह से भी 31 मार्च तक निर्माण कार्य करो और धन खर्च करो। इससे धन का दुरुपयोग होता है और निर्माण कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे इस सुझाव पर विचार करें।

हमारे देश की उच्चे माध्यमिक शिक्षा, यानी हाई स्कूल तक की शिक्षा लड़कियों के लिए मुफ्त कर दी गई है। इसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। यह बहुत महत्पूर्ण कार्य है। मैं यह कहता हूं कि देश के सभी बच्चों को चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए और सभी को देश में समान शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा में विषमता नहीं होनी चाहिए। यह न हो अमीर और गरीब के बच्चों में शिक्षा की खाई बढ़े। सबको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। यही स्वप्न हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने देखा था।

हमारे गांवों की तरक्की के लिए स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी मिटाने का हमने संकल्प किया है। गांवों में बेरोजगार लोगों को पैसा दे करके बेकारी दूर की जाती है जिससे कि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो धन दिया गया है, उसके बारे में जांच होनी चाहिए कि वास्तव में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठा है या नहीं। किसी न किसी रूप में बैंक के लोग और आपके उद्योग विभाग के लोग मिल करके पैसा ले लेते हैं और जिनके लिए वह पैसा उन्हें पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। आपके अधिकारियों ने इसमें बहुत गलत काम किए हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसे देखें। गरीबों के काम में आने वाली चीजों जैसे बीड़ी है, पान मसाला है, मिट्टी का तेल है इन पर जो टैक्स बढ़ाया गया है इससे गांवों के अन्दर बहुत कीमतें बढ़ गई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों और सीमेंट डीजल पर बढ़ाये गये टैक्स के बारे में आप पुनः विचार कीजिये।

गंगा में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिये वित्त मन्त्री जी ने दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह बहुत अच्छी बात है।

देश के विकास के लिए गरीबों का बैंकों में जो पैसा जमा होता है वह साढ़े छः साल में दुगना होता है, डाकघर में जो पैसा जमा होता है वह छः साल में दुगना होता है और बड़े-बड़े पूंजीपति जो पैसा जमा करते हैं वह पांच साल में दुगना होता है। इस तरह से सारा पैसा देश का बड़े बड़े पूंजीपतियों के खजाने में जमा होता है जो कि जनता के काम में नहीं आता है। इस तरह से प्राइवेट सैक्टर वालों की पूंजी बढ़ती जा रही है। इससे आपका सार्वजनिक क्षेत्र पीछे पड़ जायेगा जो कि देश के हित में नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। 1985-86 का जो बजट पेश हुआ है और इस बजट पर जो बहस चल रही है और हमें पुजारी जी का जो जवाब मिला, उससे हमको ऐसा लगता है कि हमारी राष्ट्रीय जो नीति है, उससे हट कर यह बजट बनाया गया है। नई नीति जो बनायी गई है वह इससे हट रही है।

महोदय, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो यह कहते हैं कि यह प्रगतिशील बजट है, गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है क्या उन्होंने इस बजट को देखा है कि उससे गरीबों को कितना लाभ मिल रहा है और धनियों और कुबेरों को कितना लाभ हुआ, कितनी छूट मिली, इससे हिसाब लगाया जा सकता है। इस प्रकार इस बजट को देखकर बतलाया जा सकता है कि यह गरीबों के पक्ष में है या धनी कुबेरों के पक्ष में है। कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिससे गरीबों को लाभ मिलने वाला है, लेकिन ज्यादा नुकसान ही पहुंचा है, उसकी जेब खाली है। बीड़ी, सोड़ा, तेल ऐसी चीजें हैं जिसको आम गरीब इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लाभान्वित होते हैं, उनके ऊपर यह जो चोट पहुंची है इसके ऊपर सोचना पड़ेगा।

मैं किसान परिवार से आता हूं और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70 प्रतिशत आदमी कृषि पर आधारित हैं। कृषि के प्रति जो आपने उपेक्षा दिखाई है। आप कह सकते हैं कि आपने उत्पादन का रिकार्ड कायम किया। आपने 1984-85 में 151 मिलियन टन उत्पादन किया, वह अस्थायी है। जब मानसून अच्छा हो जाता है तो उत्पादन बढ़ जाता है, जब मानसून खराब होता है तो उत्पादन घट जाता है इसलिए इसको स्थायी नहीं कहा जा सकता। मैं आपको उदाहरण देकर बता सकता हूं कि 1982-83 के पहले 133 मिलियन टन का उत्पादन था लेकिन 1982-83 में मानसून खराब हुआ, अकाल और सूखाड़ की स्थिति देश में आई तो आपका उत्पादन 126 मिलियन टन हो गया। आपने कृषि के प्रति उपेक्षा बरती है। पूरे देश की बात नहीं है। पंजाब, हरियाणा में कृषि बहुत विकसित हुई है, उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्रों में विकसित हुआ है, लेकिन बिहार उड़ीसा, बंगाल बहुत पिछड़े रहे हैं। अभी भी हमारे इलाके में बहुत उपजाऊ जमीन है, लेकिन अगर उसे सही तरह से विकसित करते, पानी देते तो वह सोना देने वाली है। ऐसी कृषि की उपेक्षा की है। अगर कृषि का विकास किया होता तो आप मुद्रास्फीति पर काबू पा सकते थे। उत्पादन ज्यादा बढ़ा कर घाटे में नहीं आते। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि गल्ला विदेशों में भेजते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं। मैं आपको बताऊं कि 1978 में आपने हर व्यक्ति को 468 किलोग्राम दिया लेकिन आज 438 किलोग्राम ही देते हैं। इससे साबित होता है कि खाने की मात्रा कम हो गई है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

हमारे इलाके की जो स्कीम जिसको पुन-पुन सिंचाई परियोजना कहते हैं और जिससे गया जिले के करपो प्रखंड, कुर्था, जहानाबाद, पटना जिले के मसौढ़ी और घनरूआ प्रखंड लाभान्वित होने वाले हैं, लोक सभा के चुनाव में इस स्कीम के बारे में वहां के कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार

तो इससे उड़ीसा में हजारों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। चूंकि इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित स्थल के नजदीक श्रमिक, पानी और कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, अतः यही उचित है कि इस्पात संयंत्र की स्थापना दायीतारी में ही की जाए। इस्पात संयंत्र की स्थापना में विलम्ब करने के परिणामस्वरूप इसकी लागत भी बढ़ जायेगी। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि बिना और विलम्ब किए दागीतारी में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाए।

अन्त में, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री आयुतोष लाहा (दमदम) : सभापति महोदय, अत्यधिक गतिशील, विकासोन्मुख तथा विवेकपूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी इस प्रकार के साहसिक कदम उठाने के लिये बधाई देता हूँ जो कि पिछले 30 वर्षों में नहीं उठाये गये।

विपक्ष ने केन्द्रीय बजट के कई पहलुओं का विरोध किया है एवं उसकी आलोचना की है मेरा इससे अनुदोध है कि मात्र आलोचना करने के लिये अथवा विपक्ष में होने के नाते केवल विरोध करने के लिए ही। कृपया इस बजट की आलोचना का विरोध मत करिये? भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यही ऐसा बजट है जिसमें सभी वर्गों के लोगों को काफी हद तक लाभ एवं राहत दी गई है (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उन्हें सिर्फ दो या तीन मिनट ही बोलना है, कृपया उन्हें परेशान मत करिये।

श्री आयुतोष लाहा : मैं आपसे अपील करूंगा कि भगवान के लिए जिन्दगी में एक बार तो यह महसूस करने की कोशिश कीजिए कि यह बजट देश के और भावी पीढ़ी के फायदे के लिये है। अगर आप समझते हैं कि हमने और हमारी पिछड़ी पीढ़ी ने परेशानियां उठाई हैं तो हमारी भावी पीढ़ी को भी कुछ तकलीफे उठाने दीजिए। जनता के लिए ऐसा कुछ करिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी को इस बजट से कुछ लाभ मिल सके। इस बजट में कमजोर वर्ग, मध्यम वर्ग तथा सहकारिता क्षेत्र के लोगों की राहत दी गई है।

अब हम देखें कि प्रस्तावित बजट में कमजोर वर्ग को क्या फायदे एवं राहतें दी गई हैं। चूंकि समय बहुत कम है मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। अगर मुझे अच्छी बात स्पष्ट करने की अनुमति दी जाये तो मैं कहूंगा कि इस बजट में किसानों, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों, समाज के कमजोर वर्गों, के बेरोजगार युवकों को सभी तरह से लाभ पहुंचा है। ये फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले मुझे श्रमिकों के मामलों पर कहने दीजिये। कम्पनी के बन्द हो जाने की हालत में, पहले के नियमों के मुताबिक सर्व प्रथम सरकार की बकाया राशि तथा सुरक्षित ऋणदाताओं के दावों पर विचार किया जायेगा। लेकिन अब श्रमिकों की मंजूरी और दावों का भुगतान सर्वप्रथम किया

जायेगा। श्रमिकों की मंजूरी को सरकारी समाप्त के समरूप कर दिया गया है। अतः श्रमिकों के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं भारी राहत है।

बोनस सीमा 750 रुपये से बढ़ाकर 1650 रुपये कर दी गई है। इससे न सिर्फ श्रमिकों कमजोर वर्ग अपितु निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को भी फायदा होगा। ग्रामीण विकास के लिए ज्यादा धन राशि दी गई है। ग्रामीण विकास क्षेत्र में न सिर्फ किसानों को अपितु ग्रामीण युवाओं कों भी लाभ मिलेगा। फसल बीमा योजना जो कि इस बजट में रखी गई है जिसका लाभ कृषकों को मिलेगा। यह एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी प्रस्ताव है जिसके बारे में कभी विचार नहीं किया गया था। अगर किसान बीमा-किस्त देने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

औद्योगिक नीति एक निगमित क्षेत्र को जहां तक संबंध है मैं कहना चाहूंगा कि निगमित क्षेत्र को काफी राहत की गई है दूसरी ओर बैठे विपक्षी दल के मेरे माननीय मित्र जो इतना शोर कर रहे हैं अगर वे बजट को ध्यान से पढ़े तो शायद यह महसूस करें कि जो छूट पहले निगमित क्षेत्र को दी जा रही थीं वे अब वापस ले ली गई हैं और इस बजट में निगमित कर कम कर दिया गया है। अगर आप मध्यम वर्ग के लोगों पर इस बजट के प्रभाव को देखें तो आप पायेंगे कि उन्हें करों में कमी, सम्पदा कर के ढांचे का पुर्नगठन तथा मृत्यु कर एक अनिवार्य जमा योजना को समाप्त करने से फायदा पहुँचेगा। इन कार्यों से मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को काफी सहायता मिलेगी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह बजट सिर्फ मध्यम वर्ग के लिये है। यह सभी वर्गों के लोगों के लिये है।

अतः में मैं पैट्रोलियम, मिट्टी के तेल तथा खाना पकाने की गैस की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि के बारे में कहूंगा मैं इसका समर्थन करता हूँ ..... (व्यवधान) आप मेरे वक्तव्य का गलत अर्थ न लगायें। आप मेरी बात को सुनिये। अगर यह अनिवार्य है कि पैट्रोलियम उत्पादों कि कीमतें बढ़ानी ही हैं तो अच्छा यह होगा कि अगले वर्ष मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करने के स्थान पर इस वर्ष इनकी कीमतों मे थोड़ी वृद्धि की जाये अन्यथा लोगों पर और अधिक भार पड़ेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मिट्टी के तेल की कीमत कम करने का अनुरोध करता हूं अन्यथा कमजोर वर्ग को नुकसान होगा अगर आवश्यकता पड़े तो टेलीवीजन, वी. सी. आर. तथा अन्य विलासिता की चीजों पर जो कर समाप्त किया गया है उसे पुनः लगा सकते हैं। पर मिट्टी के तेल की कीमत कम होने से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

श्री एच. ए. डोरा (श्रीकाकुलम) : माननीय सभापति महोदय। दूसरी ओर बैठे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि बजट में समाजवाद प्रतिविम्बित होता है और इससे आम आदमी की आय में वृद्धि होगी, और यह प्रगति तथा क्रांति में भरपूर योगदान देगा। यह पहले भी इसी भाव और आवाज में कहा गया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस बजट में समाजवाद की कितनी मात्रा का और समावेश करना है।

हमारे संविधान में निहित राज्य की नीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य समाजवाद है। लगभग 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारे देश में कितना समाजवाद लाया जा चुका है ? क्या यह नंगी आंखों से देखा जा सकता है या आवर्धक लेंस लगाकर देखा जा सकता है।

वर्ष 1947 में टाटा, बिरला सिंघानिया और अन्य लोगों की सम्पदा क्या थी और इस समय इसकी क्या स्थिति है ? सन् 1947 में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे ? और 1985 में इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

क्या ऐसा है कि हमारे यहां समाजवाद आ गया है ? बजट के क्रांतिकारी होने का प्रमाण यही है कि यह उद्योगपतियों के चारों ओर घूमता है या यह सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। इस बजट का अर्थ है इस देश के कम से कम लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। मैं कहूंगा :—

> इस देश में समस्याऐं अनेक हैं बजट आधारित है बीस सूत्री कार्यक्रम पर, परन्तु नतीजा है एकदम खाली।

मुझे यह कहने की इजाजत दी जाये कि कुछ मुद्दों के बताने से बजट का खोखलापन देखा जा सकता है जिन्हें सदन के सामने बताने के लिए मुझे अनुमति चाहिये। वर्ष 1985-86 के लिए सकल वार्षिक आवश्यकता 2,12,798.82 करोड़ रुपए की है ग्रामीण विकास के लिए सिर्फ 399.95 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कुल राशि का एक प्रतिशत भी नहीं है। यहां तक कि इस वर्ष की कुल सकल वार्षिक आवश्यकता का 1/500 वां हिस्सा भी नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ओर ध्यान दिलाने का आग्रह कर सकता हूँ ? मोटे तौर पर इस देश में लगभग 5,75,00 गांव हैं। इन गावों में हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी रहती है और हमारे देश की 70 प्रतिशत आय इन गांवों से ही होती है। परन्तु गांवों के विकास के लिए धन का आवंटन बहुत ही कम है यहां तक कि एक प्रतिशत भी नहीं है। यह एक प्रतिशत का छोटा सा भाग है। गांवों के बारे में क्यों इस तरह का अपराधिक भेदभाव अपनाया जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि इस तरह का भेदभाव पहले भी किया गया है और किया जा रहा है ? बिना ग्रामीण विकास के सरकार किस तरह इस देश की प्रगति की आशा कर सकती है।

अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं उसमें सुधार करने के लिए तैयार हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जानबूझ कर उपेक्षा हो रही है। आज तक जो ग्रामीण विकास हुआ है वह तुलनात्मक रूप में नगण्य है।

देश में अधिकतर गांवों में कच्ची सड़कें भी नहीं हैं। देश में, विशेष रूप में गाँवों में पीने के पानी की कमी है।

60 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं है। माननीय मंत्री जी गाँवों में स्वच्छता की स्थिति

से तो भली-भांति परिचित हैं। इन स्थितियों से अवगत होने के बावजूद भी ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही कम धन राशि का उपबन्ध किया गया है।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि यह बजट उन लोगों के लिये नहीं है जो गांवों में अध-पक्के मकानों में रहते हैं। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कोठियों में रहते हैं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय मुझे खुशी है कि मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया गया है यह वह बजट है जिसका व्यापक तौर पर समर्थन किया गया है और जिसमें हमें सामाजिक न्याय के एक नये युग की ओर अग्रसर किया है।

दोनों पक्षों के हमारे कुछ मित्रों द्वारा की गई आलोचनाओं को हम सुन रहे थे। विपक्षी दलों ने कहा है कि यह बजट पूंजीवाद समर्थक ग्रामीण-विरोधी है और समाजवाद के उस मार्ग से हट कर है जिसको हमारा देश आजादी के पश्चात से अनुसरण करता आया है। यह भी कहा गया है कि श्री पालकीवाला जैसे व्यक्तियों तथा पश्चिम के कुछ समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा इस बजट का स्वागत किया गया है। तब तो इसे आवश्यक रूप में पूंजीवाद समर्थक होना चाहिए। यह एकदम तर्कविहीन है। विपक्षी दल के माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि वित्त मंत्री जी के साथ उनकी चर्चा के दौरान उन्होंने मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग की कठिनाईयों को दूर करने के लिए तीन उपाय सुझाये थे और तीनों सुझाव माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिए थे। अगर श्री गुप्त जी के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो हम इसे पूंजीवादी समर्थक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें श्री इन्द्रजीत गुप्त की कुछ सिफारिशें भी हैं ? यह वास्तव में अजीब विडम्बना है कि वो दल जो कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी की आलोचना करते थे, विरोध करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और उनके सम्पूर्ण प्रधान मंत्री काल में उन्हें सामाजिक जीवन से दूर करने की कोशिश करते रहे और अब वे ही दल पछता रहे हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात समाजवाद खतरे में है। हम उनके इस विलम्बित स्वीकारोक्ति अथवा अपराध स्वीकरण के लिए आभारी हैं।

यह बहुत ही संतोषजनक बात है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ है और हमारे राष्ट्र के सभी वर्गों का चहुंमुखी विकास हुआ है चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, विद्युत उत्पादन हो या कोयले का उत्पादन अथवा रेलों द्वारा माल लाना-ले जाना हो आदि। बजट में किये गये बहुत से फायदे एवं प्रोत्साहनों से राष्ट्र के विभिन्न वर्ग के बहुत से लोगों में ज्यादा विश्वास बढ़ा है और सबसे गरीब व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए गए हैं।

फसल बीमा की व्यापक योजना, ऐसे सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना बनाना जो किसी योजना के अन्तर्गत नहीं आते, बोनस के भुगतान के लिए आय की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव, सम्पूर्ण देश में ग्यारहवीं कक्षा तक सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, सेवा निवृत फायदों में वृद्धि, निजि आयकर पर छूट की सीमा को बढ़ाने तथा आयकर पर अधिकार को समाप्त करने का प्रस्ताव, अनिवार्य जमा योजनाओं को समाप्त करना, सम्पदा कर पर लेवी की

समाप्ति कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के लिए मासिक आय की सीमा को बढ़ाना, उद्योग के बन्द होने की सूरत में श्रमिकों को बकाया राशि के भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता देना तथा इसी तरह के और भी अन्य प्रगतिशील उपाय निश्चित ही क्रान्तिकारी उपाय हैं इनसे सम्पूर्ण राष्ट्र नये युग की ओर अग्रसर होगा।

तथापि मैं यह कहने के लिए मजबूर हूँ कि बजट में कुछ प्रस्तावों से मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग प्रभावित हुये हैं। कच्चे पेट्रोलियम पर शुल्क में वृद्धि तथा सीमेंट की कीमत में वृद्धि से निसंदेह निर्धन एवं मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ बढ़ा है। मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि पर पुनः विचार करना होगा अन्यथा निर्धनतम व्यक्ति को उन उपायों से राहत नहीं मिलेगी जो जो कि आम आदमी के लिए किए गए हैं। लघु स्तर के उद्योगों के विकास के लिए बहुत से प्रोत्साहनों का जो प्रस्ताव किया गया है उसके फलस्वरुप कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसकी गणना अभी से नहीं की जा सकती। आवास की भी एक बड़ी समस्या है। इसे भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को इस तरह की योजनाओं जैसे कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एन.आर.ई.पी. आदि से बहुत ही लाभ होगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बसे इनके जैसे बदनसीब लोगों के लिये ऐसे कोई भी उपाय नहीं किए गए हैं।

उपरोक्त वर्ग के लोगों के दुःख को कम करने के लिए और उनके मामले में बजट को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए मैं निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव करूंगा :—

अगर मिट्टी के तेल की कीमत कम करना मुमकिन नहीं है तो छोटे किसानों को घरेलु एवं वास्तविक उपयोग के लिए मिटटी का तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर दिलाया जाये।

खाना पकाने की गैस एल.पी.जी. के मूल्य पर प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जायेगा।

सीमेंट और साबुन पर प्रस्तावित उत्पादन शुल्क को भी वापस लिया जायेगा।

शहरी क्षेत्रों के गरीब वर्गों के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और एन.आर.ई.पी. की तरह ही योजनायें बनाई जायेंगी।

किसानों को सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जायेंगे।

7.00 अ.प.

आवास समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों एवं तटवर्तीय इलाकों में भूमिविहीन निर्धन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मकान दिलाने के लिए विशेष परियोजनायें तैयार कर समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिये।

यह एक ऐसा समय है जब समूचा राष्ट्र अपनी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उस युवा नेतृत्व पर आशा लगाये है जिसे शांति और खुशहाली लाने के लिए देश का कर्णधार बनाया गया है। आठवीं लोक सभा का पहला बजट जो इस समय हमारे समक्ष है, स्पष्ट सिद्ध करता है कि सत्तारूढ़ दल तथा विशेष रूप से हमारे युवा प्रधान मंत्री में इतना बड़ा विश्वास व्यक्त करना गलत नहीं था। प्रधान मंत्री ने नेता के रूप में अपने सर्वसम्मत चुनाव के पश्चात राष्ट्र के नाम अपने प्रथम संदेश में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि नया प्रशासन ईमानदारी, कार्यकुशलता एवं समयबद्ध कार्यक्रमों पर आधारित होगा। उनकी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रथम बजट इन उच्च आदेशों को पूरी तरह साकार करता है। इसलिए मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं। और शपथ लेता हूं कि हम इस महान देश को निर्माण करने में इन आदेशों का पालन करने के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे ताकि अखण्ड भारत अमर और खुशहाल बने।

सभापति महोदय : सभा सोमवार 25 मार्च, 1985 के 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.01 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 25 मार्च, 1985/4 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6